खण्ड-457, अंक-7
शुक्रवार, 19 फाल्गुन, शक संवत् 1927
(10 मार्च, 2006 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 2005)

खण्ड 457 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2006

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय				पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	...	...	...	क-च
प्रश्नों के सम्बन्ध में सूचना	...	...	...	1
प्रश्नोत्तर	...	...	...	1-41
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	...	...	...	41-42
लखनऊ के कृष्णा नगर से आशुतोष नगर, सिन्धुनगर, भोला खेड़ा क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			...	42
सुल्तानपुर के इसौली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मापंग में अधूरे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण कराने एवं सम्बन्धित स्टाफ की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना		...	...	42-43
विकलांग जन अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों की समुचित व्यवस्था हेतु विकलांग जन आयुक्त की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	43
बुन्देलखण्ड के ललितपुर, झांसी एवं बांदा जनपदों में दिनांक 8 मार्च, 2006 को हुयी भयंकर ओलावृष्टि से प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			...	43-44
गोरखपुर के बाँसगांव क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त बाँसगाँव-रानीभैसा एवं गौर बेदौली मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			...	44
रायबरेली के डलमऊ क्षेत्रान्तर्गत डलमऊ गंगा नहर में काफी दिनों से पानी न आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			...	44
मिर्जापुर मझवां क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा इरवन में कांजी हाऊस पर किये गये अवैध निर्माण को हटाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			...	44-45
गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गत पाँच वर्षों में कराये गये निर्माण कार्यों की जांच कराने एवं कथित भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			...	45
झांसी के तहसील मऊरानीपुर में बालू के घाटों का लीज पट्टा के अतिरिक्त बालू माफियाओं द्वारा अवैध बालू खनन से उत्तर प्रदेश को हो रही राजस्व की हानि के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना		...	...	46
उत्तर प्रदेश सचिवालय स्थित कर्मचारी कल्याण निगम की दुकानों में सामान की गुणवत्ता खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	47

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 -- - - - - - - (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ...	47
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) विधेयक, 2006---------- (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ...	48
उत्तर प्रदेश आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2006 ---------- (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ...	48
विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के प्रथम शुक्रवार दिनांक 18 फरवरी, 2005 को श्री मिथिलेश कुमार द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या -12 का संशोधित उत्तर	48-50
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	51-62
वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा------ जारी ...	62-123
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें-------- ...	124
हाइटेक सिटी गाजियाबाद में किसानों की जमीन को खरीदने में भारी असमानता के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री नबाब सिंह नागर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	125
प्रदेश में मध्यांचल एवं इटावा जनपद में बर्डफ्लू रोग के फैलने की आशंका को देखते हुए प्रदेश में वैक्सीन की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पशुधन मंत्री का वक्तव्य	126-127
जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर में सिविल जज न्यायालय को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	127-128
जनपद पीलीभीत के सभी प्राथमिक विद्यालयों को किचन रोड के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि के बाद भी निर्माण कार्य प्रारम्भ न कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 विनोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	128-129
जनपद बुलन्दशहर के नगरपालिका परिषद् में कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों को वर्ष 1996 से वेतन का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में श्री मुंशी लाल गौतम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	129-130
जनपद गौतमबुद्ध नगर में नोयडा व ग्रेटर नोयडा में अधिग्रहीत ग्रामों के भूमिहीन कमजोर वर्गों के परिवारों को रियायती दर पर भूखण्ड आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	130

विषय	पृष्ठ-संख्या
जिला बिजनौर के ग्राम खिड़घी हेमराज कालोनी में ग्रामीणों के घर में घुसकर पुलिस द्वारा महिलाओं से अभद्र व्यवहार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कुंवर भारतेन्द्र सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	131
जनपद मिर्जापुर में जल निगम द्वारा लगाये जा रहे हैण्ड पम्पों में घटिया सामान का इस्तेमाल करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 रमेश चन्द्र बिन्द द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	131-132
जिला फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र किशुनपुर में गिरते जल स्तर को देखते हुए हैण्ड पम्पों की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णा पासवान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	132-133
जनपद इलाहाबाद की मुख्य सड़क सहसों चन्दोहा से उमरी तक स्वीकृत सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	134-135

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चौदहवीं विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च, 2006 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के ।। बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-346

अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद	अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच	अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अजय कुमार, डा0	बागपत	अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अर्जीम भाई, श्री	फिरोजाबाद	अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अताउल रहमान, श्री	बरेली	अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर	अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0	जालौन
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा	अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर	अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर	अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर	अलगू प्रसाद चौहान, श्री	सन्त कबीर नगर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	हरदोई	अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा	अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत	अशोक वाजपेयी, डा0	हरदोई
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया	अशोक सिंह चौहान,	मैनपुरी
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती	आदित्य विक्रम सिंह (बांकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद	आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
अब्दुल कलाम, श्री	सन्त कबीर नगर	आर0 एस0 कुशवाहा, श्री	खीरी
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई	आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां, श्री	बाराबंकी	आर0 के0 सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर	आलम बदी, श्री	आजमगढ़
अमर सिंह परमार, श्री	आगरा	आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी

आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
आशीष यादव, श्री	बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इन्द्रदेव सिंह, डा0	बिजनौर
उज्ज्वल रमण सिंह, श्री	इलाहाबाद
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
उमा शंकर कुशवाहा, श्री	गाजीपुर
ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कपिल देव यादव, श्री	मऊ
कमलेश कुमार, श्री	गोरखपुर
कमलेश कुमार पाठक, श्री	कानपुर देहात
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब	रामपुर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गया चरन दिनकर, श्री	बांदा
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जंग बहादुर, श्री	सुल्तानपुर
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकरनगर
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री	गोरखपुर

अप्रैल 2018

...ाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
...नेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
...राज सिंह, श्री	मथुरा
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ भाष्कर, श्री	सन्त रविदासनगर, भदोही
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देव नारायण उर्फ जो0 एम0 सिंह, श्री	गोरखपुर
देवेन्द्र नागपाल, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धू राम लोधी, चौधरी	हमीरपुर
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेन्द्र कुमार, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र शिशोदिया, श्री	गाजियाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्ध नगर
परमजीत, श्री	मुजफ्फरनगर
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पी0 के0 राय, श्री	कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रताप चौधरी, श्री	हाथरस
प्रदीप जैन "आदित्य", श्री	झांसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	चन्दौली
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
प्रेम सिंह, श्री	मथुरा
फागू, श्री	मऊ
वंशीधर राज, श्री	खीरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबूराम एम0 काम, श्री	जालौन
बाबू लाल, श्री	गोण्डा
बाबू लाल, चौधरी	आगरा
बाबू लाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बिजय सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री	झांसी
बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट	जालौन

सत्यमेव जयते संसद

बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरन गंगवार, श्री	बरेली
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री	इटावा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मलिक मसूद, श्री	आजमगढ़
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौ0, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, चौधरी	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश त्रिवेदी, श्री	कानपुर देहात
महेश नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मान पाल सिंह, श्री	एटा
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुकुल बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मुकुल उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर	बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद मुजतबा सिद्दकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद शफीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
याकूब, हाजी	मेरठ
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रंगनाथ मिश्र, श्री	संत रविदास नगर, भदोही
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, श्री	प्रतापगढ़
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकरनगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजनाथ यादव, श्री	वाराणसी
राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजा राम, श्री	प्रतापगढ़

राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर
राबिया कलाम, श्रीमती	वाराणसी
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम गोविन्द, चौधरी	बलिया
राम चन्द्र यादव, श्री	फैजाबाद
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
राम पाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
रामबाबू हरित, डा0	आगरा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम मगन, श्री	बाराबंकी
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
विनय शाक्य, श्री	औरैया
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री	इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री	बदायूं
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
वीरेश्वर, श्री	अलीगढ़
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदासनगर, भदोही
शब्बीर, श्री	बहराइच
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद

सत्यमेव जयते

शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवाकान्त ओझा, श्री	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज
श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रद्धा यादव, श्रीमती	जौनपुर
श्रीराम भारती, श्री	मिर्जापुर
संजयगर्ग, श्री	सहारनपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्तो देवी, श्रीमती	सहारनपुर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
सियाराम सागर, डा0	बरेली
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

नोट :–1--परिवार कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन), औद्योगिक विकास मंत्री (श्री ख्वाजा हलीम), उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा) तथा बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री अजीत कुमार राजू) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नों के सम्बन्ध में सूचना

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

माननीय अध्यक्ष जी, कल मुझे आश्वासन दिया गया था..

श्री अध्यक्ष--

आज वह है आपका।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

माननीय अध्यक्ष जी, ढाई हजार बच्चों के ...

श्री अध्यक्ष--

आप रुक जायें।

कल कार्य मंत्रणा समिति में यह तय हुआ था कि सभी प्रश्न उत्तरित माने जायेंगे, इसलिये यह सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

प्रश्नोत्तर

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड में नई औद्योगिक इकाई स्थापित करने एवं सुविधाओं सम्बन्धी निर्णय

*1--श्री श्याम देव राय चौधरी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड में नई औद्योगिक इकाई स्थापित करने पर सरकार द्वारा प्रोत्साहन के रूप में कौन-कौन सी सुविधायें प्रदान करने का निर्णय लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री ख्वाजा हलीम)--

राज्य सरकार द्वारा पूर्वांचल/ बुन्देलखण्ड में नई औद्योगिक इकाईयां स्थापित करने हेतु निम्न विशेष सुविधायें प्रदान करने का निर्णय लिया गया है :--

(1) रु0 10 करोड़ या अधिक पूंजी निवेश करने वाली नई इकाईयों को 10 वर्ष के लिये ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना। पायनियर इकाईयों के लिये यह सुविधा 15 वर्ष के लिये उपलब्ध होगी।

(2) नई लघु/लघुत्तर इकाईयों को स्टैम्प शुल्क से पूर्ण छूट तथा अन्य इकाईयों को 50 प्रतिशत छूट।

(3) सभी इकाईयों को रु0 2 प्रति हजार (अधिकतम रु0 5000) शुल्क अदा करने पर पंजीकरण की सुविधा।

(4) मध्यम तथा वृहत् उद्योगों को 15 वर्ष के लिये कैपिटल गुड्स, प्लाण्ट, मशीनरी तथा स्पेयर पार्ट्स पर प्रवेश कर से छूट।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में विद्युत मांग तथा विद्युत आयात का विवरण

*1--डा0 अजय कुमार--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत तीन वर्षों में कितने मेगावाट विद्युत की मांग प्रतिवर्ष औसतन बढ़ी है ? प्रदेश में ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिये कितने मेगावाट विद्युत की खरीद की जा रही है तथा प्रदेश में प्रस्तावित परियोजनाओं की कार्य प्रगति क्या है तथा उक्त परियोजनायें कब से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ कर देंगी ?

लोक निर्माण एवं ऊर्जा मंत्री (शिवपाल सिंह यादव)--

प्रदेश में वर्ष 2003-04 में 250 मेगावट वर्ष 2004-05 में 415 मेगावट तथा वर्ष 2005-06 में 415 मेगावाट औसतन प्रतिदिन विद्युत की मांग बढ़ी है।

प्रदेश में 3000--3200 मेगावाट प्रतिदिन विद्युत का आयात किया जा रहा है।

परियोजनाओं की कार्य प्रगति निम्नलिखित है:--

(1) **2 x 500 मे0 वा0 अनपरा "सी" परियोजना**--परियोजना हेतु निजी निवेशक का चयन की प्रक्रिया प्रगति पर है। परियोजना स्थापना हेतु अनुबन्ध हस्ताक्षरित होने के 52 माह में प्रथम इकाई तथा 56 माह में द्वितीय इकाई को कमीशनिंग होना प्रस्तावित है।

(2) **2 x 210 मे0 वा0 पारीछा तापीय परियोजना**--प्रथम इकाई का लगभग 75 प्रतिशत तथा द्वितीय इकाई का लगभग 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। पहली इकाई से अप्रैल 2006 तथा दूसरी इकाई से अक्टूबर 2006 तक उत्पादन होना सम्भावित है।

नयी प्रस्तावित परियोजनायें

(1) **2 x 250 मे0 वा0 हरदुआगंज तापीय विस्तार परियोजना**--इस परियोजना का साध्यता अध्ययन एन0 टी0 पी0 सी0 द्वारा किया जा चुका है तथा इन्वायरमेन्ट इम्पैक्ट एसेसमेन्ट स्टडी बी0 एच0 ई0 एल0, हरिद्वार द्वारा की जा रही है, जिसका कार्य अप्रैल 2006 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

(2) **2 x 250 मे0 वा0 पारीछा तापीय विस्तार परियोजना**--परियोजना का साध्यता अध्ययन कराया जा चुका है तथा डी0 पी0 आर0 बनाने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) **2 x 660 मे0 वा0 अनपरा "डी" परियोजना**–इस परियोजना के लिए डी0 पी0 आर0 बनाने की कार्यवाही की जा रही है।

नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण की योजना–(1) पनकी एवं पारीछा तापीय विद्युत गृहों की इकाईयों के आर0 एण्ड एम0 हेतु वर्तमान में ए0 पी0 डी0 पी0 स्कीम के अन्तर्गत तीन परियोजनायें प्रगति पर हैं । यह सभी परियोजनायें 31-12-2006 तक पूर्ण होने की आशा है।

(2) ओबरा "अ" विद्युत गृह 5 x 50 मे0 वा0 की इकाईयों के रिबर्शिमेन्ट का कार्य प्रगति पर है। प्रथम चरण का कार्य जून, 2006 तक पूरा होने की आशा है।

(3) 5 x 200 मे0 वा0 ओबरा "ब" ताप विद्युत गृह के रिफर्बिशमेन्ट का कार्य विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप मूल निर्माता मेसर्स बी0 एच0 ई0 एल0 से कराया जाना प्रस्तावित है।

(4) हरदुआ ताप विद्युत गृह की इकाई संख्या 5 एवं 7 पेजर योजना के अन्तर्गत आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण कार्य प्रगति पर है, योजना 18 माह में पूर्ण होने की आशा है।

(5) अनपरा "अ" ताप विद्युत गृह (3 x 210 मे0 वा0) की आर0 एण्ड एम0 योजना का कार्य प्रगति पर है।

निजी क्षेत्र

1–रोजा ताप विद्युत परियोजना-600 मेगावाट–इस परियोजना का पुनरीक्षित ऊर्जा क्रय अनुबन्ध उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त पुनरीक्षित क्रियान्वयन अनुबन्ध किया जा रहा है।

2–विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना-400 मेगा वाट–परियोजना से ऊर्जा का उत्पादन मार्च, 2006 के अन्त में प्रारम्भ होना सम्भावित है तथा इसकी चारों इकाईयां अगस्त, 2006 तक चालू होना सम्भावित है।

3–श्रीनगर जल विद्युत परियोजना-330 मेगा वाट–330 मेगावाट की इस परियोजना का पुनरीक्षित क्रियान्वयन अनुबन्ध किया जा चुका है।

वाराणसी नगर के दक्षिण विधान सभा क्षेत्र में ए0 पी0 डी0 आर0 पी0 योजनान्तर्गत कराये गये विद्युत कार्यों का विवरण

*2--श्री श्याम देव राय चौधरी--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ए0 पी0 डी0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत वाराणसी शहर के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति को सुदृढ़ करने हेतु कौन से कार्य कराये गये हैं ? क्या उक्त कार्यों में 33/11 के0 वी0 तथा 132 के0 वी0 सब स्टेशनों की ओवरलोडिंग के कारण स्थानीय स्तर पर अतिरिक्त कटौती से निजात दिलाये जाने की भी कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

ए0 पी0 डी0 आर0 पी0 योजना के अन्तर्गत वाराणसी नगर के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत गोदौलिया, दशाश्वमेध, खालिसपुर, पाण्डेय हवेली, सोनारपुरा, लक्सा, नई सड़क, भदैनी एवं अस्सी क्षेत्रों के जर्जर तारों को बदला जा चुका है। साथ ही इन क्षेत्रों में वितरण परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि का कार्य भी पूर्ण कराया जा चुका है।

वाराणसी नगर के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के लिये निम्नलिखित कार्य योजना है :--

33/11 के0 वी0 के नये विद्युत उपकेन्द्र प्रस्तावित है :--

1--गोदौलिया (1 x 5 एम0 वी0 ए0)।

2--टाउन हाल (1 x 5 एम0 वी0 ए0)।

3--भदैनी (पेय जल हेतु) (1 x 5 एम0 वी0 ए0)।

निम्नलिखित 33/11 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है :--

1--भदैनी (1 x 10+1 x 8) से (2 x 10) एम0 वी0 ए0।

2--शकुलधारा (2 x 10+1 x 5) से (2 x 10 +1 x 8) एम0 वी0 ए0।

इसके अतिरिक्त 33/11 के0 वी0 विद्युत उप केन्द्र भेलूपुर की (2 x 5) से (1 x 5+ 1x 8) एम0 वी0 ए0 क्षमता वृद्धि का कार्य प्रगति पर है।

वाराणसी शहर के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र हेतु निम्नलिखित 132 के0 वी0 उपकेन्द्रों पर ओवर लोडिंग के कारण स्थानीय स्तर पर अतिरिक्त कटौती समाप्त करने हेतु निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित है :

1--132 के0 वी0 विद्युत उप केन्द्र वी0 एच0 यू0 (1 x 40 एम0 वी0 ए0) के नये उपकेन्द्र का निर्माण।

2--132 के0 वी0 विद्युत उप केन्द्र भिखारीपुर (मडुआडीह) की (2 x 40 +1 x 20) एम0 वी0 ए0 से (3 x 40) एम0 वी0 ए0 की क्षमता वृद्धि।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार द्वारा डीजल, पेट्रोल पर लगाये गये अतिरिक्त कर

*3--श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल पर कितना अतिरिक्त कर लगाया गया है ? क्या सरकार पेट्रोलियम पदार्थों में निरन्तर हो रही मूल्य वृद्धि से प्रदेश के उपभोक्ताओं को राहत देने के लिये उक्त कर को समाप्त या कम करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

पेट्रोल, डीजल पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जिलों में बैनामा रजिस्ट्री दर में सर्किल रेट निर्धारित करने की प्रक्रिया

*4--श्री सुरेन्द्र कुमार खन्ना--

क्या संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलों में बैनामा रजिस्ट्री दर में सर्किल रेट निर्धारित करने की क्या प्रक्रिया है ? क्या जिलाधिकारियों को इस सम्बन्ध में असीमित अधिकार दिये गये हैं ? क्या मा0 मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सर्किल रेट बढ़ाने से पूर्व उस स्थान के वास्तविक मूल्य को आधार बनायेंगे तथा मूल्य का आंकलन एक प्रक्रिया के तहत करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कर एवं निबन्धन, स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हरिशंकर तिवारी)--

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के नियम 4 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार भूमि के मूल्यांकन, गैर वाणिज्यिक भवन के निर्माण मूल्य के लिए और वाणिज्यिक भवन के किराये की न्यूनतम दर कलेक्टर द्वारा द्विवार्षिक रूप से निर्धारित की जाती है।

जी नहीं।

सर्किल रेट बढ़ाये जाने से पूर्व उपरोक्त नियमावली के नियम 4 के अन्तर्गत उस स्थान के वास्तविक मूल्य को आधार बनाया जाता है तथा मूल्य का आंकलन कलेक्टर द्वारा किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्तमान औद्योगिक स्थिति के बारे में फर्म "डेलाइट टाश" तोहमत्सू की सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा उद्योग व निवेश को बढ़ावा देने हेतु लीडा का गठन

*5--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की वर्तमान औद्योगिक स्थिति के बारे में विश्व की प्रमुख सलाहकार फर्म "डेलाइट टाश", की सर्वेक्षण की रिपोर्ट हाल ही में मुख्य मंत्री को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो सर्वे की रिपोर्ट क्या है ? क्या इस सर्वे में प्रदेश में औद्योगिक वातावरण को ठीक नहीं बताया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार प्रदेश में उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

श्री ख्वाजा हलीम--

जी हां।

कन्फेडरेशन आफ इण्डियन इण्डस्ट्री तथा डेलाइट टाश तोहमत्सू की रिपोर्ट में औद्योगिक विकास हेतु कई सुझाव दिये गये हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश सरकार पूंजी निवेश के प्रोत्साहन हेतु समय-समय पर संगठनों से सुझाव प्राप्त कर तदनुसार कार्यवाही करती रहती है । प्रदेश के समेकित विकास हेतु निम्नलिखित नीतियाँ घोषित की गई है :--

औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति-2004,

ऊर्जा नीति--2003,

हाईटेक टाऊनशिप विकास नीति,

सूचना प्रौद्योगिकी नीति,

जैव प्रौद्योगिकी नीति,

चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति,

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति।

हाल ही में उद्यमियों को शीघ्र स्वीकृतियाँ प्रदान किये जाने के उद्देश्य सेऔद्योगिक निवेश बोर्ड का गठन किया गया है।

लखनऊ,. कानपुर के मध्य उच्च स्तरीय अवस्थापना सुविधायें प्रदान किये जाने के उद्देश्य से लखनऊ इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट अथारिटी (लीडा) का गठन किया गया है।

*6--श्री नवाब सिंह नागर--

[2 सरे सांम0 के तारां0 प्रश्न संख्या 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहन देने हेतु नीति का निर्धारण

*7--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण इलाकों में जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहन देने के लिए 2 से अधिक बच्चों वाले नागरिकों को पंचायत चुनाव लड़ने से रोक लगाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)--

जी नहीं।

यह व्यापक रूप से महसूस किया गया है कि निर्वाचन के लिऐ पूर्व से अपेक्षित अर्हता के रूप में इस मानदण्ड के अनुपालन से जनसंख्या स्थिरीकरण के अपेक्षित उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी बल्कि महिला सशक्तीकरण, युवाओं, दलितों और समाज के कमजोर वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा पंचायत सदस्यों की भूमिका और उत्तरदायित्व पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 के विपरीत भी है।

प्रदेश के महानगरों में विद्युत कटौती हेतु निर्धारित मापदण्ड

*8--डा0 राधामोहन दास अग्रवाल--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों में विद्युत कटौती हेतु क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं ? क्या सरकार सभी महानगरों में समान विद्युत कटौती कर सिद्धान्त लागू करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

आगरा एवं लखनऊ के अतिरिक्त सभी महानगरों में प्रतिदिन 04 घण्टों की विद्युत कटौती निर्धारित की गयी है।

जी नहीं।

मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन हेतु ताज ट्रिपेंजियम क्षेत्र में आगरा महानगर तथा प्रदेश की राजधानी के कारण पूर्व परम्परा के अनुसार लखनऊ महानगर को विद्युत कटौती से मुक्त रखा गया है।

जी0 एस0 वी0 एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर के कतिपय सहायक आचार्यों की सेवाओं में अन्य विभागों में की गयी सेवाओं को जोड़ने का कथित प्रकरण

*9--श्री जियाउद्दीन रिजवी--

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री को जानकारी है कि जी0 एस0 वी0 एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर के कतिपय सहायक आचार्यों की सेवाओं में अन्य विभागों में पूर्व में की गयी सेवाओं को जोड़ने विषयक शासन का पत्र सं0-2041/36-4-2003-116/2000, दिनांक 25-8-2003 श्रमायुक्त, उ0 प्र0 को प्राप्त हुआ है ? क्या यह सत्य है कि उक्त पत्र में मांगी गयी सूचनायें श्रमायुक्त, उ0 प्र0 के पत्र सं0 7803-04/स्था0, दिनांक 01-12-2004 द्वारा तथा पुनः पत्र सं0 2661/स्था-05, दिनांक 12-4-2004 द्वारा शासन को उपलब्ध कराई जा चुकी है ? यदि हां, तो शासन के श्रम अनुभाग-4 के पत्र सं0 870/36-4-2005-166/2000, दिनांक 25-7-05 द्वारा उन्हीं सूचनाओं को पुनः मांगे जाने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार इस प्रकार जानबूझ कर किये जा रहे विलम्ब के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सेवाओं को जोड़ने के इस प्रकरण में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (डा0 यकूब अहमद शाह)--

जी हां।

जी हां।

प्रकरण में जो भी सूचनायें पत्र दिनांक 25-7-2005 द्वारा मांगी थीं वे सभी सूचनायें वित्त विभाग द्वारा पुनः उठाये गये बिन्दुओं के सन्दर्भ में ही मांगी गयी थी क्योंकि वित्तीय मामलों के समाधान हेतु वित्त विभाग ही प्राधिकृत विभाग होता है।

अतः प्रश्न नहीं उठता है। चूंकि प्रकरण में वित्त विभाग के परामर्श के अनुसार ही कार्यवाही की जानी निहित है तथा श्रम विभाग में डा0 वीरेन्द्र कुमार द्वारा की गयी सेवाओं के जी0 एस0 वी0 एम0 मेडिकल कालेज की सेवाओं के साथ पूर्व में ही जोड़ा जा चुका है। अतः श्रम विभाग से सम्बन्धित अब कोई कार्यवाही निहित नहीं रह गई है। एस0 एन0 मेडिकल कालेज में की गयी सेवाओं से सम्बन्धित कार्यवाही वित्तीय चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा की जानी अपेक्षित है।

जनपद मेरठ में जे0 पी0 डी0 सी0 की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित एसाइड योजना

*10--डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

क्या लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ को ज्वैल सिटी बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस विषय में बनाई गई कार्य योजना कब तक पूर्ण हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु उद्योग मंत्री (श्री जगदीश सिंह राना)--

जी नहीं। मेरठ में जेम्स एण्ड ज्वैलरी के निर्माण एवं निर्यात वृद्धि से ज्वैलरी प्रोसेसिंग एवं दस्तकारों के लिये प्रशिक्षण, नई तकनीकी एवं डिजाइनों आदि की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जे0 पी0 डी0 सी0 (ज्वैलरी प्राडक्ट डेवलपमेन्ट सेन्टर) की स्थापना हेतु वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित एसाइड योजना के अन्तर्गत वर्ष 2002--03 में रु 500.00 लाख की परियोजना पर सैद्धान्तिक स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गई थी कि वे इस केन्द्र का संचालन जेम्स एण्ड ज्वैलरी काउन्सिल, मुम्बई अथवा अन्य संस्थान/यूनिवर्सिटी के सहयोग से किया जायेगा तथा इसकी सहमति मिलने के बाद एस0 एल0 ई0 पी0 सी0 के अनुमोदन के उपरान्त ही एसाइड फण्ड से रु0 500.00 लाख की धनराशि का व्यय किया जायेगा, किन्तु इस सम्बन्ध में उक्त बातों के अनुपालन हेतु लगातार प्रयास करने के बावजूद इस संस्थान के संचालन/कार्यान्वयन हेतु किसी भी एजेन्सी को तैयार नहीं होने तथा एसाइड गाइड लाइन्स के अनुसार परियोजना के पूर्ण होने की न्यूनतम निर्धारित समय-सीमा (02 वर्ष) समाप्त हो जाने तथा भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित करने में हो रहे विलम्ब आदि के कारण दिनांक 14-2-2005 को सम्पन्न एस0 एल0 ई0 पी0 सी0 की बैठक में समिति द्वारा विचारोपरान्त इस परियोजना की सैद्धान्तिक स्वीकृति निरस्त कर दी गयी तथा दिनांक 15-6-2005 को औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में इस परियोजना की उपयोगिता/आवश्यकता तथा भारत सरकार से प्राप्त होने वाले सीमित एसाइड फण्ड/धनराशि/बजट को देखते हुये इसके लिये एक संशोधित परियोजना रिपोर्ट तैयार कराने का निर्णय लिया गया है। उक्त संशोधित परियोजना रिपोर्ट तैयार होने के उपरान्त पुनः एसाइड योजना के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एस0 एल0 ई0 पी0 सी0 के समक्ष विचारार्थ रखा जा सकेगा।

प्रदेश में सुचारु विद्युत आपूर्ति हेतु नई प्रस्तावित योजनायें

*11--श्री वृजेन्द्र कुमार व्यास उर्फ डमडम महराज--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सुचारु विद्युत आपूर्ति के लिये प्रदेश सरकार द्वारा कोई कार्य-योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या पारीछा व पनकी बिजली उत्पादन यूनिटों की क्षमता बढ़ाने पर भी सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

प्रदेश में सुचारु विद्युत आपूर्ति के लिए उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अधीन निम्नलिखित परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है :--

(1) 2 × 500 मे0 वा0 अनपरा "सी" परियोजना ।

(2) 2 × 210 मे0 वा0 पारीछा तापीय परियोजना ।

नयी प्रस्तावित योजनायें

(अ) उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम :--

(1) 2 × 250 मे0 वा0 हरदुआगंज तापीय विस्तार परियोजना ।

(2) 2 × 250 मे0 वा0 पारीछा तापीय विस्तार परियोजना ।

(3) 2 × 660 मे0 वा0 अनपरा "डी" परियोजना ।

निजी क्षेत्र

(1) रोजा तापीय विद्युत परियोजना-600 मेगावाट।

(2) विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना-400 मेगावाट।

(3) श्रीनगर जल विद्युत परियोजना-330 मेगावाट ।

नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण की योजनायें :--

(1) पनकी एवं पारीछा तापीय विद्युत गृहों की इकाइयों के आर0 एण्ड एम0 हेतु वर्तमान में ए0 पी0 डी0 पी0 के अन्तर्गत तीन योजनायें ।

(2) ओवरा "अ" विद्युत गृह 5 × 50 मे0 वा0 की इकाइयों का रिफर्बिशमेन्ट।

(3) 5 × 200 मे0 वा0 ओवरा 'ब' ताप विद्युत गृह का रिफर्बिशमेन्ट।

(4) हरदुआगंज ताप विद्युत गृह की इकाई सं0 5 व 7 का आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण ।

(5) अनपरा (अ) ताप विद्युत गृह 3 × 210 मे0 वा0 ।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु कार्य योजना

*12--श्री बाबू लाल कुशवाहा--

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद बांदा के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ख्वाजा हलीम--

बांदा के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश राज्य सरकार द्वारा सीधे तौर पर नहीं किया जा रहा है अपितु बांदा सहित पूरे बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समेकित औद्योगिक विकास में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :--

1--औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना जारी की गयी है जिसमें पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रुपया 10 करोड़ या उससे अधिक लागत से स्थापित होने वाली परियोजनाओं को 10 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिये जाने की सुविधा दी गयी है। जबकि अन्य क्षेत्रों में केवल खाद्य प्रसंस्करण व पशु सम्पदा आधारित इकाइयों को 10 करोड़ तथा अन्य मामले में 25 करोड़ या उससे अधिक पूँजी निवेश से स्थापित होने वाली अन्य सभी इकाइयों को ऐसी सुविधा अनुमन्य है।

2--नई घोषित औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति 2004 में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिये विशेष प्राविधान किये गये हैं जिनका विवरण निम्नवत है :--

मध्यम एवं वृहद् उद्योगों को सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की स्थापना की दिनांक से 10 वर्ष तक के लिए तथा पूर्वांचल के चिन्हित 29 जनपद व बुन्देलखण्ड में 7 चिन्हित जनपदों में 15 वर्ष के लिए कैपिटल गुड्स प्लाण्ट एवं मशीनरी तथा स्पेयर पार्ट्स पर प्रवेश कर से छूट प्रदान की जायेगी। 100 प्रतिशत निर्यात मूलक इकाइयों को प्रवेश कर पर पूर्ण छूट उपलब्ध रहेगी।

पूर्वांचल के 29 जनपदों तथा बुन्देलखण्ड के 7 जनपदों में नई लघु तथा लघुत्तर इकाइयों को 100 प्रतिशत स्टैम्प शुल्क से छूट तथा 2 रुपये प्रति हजार की दर से पंजीकरण शुल्क (अधिकतम रुपये पांच हजार) अदा करने पर पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। ऐसे जनपदों में नई मध्यम एवं वृहत् औद्योगिक इकाइयों को 50 प्रतिशत स्टैम्प शुल्क से छूट तथा पंजीकरण शुल्क 2 रुपये प्रति हजार (अधिकतम रुपये पांच हजार) की दर से अदा करने पर पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। शेष जनपदों में औद्योगिक भूखण्डों के स्टैम्प शुल्क/पंजीकरण शुल्क पर 50 प्रतिशत की छूट उपलब्ध करायी जायेगी।

नवीन लघु एवं लघुत्तर इकाइयों को स्थायी पूंजी निवेश का 10 प्रतिशत पूंजी उपादान अधिकतम 5 लाख रुपये पूर्वी क्षेत्र के 29 तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 7 जनपदों में उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिये पूंजी उपादान निधि प्रथम चरण में 250 लाख से सृजित की जायेगी तथा आगामी वर्षों में बजट में आवश्यकतानुसार प्राविधान किया जायेगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों को 5 प्रतिशत (कुल 15 प्रतिशत) अतिरिक्त पूंजी उपादान अधिकतम 7.5 लाख अनुमन्य होगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति का औसत

*13--श्री जगदम्बिका पाल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत कटौती से मुक्त करने हेतु कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

वर्तमान समय में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन प्रतिदिन लगभग 10 घण्टे आपूर्ति की जा रही है। प्रतिदिन निर्धारित 14 घण्टे विद्युत आपूर्ति कराये जाने के हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता में कमी होने के कारण वर्तमान परिस्थितियों में सम्भव नहीं है।

प्रदेश में चौबीस घंटे बिजली उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार के उपक्रम से कथित अनुबन्ध

*14--श्री संजीव दरियाबादी--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में 24 घण्टे बिजली उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के उपक्रम नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन को विद्युत उत्पादन व वितरण का कार्य सौंपे जाने के अनुबन्ध पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो अनुबन्ध का विवरण क्या है तथा इसे कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसानों को विद्युत शुल्क में छूट प्रदान करने की मांग

*15--श्री कौशल किशोर--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को विद्युत शुल्क में छूट प्रदान करने की कोई कार्य योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं।

विद्युत दरों का निर्धारण उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

प्रदेश में वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क को कम करने की मांग

*16--श्री देवकी नन्दन कोरी--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में वाहनों के रजिस्ट्रशन शुल्क को कम करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)--

जी नहीं।

रजिस्ट्रेशन शुल्क का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। उसमें परिवर्तन का अधिकार प्रदेश सरकार को नहीं है।

जनपद लखीमपुर खीरी में जंगली हाथियों से प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अन्तर्गत किसानों की फसलों एवं जान माल की रक्षा

*17--श्री आर0 एस0 कुशवाहा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में स्थित दुधवा नेशनल पार्क के किनारे के ग्रामों में जंगली हाथी से किसानों की फसलों के नुकसान व जानमाल की रक्षा करने हेतु कोई योजना बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

वर्तमान में प्रचलित "प्राजक्ट टाइगर" योजना के अन्तर्गत प्राकृतवास का संरक्षण व संवर्धन के द्वारा जंगली हाथी को वन क्षेत्र में ही निवास के लिये प्रोत्साहित कर किसानों की फसलों व जानमाल की रक्षा का कार्य सम्पादित किया जाता है।

विगत वर्षों में हाथियों के भ्रमण/आवागमन के पथ के सर्वेक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष निकला है कि दुधवा नेशनल पार्क मं जंगली हाथियों का स्थायी वास नहीं है। जंगली हाथी वर्ष के कुछ माह के लिये नेपाल से आते हैं और इस अवधि में वे अधिकांशत: वन क्षेत्र में ही सीमित देखे गये हैं।

प्रदेश में जंगली हाथियों से किसानों की फसलों को नुकसान एवं जान-माल की हानि की दशा में शासनादेश संख्या 2384/14-4-96-836/92, दिनांक 06-12-1996 के प्राविधानों के अन्तर्गत आर्थिक अनुग्रह राशि स्वीकृत करने का प्राविधान है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद भदोही में ज्ञानपुर पम्प कैनाल की विद्युत आपूर्ति में व्यवधान तथा उसके निरन्तर आपूर्ति की व्यवस्था

*18--श्री रंगनाथ मिश्र--

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि भदोही जनपद में ज्ञानपुर पम्प कैनाल को समुचित विद्युत आपूर्ति न होने से कैनाल पूरी क्षमता से न चल पाने के कारण वाराणसी, भदोही तथा मिर्जापुर जनपद के किसानों की हजारों हेक्टेयर फसल सूख रही है ? सरकार उक्त पम्प कैनाल को कितने घण्टे विद्युत आपूर्ति करा रही है ? क्या यह सही है कि प्रदेश के अन्य पम्प कैनाल को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ज्ञानपुर पम्प कैनाल को भी 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

ज्ञानपुर पम्प कैनाल की विद्युत आपूर्ति पी0 जी0 सी0 आई0 एल0 द्वारा सारंगापुर, फूलपुर लाइन को बिना किसी पूर्व सूचना के खोल दिये जाने के कारण माह जनवरी, 2006 में बाधित हुई है। माह जनवरी, 2006 में पूरे माह में कुल 55 घंटों का व्यवधान था।

कारपोरेशन द्वारा एन0 आर0 एल0 डी0 सी0 से प्रकरण को संदर्भित किये जाने के पश्चात् माह फरवरी, 2006 में कोई व्यवधान नही हुआ एवं माह फरवरी, 2006 में प्रतिदिन लगभग 24 घंटे की विद्युत आपूर्ति की गई तथा माह मार्च, 2006 में भी लगभग 24 घंटों की विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

जी हां।

माह मार्च, 2006 में लगभग 24 घंटे की विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत अविद्युतीकृत ग्रामों का प्रस्तावित विद्युतीकरण

*19--श्री जगदीश नारायण राय--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में मा0 सांसदों की संस्तुतियों के आधार पर विद्युतीकरण कराये जाने की व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार मा0 विधायकों की संस्तुतियों पर भी विद्युतीकरण कार्य कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत अब सभी अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण 2006-07 के अंत तक किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना में गांवों का चयन एवं जनपदवार कार्ययोजना जिला विद्युतीकरण समिति के अनुमोदन से किये जाने का प्राविधान है। समिति द्वारा चयनित ग्रामों एवं कार्ययोजना के संबंध में जिले के माननीय जनप्रतिनिधियों की सलाह पर समुचित विचार कर जनपद की कार्ययोजना को अंतिम रूप दिये जाने की व्यवस्था है। विद्युतीकरण का कार्य टनं की आधार पर क्लस्टर अप्रोच के अन्तर्गत कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ शहर में बढ़ते प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुये चलने वाली मैक्सी कैब एवं मिनी बसों को बन्द किये जाने की मांग

*20--डा0 सुशील चौधरी--

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ शहर में चलने वाली मैक्सी कैब एवं मिनी बसों से प्रदूषण में निरन्तर वृद्धि हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त वाहनों का संचालन बन्द करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

इलाहाबाद परिक्षेत्र के मिर्जापुर डिपो की बस सेवा वाराणसी से चाकघाट वाया लालगंज होकर संचालित किये जाने की मांग

1--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, इलाहाबाद परिक्षेत्र के मिर्जापुर डिपो की एक बस सेवा वाराणसी से चाकघाट वाया लालगंज, बरडिहा दोहथा कोरांव लेड़ियारी होकर संचालित किये जाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन दि0 27 मई, 2005 सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, मिर्जापुर को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मानवाधिकार फोरम के उपाध्यक्ष, श्री शशि भूषण दुबे द्वारा दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के पशु चिकित्सालय जयनगर में पशु चिकित्साधिकारी की नियुक्ति की मांग

2--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में पशु चिकित्सालय, जयनगर में चिकित्सक नियुक्त है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त पशु चिकित्सालय में चिकित्सक की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

पशुधन मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह)--

पशु चिकित्सालय, जयनगर, आजमगढ़ में नियमित पशुचिकित्साधिकारी नियुक्त नहीं है।

शासनादेश दिनांक 10-8-2004 द्वारा पशु चिकित्साधिकारियों के 455 रिक्त पदों को भरने हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0, इलाहाबाद को भेजा गया है।

लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0, इलाहाबाद से चयनित सूची प्राप्त होते ही यथाशीघ्र पशु चिकित्साधिकारी की नियुक्ति कर दी जायेगी।

उक्त पशु चिकित्सालय का अतिरिक्त कार्यभार बिना द्वैत भत्ते के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, आजमगढ़ द्वारा डा0 आर0 पी0 भारती, पशु चिकित्साधिकारी, मेहनगर, आजमगढ़ को प्रदत्त कर दिया गया है।

प्रदेश के सिनेमाघरों में मनोरंजन कर से मुक्त दिखाई गई फिल्मों की संख्या तथा कर मुक्त करने के मानक का निर्धारण

3--श्री संजीव दरियाबादी--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जून, 2005 से अक्टूबर, 2005 तक प्रदेश के सिनेमाघरों में दिखायी गयी कितनी फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है ? फिल्मों को मनोरंजन कर

से मुक्त करने के मानक क्या हैं ? ऐसी कितनी फिल्में हैं जिन्हें कर से मुक्त किये जाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

1--जून, 2005 से अक्टूबर, 2005 के मध्य 15 फिल्मों को कर मुक्त प्रदर्शन प्रदेश के सिनेमागृहों में हुआ है।

2--प्रदेश में फिल्मों को मनोरंजन कर मुक्ति प्रदान करने के लिए शासन द्वारा निर्धारित नीति के अन्तर्गत निम्न श्रेणी की फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्ति प्रदान करने हेतु व्यवस्था की गयी है :

(1) द चिल्ड्रेन फिल्म सोसाइटी द्वारा निर्मित अथवा अधिग्रहीत फिल्म।

(2) भारत सरकार से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म तथा सर्वश्रेष्ठ हिन्दी फीचर फिल्म एवं सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म।

(4) भारत सरकार के फिल्म डिवीजन द्वारा निर्मित डाक्यूमेन्ट्री फिल्म।

(5) परिवार कल्याण पर आधारित फिल्म, जिसका 75 प्रतिशत भाग परिवार नियोजन पर ही हो।

(6) राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार/राजकीय उपक्रम अथवा एन0 एफ0 डी0 सी0 एवं अधिकृत सहकारिता संस्थान द्वारा निर्मित उद्देश्यपूर्ण फिल्में, जो उपरोक्त श्रेणी में सम्मिलित न हो।

(7) ऐसी फिल्में, जिनका प्रदेश में फिल्मांकन--

(अ) 50 प्रतिशत से अधिक परन्तु 75 प्रतिशत तक फिल्मांकन किया गया हो।

(ब) 75 प्रतिशत से अधिक फिल्मांकन किया गया हो।

3--मनोरंजन कर से मुक्त किये जाने हेतु 06 फिल्मों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 के अन्तर्गत कार्मिकों की प्रोन्नति का परीक्षणाधीन प्रकरण

4--श्री नरेन्द्र शिशौदिया--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के अन्तर्गत पूर्ववती राज्य विद्युत परिषद् कार्मिकों की प्रोन्नति में की गयी अनियमितता से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रकरण की सी0 बी0 आई0 से जांच कराये जाने विषयक श्री विजय सिंह राणा, पूर्व एम0 एल0 सी0 का पत्र दिनांक 30-11-2003 एवं 4-8-2003 मुख्य मंत्री, मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

प्रकरण परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत आन लाइन बिलिंग की व्यवस्था में अनियमितता की शिकायत

5--श्री नरेन्द्र शिशौदिया--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत आन लाइन बिलिंग में करोड़ों रुपये के घोटाले की सी0 बी0 आई0 से जांच कराये जाने विषयक श्री मिथिलेश नारायण, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 02-04-2004 जो मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव, उ0 प्र0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

लेसा के अन्तर्गत विद्युत बीजक बनाये जाने का कार्य आन लाइन बिलिंग व्यवस्था द्वारा 27 नग बिलिंग सेन्टर के माध्यम से कराया जा रहा है। मुख्य सर्वर एवं इस हेतु साफ्टवेयर की देख-रेख सी0 एम0 सी0 द्वारा की जा रही है। पत्र में संलग्न बिल सीलिंग के बिल हैं, जिनकी बिलिंग साफ्टवेयर में इसी प्रकार प्राविधानित है। उक्त सीलिंग बिलों वाले उपभोक्ताओं के परिसर की जांच कर उनके मीटर में उपलब्ध सही रीडिंग के आधार पर बिल संशोधित कर दिये गये हैं। दिनांक 31-3-2002 को प्राप्त भुगतान कम्प्यूटर में उपलब्ध है तथा 5.00 बजे के बाद के भुगतान डिलीट होने की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। किसी प्रकार की गड़बड़ी संज्ञान में आने पर उसके निराकरण हेतु कार्यवाही की जाती है। मै0 कम्प्यूट्रानिक्स इण्डिया को प्रति काउण्टर कैश हैडलिंग का भुगतान किया जाता है तथा प्रति बिल भुगतान प्राप्त करने का भुगतान इसके अतिरिक्त किया जाता है जो बिलों पर प्राप्त भुगतान की संख्या पर निर्भर करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 के तत्कालीन सचिव (ऊर्जा) एवं अध्यक्ष के विरुद्ध करोड़ो रुपये की अनियमितता की शिकायत पर जांच

6--श्री नरेन्द्र शिशौदिया--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 को तत्कालीन सचिव (ऊर्जा) एवं अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 द्वारा करोड़ों रुपये की क्षति पहुँचाने तथा गलत चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्राप्त करने की सी0 बी0 आई0 जांच कराये जाने विषयक श्री मिथिलेश नारायण, एम0 एल0 सी0 का पत्र दिनांक 23-2-2005 जो कि मुख्य सचिव, उ0 प्र0 एवं प्रमुख सचिव (वित्त) को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

प्रकरण परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के प्राथमिक विद्यालय जिगनी के परिसर से जर्जर विद्युत खम्भों को हटाये जाने की मांग

7--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में प्राथमिक विद्यालय, जिगनी के परिसर में जर्जर विद्युत खम्भों के लगे होने से दुर्घटना होने का भय बना रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्कूल परिसर से विद्युत खम्भे को हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक विद्यालय, जिगनी का परिसर बाद में निर्मित कराया गया है। इस परिसर में एक लकड़ी का पोल व दूसरा पी0 सी0 सी0 पोल लगा हुआ है। उसको परिसर से बाहर करने के लिए दो अतिरिक्त पी0 सी0 सी0 पोल व तार की आवश्यकता होगी जिसकी लागत रुपये 13,680.00 होगी। उक्त धनराशि विद्यालय से प्राप्त होने पर ही कार्य किया जाना संभव होगा।

लखनऊ की न्यू लेबर कालोनी ऐशबाग के आवासों का डाकतार विभाग को कथित आवंटन

8--श्री विवेक बंसल--

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री को जानकारी है कि श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्माण कराई गई न्यू लेबर कालोनी, ऐशबाग (वर्तमान में मालवीय नगर लेबर कालोनी), लखनऊ के टाइप I एवं II के 108 आवास डाक-तार विभाग, लखनऊ को आवंटित किये गये हैं ? यदि हां, तो यह आवंटन कब और किन शर्तों के आधार पर किया था ? क्या डाक-तार विभाग, लखनऊ द्वारा उन शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 वकार अहमद शाह--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के थाना प्रभारी निरीक्षकों तथा क्षेत्राधिकारियों के वाहनों पर नीली बत्ती स्थापित करने सम्बन्धी अधिसूचना

9--श्री संजीव दरियाबादी--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के थाना प्रभारी निरीक्षकों व क्षेत्राधिकारियों को सरकारी वाहनों पर शासन द्वारा किस आकार की नीली बत्ती लगाने की अनुमति दी गयी है ? क्या सरकार निर्देशों के विपरीत नीली बत्ती लगाकर चलने वाले थाना प्रभारी निरीक्षकों व क्षेत्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

अधिसूचना संख्या 709 (1)/30-4-2003-25 पी/77, दिनांक 31-3-2003 द्वारा क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक एवं थानाध्यक्ष को ले जा रहे वाहनों पर मध्य भाग में फ्लैशर सहित नीली बत्ती स्थापित करने की अनुज्ञा प्रदान की गयी है। अधिसूचना में बत्ती का आकार निर्धारित नहीं है।

अधिसूचना दिनांक 31-3-2003 में दी गयी अनुज्ञा के अनुसार ही वाहनों पर नीली बत्ती लगाने हेतु पुलिस विभाग के अधिकारियों को पुन: निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के तत्कालीन निदेशक (वाणिज्य) के विरुद्ध उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किये जाने सम्बन्धी शिकायती पत्र की जांच

10--श्री नरेन्द्र शिशौदिया--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू0 पी0 पावर कार्पोरेशन लि0 के अन्तर्गत तत्कालीन निदेशक (वाणिज्य) का पत्र संख्या 186-पी0 एस0 डी0 (सी) पी0सी0एल0/2002, दिनांक 29-10-2002 जोकि पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) यू0 पी0 पी0 सी0 एल0 को सम्बोधित है, जिसमें उपभोक्ताओं का उत्पीड़न एवं अनियमितताएं किये जाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराई गई ? जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

जी हां।

प्रकरण में जांच पुलिस अधीक्षक (प्रवर्तन) उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा कराई गयी। जांच संख्या बी0 सी0-12/2001, दिनांक 31 दिसम्बर, 2002 के अनुसार यह प्रकरण श्री संदीप अग्रवाल, निवासी सी0-204, निरालानगर, लखनऊ के परिसर 1/6 विवेक खण्ड गोमतीनगर में विद्युत कनेक्शन दिये जाने से संबंधित है, जिसमें श्री संदीप अग्रवाल की विद्युत चोरी पकड़ी गयी फलस्वरूप भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 39/40/49 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करने एवं विद्युत चोरी का आंकलन करके दिनांक 13-4-2000 से वसूली किये जाने की संस्तुति की गयी। जांच के मध्य श्री अग्रवाल के विरुद्ध निर्धारित की गयी राजस्व क्षति रु0 1,00,098/- की वसूली की कार्यवाही न कराये जाने के लिए श्री आर0 एन0 यादव, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, श्री अमित श्रीवास्तव, तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, श्री जे0 पी0 एस0 गंगवार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता के विरुद्ध राजस्व निर्धारण धनराशि रुपये 1,00,098/- पर नियमानुसार ब्याज की धनराशि निर्धारित कर इस ब्याज की धनराशि उक्त अधिकारियों के वेतन से वसूल करने एवं परिनिन्दा प्रविष्टि दिये जाने की संस्तुति की गयी। प्रकरण में श्री उदय नारायण तत्कालीन मुख्य महाप्रबन्धक, लेसा, लखनऊ के विरुद्ध सम्यक् औपचारिकतायें पूर्ण हुए बिना भार स्वीकृत किये जाने के लिए उनका स्पष्टीकरण मांगकर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ की तहसील मेंहनगर स्थित विद्युत उपकेन्द्र पर ओवर लोड की समस्या से बाधित विद्युत आपूर्ति

11--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ की तहसील मेहनगर में स्थित विद्युत उपकेन्द्र पर ओवर लोड की समस्या होने के कारण विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से नहीं हो पाती है ? यदि हां, तो उक्त स्थान पर उच्च क्षमता का ट्रान्सफार्मर लगाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत उपकेन्द्र मेहनगर ओवर लोड नहीं है। इसलिए इसकी क्षमतावृद्धि करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

जनपद मिर्जापुर के तहसील लालगंज में रोस्टर के अनुरूप विद्युत आपूर्ति

12--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जिले के लालगंज तहसील में रोस्टर के अनुरूप विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मानवाधिकार फोरम के उपाध्यक्ष श्री शशि भूषण दूबे पथिक का पत्र दि0 27 मई, 2005 दि0 18 जुलाई, 05, अधिशासी अभियन्ता, मिर्जापुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

यथासंभव रोस्टर के अनुरूप ही विद्युत आपूर्ति हेतु प्रयास किये जाते हैं परन्तु विद्युत की उपलब्धता में कमी के कारण तथा तकनीकी कारणों से प्रणाली की सुरक्षा हेतु कभी-कभी तद्नुसार संभव नहीं हो पाता है।

उपरोक्तानुसार।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मिर्जापुर के ग्रामीण एवं शहरी विद्युतीकरण में की गयी गम्भीर अनियमितता की शिकायत

13--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"--

क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि मिर्जापुर जिले के ग्रामीण एवं शहरीय विद्युतीकरण में गम्भीर वित्तीय अनियमितता बाबत प्रत्यावेदन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मानवाधिकार फोरम के उपाध्यक्ष श्री शशि भूषण दूबे पथिक का दि0 27 अप्रैल, 05, अनुस्मारक पत्र दिनांक 18 मई, 05, दिनांक

27 जून, 05, दिनांक 18 जुलाई, 05, अधीक्षण अभियन्ता/अधि0 अभि0 मिर्जापुर क्षेत्र को दिये गये, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं।

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सूचना उपलब्ध करायी गयी है कि संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार संदर्भित पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। जनपद-मिर्जापुर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का विद्युतीकरण स्वीकृत प्राक्कलन एवं अनुमोदित पैकेज के अनुसार ही किया गया है। विद्युतीकरण में गम्भीर वित्तीय अनियमितता बरते जाने का तथ्य संज्ञान में नहीं आया है और न ही इस सम्बन्ध में कोई जांच लम्बित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

नगर पंचायत बांसगांव, गोरखपुर में सुचारु रूप से विद्युत व्यवस्था हेतु नये फीडर लगाने की मांग

14--श्री फतेह बहादुर सिंह--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत बांसगांव, जनपद-गोरखपुर में विद्युत व्यवस्था सुचारु रूप से संचालन हेतु क्या नगर पंचायत-बांसगांव में अलग से एक नये फीडर की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आवश्यकता नहीं है।

राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ में लम्बी अवधि तक कार्य करने वाले कर्मचारियों को स्थानान्तरित करने की मांग

15--श्री फतेह बहादुर सिंह--

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ में विगत सात वर्षों से एक ही अनुभाग में तथा एक ही सीट पर कुछ कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार शासनादेश के अनुसार एक सीट पर तीन वर्ष से अधिक समय पूरा करने वाले कर्मचारियों को अन्य स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ख्वाजा हलीम--

जी नहीं।

जी हां।

माह मार्च, 2006 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के मेहनगर में परिवहन निगम का बस स्टेशन बनाने की मांग

16--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आजमगढ़ के मेहनगर में परिवहन निगम का बस स्टेशन बनाने की क्या कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त बस स्टेशन का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

मेहनगर में वर्ष 1963-64 से 0.325 एकड़ भूमि पर निगम का बस स्टेशन निर्मित है।

जनपद आजमगढ़ की तहसील मेहनगर के अन्तर्गत ग्राम जयनगर में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना

17--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आजमगढ़ की तहसील-मेहनगर के अन्तर्गत ग्राम जयनगर (जिगनी) में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम जिगनी की विद्युत आपूर्ति 33/11 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र मेहनगर से निकलने वाले 11 के0 वी0 मेहनगर फीडर से होती है। यह 33/11 के0 वी0 उपकेन्द्र अतिभारित नहीं है। जिगनी की दूरी भी उपकेन्द्र से मात्र 7 कि0 मी0 है। जिगनी की दूसरी ओर लगभग 7 कि0 मी0 का दूरी पर 33/11 के0 वी0 उपकेन्द्र पलहना है। ऐसी स्थिति में जिगनी में नये 33/11 के0 वी0 के विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं है।

जनपद बलिया की तहसील सिकन्दरपुर में परिवहन निगम का बस डिपो बनाने की माँग

18--श्री जियाउद्दीन रिजवी--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद की तहसील सिकन्दरपुर में परिवहन निगम का बस डिपो न होने के कारण यात्रियों को बहुत कठिनाइयां होती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 2005 में सिकन्दरपुर में बस डिपो बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

सिकन्दरपुर से 34 किमी0 की दूरी पर बलिया डिपो और 27 किमी0 की दूरी पर बेल्थरा रोड डिपो पूर्व से स्थापित है, जिससे सुगमतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। उक्त सिकन्दरपुर में डिपो स्थापित किये जाने की वर्तमान में आवश्यकता नहीं है।

उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ, जौनपुर द्वारा कर्मचारियों के मृत्यु के उपरान्त उसके देयों के भुगतान की माँग

19--श्री नरेन्द्र शिशौदिया--

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि कर्मचारियों के मृत्यु उपरान्त उनके दावों का निस्तारण विषयक उ0 प्र0 विद्युत मजदूर संघ, जौनपुर के अध्यक्ष का पत्रांक 56/भा0म0 संघ/दिनांक 28-1-05 मा0 मुख्य मंत्री जी, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, निदेशक कार्मिक, महाप्रबन्धक (पारेषण पूर्व), इलाहाबाद, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण-खण्ड-प्रथम-चौकाघाट, वाराणसी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मृतकों के सभी पावनों का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हाँ।

उक्त संघ के संदर्भित पत्र में स्वर्गीय श्री पृथ्वी नाथ उपाध्याय, उपकेन्द्र परिचालक के दिनांक 8-1-1975 को मृत्यु उपरान्त समस्त पावनों एवं पेंशन आदि के भुगतान की प्रार्थना की गयी है। स्वर्गीय श्री उपाध्याय 33 के0वी0 केन्द्र चौचकपुर, गाजीपुर में वर्कचार्ज कर्मचारी के रूप में दिनांक 8-7-74 से 8-1-75 तक कार्यरत रहे। स्वर्गीय श्री उपाध्याय की मृत्यु की तिथि 8-1-75 को उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषदीय नियमावली लागू थी, जिसमें निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कोई पावनों एवं पेंशन आदि के लिए स्वर्गीय उपाध्याय पात्र नहीं थे। अत: भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों की पंजीकृत संख्या तथा उन्हें रोजगार देने की योजना

20--डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 31-10-2005 तक कितने शिक्षित बेरोजगार पंजीकृत हैं ? क्या सरकार द्वारा बेरोजगारों को रोजगार देने की कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार इन बेरोजगार शिक्षितों को बेरोजगारी भत्ता देने पर भी विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 वकार अहमद शाह--

प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों की सक्रिय पंजिका पर 31-10-2005 तक 15,29,322 शिक्षित बेरोजगार पंजीकृत थे।

जी हाँ।

प्रदेश शासन के कई विभागों यथा-उद्योग विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, विकलांग कल्याण विभाग, पशुपालन विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, दुग्ध विकास विभाग, मत्स्य विभाग, महिला कल्याण विभाग, आदि द्वारा बेरोजगारों को रोजगार अथवा स्वत: रोजगार की अनेक योजनाएं संचालित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार ने ऐसे बेरोजगार नवयुवक जो स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हैं तथा 31 दिसम्बर, 2005 तक प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत हैं, को 01 अप्रैल, 2006 से रु0 500 प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय लिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

21--डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

[3सरे सोम के अता0 प्रश्न संख्या-149 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ से सम्बद्ध अभियन्ताओं के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जाँच

22--श्री नरेन्द्र शिशौदिया--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के अन्तर्गत महाप्रबन्धक, लेसा एवं लखनऊ क्षेत्र में सम्बद्ध अभियन्ताओं की तैनाती विद्युत व्यवस्था सुधारने हेतु किये जाने विषयक श्री मिथिलेश नारायण, स0 वि0 परिषद् का पत्र दिनांक 24-2-05/6-3-05 मा0 मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव, उ0 प्र0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 स्तर पर प्रकरण का परीक्षणोपरान्त कोई कार्यवाही का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सायंकाल 6 से 9 बजे तथा विद्युत आपूर्ति किये जाने की मांग

23--श्री नरेन्द्र शिशौदिया--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में सायंकाल 6 बजे से 9 बजे तक विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त अवधि में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की जायेगी ? क्या इस सम्बन्ध में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री श्री अजय सिंह का पत्रांक 275/दिनांक 25-2-03, पत्रांक-1154/दिनांक 18-11-02 तथा पत्रांक 1087/दिनांक 29-10-02 मा0 मुख्य मंत्री जी एवं अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ तो उस पर अब तक क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता में कमी तथा उक्त अवधि में विद्युत की अधिकतम माँग होने के कारण सम्भव नहीं।

प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता को बढ़ाये जाने हेतु हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं तथा वांछित सुधार होने के उपरान्त ही सम्भव हो सकेगा।

पत्र संख्या-275, दिनांक 25-2-03 एवं 1087, दिनांक 29-10-02 प्राप्त हुए हैं।

उठाए गये बिन्दुओं के संबंध में प्रदेश मंत्री श्री अजय सिंह को पत्रांक सं0-4377-औस-17/पाकालि/02-8(7) ए0 एस0/02, दिनांक 20-11-02 द्वारा सूचित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश विकास परिषद् के संचालन हेतु यात्रा भत्ता के मद में कुल किये गये व्यय का विवरण तथा उनकी संस्तुतियों पर आधारित घोषित नीतियाँ

24--डा0 सुशील चौधरी--

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 सितम्बर, 2003 से 30 सितम्बर, 2005 तक प्रदेश सरकार द्वारा उ0 प्र0 विकास परिषद् के संचालन हेतु यात्रा भत्तों एवं अन्य मदों में कुल कितना धन खर्च किया गया है ? क्या मुख्य मंत्री जी इस दौरान विकास परिषद्, उ0 प्र0 की उपलब्धियों का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ख्वाजा हलीम--

01 सितम्बर, 2003 से 30 सितम्बर, 2005 तक उ0 प्र0 विकास परिषद् के संचालन हेतु यात्रा भत्ता मद में कुल रु0 94,889.47 एवं अन्य मद में कुल रु0 12,80,072.56 खर्च किया गया है।

जी हां।

उ0 प्र0 विकास परिषद् की संस्तुतियों के आधार पर निम्नलिखित नीतियों को घोषित किया गया है--

1-औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति, 2004

2-ऊर्जा नीति 2003

3-हाईटेक टाउनशिप विकास नीति

4-सूचना प्रौद्योगिकी नीति

5-जैव प्रौद्योगिकी नीति

6-चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति

7-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति

उ0 प्र0 विकास परिषद् के प्रयासों से उ0 प्र0 में वृहद एवं मध्यम उद्योग स्थापित किये जाने हेतु वर्ष 2004 में रु0 14249 करोड़ के 428 प्रस्ताव (आशय पत्र/इच्छा पत्र) दाखिल किये गये तथा 2005 में माह अगस्त तक रु0 25675 करोड़ के 532 प्रस्ताव (आशय पत्र/इच्छा पत्र) दाखिल किये गये जो वर्ष 1991 से एक रिकार्ड है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर में बिना परमिट के चल रही चार पहिया गाड़ियों को रोके जाने की माँग

25--श्री राम करन आर्य--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत नगर पंचायत बिल्थरा रोड (सीयर) में महिन्द्रा, मार्शल, चार पहिया गाड़िया बिना परमिट के चल रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सघन अभियान चलाकर उक्त गाड़ियों की जांच करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नेरश चन्द्र अग्रवाल--

जी हां। शासन को इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

सघन अभियान चलाकर बिना परमिट गाड़ियों की जाँच की जा रही है। बिना परमिट संचालित पाये जाने पर 36 जीपों को चालान कर निरुद्ध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद (नगर) स्थित करैली गौस मेमोरियल बालिका इण्टर कालेज के ऊपर से हाई टेंशन तार को हटाये जाने की मांग

26--श्री राम नरेश यादव--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 20-7-05 को निगम 51 के अन्तर्गत प्रश्नकर्ता द्वारा दी गयी सूचना जो जनपद-इलाहाबाद (नगर) स्थित करैली गौस मेमोरियल बालिका इण्टर कालेज, घनी आबादी एवं मस्जिद के ऊपर से 33 के0वी0ए0 हाई टेन्शन तार को हटाने के लिये 16 लाख की धनराशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में थी, जिसे विधान सभा अध्यक्ष द्वारा ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त सूचना पर कोई निर्णय लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

उपरोक्त कार्य कराने के लिए जिला योजना से धन उपलब्ध नहीं हुआ, जिससे कार्य नहीं किया जा सका।

प्रश्न नहीं उठता।

27--श्री शमीमुल हक--

[उसरे सोम के अता0 प्रश्न संख्या-147 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

नोयडा प्राधिकरण में तैनात कतिपय अधिकारियों द्वारा की गयी अनिमितताओं के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की जांच

28--श्री नवाब सिंह नागर--

क्या औद्योगिक विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नोएडा प्राधिकरण में तैनात 6 अधिकारियों को शासनादेश सं0 94 सी0ए0 260/77-4-03, दिनांक 30-8-03 द्वारा मुख्य कार्यपालक

अधिकारी नोएडा कार्यालय से सम्बद्ध करने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो इस प्रकरण में जांच का क्या परिणाम रहा ? क्या यह भी सही है कि उपरोक्त विषय में शासनादेश सं0 सी0एम0 260-77-4-2004-123 एन/2004, दिनांक 26-8-04 के द्वारा इन अधिकारियों की सम्बद्धता समाप्त कर कार्य आवंटित करने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो इस शासनादेश के अनुपालन में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ख्वाजा हलीम--

जी हां।

नोएडा में अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जाँच सर्वप्रथम श्री टी0 जार्ज जोसेफ, सदस्य, राजस्व परिषद् तत्पश्चात श्री बृजेश कुमार, अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा एवं उसके बाद श्री विजय शंकर माथुर, भूतपूर्व सतर्कता आयुक्त द्वारा की गयी। कतिपय प्रकरणों में शिकायतों की जाँच आख्या अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी से भी प्राप्त हुई। इन अधिकारियों के विरुद्ध अभी तक विभागीय कार्यवाही करने का निर्णय नहीं लिया गया है।

जी नहीं। इनकी सम्बद्धता समाप्त करने के संबंध में शासनादेश संख्या-2775/77-4-04-123एन/04, दिनांक 28-9-2004 द्वारा जारी किये गये थे।

शासनादेश दिनांक 28-9-2004 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में नोएडा प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत 6 अधिकारियों की सम्बद्धता समाप्त कर तैनाती के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद आजमगढ़ के तहसील लालगंज अन्तर्गत ईंट भट्ठों का श्रम निरीक्षकों द्वारा किया गया निरीक्षण

29--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की तहसील-लालगंज के अन्तर्गत स्थित ईट भट्ठों का गत तीन वर्षों के दौरान श्रम निरीक्षकों द्वारा कितनी बार निरीक्षण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 वकार अहमद शाह--

जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज स्थित ईट भट्ठों का विगत तीन वर्षों में श्रम निरीक्षकों द्वारा कुल 52 निरीक्षण किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के बांसगाँव के पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक की तैनाती की माँग

30--श्री फतेह बहादुर सिंह--

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पशु चिकित्सालय बांसगाँव, जनपद गोरखपुर में पशुओं के उपचार के लिये कोई पशु चिकित्सक तैनात नहीं है ? यदि हां, तो सरकार उक्त चिकित्सालय में कब तक पशु चिकित्सक की तैनाती कर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह--

पशु चिकित्सालय, बांसगांव जनपद गोरखपुर पर कोई नियमित पशु चिकित्साधिकारी तैनात नहीं है।

शासनादेश दिनांक 10-8-2004 द्वारा 455 रिक्त पदों को भरने हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0, इलाहाबाद को भेजा गया है। लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित सूची प्राप्त होते ही नियमित नियुक्ति कर दी जायेगी।

पशु चिकित्सालय, बांसगांव, जनपद गोरखपुर के रिक्त पद का कार्यभार पशु चिकित्साधिकारी, उनवल, गोरखपुर को अतिरिक्त कार्यभार के रूप में प्रदान कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कैम्पियरगंज में ट्रेडों को बढ़ाने एवं मानक के निर्धारण की मांग

31--श्री फतेह बहादुर सिंह--

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के राजकीय प्रशिक्षण संस्थान, कैम्पियरगंज में मात्र चार ट्रेडों का संचालन हो रहा है, जो मानक से कम है ? क्या उक्त प्रशिक्षण संस्थान में चार और ट्रेडों को बढ़ाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उनका संचालन करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 वकार अहमद शाह--

जनपद गोरखपुर के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कैम्पियरगंज में 04 व्यवसायों (ट्रेडों) यथा-इलेक्ट्रीशिन, रेफ्रीजरेशन, मैकेनिक, रेडियो/टी वी तथा आशुलिपि हिन्दी का संचालन हो रहा है। ट्रेडों की संख्या हेतु कोई मानक निर्धारित नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एस0सी0वी0टी0) की बैठक दिनांक 27-2-2001 में यह निर्णय लिया गया है कि जब तक वर्तमान में संचालित संस्थानों/व्यवसायों/एककों का सम्बन्धन भारत सरकार से प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक नये संस्थान/व्यावसाय खोलने पर विचार न किया जाय।

जनपद कन्नौज में डग्गामार जीपें, बसें व अन्य अवैध वाहनों के संचालन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही

32--श्री विजय बहादुर पाल--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कन्नौज में डग्गामार जीपें, बसें व अन्य वाहन अवैध रूप से संचालित की जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध वाहनों के संचालन को रोकने के लिये कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

विभाग को इस प्रकार की सूचनायें प्राप्त हुयी थीं। तदुपरान्त अवैध संचालन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गयी है।

विद्युत पारेषण खण्ड, फैजाबाद में कार्यरत श्री प्रदीप कुमार राय, कार्यालय सहायक की वरिष्ठता का निर्धारण

33--श्री नरेन्द्र शिशौदिया--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् लिपिकीय अधिष्ठान (मुख्य अभियन्ता के कार्यालय एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालय) द्वितीय संशोधन नियमावली, 1998 का अनुपालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में उप महाप्रबन्धक, विद्युत पारेषण मण्डल, सुल्तानपुर द्वारा नियमों के पालन के सम्बन्ध में श्री डी0एन0 यादव, प्रदेश संगठन मंत्री, उ0 प्र0 विद्युत मजदूर संघ का पत्र दिनांक 4-6-2005 जो कि निदेशक (का0 प्र0) यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

उपरोक्त पत्र विद्युत पारेषण खण्ड, फैजाबाद में कार्यरत श्री प्रदीप कुमार राय, कार्यालय सहायक तृतीय की वरिष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में है। परिषदादेश सं0-867 एनजी-एसीवी (4)/199 के-72, दिनांक 5-11-1974 में निहित ओदशानुसार श्री प्रदीप कुमार राय की वरिष्ठता मंडल में योगदान की तिथि अनुसार एवं मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) के कार्यालय ज्ञाप सं0-2199-अुन0-6, दिनांक 16-10-2002 के अुनसार सही निर्धारित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

34--श्री विजय बहादुर पाल--

[दिनांक 28-2-2006 के अता0 प्र0 सं0-52 द्वारा उत्तरित।]

जनपद गाजियाबाद के देहरा स्थित रिलायन्स विद्युत संयंत्र परियोजना के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग

35--श्री नवाब सिंह नागर--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद जनपद के देहरा स्थित रिलायन्स विद्युत संयंत्र परियोजना का कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त परियोजना कब तक शुरू हो जायेगी ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त परियोजना के लिये किसानों की अधिग्रहीत की गयी भूमि के परिवार के एक युवक को नौकरी देने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

सन् 2009 तक।

जी नहीं।

भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2003 राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत कर ली गयी जिसमें नौकरी दिए जाने की प्रतिबद्धता नहीं है।

जनपद बुलन्दशहर के ग्राम घुघरावली, बनवारीपुर को विद्युतीकृत ग्राम घोषित करने की माँग

36--श्री मुंशी लाल गौतम--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को/एम-132202/2005 दिनांक 22-9-2005 जो ग्राम घुघरावली, बनवारीपुर, तहसील शिकारपुर, बुलन्दशहर का विद्युतीकरण कराये जाने विषयक था, प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम, मेरठ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम घुघरावली, बनवारीपुर, तहसील शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (ए0आर0ई0पी0) हेतु विद्युतीकृत ग्राम की परिभाषा के अनुसार पूर्व में ही विद्युतीकृत है।

जनपद बुलन्दशहर ग्राम डडुआ मुस्तफाबाद तहसील शिकारपुर में ट्रान्सफार्मर बदलवाने सम्बन्धी कथित माँग

37--श्री मुंशी लाल ग़ौतम--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-132200/2005, दिनांक 22-9-05 जो ग्राम डडुआ मुस्तफाबाद, तहसील शिकारपुर, जनपद बुलन्दशहर में ट्रांसफार्मर बदलवाने विषयक था, प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम, मेरठ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

ग्राम डडुआ मुस्तफाबाद में तीन परिवर्तक चोरी हुए थे जिनके स्थान पर तीनों परिवर्तक लगा दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला बुलन्दशहर ग्राम रसौड़ा में विद्युतीकरण कराकर विद्युत कनेक्शन विषयक कथित माँग

38--श्री मुंशी लाल गौतम--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-132201/2005, दिनांक 22-9-05 जो ग्राम रसौड़ा ब्लाक व जिला बुलन्दशहर का विद्युतीकरण कराकर विद्युत कनेक्शन देने विषयक था, प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम, मेरठ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम रसौड़ा, ब्लाक व जिला बुलन्दशहर राजस्व ग्राम नहीं है। किसी भी योजना में प्रस्तावित न होने के कारण इसका विद्युतीकरण नहीं किया गया।

उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में रियायती दर या नि:शुल्क यात्रा की सुविधा के मानक का निर्धारण

39--डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में किन-किन श्रेणी के व्यक्तियों को रियायती दर या नि:शुल्क यात्रा की सुविधा दी गयी है? क्या मंत्री जी उक्त सुविधा 65 वर्ष की आयु से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को भी देने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में उ0 प्र0 विधान परिषद् के वर्तमान एवं भूतपूर्व मा0 सदस्यों (एक सहवर्ती सहित), उ0 प्र0 विधान सभा के भूतपूर्व मा0 सदस्यों (एक सहवर्ती सहित), उ0 प्र0 से निर्वाचित राज्य सभा/लोक सभा के मा0 सदस्यों (एक सहवर्ती सहित), स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों (एक सहवर्ती सहित), 40 प्रतिशत विकलाँगता से ग्रस्त व्यक्तियों (एक सहवर्ती सहित) एवं मान्यता प्राप्त पत्रकारों को रियायती दर पर नि:शुल्क यात्रा की सुविधा प्राप्त है।

जी नहीं।

राज्य सरकार की वर्तमान आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत 65 वर्ष की आयु से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को परिवहन निगम की बसों में रियायती दर पर या नि:शुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान किया जाना संभव नहीं है।

जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति प्रतापगढ़ द्वारा पशु चिकित्सालय एवं पशुसेवा केन्द्रों के निर्माण का प्रस्ताव

40--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति, प्रतापगढ़ द्वारा वर्ष 2004-05 में स्वीकृत नये पशु चिकित्सा केन्द्र/पशु सेवा केन्द्र, रेड़ीगारापुर, हरीपुर वरदैता, सरावशंकर को कब तक स्थापित कर दिया जायेगा? क्या स्वीकृत पशु चिकित्सालय एवं पशु सेवा केन्द्र, बाहूपुर एवं मदाफरपुर के भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया है? यदि नहीं, तो कब तक कार्य शुरू करा दिया जायेगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह--

वित्तीय वर्ष 2004-05 की जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा रेडी गारापुर, हरिपुर वरदैता, सराय शंकर के भवन निर्माण का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था परन्तु बजट व्यवस्था नहीं हो सकी।

बाहूपुर के लिये धनराशि उपलब्ध न होने के कारण भवन निर्माण कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता। पशु सेवा केन्द्र मदाफरपुर के भवन निर्माण की कार्यवाही चल रही है।

पशु सेवा केन्द्र मदाफरपुर के भवन निर्माण की कार्यवाही चल रही है।

पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान चिकित्सालय, मथुरा क सेवा निवृत्त कर्मियों को पेंशन भुगतान हेतु परिनियमावली में संशोधन

41--श्री प्रदीप माथुर--

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, मथुरा द्वारा दिनाँक 25-10-2001 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मियों को जुलाई, 2004 में की गई व्यवस्था के अनुसार पेंशन का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उक्त कर्मियों को पेंशन का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह--

जी हां।

इस सम्बन्ध में परिनियमावली में संशोधन की कार्यवाही क्रमिक है। परिनियमावली में संशोधन की कार्यवाही के उपरान्त उक्त कर्मियों की पेंशन का भुगतान किया जायेगा।

गोरखपुर महानगर में वर्ष 2002 से 2005 तक कुल लगाये गये वृक्षों एवं उन पर हुये व्यय का विवरण

42--डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05 तथा 1 अप्रैल, 2005 से अब तक कुल कितने वृक्ष लगाये गये तथा उक्त वर्षों में वृक्षारोपण में कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी ? क्या माननीय मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उनमें से कितने प्रतिशत वृक्ष जीवित हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां। गोरखपुर महानगर में निम्न प्रकार पौधे लगाये गये हैं :

वर्ष	लगाये पौध सं0 में	व्यय (रु0 में)
2002-03	14,157	9,09,536
2003-04	28,955	40,19,537
2004-05	11,430	10,39,105
1-4-05 से अब तक	47,387	18,27,590
कुल योग ...	1,01,929	77,95,768

उपरोक्त लगाये गये वृक्षों में से 81.68 प्रतिशत वृक्ष जीवित हैं।

जनपद बुलन्दशहर के कस्बा शिकारपुर में औद्योगिक कनेक्शनों का अवैध रूप से स्थान परिवर्तन के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

43--श्री मुंशी लाल गौतम--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्र संख्या सी0 एम0/वि0 को0/एम-132206/2005 जो कस्बा शिकारपुर में औद्योगिक कनेक्शनों (पावर) का अवैध रूप से स्थान परिवर्तन करने के सम्बन्ध में है उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

जांच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है तथा जांच करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के कस्बा शिकारपुर में 14 घण्टे विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र

44--श्री मुंशी लाल गौतम--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या सी0 एम0/वि0 को0/एम-131743/2005, दिनांक 13-09-2005 जो शिकारपुर विधान सभा क्षेत्र बुलन्दशहर को 14 घण्टे विद्युत आपूर्ति कराये जाने विषयक था प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम, मेरठ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिव पाल सिंह यादव--

जी हां।

शिकारपुर 33 के0 वी0 उप संस्थान को विद्युत आपूर्ति 220 के0 वी विद्युत उपकेन्द्र धरपा (खुरजा) से होती है जो कि वर्तमान में अतिभारित है। शिकारपुर 33 के0 वी0 उप केन्द्र में स्थापित 08 एम0 वी0 ए0 परिवर्तन (क्षमता 420 एम्पीयर) से निकलने वाले दो 11 के0 वी0पोषक शिकारपुर और कलावन पर क्रमश: 260 तथा 250 एम्पीयर भार चल रहा है जिस कारण यह दोनों पोषक एक साथ नहीं चल पा रहे हैं। इस कारण विद्युत आपूर्ति औसतन 7 घण्टे हो पा रही थी। विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता बढ़ाये जाने के विचार से अब 220 के0 वी0 धरपा (खुरजा) उपकेन्द्र से निकलने वाले 33 के0 वी0 शिकारपुर पोषक पर दिनांक 20-02-2006 से एक माह के लिए दोनों समूहों में आपूर्ति कराये जाने के आदेश कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर, ग्राम सभा पतौना, ब्लाक कटेहरी, को वर्ष 2000 से जुलाई 2005 तक सरकार द्वारा दिये गये धन से कराये गये कार्यों की वर्षवार जानकारी एवं उसका सत्यापन

45--श्री राम करन आर्य--

क्या पंचायतीराज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा पतौना, ब्लाक कटेहरी, जनपद अम्बेडकरनगर को वर्ष 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 एवं जुलाई, 2005 तक वर्षवार कुल कितना धन किस-किस कार्य के लिये सरकार द्वारा दिया गया है ? क्या कराये गये कार्यों का सत्यापन कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव--

ग्राम पंचायत पतौना, वि0 खं0 कटेहरी, जनपद अम्बेडकरनगर को निम्न विवरण के अनुसार ग्राम पंचायत निधि I एवं II में विभिन्न योजनाओं हेतु धन प्राप्त हुआ है :--

वर्ष	धनराशि रु0
2000-01	146665.00
2001--02	134019.00
2002-03	223999.00
2003-04	250514.00
2004-05	330894.00
01-4-2005 से 31-07-2005 तक	282554.00

धनराशि ग्राम पंचायत के उक्त ग्राम निधि में जनसंख्या के अनुसार राज्य वित्त आयोग, 11वां वित्त आयोग, जवाहर ग्राम योजना हैण्ड पम्प मरम्मत एवं शौचालय निर्माण हेतु हस्तानान्तरित की गयी। उक्त धनराशि से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित गाइड लाइन्स के अनुसार कराये गये कार्यों का विवरण निम्नवत है :--

वर्ष 2000-01

847 वर्गमीटर खड़ण्जा निर्माण एवं मरम्मत/पंचायत भवन मरम्मत तथा 279 मी0 मिट्टी पटाई।

वर्ष 2001-02

882 वर्गमीटर खड़ण्जा निर्माण/मरम्मत, 07 पानी निकासी हेतु ह्यूम पाइप, 691 मी0 मिट्टी पटाई।

वर्ष 2002-03

937 मीटर मिट्टी पटाई, 26 पानी निकासी हेतु ह्यूम पाइप, व वृक्षारोपण।।

वर्ष 2003-04

11272 वर्गमीटर खड़ण्जा निर्माण/मरम्मत, 770 मी0 मिट्टी पटाई, 3 हैण्ड पम्प मरम्मत।

वर्ष 2004-05

9759 वर्गमीटर खड़ण्जा निर्माण/मरम्मत, 1060 मी0 मिट्टी पटाई व 20 पानी निकासी हेतु ह्यूम पाइप।

वर्ष 2005-06 (जुलाई 2005 तक)

68 शौचालय निर्माण एवं 25 मी0 मिट्टी की पटाई ।

ग्राम पंचायत द्वारा कराये गये कार्यों का समय-समय पर अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विद्युत आपूर्ति बरदह केन्द्र से अनियमित विद्युत आपूर्ति ठीक कराये जाने की शिकायत

46-श्री नरेन्द्र शिशौदिया--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद के अन्तर्गत 33/11 के0 वी0 विद्युत आपूर्ति बरदह केन्द्र के अन्तर्गत ग्राम पसिका, राजेपुर, कोहरौली, पिछौरा, कुम्भ, चौकी आदि ग्रामों में अनियमित विद्युत आपूर्ति को ठीक करने हेतु स्वीकृत अनुरक्षण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? क्या इस सम्बन्ध में भारतीय मजदूर संघ, उ0 प्र0 के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अजय सिंह का पत्रांक 1260/दिनांक 20-12-04 मा0 मुख्य मंत्री जी एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? शेष लम्बित अनुरक्षण/निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

दिनांक 30-05-2006 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

जी हां।

ग्राम पसिका, राजेपुर, कोहरौली, पिछौरा, कुम्भ चौकी एवं ग्राम चौकी आदि की विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु ग्राम-कुम्भ के बीच 2 कि0 मी0 की नई 11 के0 वी0 विद्युत लाइन का अनुरक्षण/निर्माण कार्य 99 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।

शेष एक लकड़ी के पोल को उखाड़कर नया पी0 सी0 सी0 पोल गाड़ने का कार्य शीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विद्युत वितरण खण्ड तमकुहीराज द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

47--डा0 पी0 के0 राय--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि एस0 डी0 ओ0 विद्युत वितरण खण्ड तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर द्वारा की जा रही अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दि0 28-9-05 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं, परन्तु इसी विषय पर पत्र दिनांक 8-12-2005 प्राप्त हुआ जिस पर आवश्यक कार्य ही करने के निर्देश उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र सेवरही में विधायक निधि से कराये गये विद्युतीकरण का विवरण

48--डा0 पी0 के0 राय--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सेवरही, जनपद कुशीनगर में विधायक निधि से वर्ष 2004-2005 में अवमुक्त कीं गयी धनराशि से क्या विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

विधान सभा क्षेत्र सेवरही, जनपद कुशीनगर में विधायक निधि से वर्ष 2004-2005 में कुल 13 ग्रामों में से 6 ग्रामों में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कर दिया गया है, जो निम्नवत है :

ग्राम--सिबराहा, विशुनपुरा, मटिया ओकरिया, चण्डिहागुनागर, मुन्नी पट्टी तथा समुहीसंग्राम।

शेष 07 ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर जो निम्नवत है :

ग्राम ओकीहपट्टी, गौराजगदीश, सिंगरही टाउन, गौरी नरोत्तम, तरयाचिनवारी, पाण्डेयपुर, देवरहा।

उपरोक्तानुसार।

उक्त कार्य को 31 मार्च, 2006 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

जनपद शाहजहांपुर के नगर क्षेत्र में ए0 पी0 डी0 आर0 पी0 योजना के अन्तर्गत विद्युत लाइन सुधार के कार्य की प्रगति

49--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ए0 पी0 डी0आर पी0 योजना में चयनित जनपदों के आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत लाइन सुधार का कार्य चल रहा है ? जनपद शाहजहांपुर में ए0 पी0 डी0 आर0 पी0 योजना में मुख्यालय से किस स्टेट हाइवे पर कितनी-कितनी दूरी तक के ग्रामों को लाभान्वित करने की योजना बनायी गयी है ? उन कार्यों को कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

शाहजहांपुर जनपद के नगर क्षेत्र के आस-पास के उन ग्रामों में जिनमें पूर्व से नगर में स्थापित उपकेन्द्रों से नगर के समतुल्य विद्युत आपूर्ति की जा रही है, में ए0 पी0 डी0 आर0 पी0 योजना के अन्तर्गत विद्युत लाइन सुधार का कार्य चल रहा है।

जनपद शाहजहांपुर में ए0 पी0 डी0 आर0 पी0 योजना में मुख्यालय से निम्न स्टेट हाइवे पर सामने अंकित ग्रामों को योजना में सम्मिलित किया गया है :--

क्रम सं0	स्टेट हाइवे	मुख्यालय से लगभग दूरी	ग्राम का नाम
1	शाहजहांपुर--लखनऊ	3 कि0 मी0	हथौडा
2	शाहजहांपुर--पुवायां	4 कि0 मी0	चिनौर
3	शाहजहांपुर-- बरेली	5 कि0 मी0	अजीजगंज
4	शाहजहांपुर--हरदोई	5.5 कि0 मी0	मिश्रीपुर एवं ताबरगंज

उक्त कार्यों को जून, 2006 तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

जनपद बांदा के बन्द कताई मिल को चलाये जाने की मांग

50--श्री बाबू लाल कुशवाहा--

क्या औद्योगिक विकास मंत्री को जानकारी है कि बांदा कताई मिल, बांदा विगत कई वर्षों से बन्द है जिससे वहां के कर्मचारी व मजदूरों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त मिल को चलाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ख्वाजा हलीम--

बांदा कताई मिल जो उ0 प्र0 स्टेट यार्न कम्पनी लि0, कानपुर के अधीनस्थ मिल है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 (ओ) के अन्तर्गत दिनांक 10-2-2000 से विधिक रूप से बन्द है। इस मिल में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वी0 आर0 एस0) लागू कर पात्र अधिकांश कर्मियों को इस योजना के तहत देय धनराशि का भुगतान कर सेवामुक्त कर दिया गया है। परन्तु कम्पनी के पास आर्थिक संसाधन उपलब्ध न होने के कारण इस मिल के कर्मियों/श्रमिकों के बकाया वेतन एवं अन्य अवशेष देयों का भुगतान नहीं हो सका है। इसका प्रकरण औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी0 आई0 एफ0 आर0) को सन्दर्भित है।

विधिक रूप से बन्द इस मिल को पुन: सार्वजनिक क्षेत्र में चलाया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद बुलन्दशहर के कस्बा शिकारपुर के मेन बाजार में 11 हजार बोल्टेज की लाइन को हटाकर आबादी से बाहर स्थित किये जाने की मांग

51--श्री मुंशी लाल गौतम--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या सी0 एम0/वि0को0/एम-131742/2005, दिनांक 13-09-2005, जो कस्बा शिकारपुर, जनपद बुलन्दशहर के मेन बाजार से तथा हाइडिल कालोनी खेड़ा के ऊपर से 11 हजार वोल्टेज की लाइन हटाकर आबादी के बाहर से लाइन खिंचवाने विषयक था, प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम, मेरठ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

प्रश्नगत लाइन को तकनीकी कारणों से स्थानान्तरित किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज के बांकी तथा कैम्पियरगंज रेंज में पकड़े गये वन अपराधियों को जेल भेजने की कार्यवाही

52--फतेह बहादुर सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के फारेस्ट रेंज पनियरा तथा कैम्पियरगंज में वन सम्पदा के अवैध कटान में वर्ष 2004 में कितने लोग पकड़े गये थे ? क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? क्या इस कार्य में संलिप्त विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जनपद महराजगंज में फारेस्ट रेंज पनियरा नाम का कोई रेंज नहीं है, बल्कि बाकी रेंज है, जिसका मुख्यालय पनियरा है । वर्ष 2004 में वन अपराध के मामले में बांकी रेंज में 142 तथा कैम्पियरगंज रेंज में 73 वन अपराधी पकड़े गये।

जी हां।

इनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है। बांकी रेंज के वन क्षेत्रों के 130 वन अपराधियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी तथा 12 वन अपराधियों को जेल भेजने की कार्यवाही की गयी। कैम्पियरगंज वन क्षेत्र के 70 वन अपराधियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी तथा 03 वन अपराधियों को जेल भेजने की कार्यवाही की गयी। इसके अतिरिक्त अपराधियों से 01 टैम्पो तथा 01 टाटा स्टेट वाहन को भी पकड़कर सरकारी पक्ष में जब्त करने की कार्यवाही की गयी। इस कार्य में लिप्त पाये गये विभागीय 01 वन दरोगा तथा 01 वन रक्षक को निलम्बित कर उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गयी तथा 01 वन दरोगा एवं 01 वन रक्षक के विरुद्ध कारण बताओं नोटिस जारी कर अनुशासनिक कार्यवाही की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ में प्रिंटिंग कार्य का निर्धारित वेस्टेज पेपर

53--श्री फतेह बहादुर सिंह--

क्या औद्योगिक विकास मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश के अनुसार प्रिंटिंग कार्य में 2 प्रतिशत से अधिक कागज का वेस्टेज होना निर्धारित किया गया है ? क्या यह सही है कि राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ द्वारा 10 से 15 प्रतिशत तक कागज का वेस्टेज दर्शाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर कागज का दुरुपयोग रोकेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ख्वाजा हलीम--

जी हां।

उ0 प्र0 गजट दिनांक 28 मई, 1988 के अनुसार विभिन्न प्रकार के मुद्रण कार्यों के लिए आधा प्रतिशत से 7 प्रतिशत तक वेस्टेज निर्धारित है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के विकास खण्ड जालौन में विद्युत लाइन सिंरसा कलार विद्युत उप केन्द्र से जोड़ने हेतु स्वीकृत धनराशि

54--डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गधेला, वि0 ख0 जालौन, जनपद जालौन की विद्युत लाइन सिंरसा कलार विद्युत उपकेन्द्र से जोड़ने के लिये वर्ष 2002-03 में बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलांश) से धनराशि स्वीकृत की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? यदि, नहीं तो विलम्ब का कारण क्या है ? उक्त कार्य को कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के मो0 नसीम आदि ग्राम पूरे देवजानी पर आरोपित दण्ड का मुख्य नियंत्रक, राजस्व प्राधिकारी, इलाहाबाद के न्यायालय में लम्बित प्रकरण

55--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2004 के पहले शुक्रवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या-9 के क्रम में क्या स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के मो0 नसीम आदि ग्राम पूरे देवजानी, तह0 पट्टी के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 7-7-2004 को 14,31,325 रुपया का दण्ड शुल्क अधिरोपित किया गया एवं वसूली प्रमाणक जारी किये जाने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? इस प्रकरण में हुए विलम्ब के कौन-कौन लोग दोषी हैं ? तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिशंकर तिवारी--

जी हां।

माननीय मुख्य नियंत्रक, राजस्व प्राधिकारी, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 11-11-2004 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 07-07-04 निरस्त कर दिया गया। पुन: सुनवायी करके निर्णय करने का आदेश दिया गया था, जिस पर कार्यवाही सुनवाई हेतु चल रही थी। पक्षों द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र पर मा0 मुख्य नियंत्रक, राजस्व प्राधिकारी, इलाहाबाद द्वारा मूल पत्रावली तलब की गयी थी जो दिनांक 3-5-05 को उन्हें प्रेषित कर दी गयी है । प्रकरण मा0 मुख्य नियंत्रक, राजस्व प्राधिकारी इलाहाबाद के न्यायालय में लम्बित है।

प्रश्न नहीं उठता।

56--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

जनपद बांदा स्थित कताई मिल के बन्द होने पर कर्मियों/श्रमिकों के स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के तहत देय धनराशि का भुगतान

57--श्री बाबू लाल कुशवाहा--

क्या औद्योगिक विकास मंत्री को जानकारी है कि कताई मिल, बांदा बन्द होने के कारण मिल में करोड़ों रुपयों की मशीनों के कल पुर्जे चोरी हो गये है ? क्या यह सही है कि उक्त मिल के मजदूरों को वेतन, बोनस व अन्य देनदारियों का भुगतान न करने तथा वी0 आर0 एस0 के नाम पर मजदूरों को सी0 आर0एस0 देकर भारी अनियिमितता की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्पूर्ण प्रकरण की जांच सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ख्वाजा हलीम--

बांदा कताई मिल जो उ0 प्र0 स्टेट यार्न कम्पनी लि, कानपुर की अधीनस्थ मिल है और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 (ओ) के अन्तर्गत दिनांक 10-2-2000 से विधिक रूप से बन्द है, में दिनांक 13-3-2000 की रात्रि को ताला तोड़ कर कुछ मशीनों के कलपुर्जों की चोरी हुई है, जिसकी अनुमानित लागत रु0 4.32 लाख है। इस घटना की सूचना सम्बन्धित थाने में दर्ज करा दी गई है।

इस कताई मिल के कर्मियों/श्रमिकों के बकाया वेतन, बोनस व अन्य देनदारियों का भुगतान कम्पनी के पास आर्थिक संसाधन उपलब्ध न होने के कारण नहीं किया जा सका है। इसका प्रकरण औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी0 आई0 एफ0 आर0) को सन्दर्भित है।

इस मिल में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वी0 आर0 एस0) लागू की गयी है तथा पात्र अधिकांश कर्मियों/श्रमिकों को इस योजना के तहत देय धनराशि का भुगतान सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0 प्र0 शासन के समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार गणना कर किया गया है। इस भुगतान में किसी प्रकार की अनियमितता प्रकाश में नहीं आयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन हेतु नीति विषयक प्रारूप तैयार किये जाने की मांग

58--डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परमाणु-ऊर्जा के उत्पादन हेतु क्या सरकार द्वारा कोई नीति विषयक प्रारूप तैयार किया गया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

परमाणु ऊर्जा केन्द्र सरकार का विषय है, अत: राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड गोदला मऊ के ग्राम पंचायत गांगूपुर की बैठक में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पर अनियमितता के लगाये गये आरोप की जांच

59--श्री भगेलू राम--

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड गोदलामऊ के ग्राम पंचायत गाँगूपुर में दिनांक 08 सितम्बर, 2005 को ग्राम पंचायत की हुई बैठक को बिना निर्णय/सहमति के ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के विरुद्ध समितियाँ गठित किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत गाँगूपुर के कतिपय सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त शिकायती पत्र दिनांक 24 सितम्बर, 2005 जो मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर को सम्बोधित तथा जिलाधिकारी, सीतापुर जिला पंचायत अधिकारी, सीतापुर को पृष्ठांकित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव--

जी हां।

शिकायती पत्र की जांच सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), गोदलामऊ से कराई गयी । सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा जांच के लिए दिनांक 12-11-05 को ग्राम पंचायत गाँगूपुर के सदस्यों की एक बैठक बुलायी गयी। उक्त बैठक में शिकायतकर्ता भी सम्मिलित थे। उपस्थित सदस्यों द्वारा बैठक में विचार-विमर्श के बाद दिनांक 08-09-2005 को ग्राम पंचायत की बैठक में गठित 6 समितियों पर सहमति प्रदान की गयी । इस प्रकार ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पर लगाया गया आरोप सही नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

60--श्री बृजेन्द्र कुमार व्यास उर्फ डमडम महराज--

[उत्तर सोम0 के अता0 प्रश्न संख्या-150 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

61--श्री फतेह बहादुर सिंह--

[मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

प्रदेश के पावर सेक्टर में बिजली के घोटाले का पर्दाफाश करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत करने की मांग

62--श्री नरेन्द्र शिशौदिया--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पावर सेक्टर में रुपये 10 करोड़ की बचत करने एवं अरबों रुपये के बिजली घोटाले के पर्दाफास करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कृत करने विषयक है, विशेष सचिव, श्री राज्यपाल, उ0 प्र0 का पत्र संख्या 3051/पी0एस0-एच0ई0, दिनांक 30-8-2005 मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (ऊर्जा) को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

पत्र में उठाये गये बिन्दुओं पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के पशु चिकित्सालय जयनगर में चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराने की मांग

63--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ पशु चिकित्सालय, जयनगर में चिकित्सक व अन्य कर्मचारियों हेतु आवास उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्या वहां पर चिकित्सक व अन्य कर्मचारियों के लिये आवास की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह--

जी नहीं।

कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

भूमि उपलब्ध नहीं है ।

64--डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

[3सरे सोम0 के अता0 प्रश्न संख्या-7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 10 मार्च, 2006 को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 19 सूचनायें प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गई :--

पहली सूचना श्री अमरजीत सिंह,जनसेवक की लखनऊ के कृष्णा नगर के आशुतोष नगर, सिन्धु नगर , भोला खेड़ा के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री चन्द्र भद्र सिंह की सुल्तानपुर के इसौली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मांपग में अधूरे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण कराने एवं सम्बन्धित स्टाफ की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना के प्रश्नकर्ता श्री संजीव दरियाबादी, चौथी सूचना के प्रश्नकर्ता श्री महेश नारायण सिंह और पांचवी सूचना के प्रश्नकर्ता श्री राम कृपाल जी सदन में उपस्थित नहीं है। छठीं सूचना श्री प्रदीप माथुर की विकलांग जन अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों की समुचित व्यवस्था हेतु विकलांग जन आयुक्त की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना के प्रश्नकर्ता श्री आलमबदी उपस्थित नहीं हैं। आठवीं सूचना श्री प्रदीप जैन आदित्य की बुन्देलखण्ड के ललितपुर, झांसी एवं बांदा जनपदों में दिनांक 8 मार्च, 2006 को हुयी भयंकर ओलावृष्टि के प्रभावितों को आर्थिक मुआवजा देने एवं किसानों की वसूली रोके जाने के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना के प्रश्नकर्ता श्री राम हेत भारती उपस्थित नहीं है। दसवीं सूचना श्री सदल प्रसाद की गोरखपुर के बाँस गांव क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त बाँस गाँव-रानी भैसा एवं गौर बेदौली मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की रायबरेली के डलमऊ क्षेत्रान्तर्गत डलमऊ गंग नहर में काफी दिनों से पानी न आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना

डा0 रमेश चन्द्र बिन्द की मिर्जापुर मझवां क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा इटवन में काँजी हाऊस पर किये गये अवैध निर्माण को हटाने के सम्बन्ध में है।

चूँकि कुछ माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है, अत: उनके स्थान पर अस्वीकार की गयी सूचनाओं में से डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री बीजू पटनायक और श्री प्रागीलाल अहिरवार की सूचनायें स्वीकार की जाती हैं।

श्री प्रदीप जैन आदित्य--

मान्यवर, मैं अपनी सूचना को पढ़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

पढ़ लीजियेगा।

जो माननीय सदस्य उपस्थित हैं, उनकी सूचनायें पढ़ी हुयी मानी जाती हैं।

(सदन की सहमति से स्वीकार की गयी सभी सूचनायें पढ़ी हुयी मानी गयी)

लखनऊ के कृष्णा नगर से आशुतोष नगर, सिन्धु नगर, भोलाखेड़ा क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अमरजीत सिंह जनसेवक--

[मैं आपके माध्यम से माननीय नगर विकास मंत्री जी का ध्यान कृष्णा नगर से आशुतोषनगर, सिन्धु नगर, भोलाखेड़ा की ओर जाने वाले मार्ग की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। यह सड़क कई वर्ष पूर्व डामर हुआ था। लेकिन कई जगह से टूट गयी है और बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं जिस कारण लोगों का आना-जाना कठिन है। जगह -जगह गड्ढे होने से रिक्शा एवं गाड़ियाँ फंस जाती है जिस कारण जाम भी लग जाता है । सड़क कम चौड़ी होने से सड़क के किनारे बनी हुई नालियां भी टूट गयी हैं जिससे सड़क में पानी भर जाता है, खासकर बरसात में तो चलना भी कठिन हो जाता है।

अत: निवेदन है कि जनहित में इस मार्ग का ठीक कराने और नालियों की मरम्मत कराने का कष्ट करें जिससे यहाँ के निवासियों को जो परेशानी हो रही है उसका निराकरण हो सके तथा बरसात में जलभराव से जो बीमारी फैलने का अंदेशा रहता है वह भी दूर हो सके। इसके लिए यहाँ के निवासी आपके आभारी होंगे।]

सुल्तानपुर के इसौली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मापंग में अधूरे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण कराने एवं सम्बन्धित स्टाफ की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री चन्द्र भद्र सिंह--

[मान्यवर, आपके माध्यम से अत्यन्त अविलम्बनीय महत्व की सूचना देते हुए आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूँ । सुल्तानपुर के इसौली क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम मापंग, ब्लाक धनपतगंज में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य अभी तक अधूरा है जिससे क्षेत्र की जनता को चिकित्सा सहायता उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अत: उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण शीघ्र पूरा किये जाने एवं सम्बन्धित स्टाफ नियुक्त करने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।]

विकलांगजन अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों की समुचित व्यवस्था हेतु विकलांगजन आयुक्त की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप माथुर --

[विकलांग जन अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों की समुचित व्यवस्था एवं उनको उचित लाभ देने के लिए एक विकलांग जन आयुक्त की नियुक्त का प्राविधान है जिसके अनुसार विकलांग जन आयुक्त के पद पर योग्य एवं सक्षम विकलांग व्यक्ति की नियुक्ति की जानी चाहिये। जो विकलांगों को समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराने एवं उनके लाभ पहुंचाने में अहम भूमिका अदा कर सके। वर्तमान समय में विकलांग जन आयुक्त के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति न करके एक अन्य व्यक्ति की नियुक्ति की गयी है जो अपने शासकीय दायरे में होने के कारण विकलांगों को तद्नुसार लाभ पहुंचाने में सक्षम नहीं हो सकता है और विकलांगता की पीड़ा को नहीं समझ सकता। इस सम्बन्ध में विकलांगों में पीड़ा व चिन्ता व्याप्त है।

अत: लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

बुन्देलखण्ड के ललितपुर, झांसी एवं बांदा जनपदों में दिनांक 8 मार्च, 2006 को हुई भयंकर ओलावृष्टि से प्रभावितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रदीप जैन आदित्य--

उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड अत्यन्त ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। भौगोलिक बनावट की विषमता के कारण इस क्षेत्र में जहाँ सिंचाई के साधनों का अभाव है वहीं इस क्षेत्र की भूमि ऊबड़-खाबड़ होने के कारण भी आर्थिक क्षेत्र में इस इलाके के पिछड़ेपन में अहम भूमिका बनाती है। इस वर्ष बरसात की कमी के कारण यहाँ की फसलों के उत्पादन पर बुरा असर पड़ा है।

बुन्देलखण्ड जनपद के ललितपुर, झांसी एवं बांदा सहित अन्य क्षेत्रों में भयंकर ओलावृष्टि एवं भीषण बरसात दिनांक 8 मार्च, 06 को हुई है जिससे जो फसलें गेंहू, चना, मसूर, सरसों एवं मटर आदि की थी वे पूरी तरह से नष्ट हो गयी है और काफी मात्रा में जन-धन की हानि हुई है। जनपद ललितपुर के तहसील महरौनी के अन्तर्गत ग्राम बिल्ला, गोडवारा, खौरिया, बानोनी, ककड़हारी, केलगुवां, बड़ोखरा सहित पूरे जनपद में भयंकर ओलावृष्टि एवं बरसात हुई है जिसमें लगभग 500 से अधिक जानवरों की तथा 4 लोगों की आकाशीय बिजली से मौत हो गयी है। इसी तरह से भयंकर बरसात होने के कारण झांसी जनपद में भी व्यापक पैमाने पर फसलों का नुकसान हुआ है और लोगों के सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो रही है। भयंकर ओलावृष्टि, बरसात एवं आकाशीय बिजली गिरने के कारण इस क्षेत्र के लोग चिन्तित एवं परेशान हैं। यहां के किसानों की वसूली रोकी जाय, तथा उनको पर्याप्त मात्रा में भरण-पोषण हेतु आर्थिक मुआवजा उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अत: लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय।

गोरखपुर के बांसगांव क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त बांसगांव--रानीभैसा एवं गौर बेदौली मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सदल प्रसाद--

[मेरे विधान सभा क्षेत्र बांसगांव, जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत बांसगांव-रानीभैसा एवं गौर-बेदौली मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। उक्त मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। मार्ग इतना दयनीय स्थिति में है कि उक्त सड़क पर पैदल चलना दूभर हो गया है। उक्त सड़क की मरम्मत होना अति आवश्यक है। सड़क की मरम्मत न होने के कारण क्षेत्रीय जनता एवं किसानों में काफी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अत: इस लोक महत्व के अविलम्बलीय प्रश्न पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूँ।]

रायबरेली के डलमऊ क्षेत्रान्तर्गत डलमऊ गंग नहर में काफी दिनों से पानी न आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

[मेरे विधान सभा क्षेत्र डलमऊ, जनपद रायबरेली के अन्तर्गत डलमऊ तहसील मुख्यालय से डलमऊ गंगनहर जो विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड, डलमऊ, विकास खण्ड, दीनशाहगौरा, विकास खण्ड, जगतपुर एवं विकास खण्ड, ऊंचाहार के मध्य होते हुए ऊंचाहार एन0 टी0 पी0 सी0 के पास शारदा सहायक में मिल जाती है । काफी दिनों से पानी नहीं आ रहा है। जिससे डलमऊ गंग नहर से निकलने वाली जितनी भी रजबाहा एवं माइनर है सभी सूखी पड़ी है। फलस्वरूप क्षेत्र के किसानों की फसलें सूख रही हैं। सिंचाई का अन्य कोई दूसरा साधन भी नहीं है। नहर में पानी न आने से क्षेत्र की जनता में घोर असन्तोष व्याप्त है।

अत: इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल नहर में पानी छोड़ने की मांग करता हूँ।]

मिर्जापुर मझवां क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा, इटवन में कांजी हाउस पर अवैध निर्माण को हटाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 रमेश चन्द्र बिन्द--

[मेरे विधान सभा क्षेत्र, मझवां , जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत ग्राम सभा, इटवन, पोस्ट अमोई, थाना कोतवाली देहात के कांजी हाउस पर ग्राम सभा के ही दबंग व्यक्तियों द्वारा कब्जा करके अवैध निर्माण कर लिया गया है। कांजी हाउस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिये जाने से क्षेत्रीय जनता में भय और दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के तात्कालिक विषय में शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कांजी हाउस पर किये गये अवैध निर्माण को हटाये जाने की मांग करता हूँ।]

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गत पाँच वर्षों में कराये गये निर्माण कार्यों की जांच कराने एवं कथित भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

[गोरखपुर विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार से गोरखपुर के नागरिक बुरी तरह पीड़ित हैं। निर्माण कार्यों तथा भूमि के आवंटन में भ्रष्टाचार गो0 वि0 प्रा0 की कार्य प्रणाली का सामान्य हिस्सा है। विधान सभा में पिछले सत्र तथा उपवेशन में हमारे द्वारा नियम 51 तथा नियम 56 के तहत विषय लाने पर सरकार ने उस समय कठोर कार्यवाही की थी तथा 3 आई0 ए0 एस0, 4 पी0 सी0 एस0 अधिकारी तथा 6 अभियन्ता निलम्बित भी किये गये थे।

नागरिक यह अपेक्षा करते थे कि इतने उच्च स्तरीय प्रशासनिक कार्यवाही का असर गोरखपुर विकास प्राधिकरण की कार्य प्रणाली पर पड़ेगा। लेकिन नागरिकों ने देखा कि काफी दिनों तक अधिकारी अपने पदों पर बने रहे। जिन निर्माण कार्यों तथा भूमि आवंटन के सन्दर्भ में जांच बैठाई गयी थी उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाहियों से नागरिकों के साथ-साथ हमारे जैसे प्रतिनिधि भी अनभिज्ञ ही रहे। स्वाभाविक रूप से यह सामान्य चर्चा है कि फाइलों के साथ लीपापोती की जा रही है। जनहित में तथा विधान सभा की प्रभावोत्पादकता बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार इस सदन को यह बतलाये कि जिन अधिकारियों को निलम्बित किया गया उनके ऊपर किस प्रकार के आरोप थे । सरकार ने विभागीय तथा शासकीय स्तर पर कौन-कौन से जांच दल बैठाये थे ? उनके नाम क्या थे और उनकी रिपोर्ट क्या थी ? सरकार को यह भी बताना चाहिये कि किन-किन मामलों की जांच चल रही है तथा उसका विस्तृत विवरण क्या है ? सरकार को यह भी बताना चाहिये की जब गोरखपुर विकास प्राधिकरण में इतने व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार स्पष्ट हो गया है तो क्या वह उचित समझेगी की पिछले 5 वर्षों के सभी निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय जांच दल से कार्यवाही की जाये ? क्या शासन यह महसूस करता है कि इस भ्रष्टाचार पर स्थाई नियंत्रण के लिए सरकार विकास प्राधिकरणों के बोर्ड पर क्षेत्रीय विधायकों को सदस्य बनाकर प्राधिकरण को लोकतांत्रिक नियंत्रण में लाने कर कार्य करेगी ? महोदय यह अत्यन्त आवश्यक है कि लोकहित के इस अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे को सदन में नियम 301 के तहत उठाने हेतु अनुज्ञा प्रदान करें जिससे नग्न भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रारम्भ की गयी इस लड़ायी को निर्णायक अन्त तक पहुंचाया जा सके। अन्यथा जनसामान्य में यह भाव व्याप्त होने की सम्भावना है कि विधान सभा में चाहे जितनी भी चर्चा करा ली जाये, भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण असम्भव है।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

झांसी की तहसील मऊरानीपुर में बालू के घाटों का लीज पट्टा के अतिरिक्त बालू माफियाओं द्वारा अवैध बालू खनन से उत्तर प्रदेश को हो रही राजस्व की हानि के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रागी लाल अहिरवार--

[आपको अवगत कराना है कि तहसील मऊरानीपुर, जनपद झांसी में बालू के पट्टे पांच स्थानों पर चिन्हित हैं इसके ठेकेदार श्री वीरेन्द्र कुमार राय मऊरानीपुर के नाम से है जो कि लगातार 3 वर्ष से चले आ रहे हैं व पूरी तहसील को बालू माफियों से मिलकर बालू बेचने का धंधा जोरों पर चल रहा है इसकी मिली भगत से मऊरानीपुर तहसील से अधिकारी व खनिज विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से पांच स्थान की जगह पचासों स्थानों पर बालू के घाट चलाये जा रहे हैं। जिन घाटों के ठेका हुये हैं वह निम्न प्रकार हैं--

(1) देवरी सिंह पुरा घाट	15 एकड़	गाटा सं0 840
	4.70 डि0	गाटा सं0 1077
(2) लुहरगांव घाट	22.64 डि0	गाटा सं0 539
	28.12 डि0	गाटा सं0 534
(3) मैलोनी घाट	10 एकड़	गाटा सं0 712, 630
(4) भकौरा घाट	11.37 डि0	गाटा सं0 876
(5) मऊरानीपुर	16.86 डि0	गाटा सं0 894, 346
	6.93 डि0	गाटा सं0 888, 883
	18.82 डि0	गाटा सं0 886
	19.88 डि0	गाटा सं0 1006

यह ठेके सरकारी तौर पर वैध हैं इसके अलावा मऊरानीपुर, तहसील में अवैध तरीके से निम्न घाटों से बालू बिक रही है। जिससे राजस्व विभाग को सालाना करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है। नाजायज घाट निम्न प्रकार हैं। सुखनई नदी में --

(1) पठगुवां घाट (2) धवाकर घाट (3) सितौरा (4) लखेश्वर (5) भटपुरा (6) रोरा इसी प्रकार कुड़ार नदी पर (1) वीरा धौरा घाट (2) चुरारा घाट (3) मध्रुपुरा घाट (4) पठा घाट (5) भडरा घाट (6) धायपुरा घाट इसी प्रकार उर नदी में (1) बिलगुवां घाट आदि में समस्त नदियों में से बालू बेची जा रही है। जिसकी राजस्व रिवालट्री की खुले आम चोरी हो रही है इस चोरी को रोकी जाय जिससे बालू माफिया अवैध तरीके से बिक्री न कर सकें इसकी उच्च अधिकारियों से जांच कराकर ठेकेदार व बालू माफियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय जिससे राजस्व हानि को बचाया जा सके जो उ0प्र0 सरकार के हित में है।]

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश सचिवालय स्थित कर्मचारी कल्याण निगम की दुकानों में सामान की गुणवत्ता खराब होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बीजू पटनायक--

[मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। सचिवालय में कर्मचारी कल्याण निगम के डिपो बने हैं विधान भवन में भी एक काउन्टर बना है जिस पर कोई सामान नहीं रहता है और कर्मचारियों को सामान नहीं मिल पाता है जिससे परेशानी का सामना करना पड़ता है। खराब क्वालिटी के सामान मिलते हैं जो बाजार से ऊँचे रेट पर मिलते हैं। विधान भवन में स्थापित कैन्टीन में तो एक वर्ष की जांच करा लें तो पता चल जायेगा नाम मात्र की बिक्री हुई है इसका मुख्य कारण सामानों को काउन्टर पर न रखना। इस प्रकार से तमाम खामियां हैं।

सचिवालय में कैफेटेरिया द्वितीय मुख्य भवन, नवीन भवन, बहुखण्डीय आदि में गुणवत्ता बहुत ही खराब रहती है बाजार से ऊँचे रेट के सामान है। यहां तक कि बासी सामान मुख्य भवन कैफेटेरिया में ग्राहकों को सर्व कराया जाता है। सामान बहुत ही खराब रहता है चाय तो बहुत ही खराब रहती है। गुणवत्ता इतनी खराब है कि सामान की बिक्री पर इसका बुरा असर पड़ता है। इन सारे प्रकरण को गम्भीरता से लेने की जरूरत है और गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। रेट लिस्ट हर कैन्टीन में लगनी चाहिए। बासी सामानों की बिक्री पर रोक लगनी चाहिए। बाहर के सामानों से सस्ते सामान किये जाने चाहिए। सफाई व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। सामान अच्छे होंगे तो बिक्री बढ़ेगी। ये लोक महत्व का विषय है, अविलम्बनीय है। तत्काल गुणवत्ता की जांच करायी जाये और बासी सामानों पर रोक लगाकर बिक्री बन्द करायी जाये।

अत: इस प्रकरण को सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

श्री प्रदीप जैन आदित्य--

माननीय अध्यक्ष जी, एक निवेदन है .....

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य, आपने पढ़ दिया है तो इसमें सारी बातें आ गई हैं, यदि आप अलग से कुछ कहेंगे तो इसका महत्व कम हो जायेगा।

उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2006 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 09 मार्च, 2006 को वापस प्राप्त हो गया। उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) विधेयक, 2006, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2006 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 09 मार्च, 2006 को वापस प्राप्त हो गया।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) विधेयक, 2006, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2006 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 09 मार्च, 2006 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2006, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा 28 फरवरी, 2006 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 9 मार्च, 2006 को वापस प्राप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष--

मद सं0-3, 4 और 5 में कुछ नहीं है।

विधान सभा के प्रथम सत्र 2005 के प्रथम शुक्रवार दिनांक 18 फरवरी, 2005 को श्री मिथिलेश कुमार द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 12 का संशोधित उत्तर

श्री अध्यक्ष--

माननीय ऊर्जा मंत्री जी, यह संशोधन वक्तव्य पढ़ेंगे या पढ़ा मान लिया जाए।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)--

श्री मिथिलेश कुमार, सदस्य विधान सभा द्वारा .....

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, इस संशोधित वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(संशोधित वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

[प्रथम सत्र 2005 के पहले शुक्रवार को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 12 के उत्तर के संबंध में "उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश (बारहवां संस्करण)" के निदेश संख्या 165/166 के अन्तर्गत उनके द्वारा अभिसूचित सूचना दिनांक 25 फरवरी, 2005 के संदर्भ में निदेश संख्या-166 (2) के अन्तर्गत कृत कार्यवाही का विवरण एवं संशोधित उत्तर।

प्रश्न	पूर्व में दिया गया	संशोधित उत्तर	प्रश्न के उत्तर के लिए गलत सूचना देने वाले दोषी पाये गये अधिकारी/ कर्मचारी के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4
12-क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां के ग्राम जमालपुर, पिपरिया प्रहलाद शम्भूपुर, पिलखना, तिहार ऐजनपुर में पड़े खम्भों को लगवाकर विद्युतीकरण पूर्ण कराये जाने से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख-3/184065, दिनांक 25-10-2004 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	12-जी हां। उपरोक्त ग्राम किसी योजना में चयनित नहीं है। अत: इनका विद्युतीकरण नहीं कराया जा सका है। अब प्रदेश शासन की नीति के अनुसार प्रदेश के समस्त अविद्युतीकृत ग्रामों को विद्युतीकृत करने के लिए भारत सरकार की संस्था आर0ई0सी0 से ऋण लेकर अगले 5 वर्षों में विद्युतीकृत कराने की योजना स्वीकृति करायी जा रही है। उपरोक्तानुसार।	जी हां। ग्राम जमालपुर वर्ष 1997-98 के अम्बेडकर ग्राम योजना अन्तर्गत चयनित हुआ था किन्तु अभी तक विद्युतीकृत नहीं हुआ है। ग्राम पिपरिया प्रहलाद पूर्व से ही विद्युतीकृत है। लगभग एक वर्ष पूर्व लाइन का 9 स्पेन तार चोरी हो गया था जिसकी प्राथमिकी थानाध्यक्ष द्वारा दर्ज नहीं की गयी। उक्त कारणवश ग्राम में विद्युत आपूर्ति बाधित है। पुन: प्राथमिकी दर्ज कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं जिससे आवश्यक सामग्री भंडार से प्राप्त कर लाइन चालू की जा सके। शम्भुपुर ग्राम वर्ष 1997-98	गलत उत्तर देने के संबंध में प्रश्नगत प्रकरण में संगत अभिलेखों के आधार पर श्री सुरेश कुमार जैन, अधिशासी अभियन्ता को विधान सभा प्रश्न के उत्तरालेख में अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण सूचना दिये जाने एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के आदेशों की अवहेलना करने का दोषी पाया गया। अत: श्री सुरेश कुमार जैन, अधिशासी अभियन्ता को निन्दा प्रविष्टि का दण्ड दिया गया।

नोट :-- [ ] संशोधित उत्तर पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

1	2	3	4
		के अम्बेडकर ग्राम योजना के अन्तर्गत चयनित हुआ था इस ग्राम का विद्युतीकरण अभी तक नहीं हो पाया है। ग्राम पिलखना वर्ष 2000-01 के सामान्य ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत चयनित हुआ था जिसकी पूर्ण सामग्री प्राप्त हो चुकी थी। ग्रामवासियों के आपसी विवाद के कारण कार्य पूर्ण कराना संभव नहीं हो सका। वर्तमान में विवाद सुलझा लिया गया है तथा दिनांक 31-5-2005 तक विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराया जाना संभावित है। ग्राम तिहार ऐजनपुर वर्ष 1997-98 के अम्बेडकर ग्राम योजना के अन्तर्गत चयनित हुआ था इस ग्राम का विद्युतीकरण अभी तक नहीं हो पाया है। सरकार की नयी विद्युतीकरण नीति के तहत अगले 5 वर्ष में समस्त ग्रामों का विद्युतीकरण किये जाने का लक्ष्य है।]	

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी, जो आपने नियम 56 में सूचना दी थी, उसके संदर्भ में आप अगर कुछ प्राह्यता पर बोलना चाहें तो वह बोल सकते हैं।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

माननीय अध्यक्ष जी, डेनमार्क में जबसे एक कार्टूनिस्ट ने एक कार्टून बनाया है, तबसे सारे भारत में एक विशेष वर्ग और समुदाय के लोगों में रोष व्याप्त है। जगह-जगह पर धरना, प्रदर्शन और अमेरिका के राष्ट्रपति जार्ज बुश के पुतले फूंके जाने लगे, फलस्वरूप प्रदेश की राजधानी लखनऊ गर्म हो गयी। जगह-जगह पर, चाहे वह टीले वाली मस्जिद हो, चाहे वह विधान सभा के सामने हो, कई बार उसी विशेष वर्ग के लोगों के द्वारा जमावड़ा करके धरना दिया गया, प्रदर्शन किया गया और पुतले फूँके गये। मान्यवर, 07 मार्च को इसकी चरम परिणति हो गई, जब प्रशासन को इस बात की जानकारी थी कि लखनऊ में भारत के महामहिम राष्ट्रपति, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जैसे लोग आ रहे हों और उस समय एक मुस्लिम संगठन ने यह काल दी थी कि हम विधान सभा के सामने जार्ज बुश के विरोध में धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद भी प्रशासन ने कोई चिन्ता नहीं की। इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए लखनऊ के विभिन्न मोहल्लों से लोगों का जुलूस आने वाला था। लोग इकट्ठे हो रहे थे, अमीनाबाद से भी एक जुलूस इसी प्रकार चला, जब वह जुलूस नजीराबाद होते हुये कैसरबाग पहुंचा तो वहां राजेश नाम का एक व्यक्ति था, जो अपनी पान की दुकान पर था। भीड़ ने उससे कहा कि दुकान बन्द करो और उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, मैं दुकान बन्द कर रहा हूँ। वह व्यक्ति दुकान बन्द कर रहा था लेकिन उतावली भीड़ ने उस पर बोतलें और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। यह खबर चारों ओर फैलने लगी, पुलिस प्रशासन मौन रहा और किसी ने भी इन दंगाइयों को रोकने के लिए प्रयास नहीं किया। अगर इस दंगे को रोकने का प्रयास कर लिया गया होता तो सारे लखनऊ में इसकी आग नहीं फैलती। लेकिन इसकी आग फैल गयी उसका परिणाम यह हुआ कि अमीनाबाद, कैसरबाग, मौलवीगंज, अस्तबल चारबाग, रकाबगंज, आई0टी0 कालेज, हजरतगंज सहित चारों तरफ हिंसा का तांडव होता रहा और पुलिस गायब रही। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि लखनऊ में पहली बार ऐसा हुआ, इतना असहाय प्रशासन कभी नही देखा गया जब जिलाधिकारी मौके पर से गाड़ी छोड़कर भाग गये हों, एस0एस0पी0 यह कह रहे हों कि मुझसे जिलाधिकारी ने फोर्स नहीं मांगी। जिलाधिकारी कह रहे हों कि मुझे कोई जानकारी नहीं थी, खुफिया विभाग कह रहा है कि मैंने सूचना दे दी थी लेकिन प्रशासन अक्षम रहा, जिस कारण से दंगा भड़का। हमारे विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मौलवीगंज आता है, वहां पर दो मुस्लिम भाइयों की हत्या हुई, अस्तबल चारबाग में एक हिन्दू भाई की हत्या हुई, कैसरबाग में एक हिन्दू भाई की हत्या हुई और चारों ओर खुला ताण्डव होता रहा। जब मैंने पुलिस से बात करने का प्रयास किया तो स्विच आफ मिले। मुझको क्षेत्र में घुसने नहीं दिया गया और दंगा कन्ट्रोल नहीं कर पाये। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रशासन पंगु हो गया था, उसके हाथ-पैर फूल गये थे।

श्री अध्यक्ष--

आप माननीय सदस्य अकेले बोलेंगे या आपके दल से और भी कोई सदस्य बोलेगा। दो और लोगों ने हाथ खड़े किये हैं।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मान्यवर, जिला प्रशासन पंगु हो गया था और हत्यायें हो रहीं थी। एक कमाल पहली बार देखा गया कि लखनऊ शहर का कप्तान यह कहता है कि कोई लूट नहीं हुई सिर्फ दुकानें जलायी गयीं, कई गाड़ियां दंगाइयों ने जला दी, बैंक आफ बड़ौदा को जला दिया गया। लाटूश रोड पर बंदूक की दुकान लूट ली गयी लेकिन इस बात को जिलाधिकारी ने छिपाया। 25 राइफलें नाले से बरामद हुई, कितनी राइफलें लोगों के घर पहुंच गयीं, इसका कोई हिसाब नहीं है। बंदूके लूटे जाने की घटना को जिला प्रशासन छिपाता रहा। मान्यवर, यह दंगा रुक नहीं पाया था। 7 मार्च, 2006 को चिकमण्डी, मौलवीगंज में काफी अन्दर स्थित मोहल्ला है। यह क्षेत्र भी हमारे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, एक व्यक्ति अपनी दुकान बन्द करके निकल रहा था कि अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मार दी, वह मर गया। जब लोग उसको बलरामपुर अस्पताल ले करके जा रहे थे तो हत्यारे भाग गये। दूसरे दिन जिस समय सुबह मैं सवा दस बजे दिन में पहुंचा हूँ, रकाबगंज पुल पर पुलिस कप्तान खड़े हुये थे, जब यह पूछा गया कि लाश कहां है ? तो उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ चलता हूँ लेकिन दो कदम साथ-साथ चले उसके बाद जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक सिपाही भी हमारे साथ नहीं था। जहां लाश रखी हुई थी वहां 5 हजार लोग खड़े हुये थे, पुलिस कप्तान में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनको फेस कर पाते, आज ऐसे अफसर लखनऊ में हैं। लखनऊ में कभी दंगा नहीं हुआ। इनसे मैं बताना चाहता हूँ कि सत्ता में आने के बाद लखनऊ में शिया-सुन्नी का एक दंगा हुआ था उस समय आराधना शुक्ला लखनऊ की जिलाधिकारी थी, उन्होंने ए0के0-47 लेकर आधे घण्टे तक दंगाइयों का मुकाबला किया उसके बाद शहर के पुलिस कप्तान वहां पहुंचे थे। आज ऐसा जिलाधिकारी लखनऊ में बन गया है। ....

श्री अध्यक्ष--

संक्षेप करिये, अभी सुरेश चन्द्र तिवारी जी और विद्या सागर गुप्ता जी भी ग्राह्यता पर अपनी बात रखेंगे।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मान्यवर, लखनऊ में अशांति फैली हुई है, जहां-जहां दंगे हुये हैं वहां अतिरिक्त सुरक्षाबल लगाया जाये और 4 लोग जो 3 तारीख को मारे गये उनको मा0 मुख्यमंत्री जी ने 5-5 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की लेकिन जो व्यक्ति 7 मार्च को मारा गया उसे आपने 3 लाख 60 हजार रुपये का मुआवजा दिया। मान्यवर, जिस परिवार के व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाय और उसके घर के लोगों को सुरक्षा दी जाय वहां पर एक पुलिस वाला भी नहीं है। मान्यवर, मैंने मांग की थी जिसका उत्तर मुझे भेज दिया गया। मैंने मौलवीगंज में एक पुलिस चौकी बनाये जाने की मांग की थी क्योंकि वहां दंगा होता है। मौलवीगंज में पुलिस चौकी आज तक नहीं बनायी गयी है इसीलिए मैं फिर इसको विधान सभा में रख रहा हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि मौलवीगंज में पुलिस चौकी शीघ्र ही बनाई जाये और सारे काम को रोक कर इस पर चर्चा कराई जाये।

श्री अध्यक्ष--

यह जो सूची थी इसमें केवल श्रीवास्तव जी और विद्यासागर गुप्त जी का नाम है इसलिए अब श्री गुप्त जी बोल लें। तिवारी जी आपका नाम सूची में नहीं है।

*श्री विद्यासागर गुप्त--

मान्यवर, 3 मार्च को जुमे की नमाज के बाद करीब डेढ़ बजे सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौलवीगंज से निकल कर अमीनाबाद, नजीराबाद में फैल गये और बुश के खिलाफ नारे लगाते हुये जबरन दुकानें बन्द करने लगे। उनके हाथों में नंगी तलवारें थीं और न जाने कैसे-कैसे असलहे थे और लाठियां थीं। वह लोग 2 घंटे के अन्दर पूरे क्षेत्र के अन्दर फैल गये। वहां पर कोई भी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी नहीं था। लोग मदद के लिए गुहार करते रहे लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। रास्ते में दर्जनों मोटर साइकिलें, स्कूटर कारों को आग की लपटों के हवाले कर दिया गया। लाटूश रोड पर कई दुकानें लूट ली गयीं। मैट्रिक और इण्टरमीडिएट की परीक्षाएं थीं, मेरे क्षेत्र अमीनाबाद, कैसरबाग, लालबाग, लाटू ा रोड के बच्चे अपनी परीक्षा नहीं दे पाये और उनकी परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। कुछ लोगों के खिलाफ नामजद एफ0आई0आर0 लिखाई गयी है। मेरी मांग है कि उनको तुरन्त गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय। इस जुनून को रोका जा सकता था अगर कुछ दिनों पहले सरकार के एक मंत्री हाजी याकूब कुरैशी ने मेरठ में भड़काने वाला भाषण न दिया होता। उसी की वजह से अमन-पसंद लखनऊ में इस तरह का दंगा कई वर्षों के बाद भड़का जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई और दर्जनों लोग घायल हो गये। आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि आगे इस प्रकार की वारदातों को रोका जाये और जिन्होंने भड़काने वाला भाषण किया है उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए ताकि लखनऊ में ऐसी वारदात न होने पाये। जो लोग मारे गये हैं 10-10 लाख रुपये का मुआवजा उनके घर वालों को दिया जाये, जो लोग सीरियसली इन्जर्ड हैं उनको 5 लाख रुपये और जो कम इन्जर्ड हैं उनको 1-1 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाये। जिस परिवार के लोग मारे गये हैं उस परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी में रखा जाये। मैं चाहता हूँ कि सभी कामों को रोक कर 2 घंटे की चर्चा कराई जाये।

*श्री सुरेश चन्द्र तिवारी--

मान्यवर, बुश के विरुद्ध सारे देश में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने धरना और प्रदर्शन किये लेकिन दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ। मान्यवर, उसका कारण था। आपको बताना चाहता हूं लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी का संसदीय क्षेत्र है। उस दिन भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी जी का लखनऊ आगमन था। पूरी पुलिस फोर्स महामहिम राष्ट्रपति महोदय के आगमन की तैयारी कर रही थी। यह दंगा इसलिए हुआ क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के एक माननीय मंत्री जी ने फतवा जारी किया और उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। उनके ऊपर कार्यवाही न होने के कारण अल्पसंख्यक समाज के हौसले बढ़े और उसके कुछ नौजवान उच्छृंखल हुए। उत्तर प्रदेश की विधान सभा के सामने अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा एक प्रदर्शन आयोजित हुआ। प्रदर्शन तो होते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी के भी प्रदर्शन हुए हैं लेकिन किसी भी आदमी के एक थप्पड़ नहीं मारी गई न ही किसी की स्कूटर या मोटर साइकिल जलाई गई। घटना स्थल पर पुलिस फोर्स का अभाव था। जब मालूम था कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा के सामने एक संगठन का प्रदर्शन है तो यह शासन की जिम्मेदारी है कि उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए थी। मान्यवर, यह बात आपके संज्ञान में डालना चाहता हूँ कई बार हम भी इस सदन के सदस्य रह चुके हैं। लखनऊ में जब भी विधान सभा चलती है तो लखनऊ के समस्त थानों का पुलिस बल उत्तर प्रदेश की विधान सभा और उसके आस-पास के क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जाता है इन कारणों से लखनऊ की कानून व्यवस्था प्रभावित होती है। मैं आपके माध्यम से शासन से निवेदन करना चाहूँगा कि लखनऊ में एक अलग से पुलिस बल का गठन किया जाय लखनऊ की कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए। मान्यवर, एक मंत्री द्वारा दिए गए फतवे के कारण अल्पसंख्यक समुदाय के नौजवान जोश में निकले और चौराहों-चौराहों पर गलियों से निकलकर जमा हो गए और उनकी जिससे दुश्मनी थी उसको भी उन्होंने इसमें लिपटा लिया। जो तोड़फोड़ हुई उससे हमारा नुकसान हुआ, समाज का नुकसान हुआ और देश का नुकसान हुआ। महोदय मैं आपके माध्यम से मैं अपने अल्पसंख्यक साथियों से अपील करूंगा कि ऐसी स्थिति में जब प्रदेश के अन्दर दंगा हो रहा है तो ऐसा फतवा जारी न करें। देश के नागरिक हैं, इस प्रदेश के नागरिक हैं इस बात का ध्यान रखा जाय। अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करें। इतना निवेदन करते हुए आपसे पुन: मांग करता हूँ कि लखनऊ में राजधानी की अलग से फोर्स गठित की जाय जिससे लखनऊ की कानून व्यवस्था ठीक हो सके।

*श्री प्रमोद कुमार--

अध्यक्ष महोदय, कुछ दिनों से जब चुनाव का साल होता है पांचवें साल विधान सभा प्रवेश कर रही है सुनियोजित ढंग से मऊ में, बनारस में, मुजफ्फरनगर में सुनियोजित दंगे कराये जा रहे हैं। इनका उद्देश्य किसी जाति धर्म को फायदा पहुंचाना नहीं बल्कि मतों का ध्रुवीकरण करना है। पिछले एक साल से पांच छ: महीनों से यह नया खेल शुरू हुआ है। मान्यवर, दुर्भाग्य है। मैं बहुत ही विनम्रता .....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आपकी सूचना दूसरे इश्यू पर है। आपकी इलाहाबाद पर है। इनको बोलने दें।

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि यह इतने सुनियोजित ढंग से मतों के ध्रुवीकरण के लिये कराया जा रहा है और इनकी नजर विधान सभा चुनाव पर है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ और इस पर कहीं किसी दूर दराज तक दबाव नहीं होना चाहिए। चाहे डेनमार्क हो, चाहे हिन्दुस्तान के अन्दर हो, चाहे टॉमस की वह पुस्तक हो जिसके पद्मश्री से नवाजा था भारतीय जनता पार्टी ने जिसमें हिन्दू देवी-देवताओं के कार्टून बने थे। चाहे हिन्दू देवी-देवताओं के कार्टून हों, उनका अपमान हो, पैगम्बर साहब का कार्टून हो, उसकी हम निन्दा करते हैं। मान्यवर, यह जो कार्टून बनाता है वह किसी धर्म का नहीं हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सकता क्योंकि कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म की आलोचना करने की या अनादर व्यक्त करने की राय नहीं देता है। जो ऐसा कर रहा है वह धार्मिक नहीं हो सकता है। यह जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं उनकी धर्म में आस्था नहीं है। मान्यवर, 3 मार्च को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहले से प्रसारित था कि महामहिम राष्ट्रपति लखनऊ तशरीफ ला रहे हैं और यहां रहेंगे। उसी दिन मान्यवर, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी को अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आना था। मान्यवर, वही दिन चुना गया, जिस दिन सारी सुरक्षा व्यवस्था इन दो महापुरुषों के आगमन पर लगी हुई थी। लखनऊ में मान्यवर, एक समुदाय का शान्तिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन चल रहा था उसमें कुछ अराजकतत्वों को लाकर दंगा कराया गया और मान्यवर, उस दंगे में चार लोगा को, एक दो नहीं बल्कि चार लोगों की जान चली गई जैसी मुझको जानकारी है। लखनऊ के सम्मानित विधायक उसको स्पष्ट कर देंगे। मोहम्मद अजीम, गुड्डू, शानू और अजीकुर्रहमान। मान्यवर, तीन-चार घंटे तक लखनऊ में कोई पुरसाहाल नहीं था। सारी फोर्स लगी थी इन दो महापुरुषों की सुरक्षा में। तीन-चार घंटे तक इन अराजकतत्वों का जमावड़ा रहा जैसा हमने देखा और सुना। कहीं दूर दराज तक यह दंगा न आम हिन्दू का था न आम मुसलमान का था। एक तबका विशेष इसमें अमादा था और जब स्थिति बेकाबू हो गई तो उसी वजह से मान्यवर, उसमें चार लोगों की जान चली गई। सरकार को क्लीयर चिट नहीं दी जा सकती। सरकार को इस बात का पूरी तरह से पहले से अंदाजा होना चाहिए था कि जब यह दो महापुरुष यहां पर आ रहे हैं सारी फोर्स वहां पर लगी है और इस तरह का प्रदर्शन हो रहा था कुछ न कुछ दुर्घटना हो सकती है। उस समय फोर्स का न होना सरकार की अदूरदर्शिता का प्रमाण है। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। मान्यवर, उस समय वहां पर फोर्स होती तो यह घटना न होती। मान्यवर, जब यह दंगा शान्त हो गया मान्यवर, आलोचना करने को आलोचना की जा सकती है हमने टी0वी0 पर देखा जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक वहां पर मुकाबला करते रहे। मान्यवर, बनाने को तो किसी को भी बेहतर बनाया जा सकता है और किसी की भी आलोचना की जा सकती है लेकिन जैसा हमने देखा कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक वहां पर बराबर मुकाबला करते रहे और उन्होंने पूरा प्रयास किया। मैं एक सवाल का जवाब चाहता हूँ। मान्यवर, उस दिन इत्तेफाक हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, पूर्व मुख्य मंत्री, आपकी पीठ पर बैठने वाले पूर्व अध्यक्ष भी लखनऊ में मौजूद थे। मान्यवर, वहां पर दंगा हो रहा था और स्थिति नियंत्रण से बाहर थी। उस समय तीन-चार बड़े नेता वहां गये। मैं सरकार को चुनौती देता हूँ और चाहता हूँ कि जो भाषण उन्होंने वहां दिया है अगर उसको आप यह कह दें। मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह का भाषण वहां पर दिया गया जब वहां पर स्थिति शान्त हो गई थी उसके बाद उसको भड़काने की कोशिश की गई जिससे वहां पर फिर पथराव शुरू हो गया। एक बार स्थिति फिर नियंत्रण से बाहर हो गई। मैं दूसरे दिन कांग्रेस के लोगों के साथ जाना चाहता था लेकिन हमको विधान सभा के पास रोक लिया गया। वह कैसे वहां चौराहे पर पहुंच गये कैसे माइक लगाकर चौराहे से भाषण दिया। या तो आप उनके लिये ज्यादा विनम्र हैं। या फिर आप उनको मौका देते हैं चार नेताओं ने चौराहे से भाषण क्यों दिया। क्यों लोगों को उत्तेजित किया। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई ? मृतकों को पांच लाख और घायलों को एक लाख मुआवजा दिया गया है। चार जानें जो गई हैं वह दुखद है। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। लेकिन यह जो दंगा सुनियोजित ढंग से किया गया इसकी जांच कराई

जानी चाहिए। दंगाइयों के खिलाफ जांच होनी चाहिए दंगे के पीछे जिनके हाथ हैं उनको सामने लाएं। इसमें कार्यरत न्यायाधीश से जांच कराई जाए। कैसे यह नेता वहां पहुंच गए। कैसे भड़काऊ भाषण दिया इसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा जो बेगुनाहों की प्रापर्टी जल गई है उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिनका सब कुछ लुट गया है उनको पुन: स्थापित करने के लिए सरकार खुले मन से निश्चित रूप से कुछ न कुछ अनुदान देगी। यह लोक महत्व का प्रश्न है मैं चाहता हूँ सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा कराई जाए।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

प्रमोद कुमार जी ने कहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भाषण हुआ है उसका खुलासा कर देंगे मैं चुनौती देता हूँ और मांग करता हूँ कि हाई कोर्ट के जज से इसमें जांच कराई जाए अगर आपका कथन [xxx] है तो आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष--

असत्य कहें [xx] असंसदीय है।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

केवल भाषण देने के लिए अनर्गल आरोप लगाना ठीक नहीं है।

श्री रामकरन आर्य--

यह सही है दंगा भड़काने के लिए गए।

श्री प्रमोद कुमार--

मेरा नाम लिया गया इसलिए मुझे स्वत: स्पष्टीकरण का अधिकार प्राप्त हो गया है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ मेरी निश्चित जानकारी है मैं चुनौती देता हूँ कि विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष और प्रदेश के वर्तमान अध्यक्ष ने जिस तरह से ललकारा--जिस तरह तुम्हारा खून बहा है, उसी तरह तुम भी खून बहाओ यह सब मैं पेपर की कटिंग के साथ रख दूँगा।

श्री अध्यक्ष--

जांच हो रही है सब सामने आ जाएगा। इसमें चर्चा की क्या जरूरत है।

श्री प्रमोद कुमार--

यह सरकार उन लोगों के प्रति विनम्र है। उन्होंने जो भाषण चौराहे पर दिया।

*डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

सदन में सूचना दी है इसकी जांच करा लें। अगर असत्य सूचना होगी तो प्रमोद कुमार जी सदन की सदस्यता छोड़ देंगे वरना हम छोड़ देंगे।

यह सदन की सदस्यता को छोड़ने का मन बना लें।

नोट :--[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

अभी बजट पर चर्चा होनी है।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने से व्यवधान)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

इस तरह प्रमोद जी नहीं बोल पाएंगे।

श्री अध्यक्ष--

प्रमोद जी, आप बैठें, बजट पर चर्चा होनी है। आप भी बैठें, जांच में पता चल जायेगा।

(श्री प्रमोद कुमार, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा श्री सुरेश कुमार तिवारी आदि के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्रीवास्तव जी, आपने उनको चुनौती दी है, उन्होंने आपको चुनौती दी है, अब आप बैठिए।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

अध्यक्ष जी, जो तिवारी जी कह रहे हैं, वह ठीक नहीं है, यह बिना अनुमति के बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय प्रमोद जी, आपकी जानकारी में जो था, वह तथ्य बतायें, श्रीवास्तव जी ने आपको चुनौती दी, आपने उनको चुनौती दी, दोनों तरफ से चुनौती दी गई है। यह जांच का विषय है, जब जांच होगी, पता चल जायेगा। संसदीय कार्य मंत्री जी का जवाब आ जाने दीजिए। इस घटना की जांच कोई भी करे, जो तथ्य आपने बताये हैं, उनको जोड़ दिया जायेगा, सब पता चल जाएगा, आप क्यों लड़ रहे हैं।

(पुनः श्री प्रमोद कुमार तथा श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव आदि के खड़े होने और बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय प्रमोद कुमार जी, आप बैठें।

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

माननीय अध्यक्ष जी, बड़ा गम्भीर प्रश्न है, अगर गम्भीरता से लेंगे तो अच्छा होगा, अगर यही माहौल बनाये रखना है तो जवाब की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, 3 मार्च का यह बड़ा ही दुखद हादसा है और जैसा कि पहले भी सदन में यह प्रश्न आया है, कार्टून बनाये जाने का और क्योंकि हमारा धार्मिक देश है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दुनिया की निगाहें इस देश पर हैं, इस देश के आपसी अच्छे रिश्तों पर भी दुनिया की निगाहें हैं कि वह रिश्ते खराब हों, उसके लिए अक्सर कई तरीके अख्तियार किए गए, जिसमें एक कार्टून का तरीका भी अख्तियार हुआ और यह केवल इस्लाम से जुड़ा हुआ नहीं रहा, हिन्दू धर्म की भी अवमानना हुई, अपमान हुआ, जहां तक फतवे का ताल्लुक है, मैंने इस सदन में पहले भी कहा था कि फतवा केवल पढ़ा-लिखा आदमी दे सकता है, मैं पढ़े-लिखे से मतलब जो इस्लामी ज्ञाता हो, जिसके पास डिग्री हो, जो मुफ्ती, पढ़ा-लिखा मैंने यों कहा क्योंकि मुफ्ती का शब्द मैं समझा नहीं पाया था, मैंने पहले

भी कहा था कि जो साहब किसी इस्लामिक इन्स्टीट्यूशन से मुफ्ती की डिग्री हासिल करे या काजी का दर्जा प्राप्त हो।

(कुछ सदस्यों के पुन: बोलने पर)

अगर यह संजीदा मामला नहीं है तो मैं दो शब्द कहकर खत्म किए देता हूँ। आप इसे मखौल बना रहे हैं, लेकिन यह मखौल का इशू नहीं है। मैं किसी व्यंग के तौर पर, किसी व्यक्ति विशेष के तौर पर या किसी विशेष विचाराधारा के रूप में मैंने ऐसा नहीं कहा बल्कि दो-चार रोज पहले भी इस सदन में समझाने की कोशिश की थी कि एक जमाना आया था जब अयोध्या प्रकरण पर भी फतवों की बात चली थी और यहां तक कह दिया गया कि दिल्ली के इमाम अब्दुल्ला बुखारी साहब ने फतवा दे दिया, जब कि वह भी फतवा नहीं दे सकते क्योंकि वह सिर्फ मुलाजिम हैं, जामा मस्जिद दिल्ली के और उनकी तीन सौ रुपये महीने की तनख्वाह है। मैं तो यहां तक बता चुका था, वह भी फतवा नहीं दे सकते, उनके बेटे साहब जो अब जामा मस्जिद के इमाम हैं, वह भी फतवा नहीं दे सकते, वह भी मुलाजिम इमाम हैं। तो ऐसी हालत में फतवा देने के लिए उसके लिए बहुत बड़ा पढ़ा-लिखा और डिग्री होल्डर होना चाहिए, जिसको काजी करार दिया गया हो और जो मुफ्ती हो, उसके अलावा और कोई फतवा नहीं दे सकता लिहाजा उस कार्टून के मामले में जहां आपका इशारा है, वह फतवा नहीं था। दूसरी बात यह कि जुमे के दिन सारी दुनिया और पूरे हिन्दुस्तान के मुसलमान नमाज के लिए जमा होते हैं। जाहिर है उस दिन ऐसी दुखती रग पर उंगली रखी गयी जिससे सबको तकलीफ थी। हमारे सब लोग इस दुख में साथ थे, हिन्दुस्तान के लोगों ने, हिन्दू भाइयों ने इसकी भर्त्सना की थी लेकिन आगे हालात ऐसे हुए जब उन्होंने अपनी हिमायत को रोक लिया। तीन मार्च का यह हादसा बड़ा अजीबोगरीब है। पूरा जुलूस निकल गया और आखिर में जो चन्द लोग बचे थे उनके जरिये यह हुआ इसकी जितनी भी निन्दा की जाये कम है। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी इंसान की जान लेता हो हर धर्म में गलत माना गया है। हर धर्म अच्छा है। अगर धर्म अच्छा है तो वह चलेगा अगर अच्छा नहीं है तो मिट जायेगा। इस्लाम में कहा गया है कि एक इंसान की मौत आलम ए इंसानियत की मौत है। इस्लाम में यह कहा गया है कि एक इंसान को बचाना आलम ए इंसानियत को बचाना है। अगर कोई इंसान ऐसी जगहों पर, प्लेटफार्म पर बम रखे और उसमें बूढ़े-बच्चे मारे जायें तो मैं यह कहूँगा कि यह इस्लाम के दुश्मन हैं और वह पूरी दुनिया में और हिन्दुस्तान में इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्हें इंसानियत को समझाने की जरूरत है। कश्मीर के मुसलमानों को यह शिकायत है कि हिन्दुस्तान के मुसलमान कश्मीर के मामले में कश्मीरी मुसलमानों का साथ नहीं देते। किसी ने कहा कि कश्मीर के मुसलमान अपने को हिन्दुस्तान का मुसलमान नहीं मानते, किसी ने कहा कि कश्मीर के मुसलमान भी हिन्दुस्तान के मुसलमानों का हिस्सा बन जायें। मान्यवर, हमें तीन मार्च की घटना के मामले को संजीदगी से लेना चाहिए। नेता सदन ने जांच बिठायी है, जांच आने दीजिए। व्यक्ति-व्यक्ति का भी फर्क होता है। अच्छे के लिए अच्छा कहा जाये तो अच्छी बात है, बुरे के लिए बुरा कहा जाये तो ठीक है लेकिन अगर अच्छे को बुरा कहा जाये यह गलत बात है। हमारे साथी श्री सुरेश चन्द्र तिवारी जी लखनऊ से विधायक हैं। वह मेरे पास आये और मुझसे एक बात कही जिससे मेरा मन दुखी हो गया लेकिन अक्ल ने कहा कि तिवारी जी की बात मान लेना चाहिए। कोई उद्घाटन होना था, उसमें मेरे विभाग

का इन्वाल्मेन्ट था। श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी आने वाले थे। उन्होंने कहा कि अगर तख्ती पर आपका नाम लिखा जाएगा और अगर आप उस कार्यक्रम में आएंगे तो हो सकता है कि माहौल बिगड़ जाये। मान्यवर, जहां हमारे मन और विचारधारा यहां तक चली गयी हो तो क्या होगा। मैंने उनसे कहा कि अगर मेरे वहां आने से कष्ट है तो मैं नहीं आऊंगा। कन्वेंशन सेंटर का मामला था। उसमें मेरे विभाग का मामला था। मुझे उसमें नहीं बुलाया गया लेकिन मुझे कोई कष्ट नहीं। लेकिन जब अभी उसमें फिर पैसा आया था और उसका आदेश मैं कर रहा हूँ तो नेता विरोधी दल ने कहा कि पिछली बार गलती हो गयी इस बार आप आइयेगा और पत्थर पर उ. प्र. नाम भी होगा। लेकिन मैंने कहा कि आपकी जर्रानबाजी का शुक्रिया लेकिन मैं नहीं आ सकूंगा। मैं कहना चाहता हूँ कि हमें अपने दिलों में देखना पड़ेगा और देश के माहौल को अच्छा करने के लिए विचार करना पड़ेगा जहां तक कानून का मामला है मेरा कहना है कि कानून कभी भी फूल की छड़ी से नहीं मनवाया जा सकता। हो सकता मेरे विचार बहुत सख्त हों, हो सकता है कि बहुत सी बातें जो व्यक्तिगत तौर पर मैं समझता हूँ कि होना चाहिए किसी लोकतांत्रिक देश में संभव नहीं है। इसमें जांच हो रही है। किसी तरह की नर्मी नहीं बरती गयी है कि यह दंगा आगे बढ़ सके। जो प्रभावित लोग हैं उनको मुआवजा दिया जायेगा। एक बात प्रमोद कुमार जी ने कही कि ठेले वालों को मुआवजा मिल जाय ता मैं नेता जी से बात कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष--

प्रस्तुत सूचना पर मैंने श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री सुरेश तिवारी, श्री प्रमोद कुमार आदि सदस्यों को तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना और सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ। अब मैं डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर जी से अनुरोध करूँगा कि उन्होंने जो कल सूचना, जलाशय वाली दी थी, उस पर संक्षिप्त में कहें।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, मैंने नियम 311 में नोटिस दिया है कि ढाई हजार परीक्षार्थियों को प्रवेश-पत्र नहीं मिले हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप कल वाली सूचना पर बोलें। कल कार्य मंत्रणा समिति में यह तय हुआ था कि आज नियम 56 नहीं लिया जायेगा जो पुरानी नियम 56 की सूचनाएं हैं उसे आज सुना जायेगा। जो आपने यह नोटिस आज दी है इसकी कापी सरकार के पास जाती है और तब सरकार उसका उत्तर देती है। जब कापी ही सरकार के पास नहीं गयी तो वह क्या उत्तर देगी।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, यह बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसको सुन लें। मान्यवर, पन्द्रह लाख परीक्षार्थी बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं। इसमें से ढाई हजार बच्चों को प्रवेश पत्र नहीं मिल पाया है जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। चार मार्च से हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट की परीक्षा आरम्भ हो गयी है और इसमें पन्द्रह लाख परीक्षार्थी बैठे हैं। आज परीक्षाओं में अव्यवस्था है, अराजकता है। मैं उदाहरण कुशीनगर का देना चाहूंगा। बहुरी अल्पसंख्यक इण्टर कालेज में तेईस सौ परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र नहीं मिला है। मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ने परीक्षा शुल्क ले लिया था

लेकिन प्रवेश पत्र नहीं दिया। जब छात्रों ने कहा कि प्रवेश पत्र दीजिये तो उन्होंने उन्हें वापस भेज दिया इसके कारण रोष व्याप्त हो गया और छात्रों ने राष्ट्रीय मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। पुलिस ने उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया। एस0डी0एम0 ने अपनी व्यक्तिगत रिवाल्वर से गोली चलायी। इसी तरह से विद्या निवास इण्टर कालेज में भी हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप छात्र हितों की बात करते हैं, अगर छात्र दोषी हैं तो उनको सजा दिया जाय। आखिर मैंनेजमेंट ने उनसे शुल्क क्यों लिया ? ऐसा अनेकों जगह हो रहा है तो इस तरह से अव्यवस्था है। मैं चाहूँगा कि इनको प्रवेश-पत्र दिलाये जायें।

श्री अध्यक्ष--

मैं यह बताना चाहूँगा कि बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो बिना विषयों की मान्यता लिये फार्म भरवाते हैं और बाद में रोक लिया जाता है और फिर दबाव डाला जाता है। माननीय बाजपेयी जी ने कितना किया, हाईकोर्ट के स्टे के बाद भी माननीय नेता सदन से, माननीय नेता विरोधी दल से, एडवोकेट जनरल से बात चीत करके उनको दिलाया गया। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहूँगा कि इसकी जांच करवा लें।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, यह इतना आसान मामला नहीं है। इतना हल्का मामला नहीं है। इतने बच्चों को प्रवेश-पत्र न मिलना जाहिर है कोई कारण रहा होगा। फैक इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं। मैं अगर फर्जी दुकान लगाकर बैठ जाऊं और यह कहूँ कि फलां चीज दे रहा हूँ तो उसे कंफर्म कर लेना चाहिए कि यह उनका अधिकार है कि नहीं। हम इसे देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष--

इसे देख लें और जो लोग दोषी हों, अगर फर्जी स्कूल ने किया तो मैंनेजमेंट के खिलाफ कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष--

बाजपेयी जी अब आप अपने पुराने विषय पर बोलना चाहते हैं, तो बस दो मिनट में अपनी बात कह लें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, पुराने नियम-56 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मेरठ में पत्रकारों के फोन टेपिंग का प्रकरण सामने आया है और इस सरकार ने अवैध तरीके से फोन टेपिंग का विरोध किया है। जब इस सरकार के कार्यकाल में मेरठ में अपराध की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के फोन टेप हों, मान्यवर, राहुल जैन अपहरण काण्ड हुआ था मेरठ में उस समय मेरठ की पुलिस ने यहां के प्रदेश की एस0टी0एफ0 की फोर्स जिस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी विश्वास करते हैं उस एस0टी0एफ0 के फोन टेप करके और उसके एक्सन को विश्वासघात करके राहुल जैन की बरामदगी में एस0टी0एफ0 के प्रयासों को धक्का पहुंचाया था, प्रदेश सरकार ने बड़ी गम्भीरता से उसे लिया था, कई अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हुई थी सब-इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के खिलाफ, उसी क्रम में मेरठ की पुलिस ने पत्रकारों के फोन टेपिंग किये हैं, मेरा केवल आपके माध्यम से सरकार से केवल इतना निवेदन है कि इसकी जांच करा लें,

जांच मंडलायुक्त या महानिरीक्षक पुलिस मेरठ से करा लें और अगर यह बात सच हो तो जो लोग इसके लिये जिम्मेदार हों उनके विरुद्ध कार्यवाही करें।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, यह बीमारी तो कुछ ज्यादा ही गम्भीर हो गयी है। अभी कल से टेलीवीजन पर आ रहा है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अपनी ही पार्टी के सांसदों, विधायकों, मंत्रियों यहां तक कि उमा भारती जी के भी फोन टेप करवाये हैं, दिग्विजय सिंह का भी फोन टेप हुआ है और उसमें तमाम टेप सुनवायें हैं और लिखा हुआ दिखाया है तो बात बहुत आगे निकल गयी है। मेरठ का मामला तो बहुत व्यक्तिगत है एक मुख्य मंत्री जब करा सकते हैं तो देश के और बड़े नेता भी करा सकते हैं। मामला बड़ा गम्भीर है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि क्या कोई खास बात कर ली ?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, अखबारों के पत्रकारों के पुलिस द्वारा टेलीफोन टेप कराना कहीं न कहीं लोकतंत्र के चौथे खम्भे के कार्य में बाधा पहुंचती है। मेरा निवेदन केवल इतना है कि इसकी जांच करा लें और अगर इसमें सत्यता हो तो कार्यवाही कर दें।

मोहम्मद आजम खां--

श्रीमन्, इसमें बातें दो हैं पहली है प्राइवेसी लीक नहीं होनी चाहिए।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

यह सरकार से सम्बन्धित है सरकार जाने उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा मेरा मंतव्य यह है कि उनके दायित्व निर्वहन में यदि बाधा हो रही हो,

श्री अध्यक्ष--

आप दोनों आपस में क्यों बातें कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां--

श्रीमन्, मामला केवल पत्रकारों का ही नहीं है या मीडिया का, उनके तो बहुत अधिकार हैं, अपार अधिकार हैं उसके बारे में तो बात ही मत कीजिए, लेकिन हर सही का अधिकार है आप केवल पत्रकारों की वकालत न कीजिए हर किसी की वकालत कीजिए, सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए, किसी के साथ भी यदि ऐसा हो रहा है तो गलत है क्योंकि इस काम को कुछ लोगों ने औरों में भी किया है जिन्हें हम चौथा स्तम्भ कहते हैं उन्होंने भी तो इस्तेमाल किया है, अगर उसका अधिकार देंगे उन्हें आप तो इस पर भी कोई अंकुश होना चाहिए, जांच होगी लेकिन मैंने तो बस इतना जानना चाहा था कि कोई खास बात है ?

श्री हुकुम सिंह--

जो खास बात की बात इन्होंने की है तो आपसे ज्यादा किसी को जानकारी नहीं होगी अगर आपने सुना होगा तो और सुन भी लिया होगा।

श्री मोहम्मद आजम खां--

हुकुम सिंह जी टेलीवीजन पर टाईटल रहा है वह खास बात में ही रहा है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, मैं दो बातें और कहना चाहता हूँ कि एक विषय तकनीकी शिक्षा विश्वविद्यालय के संबंध में है जिसमें आपके निर्देश देने के बाद भी शासनादेश जारी नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, मैं समझ गया माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी एक प्रश्न यहां उठा था जो टेक्निकल एजूकेशन के लड़कों की परीक्षा सम्बन्धी था, आपसे बात हुई थी और उसमें उच्च शिक्षा सचिव टेक्निकल एजूकेशन के सेक्रेटरी भी आये थे, उन्होंने कहा था कि हम इसको दिखवा कर इसमें कुछ न कुछ कार्यवाही करवा रहे हैं, आर्डर जारी कर रहे हैं तो इसको जरा दिखवा लें।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, इस पर तो आपकी पूरी कृपा हुई थी और मेरे ख्याल से आपकी गैर मामूली दिलचस्पी का नतीजा था कि कई बैठक हुई आप भी रहे माननीय बाजपेयी जी भी मौजूद रहे और खादिम भी हाजिर रहा और उसमें उच्च शिक्षा सचिव ने कहा था कि हम इसमें डाइरेक्शन इश्यू कर देंगे अगर इसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ है तो हम इसको दिखवा लेंगे इसमें कुछ होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

अब बजट पर चर्चा हागी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, एक बात और है, श्रीमन् वृन्दावन के वात्सल्य ग्राम जो साध्वी ऋतम्भरा का आश्रम है उसमें लोहे के जाल थे, मान्यवर, रात को उन पर हमला करने का प्रयास हुआ और उनके गार्ड को पीटा गया, पूछा गया साध्वी ऋतम्भरा कहां पर हैं ?

श्री अध्यक्ष--

आप लिख कर दीजिए, आप इसे बजट चर्चा में कहिये, जब आपने इसकी कोई नोटिस नहीं दी है तो इस पर क्यों बोल रहे हैं, यह लिखा नहीं जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

माननीय बाजपेयी जी यह बात बजट की सामान्य चर्चा में कह दीजियेगा।

वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत) †

श्री अध्यक्ष--

अब वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा प्रारम्भ होगी। माननीय नेता, बहुजन समाज पार्टी इस समय नहीं है। मैं यह बता दूँ कि माननीय नेतागण को 15 मिनट के लिए समय रहेगा, माननीय सदस्यगण को पांच मिनट का समय मिलेगा, मैक्सिमम 7 मिनट का समय रहेगा। जिससे अधिक से अधिक लोग बोल सकें।

*श्री रंगनाथ मिश्र--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे आय-व्ययक की साधारण चर्चा में बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, जो बजट भाषण माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है उस पर कल से चर्चा हो रही है। मैं समझता हूँ कि जितनी भी बातें आयी हैं उससे स्पष्ट है कि यह बजट भाषण माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा कुछ विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए ही रखा गया है। मान्यवर,

---

†वित्तीय वर्ष 2006-07 पर साधारण चर्चा दिनांक 28-2-06 की कार्यवाही से आरम्भ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश में जो भी विकास के वायदे किये गये हैं वह मात्र कागज पर ही दिखाई पड़ रहे हैं। मान्यवर, कोई भी काम पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहां से मैं आता हूँ, वहां सरकार का दिखाई नहीं पड़ रहा है।

मान्यवर, प्रदेश के विकास का जो मापदण्ड होता है, वह उसकी अच्छी कानून व्यवस्था होती है। कानून व्यवस्था पर पिछले दिनों में इस सदन में वृहद रूप से चर्चा हुई है। और उससे स्पष्ट है कि कानून व्यवस्था की हालत खराब है, जब इस उत्तर प्रदेश के अन्दर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी तो फिर विकास कैसे होगा ? यह बात अपने आप स्वत: स्पष्ट है।

मान्यवर, मैं पूरे प्रदेश की बात तो नहीं करता हूँ लेकिन अपने जिले भदोही और बनारस जिले के बारे में जरूर कहना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था के मामले में जहां पर चोरी और डकैती हो रही है, एफ0आई0आर0 तक नहीं दर्ज की जा रही है। वहां तक तो कुछ बात समझ में आती है कि आंकड़ों को ठीक करने के लिए प्रशासन लीपा-पोती करता है। लेकिन कुछ ऐसी भी घटनाएं प्रदेश के अन्दर विशेषकर भदोही जिले में हुई है जिसका उल्लेख करना में उचित समझता हूँ। मान्यवर, उससे स्पष्ट होता है कि शासन और प्रशासन की पुलिस के ऊपर कितनी पकड़ है। और यह बेलगाम पुलिस प्रशासन किस प्रकार से नागरिकों और जनता का शोषण कर रहा है। मान्यवर, पिछले दिनों मैंने नियम 56 में एक लड़के की हत्या का मामला उठाया था। जो डी0एम0 के गनर के द्वारा की गयी। उसको आपने नियम 51 में परिवर्तित कर दिया ताकि सारी बातें सदन के समक्ष आ जायेंगी और उसका जो उत्तर होगा उस पर कार्यवाही होगी। लेकिन परसों नियम 51 में जो वक्तव्य उसका आया और चूंकि सदन का बहिष्कार करने के कारण मैं उस समय यहां नहीं था, जो कारण उसमें दिखाये गये हैं प्रशासन के द्वारा उससे स्पष्ट है कि कितनी लीपा-पोती यह सरकार कर रही है। मान्यवर, पिछले वर्षों की आप कार्यवाही उठा कर देखें जिसमें एक गोली काण्ड औराई में हुआ था जिसमें एक लड़के की पुलिस द्वारा हत्या हुई। परिणाम स्वरूप त्रिभुवन सिंह, जो उस समय मुख्य मंत्री थे, उनकी सरकार चली गई थी। इतना जन-आक्रोश उस समय व्यक्त हुआ था।

मान्यवर, आज एक नौजवान की हत्या हो गयी वह भी पुलिस के कर्मी द्वारा जो डी0एम0 का गनर है, के द्वारा की गयी। और डी0एम0 तथा एस0एस0पी0 की मौजूदगी में की गयी। इस वक्तव्य को यदि संसदीय कार्य मंत्री जी पढ़ लेंगे तो वह भी सोचेंगे। मान्यवर, डी0एम0 ने अपनी करतूतों को बचाने के लिए किस प्रकार से इसमें लीपा-पोती की है। उनका कहना है कि वे और एस0पी0 पुलिस बल के साथ जिला पंचायत चुनाव में भ्रमण पर गये थे। वहां लोगों द्वारा चक्का जाम किया गया था। उसी मध्य पथराव हुआ और पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। जब आगे बढ़े तो देखा गया कि एक नवजवान व्यक्ति तड़प रहा है। मान्यवर, यह पांच बजे तक की घटना रही होगी या पांच बजे के पहले की रही होगी। क्योंकि पांच बजे के बाद चुनाव नहीं होता है। मान्यवर, यह वक्तव्य मुख्यमंत्री जी की ओर से आया है आप देखें इसमें किस तरह से यह सब बातें लिखी हुई हैं। डी0एम0 के द्वारा तत्काल घायल व्यक्ति को भदोही अस्पताल पहुंचाया गया।

(इस समय 12 बजे श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुये)

मान्यवर, वहां से भदोही अस्पताल की दूरी 4 कि0मी0 है और 15 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगा होगा। 15 मिनट में उस व्यक्ति को पहुंचा दिया गया जैसा उन्होंने कहा भदोही अस्पताल में। भदोही अस्पताल में डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया और एफ0आई0आर0 7.00 बजे लाज की जा रही है। इसमें स्पष्ट किया है कि 7.00 बजे एफ0आई0आर0 दर्ज की गई और वह भी

पुलिस ने खुद दर्ज की। 5.00 बजे के पहले के मरे हुए व्यक्ति की एफ0आई0आर0 7.00 बजे दर्ज की जा रही है। उसमें धारा 304 या 302 का उल्लेख होना चाहिए लेकिन यह नहीं किया गया बाद में यह कहा गया कि इसकी विवेचना थानाध्यक्ष कोहरवा कर रहे हैं। बाद में इसको 304 में तरमीम कर दिया गया। आदमी मर गया 5.00 बजे के पहले और एफ0आई0आर0 हो रही 7.00 बजे तो जब आदमी मर गया तो उस समय 304, 302 की धारा क्यों नहीं लगाई गयी। इससे स्पष्ट है कि डी0एम0 के गनर की गोली से हत्या हुई है, डी0एम0 के आदेश से हुई है तो एफ0आई0आर0 डी0एम0 और उस गनर के खिलाफ होनी चाहिए लेकिन उसके खिलाफ कार्यवाही न करके खुद पुलिस ने एफ0आई0आर0 किया। मान लीजिए ढेले से उसकी मृत्यु हो गयी थी तो अमूमन रात में पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए था लेकिन रात में पोस्टमार्टम हुआ और रात में ही उसको प्रवाह कर दिया गया उसके घर वालों को उसकी लाश नहीं दी गयी इससे बड़ी विडम्बना और क्या हो सकती है ? मान्यवर, हर व्यक्ति की जान की सुरक्षा करना शासन का कर्तव्य होता है अभी संसदीय कार्य मंत्री कह रहे थे कि किसी व्यक्ति की जान लेना यह सबसे बड़ा गुनाह होता है। होता यह है कि कोई व्यक्ति दुश्मनी में जान ले लेता है या दंगे में जान चली जाती है तो यह तो समझ में आता है लेकिन सरकार में रहने वाले और प्रशासनिक अधिकारी किसी की जान लेता है तो सरकार में बने रहने का इस लोकतंत्र में अधिकार नहीं है क्योंकि किसी व्यक्ति की रक्षा करना सरकार का प्रथम कर्तव्य होता है। यहां समाजवादी पार्टी के विधायक बैठे हुए हैं वह मौके पर गये थे। मैं चुनौती देता हूँ यह बात सही है। सी0आई0डी0 से जांच नहीं करना चाहते हैं तो सदन के सदस्यों की एक समिति बना दें वह जांच कर लें। वह लड़का गिरीश पाण्डेय की हत्या डी0एम0 के गनर से नहीं हुई होगी तो मैं इस सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दूँगा। मैं इस सदन का सदस्य नहीं रहूँगा। लेकिन सत्तारूढ़ दल के विधायक यहां बैठे हुए हैं वह मौके पर गये थे। उसको आर्थिक मदद की गयी डी0एम0 का वर्जन आया होगा जो मुख्यमंत्री जी ने यहां प्रस्तुत किया होगा। डी0एम0 ने लिखा है कि लड़के के परिजनों को जनसहयोग से 50 हजार रुपये दिये गये। जनता के ढेले से मौत हुई तो 50 हजार रुपये देने की क्या जरूरत थी। वह निरपराध व्यक्ति सड़क पर खड़ा था गनर की गोली से उस लड़के का भेजा उड़कर छत पर चला गया था। उस व्यक्ति की निरपराध हत्या हुई है आपका भी धर्म बनता है उसको न्याय मिलना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि आपके इशारे पर उसकी हत्या हुई या डी0एम0 के अविवेकपूर्ण रवैये के कारण हुई है। 18 साल की उसकी पत्नी बेवा हो गयी उसके दो बच्चे हैं उसकी नाबालिग में शादी हो गयी थी। अगर उसको सही न्याय मिल गया तो कम से कम सरकारी मुआवजा मिल जायेगा। उस निरपराध व्यक्ति को मारा गया उसकी भी जांच नहीं की जा रही है कानून व्यवस्था की जो हालत है, क्या उसके चलते प्रदेश का विकास हो सकता है। जहां तक सड़कों की हालत की बात है, उसके सिलसिले में मैंने प्रश्न किया था, सरकार का भी वर्जन आया है कि 3-4 साल से कई सड़कों की कोई रिपेयर नहीं हुई है। नई सड़कों की तो बात ही छोड़ दें। हमारे क्षेत्र में एक सड़क है जो बावतपुर एयरपोर्ट तक जाती है, वह सड़क भी खराब है। यह हो सकता है कि सैफई की सड़कें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अन्य सड़कों की तरफ भी देखा जाय, जिन पर चलकर दूरदराज गांव के लोग आते हैं। कहीं भी एक भी सड़क का रिपेयर नहीं हो रहा है। यहां से पैसे जा रहे हैं, लेकिन अधिकारी फर्जी बिल-वाउचर बनाकर पैसा आहरण कर रहे हैं। जमीन पर एक भी काम नहीं हो रहा है।

विद्युत् के क्षेत्र में मैं बताना चाहता हूं कि अभी बाई -इलेक्शन हो रहा था। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, लोक निर्माण मंत्री वहां गये थे, सारे लोग गये थे और इन्होंने वहां जाकर

24 घन्टे बिजली देने का वायदा किया था। लेकिन जब यह चुनाव हार गये तो फिर वहां बिजली आने का समय 4 घन्टे हो गया। यह जिस ढंग से दुव्यंवहार हो रहा है, मैं समझता हूं कि इस तरह ऐसा नहीं होना चाहिये। विकास की दृष्टि से हर क्षेत्र महत्वपूर्ण होता है। हमारा भदोही जनपद ऐसा क्षेत्र है, जहां से करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। वहां विदेशी बायर आते हैं, इसलिये 24 घण्टे बिजली वहां मिलनी चाहिये वरना वहां का विकास रुक जायेगा। बिजली न आने से किसान, मजदूर सारे लोग प्रभावित होते हैं। इसलिये मैं मांग करता हूं कि विद्युत् आपूर्ति ठीक करने के लिये जो पहले से वहां का निर्माणाधीन पावर हाउस है, उसे पूरा कराया जाय। मान्यवर, वहां के अस्पतालों में अत्यन्त दुर्दशा है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य, अब समाप्त करें। आपका काफी समय हो गया। मैंने श्री रणवीर राणा का नाम पुकार लिया है।

श्री रंगनाथ मिश्र--

मान्यवर, अभी तो 5 मिनट ही हुआ है। मैं बताना चाहूंगा कि ज्ञानपुर पंप कैनाल जनवरी तक चालू नहीं हो पाया। यहां सत्तारूढ़ दल के लोग बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें, नहीं तो मुझे कहना पड़ेगा कि आपका लिखा न जाय।

श्री रंगनाथ मिश्र--

ठीक है मान्यवर, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं और प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं।

*श्री रणवीर राणा--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इस ऐतिहासिक बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस बजट में कुछ कमी भी है, जिनकी तरफ मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा। मान्यवर, समाज का सबसे असहाय व्यक्ति विकलांग होता है। इस बजट में ऐसी व्यवस्था की गयी है कि प्रदेश में अब कोई भी विकलांग ऐसा नहीं होगा, जिसे पेंशन न मिले। मान्यवर, इसी प्रकार से समाज में सबसे असहाय महिला विधवा होती है। अब प्रदेश में कोई विधवा महिला ऐसी नहीं होगी, जिसे विधवा पेंशन न मिले। मान्यवर, इसी तरह से समाज में सबसे असहाय व्यक्ति वृद्ध होता है। जब उसके खाने कमाने की उम्र निकल जाती है और वह असहाय हो जाता है तो उसी को देखते हुये प्रदेश में पहली बार इस बजट में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी वृद्ध ऐसा नहीं होगा जिसे वृद्धावस्था पेंशन न मिले। मान्यवर, ऐसे ऐतिहासिक बजट का समर्थन करना हम सबका पुनीत कर्तव्य है और ऐसे बजट को कोई ऐतिहासिक मुख्य मंत्री ही प्रस्तुत कर सकता है। इसलिये मैं इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, प्रदेश में यही नहीं जहां डेढ़ लाख बालिकाओं को, जो बिल्कुल गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती थीं, न उनकी जाति देखी गई, न बिरादरी और न धर्म देखा गया, बस जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करती थीं, उन बेटियों में जहां डेढ़ लाख बालिकाओं को विद्याधन दिया जाता था, हमारी सरकार ने उसकी संख्या ठीक दुगना यानि कि तीन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लाख कर दी है। मान्यवर, यह ऐतिहासिक बजट की पहचान है, कोई कोना ऐसा नहीं छोड़ा गया है, जिसमें समाज के हर व्यक्ति को लाभ न दिया गया हो। यही नहीं वर्ष 2002-2003 में जहां हमारी विकास दर बहुत हीं कम थी, हमारी सरकार के सफल प्रयासों के कारण अब वह विकास दर बढ़ करके 6 प्रतिशत तक पहुंच गई है। मान्यवर, यह कारनामा हमारी सरकार ने करके दिखाया है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी जिस प्रकार से इस विकास दर को छः प्रतिशत तक लाये हैं, हमें पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में हमारी यह छः प्रतिशत की विकास की दर बढ़ करके केन्द्र सरकार की आठ प्रतिशत की विकास दर से भी ज्यादा होगी। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि इस सरकार की बहुत सारी उपलब्धियां हैं, हमारे अर्थशास्त्री प्रो0 अमर्त्यसेन, जो कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा था कि किसी भी राष्ट्र, किसी भी प्रदेश के लिए अगर वह विकास करना चाहता है तो यह जरूरी है कि उस राष्ट्र को उत्तम शिक्षा देनी होगी और उसे उत्तम शिक्षा के साथ-साथ ही जनता के स्वास्थ्य पर भी खर्च करना पड़ेगा। मान्यवर, हमारी सरकार ने इस पर विशेष बल दिया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले बजट की तुलना में हमारी सरकार 65 प्रतिशत ज्यादा खर्च कर रही है, जो कि ऐतिहासिक कदम है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है और मैं ऐसे क्रान्तिकारी बजट का समर्थन करता हूं। मान्यवर, आज चाहे केन्द्र सरकार हो, चाहे किसी प्रदेश की सरकार हो, सभी की तुलना में हमारे प्रदेश की सरकार ने सबसे ज्यादा काम किया है। मान्यवर, यह ऐतिहासिक बजट ऐसे ही नहीं है, बल्कि इसलिये है कि हमारे प्रदेश की सरकार ने जितनी प्रगति की है, उतना किसी प्रदेश की सरकार ने नहीं की है। मान्यवर, फिर भी हमारे प्रदेश में 42-43 प्रतिशत लोग निरक्षर और अनपढ़ हैं, उनके लिए गांवों में एक ही उद्योग बचता है और वह है दूध उत्पादन का काम। मान्यवर, जब अनाज का भाव डिक्लियर होता है तो समर्थन मूल्य दिया जाता है, गन्ने का समर्थन मूल्य दिया जाता है तो मान्यवर, मैं सरकार से मांग करता हूं कि पशुपालन उद्योग पर भी ध्यान दिया जाए और इसमें सरकार को समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए और मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह दूध का भी मिनमम प्राइज घोषित करे।

(विपक्ष के कई सदस्यों ने कहा कि आप तो सरकार में हैं, आपको मांग करने की क्या जरूरत है ?)

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

श्री रणवीर राणा--

हम सरकार में शामिल हैं, हमारी सरकार में पूर्ण रूप से लोकतन्त्र है, हमारी सरकार में अगर कोई कमियां होती हैं तो हम उन्हें सरकार को बताते हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह दूध का समर्थन मूल्य घोषित करे। मान्यवर, आज कुटीर उद्योग उजड़ते जा रहे हैं, भारी संख्या में ऐसे लोग हैं, जो इससे अपनी आजीविका चलाते हैं तो मान्यवर, प्रदेश में एक बुनकर आयोग के गठन की जरूरत है, इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार एक बुनकर आयोग का गठन करे।

श्री उपाध्यक्ष--

अब कृपया आप समाप्त करें।

श्री रणवीर राणा--

मान्यवर, जब आज पूर्वान्चल को विकास निधि दी जा रही है, बुन्देलखण्ड को विकास निधि दी जा रही है तो मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि पश्चिमी क्षेत्र के साथ अन्याय न करके, उन्हें भी विकास निधि दी जाए।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य अब आप बैठें।

श्री रणवीर राणा--

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न हाईकोर्ट की बेंच दी और न ही कोई पैकेज। वर्तमान में जो स्थिति है उसमें प्रदेश के बंटवारे से जनता को कोई रोक नहीं सकता क्योंकि एक भावना भड़क गयी है, उसका शांत करने के लिए जरूरी है कि पश्चिम को भी साथ लेकर चलें।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के सामान्य चर्चा में अपने दल की ओर से अपनी बात रखने का अवसर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, सदन इस बात का गवाह है कि हम लोगों ने इसी सदन में पिछले वर्ष एक गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत किया था, संकल्प का विषय था कि 'पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए यह सरकार समुचित प्राविधान करेगी।' मुझे खुशी थी कि उस वक्त चर्चा के दौरान सत्तापक्ष में बैठे हुये हमारे साथियों ने भी सकारात्मक टिप्पणियां की थी। उस वर्ष बजट में जब चर्चा की तो मैंने सदन में यह विषय लिया था कि सरकार जानबूझकर, सोची समझी रणनीति के तहत पूर्वांग्रही व्यवहार करती है। बुन्देलखण्ड की 4 प्रतिशत जनता के लिए 100 करोड़ रुपये का विशेष प्राविधान किया गया, सदन में सारे आंकड़े मैंने दिये थे इसलिए उसे दोहराऊंगा नहीं। अगर 4 प्रतिशत जनसंख्या के लिए 100 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया तो 40 प्रतिशत जनसंख्या वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए 1000 करोड़ रुपये का पैकेज पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों को दें। यह मानकर चल रहा था कि बजट में जो बातें कही गयी हैं, सरकार उन पर ध्यान देती होगी। मगर जब अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया,. उस समय भी वहीं नाइंसाफी की। इसके साथ ही अपनी बातों को रखते हुये सरकार से आग्रह किया था कि जो जानबूझकर लापरवाही हो रही है उसे सरकार दूर करे। मैं सरकार के नियोजन विभाग के आंकड़े इस सदन में रख रहा हूं। जब सत्ता में यह सरकार आयी थी, अक्टूबर में तो उसके आसपास एक सर्वे कराया गया था। यह वर्ष 2002 का सर्वे है, जिसमें सरकार के नियोजन विभाग ने अन्तर्जनपदीय विषमताओं का पूरा खाका दिया है। नियोजन विभाग के आंकड़ों के अनुसार कम्पोजिट इण्डेक्स आफ डेवलपमेंट निकाला गया है, प्रदेश के जिलों को 3 भागों में बांटा गया, जिन जिलों का कम्पोजिट इण्डेक्स आफ डेवलेपमेंट 80 से कम है, ऐसे 9 जिले हैं। 9 में 7 जिले पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं, ये जिले हैं --गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर, आजमगढ़, जौनपुर, संत कबीरनगर इत्यादि। इस सरकार के नियोजन विभाग ने अभी इसी वर्ष पुनः सारे आंकड़े इकट्ठे किये । कम्पोजिट इण्डेक्स डेवलेपमेंट के अनुसार अन्तर्जनपदीय विषमताओं के सारे आंकड़े उपलब्ध कराये। अत्यन्त दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कम्पोजिट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इण्डेक्स डेवलेपमेंट के अनुसार जहां सिर्फ 9 जिले पिछड़े थे, 3 साल के अन्दर यह संख्या बढ़कर 14 हो गयी अर्थात् 5 जिलों की संख्या ऐसी आ गयी जो पहले अधिक विकसित थे इस समय कम विकसित हो गये। 5 में से 4 पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं --ये जिले हैं कौशाम्बी, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर और महराजगंज। ये हम लोगों के आंकड़े नहीं हैं नियोजन विभाग द्वारा दिये गये आंकड़े हैं। जिस नियोजन विभाग के आंकड़ों की चर्चा मुख्यमंत्री करते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। इस सरकार के नियोजन विभाग के आंकड़े मुख्यमंत्री जी अपने साहित्यों के द्वारा लगातार बताने का प्रयास कर रहे हैं। जो आंकड़े दिये हैं उसके हिसाब से पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति कृषि उपज 1788 रुपये है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रु0 3551 है, यह एक प्रदेश के अंदर दो क्षेत्रों की कृषक आय है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति आय 4222 रुपये है जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 6978 रुपये है। जो फैक्ट्रियों की संख्या और उनमें काम करने वाले कर्मकारों की संख्या के आंकड़े दिये गये हैं उसके हिसाब से पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2.7 फैक्ट्री प्रति लाख और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का 12.9 प्रति लाख है। इसका फल यह है कि एक लाख की जनसंख्या पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के 107 नागरिक उद्योग धंधों में काम करते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह संख्या 413 है। अध्यक्ष महोदय, सिंचाई, उर्वरक के उपयोग और गांवों के विद्युतीकरण के जितने भी आंकड़े हैं वह लगातार बताते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ पूर्वाग्रह का व्यवहार किया जा रहा है। अभी 23 जनवरी को मुख्य मंत्री जी गोरखपुर गये थे। उन्होंने वहां मंच से सार्वजनिक घोषणा की है। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में 23 जनवरी को जो घोषणायें की है उनको पूरा किया जाय। घोषणा करते हुये उन्होंने यहां तक कहा कि नगर विधायक जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के हित में मांगेंगे मैं वह सब दे दूंगा। मान्यवर, दसियों हजार नागरिकों के सामने यह उद्घोषणा की गयी है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे नेता जी ने कहा था और निर्णय भी हुआ था। उन्होंने यह कहा है कि मैं अपने वचन पर अडिग हूं और वैसा ही करूंगा जैसा कहा है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कुछ हस्तक्षेप किया है उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैंने 2 फरवरी को इसी सदन में नियम 51 के तहत मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणायें की हैं उसको उठाया और 12 सूत्री मांग प्रस्तुत किया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था लेकिन जो 15 तारीख को जवाब दिया गया उसमें किसी मांग को स्वीकार नहीं किया गया है। आपने अभी जो कहा मैं आपको धन्यवाद देता हूं यह सदन की कार्यवाही का हिस्सा है। मैं उम्मीद करता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कुछ कहा है वह शब्दशः लागू होगा। मान्यवर, आज यह पूरा प्रदेश पिछड़ता जा रहा है। यह सरकार जब से सत्ता में आयी है मैं इस सरकार के कार्यकाल के आंकड़े आपको बताना चाहता हूं। मान्यवर, देश की आय 22 लाख 52 हजार करोड़ रुपये थी और इस प्रदेश की 1 लाख 79 हजार 887 करोड़ रुपये थी। यह 8.5 प्रतिशत है। इस सरकार के एक साल के कार्यकाल में देश की आय 22 लाख 52 हजार करोड़ से बढ़कर 25 लाख 42 हजार करोड़ हो गयी और इस प्रदेश की आय 1 लाख 79 हजार 889 करोड़ से बढ़कर सिर्फ 2 लाख 441 हजार करोड़ हुयी। इस तरह से प्रदेश की आय 8.5 प्रतिशत से घटकर 7.9 प्रतिशत हो गयी। आज से 2 साल पहले पूरे देश की औसत आय प्रति व्यक्ति 20923 रुपये थी आज वह आय

23308 रुपये हो गयी है। इसके मुकाबले प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 10870 रुपये से बढ़कर 11207 रुपये हुयी है। यह आंकड़े बताते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुयी है। मैं यह जो आंकड़े दे रहा हूं यह इसी सरकार के नियोजन विभाग के साहित्य का हिस्सा है। देश के प्रति व्यक्ति की औसत आय 48.5 प्रतिशत से बढ़कर 51.9 प्रतिशत हो गयी है। देश की आय में औसतन 2319 रुपये की वृद्धि हुयी है और उसके मुकाबले प्रदेश की औसत आय में सिर्फ 390 रुपये की वृद्धि हुयी है । इसके बावजूद भी सरकार कहती है कि हम प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने जा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि इस सरकार के कार्यकाल में देश के मुकाबले प्रदेश के प्रति व्यक्ति की आय घटी है। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो इंडेक्स आफ प्रोडक्शन दिया है वह बताता है कि उद्योग धंधों के संबंध में जो इंडेक्स आफ प्रोडक्शन 189 था वह एक साल के अंदर, इंडेक्स आफ प्रोडक्शन घटकर 169 हो गया है। इसमें 20 प्रतिशत का अंतर आ गया है। मैं इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार के कार्यकाल में इस प्रदेश का विकास पिछड़ा है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में कमी हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास और पीछे गया है। हमारे चार जिलें कम्पोजिट इन्डेक्स आफ प्रोडक्शन में और पीछे गए हैं इसलिए मैं इस बजट का विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2006-07 का जो बजट प्रस्तुत किया है उस पर नेता प्रतिपक्ष ने जो विरोध में अपनी बाते कही हैं उनके समर्थन में अपनी बात रखने का अवसर दिया। सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसकी दशा क्या है और उसकी दिशा क्या है। मान्यवर, मैं कुछ कमेन्ट करना चाहूंगा यह चुनावी बजट है प्रदेश के अन्दर पिछले ढाई पौने तीन साल में क्या कोई सुधार हुआ है या नीचे गया है। ऊर्जा क्षेत्र में क्या कोई सुधार हुआ है ? शिक्षा क्षेत्र में क्या सुधार हुआ है परीक्षाओं की क्या हालत है, शिक्षा की गुणवत्ता की क्या हालत है। तुष्टीकरण की नीति इस सरकार की नीयत है जबकि इन सब बातों से ऊपर उठकर सरकार को मुख्य मंत्री जी को प्रदेश के विकास के बारे में सोचना चाहिए। मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि विकास के मामले में हम जाति धर्म या सत्ता पक्ष या विपक्ष के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे लेकिन यह भेदभाव किया जा रहा है मैं अपनी बातों से इसको सिद्ध करने का प्रयास करूंगा । मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें अनुमानित आय 80, 540.47 करोड़ दिखाई गई है जबकि व्यय 82, 849.96 करोड़ दिखाया गया है। इसमें लोक लेखा से समायोजन व पिछले वित्तीय वर्ष के घाटे का हिसाब लगाने के बाद अन्तिम घाटा 363.96 करोड़ रुपया आएगा। मुख्य मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि यह जो घाटा है उसको व्यय में कमी करके कम करेंगे और संसाधन बढ़ायेंगे मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे प्रदेश में रहते हैं जो देश का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है यहां लोक सभा के सबसे ज्यादा सदस्य हैं व विधान सभा में भी सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है। मैं कुछ विकास के आंकड़े देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश देश के सामने विकास में कहां स्टैण्ड करता है। प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2001-02 में उत्तर प्रदेश की 9,749 रुपए थी जबकि देश की प्रति व्यक्ति औसत आय 17,978 रुपए थी। इसमें उत्तर प्रदेश का 14वां स्थान है। इसी प्रकार साक्षरता में उत्तर प्रदेश (2001 में) की साक्षरता 57.4 थी जबकि भारत की 65.4 थी और उत्तर प्रदेश का स्थान भारत में 13वां था। लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़क निर्माण के सम्बन्ध में बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं

लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि प्रति लाख जनसंख्या पर सड़कों की लम्बाई 99.2 कि0मी0 थी यह 6 साल पहले की स्थिति मैं बता रहा हूं और भारत का औसत 147.4 कि0मी0 था। सभी प्रमुख राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश का स्थान 14वां है। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का दायित्व बनता है कि प्रदेश को विकास की पटरी पर आगे बढ़ाएं। वर्ष 2002-03 में प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश के अन्दर 10,289 रुपए थी जबकि भारत का औसत 18,825 रुपए था। इस आय में वृद्धि की अगर हम उत्तर प्रदेश और भारत की तुलना करें तो इसमें उत्तर प्रदेश में कमी आई है। नवीं पंचवर्षीय योजना में भारत में कुल आय में वार्षिक वृद्धि दर का प्रतिशत 5.5 है जबकि उत्तर प्रदेश का 2.3 प्रतिशत है। इसमें भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक वृद्धि दर 3.6 है जबकि उत्तर प्रदेश की शून्य है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के तीन वर्ष हो गए इनमें सकल घरेलू राज्य उत्पाद का लक्ष्य 8 प्रतिशत था जिसके सापेक्ष प्राप्ति अभी तक 3.7 प्रतिशत ही रही है। यह स्थिति भारत की तुलना में उत्तर प्रदेश की है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, यह सरकार कहती है कि हम खर्चा कम करेंगे। मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश की ऋणग्रस्तता की स्थिति बताना चाहता हूं। पिछले तीन साल से लगभग यह सरकार सत्ता में है। मान्यवर, 2006-2007 में ऋणग्रस्तता का आंकड़ा 1,37,914.92 करोड़ हो जायेगा। यह पिछले वर्ष था। पिछले वर्ष यह 1,26,526.32 करोड़ था। अगर यह विकास कर रहे होते प्रदेश के अन्दर तो एक वर्ष के अन्दर 11388.60 करोड़ रुपये की ऋणग्रस्तता बढ़ी है। मान्यवर, 2004-2005 में हर व्यक्ति के ऊपर जो कर्जा था वह 6488.57, 2005-2006 में 7175.27 रु0 तथा 2006-07 में रु0 8500 हो जायेगा जब यह वित्तीय वर्ष समाप्त होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, अभी तो शुरू किया है। यह तो ज्यादती है। दो मिनट का समय और दें। मान्यवर, प्रति व्यक्ति कर्ज 2006-2007 में 8,500 तक हो जायेगा। इसी तरह से हम आप अवगत है। यह बजट का मामला है। एक रुपया आता कैसे है ? 77 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियों से मिलता है और राजस्व प्राप्तियों के 59.5 प्रतिशत में से 46.6 प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों के वेतन आदि पर खर्च हो जाता है। यह बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है। यह मितव्ययता की बात करते हैं। इसी तरह से मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मंत्रि परिषद् पर कितना खर्च आ रहा है। 2004-2005 में 24.70 करोड़ रुपये व्यय हुआ, वर्ष 2005-2006 में 25.16 करोड़ रुपये व्यय हुआ और वर्ष 2006-2007 में मान्यवर यह खर्च बढ़कर 36.89 करोड़ रुपये होने वाला है इतना ही नहीं मान्यवर, जो सरकारी दफ्तर हैं उनमें किस तरह से अनाप शनाप खर्चे हो रहे हैं। उसके भी मैं आंकड़े देना चाहता हूं। सरकारी मीटिंग के दौरान भोजन पर वर्ष 2004-2005 में 35 करोड़ रुपये, 2005-2006 में 42 करोड़ रुपये, 2006-2007 में 44 करोड़ रुपये। आवासों/कार्यालयों पर लगे सरकारी टेलीफोन पर वर्ष 2004-2005 में 28 करोड़ रुपये, वर्ष 2005-2006 में 29 करोड़ रुपये व्यय हुए और वर्ष 2006-2007 में 30 करोड़ हो जायेगा। इसी तरह से गाड़ियों के पेट्रोल और उनके रख-रखाव पर वर्ष 2005-2006 में 79 करोड़ रुपये व्यय हुए और वर्ष 2006-2007 में यह 109 करोड़ रुपये हो

जायेगा। इसी तरह से यात्रा पर 2005-2006 में 169 करोड़ रुपये और वर्ष 2006-2007 में यह 235 करोड़ रुपये हो जायेगा। यही सरकार कहती है कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

समय के हिसाब से संक्षेप कर दें।

श्री सतीश महाना--

मान्यवर, इतनी जल्दी क्या है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, गौर साहब का एक तो बैठना मुश्किल था। खड़े होकर अब बैठ गये हैं। इनको अब न उठाइये।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, एक आंकड़ा दे दूं। मान्यवर, अपहरण के बारे में बहुत चर्चा हो गई । मान्यवर, गृह मंत्रालय का एक राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो है उसके अनुसार . . . . .

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, यह तो मुद्दा ही बदल गया। अब तो समय समाप्त हो गया।

श्री उपाध्यक्ष--

आप जल्दी अपनी बात खत्म करें।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, अपहरण के मामले में उत्तर प्रदेश देश के अन्दर नम्बर वन पर है। मान्यवर, यह सरकार प्रदेश के अन्दर तीन साढ़े तीन साल से है। मान्यवर, प्रदेश के अन्दर सर्वे किया गया। दो वर्ष में क्या स्थिति है कानून व्यवस्था 51 परसेन्ट पहले से खराब हुई है। भ्रष्टाचार 77 परसेन्ट पहले से बढ़ा है। प्रतिदिन औसत कितने घंटे बिजली मिल रही है, 35 परसेन्ट लोगों का कहना है कि चार से आठ घंटे बिजली मिल रही है। 33 परसेन्ट लोगों का कहना है कि 8 से 12 घंटे बिजली मिल रही है। जीवन स्तर में सुधार 78 परसेन्ट नहीं हुआ है । सड़कों की स्थिति क्या है . . . .

श्री उपाध्यक्ष--

अब आपकी बात आ गई है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

गौर साहब ने जो आंकड़े रखे हैं वे ऑथेंटिक नहीं है। यह चैनल-7 की बात कह रहे हैं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

हमारा कोई चैनेल नहीं है।

कृषि मंत्री (डॉ0 अशोक बाजपेयी)--

अभी डॉ0 नरेन्द्र सिंह गौर जी के बजट भाषण को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने जो भी आंकड़े प्रस्तुत किए वह 2001 के आंकड़े प्रस्तुत किये। मैं जानना चाहता हूं 2001 में प्रदेश में कौन सी सरकार थी। प्रदेश की दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बात कहना चाहते हैं।

डॉ अशोक बाजपेयी--

शिक्षा की दर की बात हो या विकास की दर हो 2001 में कौन सी सरकार थी। प्रदेश की दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है। आज जो बजट प्रस्तुत किया है उसका आंकड़ा 82 हजार करोड़ से अधिक का है। आज तक के उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतना बड़ा परिव्यय पहली बार उत्तर प्रदेश विधान सभा में प्रस्तुत हुआ है। विपक्ष के साथियों को इस पर सरकार को बधाई देनी चाहिए थी। जिस सरकार ने संसाधनों को बढ़ाकर प्रदेश के लिए इतने बड़े परिव्यय की व्यवस्था की है। आपने कहा संसाधन कैसे बढ़ेंगे आप परिचित होंगे उत्तर प्रदेश का अपना राजस्व 20 हजार करोड़ का है जो संसाधनों से बढ़ा है। आप 12 हजार करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर पाये। हमने अपने निजी संसाधन से इसको पार कर लिया है। 2006-07 में 24 हजार करोड़ और बढ़ाने का लक्ष्य है तो यह चिन्ता आपको नहीं होनी चाहिए। संसाधन कहां से आएंगे। आपने 82 हजार करोड़ के बजट में कुछ घाटे की बात कही है तो जो यह घाटा है यह तीन प्रतिशत का भी नहीं है। इस घाटे को हम अपने संसाधनों से पूरा करेंगे। छोटे-छोटे खर्चों में कटौती करेंगे। देखेंगे इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है ? विकास के कार्यों में टोटल कार्य देखने चाहिए । इस वित्तीय वर्ष में 5 हजार करोड़ .....

श्री उपाध्यक्ष--

आप पूरा भाषण दे रहे हैं।

डॉ0 अशोक बाजपेयी--

4 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रदेश की विद्युत् व्यवस्था को सुधारने के लिए की गई है। विद्युत् उत्पादन को बढ़ाने के लिए व्यवस्था की गई है। इसी तरह से मान्यवर एक वर्ष में 300 पुलों का निर्माण कराया गया है इस हिसाब से प्रतिदिन एक पुल का निर्माण प्रदेश में हो रहा है जो विकास की कहानी अपने आप कहता है। इसी तरह से प्रदेश का विकास शिक्षा व्यवस्था में दिखाई नहीं पड़ता है आप कहते हैं तो ऐसा कोई गांव नहीं है जहां स्कूल न हो। ऐसा कोई मजरा नहीं है जहां प्राइमरी स्कूल की स्थापना न हुई हो। तीन किलोमीटर में जूनियर स्कूल की स्थापना हुई है। कोई ऐसा ब्लाक नहीं है जहां हाई स्कूल और इण्टर कालेज की स्थापना न की गई हो। महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। उच्च शिक्षा की व्यवस्था बजट में की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बी0एच0सी0 और डा0 नहीं हैं यह कहा जाता है तो तीन मेडिकल कालेज की स्थापना तीन डेन्टल कालेज बनाने का निर्णय लिया गया है। यह हमारे मित्रों को दिखाई नहीं देता है। मान्यवर, इतना ही नहीं समाज कल्याण की दृष्टि से देखें, उस वर्ग को देखें जो वंचित वर्ग है, जो विधवाएं थी, उन्हें पेन्शन देने का निर्णय लिया गया, विकलांगों को पेन्शन देने का निर्णय लिया गया, जिसकी किसी भी सरकार ने व्यवस्था नहीं की थी। हमने कन्या विद्या धन का विस्तार करके जो इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण करेंगी, उन सबको समाहित करने का निर्णय लिया है। मान्यवर, यह क्रान्तिकारी बजट है। मार्च का महीना है, देश के विभिन्न प्रदेशों के बजट प्रस्तुत हो रहे होंगे, उनका तुलनात्मक अध्ययन आप कर लें, जितना विकासोन्मुखी बजट हमारी सरकार ने प्रस्तुत किया है, वैसा और कहीं नहीं दिखाई देगा। मुझे उम्मीद थी कि आप मुक्त कंठ से इस बजट की सराहना करेंगे लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, इसके लिए मुझे अफसोस है। मान्यवर, यह बजट प्रदेश के विकास को एक नई दिशा देगा, प्रदेश के विकास को गति देगा और मैं समझता हूं कि संसाधनों का जितना सुनिश्चित सदुपयोग करने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, इसको स्वयं केन्द्र के योजना आयोग

और भारत सरकार ने स्वीकार किया और हमारे प्रदेश के लिए 19 हजार करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकार किया है। यह बहुत ही क्रान्तिकारी बजट है जो प्रदेश को आगे बढ़ायेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री विद्या सागर गुप्ता--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, पिछले साल विद्युत के लिए 2189 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया था लेकिन एक भी मेगावाट बिजली आज तक नहीं बढ़ी है। 3500 मेगावाट का जनरेशन तक भी था। आपने 4100 करोड़ रुपये का प्राविधान इस बजट में विद्युत के लिए किया है, उससे कितना जनरेशन आप कर रहे हैं ?

डॉ0 अशोक बाजपेयी--

विद्युत् उत्पादन में बढ़ोत्तरी के उपाय किये गए हैं, पिछली बार प्रदेश में ट्रान्समिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और लाइन लॉस को कम करने, गांवों में विद्युतीकरण आदि को ठीक करने का निर्णय लिया गया था, उसमें वह खर्च हुआ है। एक साल में कोई विद्युत् का उत्पादन नहीं होता, मान्यवर, जितने विद्युत संयन्त्र है, वह सभी 20 वर्ष, 25 वर्ष पुराने हैं ओर धीरे-धीरे उनकी स्थिति काफी खराब हो गई है। पिछली सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया लेकिन आज हमारी सरकार ने इनकी क्षमता वृद्धि करने, इनके नवीनीकरण की योजना बनाई है, इसीलिए हमने 4 हजार करोड़ रुपये से अधिक की व्यवस्था इस हेतु की है, निश्चित रूप से इससे विद्युत् में सुधार होगा।

*श्री मदन चौहान--

मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे वर्ष 2006-2007 के वार्षिक बजट की चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, हम इसके लिए आपके आभारी हैं और साथ-साथ इस सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, जो ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है, वह वास्तव में विचारधारा के अनुरूप है और उसमें हर उस बिन्दु को छुआ गया है, हर उस गरीब, कमजोर को सहायता दी गई है जो आज के समय करना आवश्यक है। जिस तरह से वृद्धावस्था पेंशनरों की वृद्धि करके और उस बजट को बढ़ाया गया है, जिस प्रकार से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गरीब परिवार के मुखिया की मृत्यु पर 10 हजार रुपये से 20 हजार रुपये की राशि की गई है, विधवाओं की पेन्शन में सभी का पात्रता मानते हुए, उनको अनुदान देने का संकल्प लिया है, निश्चित ही सराहनीय बजट है। एक तरफ जो कमजोर होमगार्ड होता है, जो रात में रक्षा का काम करता है, अत्यन्त आवश्यक समझते हुए उसके पारिश्रमिक को बढ़ाने का काम किया गया है। चौकीदार का मानदेय 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया गया है। मान्यवर, हमारे प्रदेश का नवयुवक बेरोजगारी के कारण स्नातक करने के बाद गली-गली घूमता है, उसकी हालत बदतर हो जाती है, वह समाज में उपेक्षित हो जाते हैं, उनके लिए 500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देकर इस सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है। मान्यवर, मैं इस सरकार के बजट की प्रशंसा इसलिए भी करना चाहता हूं कि इस सरकार ने गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान किया है और साथ ही भूमि सेना का बजट बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये किया है और किसान दुर्घटना बीमा को बहुत ही सरल बनाया गया है, किसान की पैदावार के लिए अधिसूचित प्रजातियों के लिए 100 करोड़ रुपये प्रति कुन्तल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था की गयी है। सरकारी नौकरियों में औद्योगिक प्रशिक्षण के तहत प्रतिष्ठान खोले गये हैं। सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 50 प्रतिशत मर्ज किया गया है और 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते की किस्त भी दी गयी है यह सब कार्य प्रशंसनीय है। कन्या विद्याधन योजना का लक्ष्य दुगुना किया गया है। इसी प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितने सरकारी मेडिकल कालेज हैं, उसमें स्वास्थ्य के बजट में 65 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है जो प्रशंसनीय है। उसी प्रकार से ऊर्जा के क्षेत्र में विद्युत् उत्पादन के विस्तार की योजना सरकार की है। मैं समझता हूं कि यह बजट आज तक के सभी बजटों में ऐतिहासिक बजट होगा। इसमें गरीब, असहाय के लिए भी व्यवस्था की गयी है। फिर भी बहुत सी शिकायतें हैं जिन्हें तत्काल पूरा नहीं किया जा सकता।

मान्यवर, मेरे जनपद गाजियाबाद में मेरा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर में हर साल गंगा स्नान का मेला लगता है जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि और उस पूरे क्षेत्र की जनता की मांग है कि उसे प्रान्तीय गजट में शामिल कर लिया जायें ताकि उसकी व्यवस्था प्रान्तीय स्तर से हो सके। मान्यवर, हमारे यहां तहसील में रिकवरी के लिए गांव के लोग जाते हैं, उनके यहां अतिरिक्त राजस्व वसूली का बिल कभी-कभी बिजली वालों के द्वारा गलत बिल भेजा जाता है लेकिन तहसीलदार उसमें 10 प्रतिशत का अतिरिक्त पैसा लेते हैं। मेरा कहना है कि उसे कम कर दिया जाये और अगर वह पूरा हटाया जा सके तो अच्छा होगा। मान्यवर, मेरा क्षेत्र हाईवे पर है वहां पर अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं और वह जनपद से 80 किमी0 दूर है। इसलिए मेरी मांग है कि वहां पर एक ट्रामा सेंटर खोला जाना जनहित में होगा। मान्यवर, एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर जो सिम्भावली शुगर मिल है, वह शुगर मिल अपने क्षेत्र का गन्ना अपने क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्र सें बाहर का गन्ना खरीद रही है। जिससे सरकार को एक्साइज और गन्ना परचेसिंग टैक्स की राजस्व हानि हो रही है ऐसे लोगों के खिलाफ अंकुश लगना चाहिए। एक बात यह कि शुगर मिल का गंदा पानी सिंचाई विभाग के नाले के द्वारा जाता है जो गंगा में गिरता है उससे गंगा प्रदूषित होती है और उस गंदे पानी को पीने के कारण अनेकों लोगों को पीलिया हो रहा है, उसमें रोक लगनी चाहिए। मान्यवर, प्रशासन ने वहां पर हैण्डपम्प लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। गौतमबुद्धनगर में या दूसरे जगह पर जहां पर अथारटीज है उनके द्वारा ग्रामीण वासियों की जमीन का अधिग्रहण किया जाता है उसमें कागजों पर प्रशासन ने अधिग्रहण करके जमीन प्राधिकरण को दे देते हैं। मौके पर नहीं देखते हैं कि किसी का मकान या झोपड़ी बनी है। दो चार साल बाद प्राधिकरण कहता है कि यह हमारा कब्जा है। तो मेरा अनुरोध है कि जब तक मौके का निरीक्षण न किया जाय तब तक मुआवजा किसान को नहीं देना चाहिए ताकि उसकी आबादी खतरे में न रहे। दूसरी एक बात मैं कहना चाहूंगा जहां इस तरह की अथार्टीज हैं वहां पर सबको मुआवजा मिलता है, जो गरीब और भूमिहीन मजदूर है उनकी व्यवस्था भी रियायती दरों पर होनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना --

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आगामी वर्ष के बजट की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया। मैं उन सभी बातों को नहीं दोहराऊंगा जो पूर्व वक्ताओं ने कह दी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कितने भी संसाधन आज बढ़ा लें लेकिन जब तक इस प्रदेश की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आबादी पर पाबन्दी लगाने के लिए कोई सार्थक योजना तैयार नहीं कर लेते हैं तो यह सारे के सारे संसाधन और योजना बौनी हो जायेंगी। आबादी को रोकने और स्थिर रखने के लिए इस बजट में न कोई बात कही गयी है और न ही सार्थक प्रयास किया गया है। दूसरी बात शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर कहना चाहूंगा। इसी सत्र में मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जवाब दिया था कि प्राइमरी और जूनियर सैक्शन्स के बच्चों पर एक बच्चे के ऊपर रु0 2292 प्रतिवर्ष खर्च आता है। अर्थात् एक बच्चे पर माह में दो सौ रुपया भी खर्च नहीं होता है तो वह कैसे काम्पीटेटिव एजूकेशन में पार्टीसिपेट करने के लिए सक्षम हो सकते हैं। भविष्य भी तभी बनेगा जब बच्चे पढ़ेंगे और अच्छी शिक्षा मिलेगी। मान्यवर, आज स्थिति क्या है, जिस प्रकार से हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट परीक्षाओं का संचालन हो रहा है, हमारे शाहजहांपुर में मिर्जापुर ब्लाक और कलान ब्लाक में गोरखपुर, देवरिया, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मेरठ से लोग परीक्षा देने आते हैं और वहां पर पांच-पांच हजार रुपये महीने पर कमरा किराये पर मिलता है। यह दोनो सेन्टर्स नकल पर आधारित हैं। मेरे दो सुझाव हैं कि ऐसे विद्यालय, जो नकल कराने के लिए कुख्यात हैं, उनकी मान्यता के सम्बन्ध में विचार किया जाय, उनकी मान्यता रद्द कर दी जाय। जो नकल कराते हैं जो पकड़े गये हैं प्रबन्धक और प्रधानाचार्य, उनके विद्यालय के अनुदान के सम्बन्ध में परीक्षण होना चाहिए। जब तक शिक्षा का सुधार नहीं होगा तब तक अच्छे भविष्य की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि आपने पैंसठ प्रतिशत इसके बजट में इजाफा किया है। इस सम्बन्ध में जब सवाल किया गया था कि बीपीएल के लोगों के लिए हार्ट, लिबरसिलोसिस और कैन्सर के लिए इसमें क्या व्यवस्था की गयी है तो यह जवाब आया था कि इसके लिए पहले से ही व्यवस्था है। मान्यवर, आज एक लाख रुपये में बाई पास सर्जरी होती है, कैन्सर के लिए पांच से दस लाख रुपया लगता है और लिवरसिरोसिस के इलाज में बीस लाख रुपये तक खर्च आता है। मेरे दूसरे जवाब में मंत्री जी ने बताया कि इस वर्ष केवल महिलायें जो बिलो पावर्टी लाईन की महिलायें हैं उनके लिए पांच करोड़ रखा गया, 30 प्रतिशत आज भी इस प्रदेश में बिलो पावर्टी हैं और 30 प्रतिशत के हिसाब से मान्यवर, लगभग पौने तीन करोड़ महिलायें इस प्रदेश में हैं और पौने तीन करोड़ महिलाओं के लिए अगर पांच करोड़ रुपये रखा गया तो यह कितने रुपये पड़ता है ? पौने दो रुपये, अगर एक महिला के ऊपर हम बीमित राशि भी रख देंगे तो उससे कौन सा इलाज कराया जा सकता है। इस पांच करोड़ की जो बीमित राशि है इसको बढ़ाया जाना चाहिए या फिर यह प्रोवीजन ही समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि इतने कम पैसे में कोई भी इलाज सम्भव नहीं है। जो वायदा इस सरकार ने किये हैं, उनकी ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो विधायकों से वायदे किये गये हैं, सौ नल इण्डिया मार्का-2 शहरी क्षेत्र में लगाने के लिए इस सरकार ने कई बार वायदा किया दोहराया माननीय मुख्यमंत्री जी की हाऊस में घोषणा है, ग्रामीण क्षेत्र में तो नल लग जाते हैं लेकिन शहरी क्षेत्र में आज तक कभी रिवाल्विंग फण्ड के नाम पर कभी नो आब्जेक्शन के नाम पर आज भी शहरी क्षेत्र में जो इण्डिया मार्का-2 नल लगवाने के लिए इस सरकार ने वायदा किया था वह पूरा नहीं कर रही है। शहरी क्षेत्र के विधायकों को 25-25 लाख रुपये उनके विधान सभा क्षेत्र में उनके सुनिश्चित करने पर खर्च करने का वायदा किया गया था आज तक एक रुपया भी यह वर्ष समाप्त होने को आ गया, पिछले वर्ष 30 मार्च को शासनादेश जारी हुआ, एक रुपये का काम शहरी क्षेत्र में कम से कम हमारे विधान सभा क्षेत्र में नहीं करवाया गया। ऐसी घोषणायें करने से क्या फायदा ? मान्यवर जिसका क्रियान्वयन न हो। समग्र विकास के नाम पर प्रत्येक विधायक से दस-दस ग्राम चयनित किये जा रहे हैं, सारे विधायक लोग

बड़ी उत्सुकता के साथ देते हैं क्षेत्र के लोग, प्रधान लोग मांग करते हैं, बी0डी0सी0 मेम्बर मांग करते हैं कि हमारे गांव को समग्र विकास में चयनित करा के दे दीजिए, हम बड़े उत्साह के साथ चयनित कर के समग्र विकास में देते हैं लेकिन मान्यवर साल भर हो गया, 14-14 विभागों का काम इस समग्र विकास में अनुसम्बन्ध है और संतृप्त करने का सरकार का आश्वासन है कि इन 14 क्षेत्रों में संतृप्त किया जायेगा लेकिन आवास अगर पूछिये, अगर आवश्यकता है सौ आवास की तो मिलते है पांच और दो, आवश्यकता गांव में खडंजा और नाली की है तो धन कितना आवण्टित किया गया ? आवश्यकता है निर्गश्रित विधवा पेन्शन, विकलांग पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन की उसको किस प्रकार से सेचुरेट किया जा रहा है अगर आप किसी भी जनपद के पांच गांवों को समग्र विकास की सूची में दिया गया तो उनको दिखवा लें, एक परीक्षण करवा लें, एक रेण्डम चेकिंग करवा लें तो मैं समझता हूं कि घोर निराशा माननीय मंत्री जी को भी होगी, आपके संज्ञान में यह बात अच्छी तरह से आ जायेगी मान्यवर जिन जनपदों में 80 प्रतिशत धनराशि वर्ष 2003-04 में किसी काम के लिए अवमुक्त हो गया तो 20 प्रतिशत धन के लिए आज भी वह योजना अधूरी पड़ी है। वर्ष 2003-04 का हमारे जनपद में एक पुल मान्यवर स्वीकृत हुआ था, 15 लाख रुपये राजकीय निर्माण निगम को दे दिया गया, 11 लाख रुपये मुझसे विधायक निधि से ले लिया गया आज तक उस पुल में मान्यवर, एक ईंट भी नहीं लगी, तीन साल हो गये 15 और 11 कुल 26 लाख रुपये उस पुल के निर्माण के लिए दे दिया गया, लेकिन एक ईंट भी उस पुल की नहीं लगी। पर्यटन विभाग का वह पुल है मान्यवर जितनी भी घोषणायें, जितने भी वायदे यह सरकार समय-समय पर करती है, उसका परीक्षण जरूर होना चाहिए, साल के अन्त में उनको यह बताना चाहिए कि हमने यह घोषणा पूरी की और इसमें यह मजबूरी है, अगर सरकार उस घोषणा पूरा नहीं करती है तो सार्वजनिक रूप से हाऊस में खेद व्यक्त करना चाहिए कि यह घोषणा की पूरा नहीं हो पायी। मान्यवर, कानून-व्यवस्था की बात, दोहराना नहीं चाहता लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात की ओर इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मान्यवर, 2624 पद आज की तारीख में सब इन्स्पेक्टर के पद रिक्त हैं, अपराधों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए जनपद में हर क्षेत्र में आप की भी समीक्षा होनी चाहिए कितने दरोगा एक जनपद के लिए अनुमन्य होने चाहिए, आज कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, उसके बहुत से कारण हैं लेकिन मान्यवर, उनमें से एक कारण आवश्यकताओं के अनुरूप दरोगाओं की कमी होना है, मान्यवर, 25 से लेकर 40 प्रतिशत तक दरोगाओं की कमी है पूरे प्रदेश में अगर किसी थाने में 10 दरोगाओं की आवश्यकता है तो वहां पर सिर्फ 4, 5, 6 दरोगा ही नियुक्त है।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका बिन्दु पूरा हो गया है।

(इस समय 1 बजे हैं)

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, इस बजट में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गयी है। बहुत अच्छा लोक-लुभावना सपना है। इसको लेकर पूरे प्रदेश के बेरोजगार पंजीकरण कार्यालयों में अपना नाम पंजीयन कराने के लिए पिछले दिनों बड़ी-बड़ी लाइनें लगाये हुए थे। क्योंकि 31 दिसम्बर तक पंजीयन लोगों के लिए यह घोषणा की गयी थी। लेकिन आज की जो स्थिति है वह यह है कि इस बजट में एक रुपये का भी प्राविधान उसके लिए नहीं किया गया है। और, दूसरी ओर

बजट के घाटे को पूरा करने के लिए 363 करोड़ रुपये की बचत करने की व्यवस्था की जा रही है, खर्चों को कम करके। मान्यवर, अभी यहां पर नियोजन मंत्री जी बैठे हुए थे मैं उन्हें बताता। मान्यवर, बजट में घाटा जो है वह कम कैसे होगा। इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि प्रदेश में एक प्रभाग है नियोजन विभाग का जिसका नाम है, प्रायोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग। उसमें विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों से संबंधित इस्टीमेट जाते हैं। वह प्रभाग उसमें परीक्षण कर उसकी स्वीकृति प्रदान करता है और आवश्यकतानुसार कटौती कर देता है। मान्यवर, निर्माण कार्यों में कटौती की जाये वह बात अलग है सड़कों के कामों में मिट्टी के कामों में कटौती कर दी जाये वह बात अलग है। लेकिन जो सोलर लाइट नेडा द्वारा उपलब्ध कराई जाती है और जिसकी कास्ट 27,200 रुपये आती है तो जो उसमें अनुमानित किया गया है, उसमें उस प्रभाग द्वारा कटौती कर दी गयी। मान्यवर, बस एक मिनट का मौका दे दें मैं समाप्त कर रहा हूं।

(व्यवधान)

उन्होंने उसके पूरे इस्टीमेट में से 13 हजार रुपये की बचत की खातिर कटौती कर दी मान्यवर, समाप्त कर रहा हूं। इससे होगा क्या। वह सोलर लाइट का सामान पूरा नहीं आ पायेगा वह पैसा लेजर में पी0एल0 में पड़ा रहेगा। मेरा कहना है कि जो दर निर्धारित है किसी चीज की उतना पैसा अवश्य स्वीकृत होना चाहिए। और बचतों के संबंध में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश निर्धारित होने चाहिए कि किसमें और किस तरह से बचत करनी होगी, कितनी कटौती करनी होगी।

मान्यवर, इस बजट में प्रदेश के विकास की कोई स्पष्ट दिशा नहीं है, यह बजट प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं बना है इसलिए मैं इसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ था। धन्यवाद।

*श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट की सामान्य चर्चा पर बोलने का अवसर दिया है। मान्यवर, मैं बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अत्यन्त पिछड़े जिले झांसी से विधायक हूं। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री द्वारा जो बजट सदन में प्रस्तुत किया गया है उस बजट में असंतुलन है।

मान्यवर, बुन्देलखण्ड के 7 जिलों के लिए जो 522 करोड़ रुपये के विकास का जो पैकेज दिया है निश्चित रूप से बुन्देलखण्ड के लिए वह सबसे बड़ा धन है। मान्यवर, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में बुन्देलखण्ड सबसे पिछड़ा है यह प्रदेश के दक्षिणी भाग में मध्यवर्ती पठार पर स्थित है—भौगोलिक परिस्थितियां अत्यंत जटिल हैं एक ओर पठानी क्षेत्र है तो दूसरी ओर बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है। केन, धसान, पहुंज, बेतवा चम्बल में पांच नदियां बुन्देलखण्ड का गौरव है। यमुना जैसी प्रमुख नदी भी यहां से गुजरती हैं यहां की अर्थ व्यवस्था मुख्यत: कृषि पर आधारित है यहां की कृषि बरसात पर आधारित है। बुन्देलखण्ड के अंतर्गत सात जनपद ललितपुर, झांसी, महोबा, जालौन, हमीरपुर, बांदा एवं चित्रकूट आदि समस्त जनपद देश के गरीब जनपदों में शामिल हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 29,418 वर्ग किलोमीटर है। ग्रामीण जनसंख्या 77.61 प्रतिशत है यहां की टोपीग्राफी सामान्यत: असमतल है उत्तरी क्षेत्र में बीहड़ और दक्षिण में गहरे दर्रे फैले हुए हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यहां औसतन 75 से लेकर 125 सेण्टीमीटर जुलाई एवं अगस्त में बरसात होती है --जल प्रवाह मुख्यत: क्षेत्र में फैली हुई प्रमुख नदियों उसकी सहायक नदियों और मौसमी नालों के माध्यम से होता है जो कि बरसात के पानी को उत्तर में यमुना नदी में ले जाते हैं -- पूरे क्षेत्र का ढलान उत्तर और उत्तर पूर्व को होता है। पूरा क्षेत्र उत्खनन और पेड़ों की कटाई से अनाच्छादित है और पूरे क्षेत्र में उपजाऊ जमीन का कटाव हो रहा है। परम्परागत जल स्रोतों का ह्रास हो रहा है भूगर्भीय जल स्तर से निरन्तर 2 से 3 मीटर गिर गया है यहां की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पूरी तरह से कृषि पर आधारित है यहां की फसल उत्पादकता निम्न है।

प्रत्येक एक लाख की आबादी पर कार्यरत कारखानों का अनुपात 1.6 है जो कि शेष प्रदेश 6.3 की तुलना में काफी कम है। 65 से 80 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि खरीफ से बगैर बोये रहती है यहां पर 4 प्रतिशत लोग संगठित क्षेत्र में लगे हुए हैं। 74.5 मजदूर तथा कृषि श्रमिक है- औसत वर्षा 40 से 42 दिन में ही हो जाती है जो अनियमित है और गर्मी में स्थानीय जल स्रोत सूख जाते हैं जिससे पानी की दिक्कत और बढ़ जाती है। खेतों की सिंचाई का साधन मात्र 7 हजार तालाब है जो गर्मी के दिनों में सूख जाते हैं। नहरो में पानी की उपलब्धता का अंदाजा लगाना कठिन है। कभी-कभी उस समय पानी छोड़ा जाता है जब उसकी आवश्यकता नहीं होती है सिंचाई के समय नहरें सूखी रहती हैं।

वनीकरण के नाम पर यूकेलिप्टस व बिलायती बबूल लगाये गये हैं--ललितपुर जनपद के महरौनी क्षेत्र में रावत, सहारिया आदिवासी जातियां कोदाया सावां खाकर जीवन निर्वाह कर रही हैं, शादियों तक में उनके यहां अनाज की व्यवस्था नहीं हो पाती है--स्थानीय स्तर पर काम नहीं है जिसके कारण 9 प्रतिशत लोग पलायन कर रहे हैं जो राष्ट्रीय औसत से तीन गुना अधिक है। पारम्परिक कुटीर उद्योग झांसी जनपद में रानीपुर टेरीकॉट, कालपी में हाथ से बनाया जाने वाला कागज, भरुआ सुमेरपुर में जूती उद्योग, सरकारी नीतियों के कारण दम तोड़ रहे हैं। झांसी की सूती मिल, चित्रकूट का ग्लास उद्योग बन्द पड़ा है। उद्योग के नाम पर केवल स्टोन, क्रेसर, ग्रेनाईड, आरा मशीन अनियमित रूप से विस्तार कर ही रही है जिससे संपूर्ण व्यापारिक लोगों का शोषण हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

श्री सतीश महाना--

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'—

मान्यवर, बुन्देलखण्ड की सबसे बड़ी स्थिति यह है कि वहां एक ही फसल होती है जैसा कि मैंने बताया और जिस कारण से लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। मान्यवर, वहां खाद्यान्न के अभाव का दुष्परिणाम यह है कि पिछले वर्ष 427 लोगों ने आत्महत्या कर ली। पहले लोग सल्फास खाकर या चूहे मार की दवा खाकर आत्महत्या कर लेते थे लेकिन आज लोगों की लाशें रेलवे की पटरियों पर मिलती है। वहां कोई उद्योग नहीं है। और जिसका कोई भी बजट भाषण में उल्लेख नहीं है। मान्यवर, वहां पीने के पानी की व्यवस्था के लिए 50 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है

जबकि मैं समझता हूं कि केवल झांसी शहर की पानी की व्यवस्था के लिए ही 50 करोड़ से ज्यादा धनराशि की आवश्यकता होगी इसलिए इस धनराशि को बढ़ाया जाए ताकि हर आदमी को पीने का पानी मिल सके। अब जो पैसा आपके जल निगम के माध्यम से जाता है वह पूरा बंदरबाट में बट जाता है। जल निगम वाले किस तरह से काम कर रहे हैं पूरे झांसी को जोन में बांट रखा है और 50-60-70 फिट पाइप लगाते हैं और वह ड्राई निकल जाता है। आज आदमी पानी के लिए तरस रहा है। झांसी के अंदर एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल कालेज है जो 300 एकड़ में बना हुआ है। आपने अन्य मेडिकल कालेज के लिए धनराशि उपलब्ध कराई है लेकिन झांसी मेडिकल कालेज जिसमें करोड़ों लोग इलाज कराते हैं, के लिए कोई धनराशि नहीं है। मान्यवर, सैफई माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है उस तरफ वह ध्यान दें लेकिन दूसरे क्षेत्रों को भी देखना चाहिए। मान्यवर, सैफई के लिए 225 करोड़ की व्यवस्था है, किंगजार्ज के लिए 105 करोड़ की व्यवस्था है, किंगजार्ज डेंटल कालेज के लिए 53 करोड़ की व्यवस्था है। मैं चाहता हूं कि झांसी मेडिकल कालेज जहां बुन्देलखण्ड के करोड़ों लोग अपना इलाज कराते हैं वहां न कैंसर वार्ड है न न्यूरोलाजी वार्ड है इसका प्राविधान होना चाहिए। मान्यवर, प्रदेश में वृद्ध लोग जो असहाय स्थिति में आ जाते हैं उनको अच्छी चिकित्सा होनी चाहिए, पूरी व्यवस्था होनी चाहिए और निःशुल्क होना चाहिए और जहां पर्चे बनते हैं वहां उनके लिए अलग से विन्डों की व्यवस्था होना चाहिए। मान्यवर, झांसी नगर निगम बनने के बाद वहां पर कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त नहीं है आज भी वहां के कर्मचारियों को नगर निगम को कोई मानदेय नहीं मिल रहा है।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'—

मान्यवर, अन्य सदस्यों को पूरी बात कहने का मौका दिया है, मुझे भी कह लेने दें।

मान्यवर, अभी आपने देखा कि 500 से ज्यादा पशु कल ओलावृष्टि से मारे गये। जो तहसीलदार जाता है वहां सर्वे करता है तो बताता है कि 20 प्रतिशत से ज्यादा फसल नष्ट नहीं हुई है क्योंकि वह राजस्व की वसूली को स्थगित नहीं कराना चाहता है। मान्यवर, जब तक बुन्देलखण्ड का विकास नहीं होगा तब तक प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। आज बुन्देलखण्ड विकास परिषद बनाया जाय। हम उत्तर प्रदेश विकास परिषद् का गठन कर रहे हैं लेकिन एक बड़ा भाग जहां सबसे ज्यादा लोग आत्महत्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, परेशान हैं अगर उस बुन्देलखण्ड पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया, सरकार किसी की भी हो तो निश्चित रूप से पढ़े लिखे नौजवान जो आज हताशा में आत्महत्या कर रहे हैं वह निश्चित रूप से नक्सलाइट बनने पर मजबूर होंगे क्योंकि एक हजार की नौकरी भी वहां नहीं मिल रही है। मान्यवर, बुन्देलखण्ड का ध्यान रखते हुए जितनी योजनाएं वहां है उसके लिए निश्चित रूप से जो धनराशि जाती है वह धनराशि भी कागजों पर खर्च हो जाती है। हम चाहते हैं कि वहां के जो अधिकारी हैं उसमें जितना पैसा आपका वहां जाय, 522 करोड़ 36 जिलों में जा रहा है, नहरे सूख गयी हैं, बुन्देलखण्ड में अकाल की स्थिति है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'—

मान्यवर, हम लोगों को बोलने का बहुत कम मौका मिलता है वैसे ही हमारा सदन भाषण माफिया की कैद में है विशेष रूप से मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता लेकिन प्रत्येक विधायक एक आम विधायक जब अपने क्षेत्र से चुनकर आता है और इसमें उसकी सहभागिता होनी आवश्यक है। हम चाहते हैं कि उसको 5 मिनट की जगह 10 मिनट का मौका दे। हम चाहते हैं कि अब जो स्थिति है ऐसी स्थिति में एक बात कहना चाहता हूं कि जिन महानगरों में विकास प्राधिकरण बना हुआ है उसमें नगरपालिका का अध्यक्ष सदस्य होता है, नगर निगम का सदस्य उसका सदस्य होता है लेकिन विधायक जो पूरी जनता का चुना हुआ होता है उसकी कोई सहभागिता नहीं होती। अधिकारी बैठकर किस तरह से विकास करना चाहिए तय कर लेते हैं और जहां से विकास शुल्क वसूला जाता है वहां विकास नहीं किया जाता। मनमाने ढंग से पैसे का व्यय होता है। मैं आपके माध्यम से यह बात कहना चाहता हूं कि आम विधायक जो पूरे प्रदेश से चुनकर आये हैं, उनकी समस्याओं का संज्ञान लेते हुए बजट के माध्यम से इस तरह के प्रावधान अवश्य कराये जायें और बुन्देलखण्ड जैसे पिछड़े क्षेत्र के लिये कम से कम 5 हजार करोड़ रुपये अवश्य मिलने चाहिए, जबकि सरकार द्वारा पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड के लिये मात्र 522 करोड़ रुपये ही रखे गये हैं। अगर यह प्राविधान नहीं किया गया तो वहां जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, उसमें तेजी से इजाफा होगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

(डा0 अरूण कुमार मेहरोत्रा का नाम पुकारे जाने और श्री सतीश महाना द्वारा स्वयं को बुलवाये जाने का अनुरोध करने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

आपने एक तारीख को चर्चा में भाग लिया है।

*श्री सतीश महाना--

मान्यवर, मैंने उस दिन चर्चा शुरू की थी और यह निर्देश हुये थे कि आपकी चर्चा जारी रहेगी। आज तो चर्चा मेरे द्वारा ही शुरू कराई जानी चाहिये थी।

श्री उपाध्यक्ष--

अच्छा ले लेंगे। कल तो आप नहीं थे।

श्री सतीश महाना--

मान्यवर, कल आप नहीं थे, इसीलिये हम भी नहीं थे। मान्यवर, चर्चा में बोलना मेरा अधिकार बनता है।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'

मान्यवर, एक बात रह गयी थी, उसको कह दूं। उत्तर प्रदेश में जैन समुदाय से चुना गया मैं अकेला विधायक हूं। हम जब जैन समुदाय के कार्यक्रम में जाते हैं तो जो जैन समाज का अल्पसंख्यक के नाम पर उत्पीड़न हो रहा है, उसकी बात उठाई जाती है। यह ठीक है कि मुस्लिम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भाइयों को अल्पसंख्यक का महत्व मिलना चाहिए। लेकिन जो जैन, सिक्ख और बौद्ध हैं उनका भी संविधान में आरक्षण किया गया है, इसलिये निगम में उनका भी सदस्य होना चाहिए। निश्चित रूप से आप इस मामले में कार्यवाही कराने की कृपा करेंगे ।

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा--

मान्यवर, आपने मुझे वर्ष 2006-2007 के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद। मैं प्रस्तुत बजट के विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं और नेता विरोधी दल के विचारों से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्यायें तथा अपने कुछ विचार भी आपके माध्यम से रख रहा हूं। मान्यवर, मेरा आपसे एक अनुरोध है कि कृपया बीच में बत्ती न जलाइयेगा, मैं खुद ही 5-7 मिनट में बात खत्म कर दूंगा।

मान्यवर, बहुत ही लोक-लुभावन बजट प्रस्तुत किया गया, बहुत से लालीपाप बांटे गये। घाटे के बजट को भी बजट में बचत दिखा दिया गया और कहा गया कि यह प्राफिट का बजट है। अगर केन्द्र की राशि इसमें से घटा दी जाय तो प्रदेश के पास अपने संसाधन कहां है और कितने हैं, उससे प्रदेश की पूर्ति कैसे होगी ? केन्द्र की बैशाखी के सहारे ही यह बजट पूर्ति हो रही है। प्रस्तुत बजट में बेरोजगारों को रोजगार देने के कोई साधन मुहैया कराने की बात नहीं की गयी है। न ही शिक्षित बेरोजगारों को कोई रोजगार देने की योजना है। इस बजट में पूंजी निवेश की बहुत चर्चा की गयी है। मुख्य रूप से मेमोरेन्डम आफ अंडरस्टेंडिंग एम0ओ0यू0 की चर्चा की गयी है। प्रदेश में निजी क्षेत्र का कितना निवेश हुआ है, इसकी कोई भी फिगर आज तक सरकार बताने में विफल रही है। भविष्य में नया पूंजी निवेश कितना होगा, इसकी भी कोई योजना नहीं बताई गयी। केवल बिरला, टाटा, रिलायंस के दस्तखत हुये हैं, यह बता दिया जाता है। सत्यता तो यह है कि हमारे प्रदेश के तमाम उद्योग मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तरांचल में पलायन कर रहे हैं। मेरे ही जनपद से कुछ उद्योग उत्तरांचल में चले गये हैं। मान्यवर, सरकार की नीति के कारण विश्वविद्यालयों की शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। मान्यवर, इससे ज्ञान आधारित जितने भी उद्योग हैं प्रदेश की नॉलेज बेस्ड इन्डस्ट्री है, वह प्रभावित हो रही है। अभी माननीय मंत्री जी चर्चा कर रहे थे, सैफई में डेंटल कॉलेज खोल दिया गया, पी0जी0आई0 खोल दिया गया। मान्यवर, कुछ बातें हैं जो मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि चिकित्सा-शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश की हालत बहुत ही चिन्ताजनक है। हालत यह है कि प्रदेश में जितने भी मेडिकल कालेज हैं, उनमें कार्यवाहक प्रधानाचार्यों के द्वारा काम चलाया जा रहा है, बहुत सारे पद रिक्त हैं, इससे प्रदेश की चिकित्सा और शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, इलाज की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं हो पाती है। [06 एलोपैथिक मेडिकल कालेज, 07 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज और 05 होम्योपैथिक मेडिकल कालेज कार्यवाहक प्रधानाचार्यों के सहारे चल रहे हैं, इनमें नियमित प्रधानाचार्य नहीं हैं। मेडिकल कालेजों में एलोपैथिक में प्रोफेसर के 26, रीडर के 50 तथा लेक्चरर के 269 पद रिक्त हैं, इनकी नियुक्ति नहीं हो रही है। इससे मेडिकल शिक्षा बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया द्वारा डिग्री निरस्त किये जाने के पत्र आ रहे हैं। मेडिकल शिक्षा का स्तर गिरने के दूरगामी परिणाम समाज हित में भयावह होंगे।] जब वहां पर डॉक्टर और प्रोफेसर ही नहीं होंगे तो मान्यवर, अच्छा इलाज, अच्छी शिक्षा मेडिकल में कैसे होगी ? मैं सभी माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं, विशेषकर सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों से कि जब उनके परिवारीजन बीमार हो जाते हैं तो क्या वह उन्हें मेडिकल कालेज ले जाना चाहेंगे, शायद नहीं चाहेंगे, चाहे आप यहां पर

लीपापोती भले की कर दें। मान्यवर, बड़ी चिन्ताजनक बात यह है कि कानुपर मेडिकल कालेज के अधिकांश सीनियर स्टाफ को सैफई भेज दिया गया है, वहां पुराना वाला स्टाफ नहीं है, चाहे वह सर्जरी का स्टाफ हो या कोई भी, सभी को सैफई भेज दिया गया है इन परिस्थितियों में मान्यवर, चिकित्सा व्यवस्था का क्या हाल होगा ? अभी माननीय सदस्य झांसी की चर्चा कर रहे थे, पिछली बार सदन में यह कहा गया था कि झांसी में न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी और कार्डियोलॉजी विभाग स्थापित कर दिये जायेंगे, लेकिन मान्यवर, आज तक भी वह नहीं हो सका है और न ही इसके लिए बजट में कोई प्रावधान किया गया है। मान्यवर, आज मेडिकल कॉलेजों की हालत प्राइमरी स्कूलों से बदतर हो गई है। सरकार विकास की खोखली बातें करती है, अगर कहीं प्रदेश में विकास हुआ है तो वह इटावा, मैनपुरी, कन्नौज और रामपुर में हुआ है, इन क्षेत्रों के अतिरिक्त और कहीं पर भी विकास नहीं हुआ है। अभी बात की जा रही थी, तेज गाड़ियों के चलने से एक्सीडेंट हो जाते हैं, इसलिए ट्रामा सेन्टर बना दिये जाएं। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में सड़कों की हालत ऐसी है कि कोई गाड़ी वाला 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा तेज हाई-वे पर चल ही नहीं सकता है तो मान्यवर, दुर्घटना की कोई सम्भावना ही नहीं है। हमारे यहां सड़कों की हालत इतनी खस्ताहाल है कि पता ही नहीं चलता है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है। इसलिए मान्यवर, ऐसे क्षेत्रों में ट्रामा सेन्टर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान्यवर, बिजली की चर्चा बहुत की गई है, मैं आपके माध्यम से यह बात सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि केवल दो जिलों इटावा और मैनपुरी का लाइन-लॉस 65 परसेंट है, तो **मान्यवर,** बिजली का बजट पूरा का पूरा उन्हीं दो जिलों में चला जाएगा। **मान्यवर, बिजली की** हालत यह है कि किसानों को ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली नहीं मिल रही है, पम्प कैनाल को बिजली नहीं मिल पा रही है। अब मान्यवर, सैफई जैसे क्षेत्रों में इतनी व्यवस्था करने के बाद अब वहां पर केवल एक कमी रह गई है कि वहां पर एक सचिवालय का निर्माण करा दिया जाए, वहां के जो मतदाता हैं उनके लिए मात्र यही एक चीज बची है और बाकी सभी कुछ वहां पर पूरा हो चुका है। हमारे क्षेत्र में काफी योजनाएं पिछले दो वर्षों से अधूरी पड़ी हैं, मान्यवर, बुन्देलखण्ड विकास निधि राज्यांश से अधूरे पिपरौधा रपटा और मदरा लाल पुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण पूरा होना है। मान्यवर, जब-जब मैं इसके लिए प्रश्न उठाता हूं तो एक ही उत्तर मुझे बता दिया जाता है कि इसके लिए वित्तीय संसाधनों का अभाव है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में तरसौर सम्पर्क मार्ग, सरसेला सम्पर्क मार्ग, चतेला सम्पर्क मार्ग, मुसमरिया सम्पर्क मार्ग, मरगायां सम्पर्क मार्ग और हरचन्दपुर सम्पर्क मार्ग अत्यधिक क्षतिग्रस्त मार्ग है और मान्यवर, हर बार यही जवाब दे दिया जाता है कि वित्तीय संसाधनों का अभाव है। अगर पम्प कैनाल की बात करें, पंप कैनाल को समुचित विद्युत की आपूर्ति नहीं हो पा रही है।

श्री उपाध्यक्ष--

डा0 साहब अब समाप्त कीजिए नहीं तो लालबत्ती जलानी पड़ेगी।

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा--

मान्यवर, इस सदन में आश्वासन दिया गया था सड़क और हैण्डपम्प के बारे में, सरकार से केवल एक अनुरोध है कि जहां कहीं नहीं पैसा दिया है वहां दे दें। जहां केन्द्र ने पैसा दिया है उस पर हुये भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाये। कालपी-गड़ौरा मार्ग के लिए जो 8 करोड़ 70 लाख रुपये की धनराशि केन्द्र से मिली थी, उक्त मार्ग निर्माण का ठेका सत्तापक्ष के एक विधान परिषद् सदस्य को मिला है, वह इस कार्य के ठेकेदार है। 4 करोड़ 70 लाख का काम कराया गया जबकि भुगतान

8 करोड़ 70 लाख का हो गया है। जब मैंने यह बात उठायी थी तो मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि दोषी को दंडित करेंगे। जो 8 करोड़ 70 लाख रुपया राजग सरकार में केन्द्र से मिला था उससे जो कार्य कराया गया है, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको चेक कराने का काम करें।

कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह)--

सम्मानित उपाध्यक्ष जी, आपने वर्ष 2006-2007 के बजट पर मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो वर्ष 2006-2007 का बजट इस सम्मानित सदन में प्रस्तुत किया गया है, उस बजट को सम्पूर्ण रूप से पढ़ें तो बजट के अन्दर कमजोरों, शोषितों, दलितों के प्रति और समाज के पिछड़े हुये वर्ग के प्रति कहीं पीड़ा झलकती है और उस पीड़ा का निवारण और निराकरण करने का प्रयास किया गया है। यह बजट सम्पूर्ण रूप से विकासोन्मुख बजट है और बजट के संबंध में अपने विचार आपके समक्ष रखना चाहता हूं। जो नियोजन विभाग द्वारा आंकड़े दिये गये हैं, जब सरकार ने प्रदेश की सत्ता संभाली थी तो विकास दर 0.1 प्रतिशत थी और आज जब वर्ष 2006-2007 के बजट पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं तो विकास दर बढ़कर 6 प्रतिशत हो चुकी है। मान्यवर, इस सदन में पहले भी बजट प्रस्तुत हुये हैं। वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पूर्व बजट का प्रस्तुत होना और सम्मानित सदन के द्वारा अनुमोदन होना और समय से वित्तीय स्वीकृतियां जारी करना, कार्यदायी संस्थाओं को समय से पैसा मिलना और बजट के एक-एक पैसे का सदुपयोग, इस प्रदेश की जनता के हित में हो रहा है। समय से वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जा रही है जिसका प्रभाव विकास पर दिखाई पड़ता है। वर्ष 2006-2007 के बजट अनुमानों के अनुसार बजट घाटे को समाप्त करके हम बचत की ओर अग्रसर होने का काम कर रहे हैं, जो मजबूत होती हुई अर्थव्यवस्था का परिचायक है। इसी तरह से इस बजट में रु0 6507 करोड़ की नई योजनाओं की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया है जो सरकार के विकास के दृष्टिकोण का परिचायक है। सरकार नई योजनायें पूरी तरह से इस प्रदेश में फैलाकर इस प्रदेश की जनता की सेवा करने का काम कर रही है। आयोजनागत पक्ष में रु0 22106 करोड़ का प्राविधान किया गया है, यह वर्ष 2005-2006 की तुलना में 49 प्रतिशत अधिक है जो इस बात का परिचायक है कि उत्तर प्रदेश को आदर्श प्रदेश की तरफ, उत्तम प्रदेश की तरफ ले जाने का मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है उसकी तरफ इंगित कर रहा है। अधिक धन की व्यवस्था करके हम प्रदेश को आगे ले जाना चाहते है। कोई भी प्रदेश आर्थिक रूप से तभी मजबूत हो सकता है जब राजस्व प्राप्तियां अच्छी हों। आज सदन में इस बात को कहते हुये हर्ष हो रहा है कि इस सरकार ने गत वर्ष की अपेक्षा 21.9 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि की है, जो इस बात का परिचायक है कि प्रदेश विकास की तरफ बढ़ रहा है। अभी तक कहा जाता था कि व्यापारियों के द्वारा बजट का कलेक्शन मिलता है उनका सहयोग नहीं मिल रहा है। सरकार की नीतियों के कारण व्यापारियों और जो टैक्स देते हैं उनका विश्वास बढ़ा है और राजस्व प्राप्तियों में बिना कोई टैक्स लिये हमने 21.9 प्रतिशत वृद्धि की है। हमारी उपलब्धियों को देखते हुये केन्द्रीय योजना आयोग ने हमारी वार्षिक योजना में 40 प्रतिशत की वृद्धि की है और हमारी वार्षिक योजना 19 हजार करोड़ रुपये की स्वीकृत किया है। यह हमारे प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। मान्यवर, हमारे कुछ साथियों ने कहा, हमारे वरिष्ठ साथियों ने कहा कि इस बजट में पिछड़ों के लिये, किसानों, कमजोरों के लिये कुछ नहीं हैं। मैं एक कनिष्ठ सदस्य हूँ, मैं उनके ज्ञानवृद्धि के लिये बताना चाहता हूँ कि इस लोक कल्याणकारी सरकार ने गरीबों, कमजोरों,

असहायों की मदद करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन में 360 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। मान्यवर, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत 10 हजार रुपये प्रति व्यक्ति सहायता दी जाती है इसको बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दिया गया है। इसी तरह से निराश्रित विधवाओं के भरणपोषण के लिये 36 करोड़ रुपयों का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिये बालिका श्री योजना को प्रारम्भ किया गया है और इसके लिये 10 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, विकलांगों के लिये हमारी सरकार ने व्यवस्था की है। ईश्वरी कारणों से और प्राकृतिक कारणों से लोग विकलांग हो जाते हैं और सामान्य जीवन जीने में उनको कष्ट होता है। विकलांगों के लिये 90 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। मान्यवर, अभी डाक्टर साहब ने कहा कि प्रदेश में मेडिकल कालेजों की व्यवस्था नहीं है, कहीं न कही कमी है, मैं कहना चाहता हूँ कि तीन नये मेडिकल कालेज आजमगढ़, कन्नौज, जालौन में स्थापित किये जा रहे हैं।

मान्यवर, कृषि शिक्षा को उपलब्ध कराने हेतु चन्द्र शेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर में वानिकी महाविद्यालय तथा औद्योगिक महाविद्यालय के लिये बजट में प्राविधान किया गया है। इसी तरह से इटावा में दुग्ध एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालय की स्थापना के लिये बजट में प्राविधान किया गया है। मान्यवर, चार नये इन्फारमेशन पालीटेक्निक की व्यवस्था की गयी है जिसके लिये 50 करोड़ रुपयों का प्राविधान किया गया है। इसी तरह से हमारे जो आई0 टी0 आई0 हैं उनमें 37 नये ट्रेड्स खोलने का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, विधि शिक्षा के लिये डा0 राम मनोहर लोहिया विधि एवं शोध संस्थान बन रहा है जिसके लिये 65 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर माननीय मुख्य मंत्री जी ने कन्या विद्या धन योजना की सफलता को देखते हुये इसके लक्ष्य को बढ़ाया है और इसके लिये 600 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, सड़कों, पुलों के लिये 5075 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गयी है। यह एक ऐतिहासिक कदम है इसमें 70 प्रतिशत धनराशि बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मान्यवर, इसी तरह से पूर्वांन्चल और बुन्देलखण्ड के विकास के लिये विकास निधि के अंतर्गत 522 करोड़ रुपये की योजना रखी गयी है। मान्यवर, अभी हमारे साथी सुरेश खन्ना ने कहा कि जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तब तक सारी योजनायें फेल होंगी। आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारी जमीन घटती जा रही है। मान्यवर, इसीलिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने भूमि सेना का गठन किया गया है। इस भूमि सेना के माध्यम से बंजर, अनुपजाऊ भूमि को उपजाऊ बनाया जायगा और इसके लिये 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने गन्ना किसानों के लिये व्यवस्था की है। मैं एक गन्ना किसान हूँ और गन्ना ही मेरी परवरिश का मूल आधार है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने गन्ने के मूल्य में वृद्धि की है और किसानों को 400 करोड़ रुपयों का अतिरिक्त लाभ दिया है।

मान्यवर, इसी तरह से चिकित्सा तथा स्वास्थ्य के बजट में 65 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है और इसके लिये 4029 करोड़ रुपयों की व्यवस्था बजट में की गयी है। अधिवक्तागण जो न्याय दिलाने का काम करते हैं उनके लिए तहसील स्तर तक चैम्बर बनाने की व्यवस्था सरकार ने बजट के माध्यम से की है। बेसिक शिक्षा में 4700 नए विद्यालय खोलने का प्राविधान किया गया है। मैंने यह सारे आंकड़े इसलिए रखे हैं जिससे सम्मानित सदन को यह मालूम होना चाहिए कि यह बजट कितना ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बजट है। मैं इस बजट का स्वागत करते हुए इसके पक्ष में बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री सतीश महाना जी चार मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री सतीश महाना--

उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी कहते हैं कि हम 12.00 बजे तक सदन चलाएंगे और आप चार मिनट दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

यह अध्यक्ष जी से कहिएगा।

श्री सतीश महाना--

ठीक है। मैं संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। आपने इस बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सरकार का ध्यान कुछ बिन्दुओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। सरकार बजट के लिए कितना गम्भीर है यह इस बात से प्रमाणित होता है कि इस समय कितने मंत्रीगण यहां पर उपस्थित हैं। दूसरे अधिकारीगण जो लाबी में बैठकर नोट करते हैं उनकी संख्या कितनी है वह यहां बैठकर नोट करते तो शायद बजट की सार्थकता पूरी होती। आज बजट को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस तथाकथित लोकल्याणकारी सरकार के द्वारा चौथा बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके पहले तीन बजट और इस सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जा चुके हैं। इस सरकार ने जब पहला बजट प्रस्तुत किया था तो घोषणा की गई थी कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे लेकिन दूसरे बजट में यह कहा गया कि इसके लिए केन्द्र सरकार कोई पैसा नहीं दे रही है इस तरह से प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहे। इससे प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। इस प्रदेश में विकास परिषद् जैसे जीव के बारे में बड़ी-बड़ी बातें कही गई कि उत्तर प्रदेश का विकास, विकास परिषद् करेगी लेकिन चाहे इधर के सदस्य हों या उधर के सदस्य सभी लोग दिल पर हाथ रखकर कह दें कि विकास परिषद् के सदस्यों के अलावा प्रदेश का कितना विकास हुआ है। पहले बजट में यहां पर घोषणा की गई थी कि दादरी में विद्युत संयत्र लगने वाला है जिससे प्रदेश को आगामी दो साल में दो रुपए प्रति यूनिट बिजली मिलेगी क्या यह [X X X] नहीं था क्या यह असत्य नहीं था। यह बात इस बजट में आनी चाहिए कि वह बात गुमराह करने वाली थी और हम इसके लिए सदन से माफी मांगते हैं क्षमा मांगते है कि हम उसको पूरा नहीं कर सके। मुख्य मंत्री जी को इस बात को सदन से कहना चाहिए था उनके बारे में यह कहा जाता है कि जो कहते हैं वह करते हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां सत्ता पक्ष की ओर से जितने सदस्य सरकार की तारीफ कर रहे हैं क्या वह जनमानस के बीच अपने क्षेत्र में वह बातें प्रमाणित और सिद्ध करने के लिए तैयार हैं। वह सदन के अन्दर कुछ कहते हैं लेकिन वही बात जनता के बीच कहने से डरते हैं। आज अपहरण एक उद्योग बन गया है कोई भी अपहृत व्यक्ति तब तक नहीं छूटता है जब तक उसकी फिरौती नही दे दी जाती है। अगर फिरौती नहीं दी जाती है तो अपहृत व्यक्ति मार दिया जाता है। क्या सरकार यह जनता को बताएगी कि वह 12 से 18 घंटे बिजली देने में समर्थ नहीं है। जो विकास कार्य थे वह ठप्प हो गए हैं। यहां पर नगर विकास मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं हो सकता है कि वह मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हों भगवान करे कि वह सुन रहे हों और मेरी बात नोट कर लें। दो दिन पूर्व उन्होंने कहा था कि नगर विकास

नोट--[X X X] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

का बजट जब प्रस्तुत किया जायेगा तो वह अपनी बात कहेंगे लेकिन कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश ने जो सिफारिशें की हैं हालांकि उस सम्बंध में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता लेकिन उसके हिसाब से अलग-अलग बजट प्रस्तुत नहीं होगा। अलग-अलग बजटों के प्राविधान पर अलग-अलग चर्चा होनी चाहिए। जो 21 दिन चर्चा होनी चाहिए थी वह एक दिन में पूरी करने की बात करते है और हर सदस्य को पांच मिनट में अपनी बात कहने को कहते हैं। मान्यवर, इसी पीठ पर विधान सभाध्यक्ष बैठते हैं उनका हृदय बड़ा विशाल है। बड़े विद्वान हैं, इस सदन के अन्दर उन्होंने योजनाएं दी हैं। उन्होंने इस पीठ से बड़ी-बड़ी नजीरें प्रस्तुत की है। उन्होंने कहा कि हम यहां बैठते थे तो हमारे समय में तो 12 बजे तक हाउस चलता था मैंने कहा आप है कभी हमको भी मौका दीजियेगा। मान्यवर, आप भी उसी परम्परा का वहन कर रहे हैं। आप उस पीठ पर बैठे है तो मान्यवर, आपके प्रति भी वही आदर है, हमारा वही सम्मान है।

श्री उपाध्यक्ष--

जब वे आयेंगे तो कहियेगा। अब आप समाप्त करें।

श्री सतीश महाना--

मान्यवर, बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़कें नहीं। विकास किसका होगा ? आज उद्योग बन्द होते चले जा रहे हैं। अपहरण एक उद्योग बनता जा रहा है जो कि बढ़ता जा रहा है। क्या इसी आधार पर प्रदेश तरक्की कर पायेगा। नगर विकास मंत्री जी नहीं हैं इस वक्त यहां पर। मान्यवर, आप शहरी क्षेत्र से आते हैं इसलिये आपके हिस्से के पांच मिनट भी मैं ले लूँगा। नगरी क्षेत्र के अन्तर्गत विकास के लिये इन्होंने एक योजना इस बजट में दी है जिसका नाम है जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रीन्यूअल मिशन योजना। इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू करेंगे और इसके लिये आपने बहुत बड़ी धनराशि दी है। आपने इसके लिये 40 करोड़ रुपये का आवंटन कर दिया है। इतने बड़े प्रदेश का 40 करोड़ रुपये से क्या रिव्यूल्यूशन हो जायेगा ? क्या क्रान्तिकारी परिवर्तन इस 40 करोड़ रुपये से शहरों के अन्दर आ जायेगा ? 40 करोड़ रुपये दे देने से आप क्रान्तिकारी परिवर्तन की उम्मीद करते है ? फिर इस प्रकार की टिप्पणी आप करें बयान दें कि यह योजना फ्राड योजना है। (व्यवधान)

श्री प्रदीप माथुर--

केन्द्र सरकार की है।

श्री सतीश महाना--

आप देख लीजिये इसी बजट के पृष्ठ-32 पर इस योजना का जिक्र हैं, मैं उसी की चर्चा कर रहा हूँ। आपने न पढ़ी हो पढ़ लीजियेगा। आप अपनी बात कहियेगा तो बताइयेगा। मैंने देखा है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। केन्द्र सरकार की है या किसकी है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोगों को भी समय मिलेगा।

श्री सतीश महाना--

कांग्रेस के भी सदस्य बैठे हैं बता रहे थे कि यह केन्द्र सरकार की योजना है। बता दें किसकी योजना है ? दोनों मिलकर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। केन्द्र की योजना होती है तो

उसमें 50 प्रतिशत वह देती है और 25 प्रतिशत प्रदेश सरकार का और 25 प्रतिशत स्थानीय निकाय का होता है। आज हमारे यहां स्थानीय निगम का हाल यह है कि हैन्ड पम्प का वॉशर नहीं लग पा रहा है, सड़क पर कोइ पेंच नही लग पा रहा है, कर्मचारी हड़ताल पर हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। वो 25 प्रतिशत कहां से देंगे। मान्यवर, यह एक धोखा है जो प्रदेश के जनमानस के सामने लाया जा रहा है। सूर्पनखा का चित्र बनाकर जन मानस के सामने पेश किया जा रहा है। यह सूर्पनखा का बनावटी चित्र है उस सूर्पनखा से। मान्यवर, इस बजट से इस प्रदेश में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। मान्यवर, गंगा बैराज इन्होंने बनवाया था पिछले साल उसका उद्घाटन किया था नगर विकास मंत्री जी ने। अभी थोड़ी देर पहले वे नाराज हो रहे थे किसी सदस्य की बात पर कि वे जाना चाहते थे लेकिन किसी माननीय सदस्य ने मना कर दिया। मान्यवर, जब यह सत्ता में आये थे तो मैं ही इनको बुलाकर कानपुर ले गया था और अब जब इनके जाने का समय है मैं ही इनको बुलाकर कानपुर ले गया था और अब जब इनके जाने का समय है मैं ही आह्वाहन करता हूँ कि आप कानपुर आओ। कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है और पिछले 3 सालों से नगरीय क्षेत्र में आपने एक बार बैठक नहीं करवाई । अधिकारियों की समीक्षा नहीं की। कानपुर महानगर आकर एक बार जनता से नहीं पूछा कि आप किस हाल में है। कभी जन मानस के सामने नहीं गये, उनसे बात नहीं की। कानपुर जैसा महानगर जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है आपके पास वहां जाने के लिये समय नहीं है तो फिर आपसे क्या उम्मीद करें। हम क्या अपेक्षा करें कि कौन से नगरों में आप विकास कर रहे हैं। विकास होगा सैफई में, रामपुर में, जौनपुर में या उन सदस्यों का विकास होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

श्री सतीश महाना--

कानपुर न जाते तो बरेली चले जाते आपके क्षेत्र में चले जाते। आपके क्षेत्र में विकास की बैठक कर देते तो आपको भी अच्छा लगता।

श्री उपाध्यक्ष--

मेरे क्षेत्र में जाते हैं।

श्री सतीश महाना--

इसीलिए आप नहीं बोलने दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ यह बजट धोखा है। किसी प्रकार का विकास उत्तर प्रदेश के जन मानस का नहीं हो रहा है। अत्याचार, भ्रष्टाचार, अनाचार बढ़ रहा है। मैं जिन माननीय सदस्यों ने बजट का विरोध किया है उससे अपने आप को सम्बद्ध करता हूँ।

*श्री किरनपाल कश्यप--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुख्य मंत्री जी द्वारा 2006-07 के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बजट पूर्व की तरह से लोकप्रिय, कल्याणकारी है इसमें सब वर्गों के लिए, कमजोर वर्ग के लिए, छात्र-छात्राओं के लिए शिक्षा के लिए किसानों के लिए कर्मचारियों के लिए, सबके लिए जो मुख्य मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का सपना सोचा है उसको पूरी तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस बजट में सारी व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं। पिछले कई सालों के मुकाबले आज तक विधान सभा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में ऐसा बजट नहीं आया। पिछली सरकार के मुकाबले इस सरकार ने लोकप्रिय, कल्याणकारी, कमजोर वर्गों के लिए, छात्रों, किसानों के लिए, कार्यकारी योजनायें तैयार की है। इस बजट में सारी व्यवस्था है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ उन्होंने हर वर्ग को छूकर, हर वर्ग के किसानों मजदूरों के साथ ऊर्जा के क्षेत्र में, जो प्रदेश की प्रमुख समस्यायें हैं उनके लिए प्राविधान किया गया है। पहले मैं अपने क्षेत्र के कुछ बिन्दु, जो हमारे विधान सभा क्षेत्र से संबंधित हैं उनकी तरफ माननीय सम्पूर्ण सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। हमारे यहां कृष्णा नदी है सहारनपुर और मुजफ्फरनगर को जोड़ने के लिए कृष्णा नदी पर चंदना मार्ग पर पुल का निर्माण कराया जाए। जलालाबाद और हसनपुर लोहारी के बीच कृष्णा नदी पर पुल बनाया जाए। यह गम्भीर समस्या है। विधान सभा क्षेत्र के थाना भवन के अन्दर पूर्वी यमुना नहर में पानी कम आ रहा है दो सालों से बारिश नहीं हुई है। बिजली की गम्भीर समस्या है। हमारा पावर स्टेशन छोटा है सिकन्दरपुर बिजलीघर छोटा है इसकी क्षमता को दुगुना बढ़ाया जाए। दो सब-स्टेशन कोडा, कैरपुर की स्थापना की जाए। छोटी-छोटी हमारी कुछ सड़कें हैं जिनकी मरम्मत के लिए बजट में प्राविधान किया जाए। हमारी जो गम्भीर समस्यायें हैं उसको दूर करने के लिए मुख्य मंत्री जी अग्रसर हैं। मैं सदन के माध्यम से मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूँ और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ हिन्दुस्तान के निर्माण में, हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाने में, मैं जिस समाज से आया हूँ उसका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। याद होगा जब देश में, हिन्दुस्तान के अन्दर रेल यातायात, सड़क यातायात और हवाई जहाज नही था सारा का सारा यातायात नाव नदियों के द्वारा होता था। अब उन सब नदियों पर पक्के पुल बन गए हैं। हमारे समाज के लोग बेरोजगार हो गए हैं। उनकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए व्यवस्था की जाए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में चीनी मिल नहीं थी सल्फर नहीं था। पावर मशीन नहीं थी उस समय हमारे समाज के लोग अड्डों से खांड बनाते थे वह खांड इतनी सफेद होती थी कि वह सफेद कुर्ते से ज्यादा सफेद और चिकनी होती थी। जब से चीनी मिल बन गई तब से बेरोजगारी इस समाज की बढ़ गई है। जहां चीनी मिल लगी है वहां पढ़े-लिखे लोगों को दफ्तर में नौकरी दी जाए और अनपढ़ लोगों को लेबर का काम दिया जाए कम से कम परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार सुनिश्चित किया जाए जिससे उसकी रोजी-रोटी चल सके।

(श्री मुंशी लाल गौतम के कुछ बोलने पर)

श्री किरनपाल कश्यप--

गौतम जी, जितने भी बड़े महानगर हैं, सभी किसी न किसी बड़ी नदी के किनारे बसे हैं, दिल्ली, यमुना के किनारे है, इलाहाबाद, यमुना और गंगा के किनारे है, लखनऊ, गोमती के किनारे है, कलकत्ता, हुगली नदी के किनारे है और कानपुर, गंगा नदी के किनारे बसा है। आप क्या बतायेंगे, इनका विकास इसलिए हुआ क्योंकि जब आवागमन का कोई साधन नहीं था तो इन्ही नदियों के माध्यम से नाव द्वारा व्यापार होता था और हमारे समाज की उसमें बड़ी भागीदारी थी, उसे रोजी-रोटी मिली हुई थी लेकिन आज हमारा समाज बेरोजगार हो रहा है लेकिन हमारी सरकार ने हमारे समाज के लिए कुछ किया है। बालू घाट और मछली के व्यापार की इस समुदाय के लिए 1993 में जो व्यवस्था की गई थी, आपकी सरकार ने तो उसको समाप्त करने का काम किया था। मैं माननीय मुख्य मंत्री, मुलायम सिंह यादव जी को बधाई देता हूँ, जिनके प्रयास से हाई कोर्ट की तीन जजों की बेंच द्वारा इसे बहाल किया गया है। आप लोगों ने क्या किया, आपने तो लोगों को

निराश करने का ही काम किया है। आप रोजगार देने की बात करते हैं, आप तो रोजगार छीनने का काम करने वाले लोग हैं, इसीलिए उस ओर बैठे हैं, गौतम जी।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

श्री किरनपाल कश्यप--

मान्यवर, जब से हमारी सरकार आई है, उसने किसानों, मजदूरों गरीबों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, उद्योगों के लिए, इन सब के लिए कल्याणकारी काम किया है और आज इसी भय से यह लोग पीड़ित हैं कि पूरे प्रदेश के अन्दर, कोने-कोने गांव और कस्बों में सब जगह विकास तेजी के साथ हो रहा है और जो उत्तम प्रदेश बनाने का हमारा सपना है, वह पूरा हो रहा है, इसीलिए कुछ लोगों को पीड़ा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

(श्री राम विशुन आजाद के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

आप 9 तारीख की चर्चा में बोल चुके हैं।

श्री राम विशुन आजाद--

मान्यवर, मैं राम विशुन आजाद हूं, मैं नही बोला हूँ। श्री राम किशुन जी बोले है। राम किशुन और राम विशुन में मतभेद है।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है अब श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय उपाध्यक्ष जी, हर सरकार को अपना बजट प्रस्तुत करने का अधिकार है। जब कि विधान सभा के चुनाव सन्निकट हैं, बाद में सरकार अपना घोषणा-पत्र जारी करेगी, लेकिन अपने घोषणा पत्र को इन्होंने बड़े लोक-लुभावन ढंग से इस बजट के रूप में प्रस्तुत किया है। मैं इसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हूँ और विरोध करता हूँ। मान्यवर, इस सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में के0 जी0 एम0 यू0 को पैसा दिया, के0 जी0 डी0 यू0 को पैसा दिया लेकिन पूर्व मुख्य मंत्री माननीय राजनाथ सिंह ने यहां पर घोषणा की थी कि लखनऊ में धनवंतरि आयुर्वेदिक यूनीवर्सिटी की स्थापना होगी, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि यह सरकार आयुर्वेद की उपेक्षा कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि लखनऊ में आयुर्वेदिक कालेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाये। मान्यवर, मैं कहना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई चिकित्सालय है, वह 30 शैयाओं का अस्पताल है और मैंने उस पर एक सवाल लगाया था कि इसको 100 शैयाओं का अस्पताल कर दिया जाये लेकिन वह अभी तक नहीं बन पाया है। मान्यवर, इसके अलावा मैंने विधान सभा में एक सवाल लगाया था कि उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे चिकित्सालय है जहां पर सी0 टी0 स्कैन और एम0 आर0 आई0 की सुविधा है ? इसमें उत्तर मिला कि प्रदेश में 17 ऐसे अस्पताल है जहां पर सी0टी0 स्कैन की व्यवस्था है और एक

अस्पताल में एम0 आर0 आई0 की व्यवस्था है। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से यह सरकार उत्तर प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ मजाक कर रही है। मान्यवर, मैं नगर विकास की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण आज घोटालों का अड्डा बन गया है। अनेक घोटाले वहां पर हो रहे है। लखनऊ में जानकीपुरम में भूमि आवंटन का घोटाला हुआ। सरकार ने कुछ नहीं किया। लोग कोर्ट गये और कोर्ट में जाकर सी0 बी0 आई0 जांच का आदेश हुआ अब वहां जांच हो रही है। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में राम नगर कालोनी में एक तालाब है, उस तालाब को पाटकर एक व्यापारी नेता जिसे राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त है और फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया है जबकि उसे फाइनेंस का ज्ञान नहीं है उन्होंने उसे पटवाकर उस पर प्लाटिंग कराकर अपने परिवार के 21 लोगों को आबंटित कराया है और वह श्रीमती रेखा गुप्ता जी की इंक्वारी में सही भी पाया गया है लेकिन बाद में फिर से उनके परिवार को वह आवंटित करने की योजना बना रहे हैं। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में मोतीझील है। मैं मांग करता हूं कि उसे पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। लेकिन दुखद है कि नगर निगम उसमें कूड़ा पाट रहा है जिससे वहां पर आस-पास प्रदूषण हो रहा है।

मान्यवर, उसी मोतीझील में अंग्रेजों के जमाने का एक बूचड़खाना था उसको स्थानान्तरित करने की मांग वर्ष 1996 में रखी गयी थी और वह मान ली गयी थी और उस पर केन्द्र सरकार से पैसा भी आवंटित हो गया था और उसे हटाकर ममरोली गांव के पास बनाया जा रहा था। लेकिन अब वह हटाया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि उस बूचड़खाने पर अब तक जितना पैसा खर्च किया जा चुका है तो वह पैसा क्या उस पर काम करने वाले अधिकारियों की तनख्वाह काटकर पूरा किया जायेगा। मान्यवर, समाज कल्याण विभाग से अनुसूचित जाति और जनजाति के निर्धन एवं असहाय व्यक्तियों के इलाज के लिए और उनकी एक पुत्री की शादी के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। लेकिन उन्हें जो फार्मेट दिया जाता है उसमें लिखा है कि गम्भीर रोगों के इलाज के लिए 2 हजार रुपये दिया जायगा। मान्यवर, दो हजार रुपये में कौन सा गम्भीर इलाज हो सकता है। मेरा कहना है कि इस राशि को बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया जाये और गरीब की पुत्री की शादी के लिए दी जाने वाली धनराशि को बढ़ाकर 20 हजार रुपये किया जाये।

मान्यवर, एक बात कहना चाहता हूं, नियम 301 के अन्तर्गत मैंने उठाया था, शहरों में दो सौ हैण्ड पम्प लगाने के लिए स्थल चयन करने को मांगा गया था लेकिन आज तक एक भी हैण्ड पम्प नहीं लगा। नगर विकास मंत्री, मोहम्मद आजम खां का पत्र प्राप्त हुआ है कि रिवाल्विंग फंड से कर्जा लेकर नगर निगम पैसा लगाने के लिए जल निगम को देगा लेकिन नगर निगम कहता है कि हम कर्जा लेंगे तो सभासदों के लिए लेंगे विधायकों के लिए क्यों लें ? तो शहरी विधायकों के क्षेत्र में एक भी हैण्ड पम्प नहीं लगा। मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, दोनों के लिए पांच-पांच किलोमीटर सड़क पी0डब्लू0 डी0 विभाग से विधायकों को दी जायेगी। जब मैंने अपने क्षेत्र में यह बात कही तो उन्होंने कहा कि तीस प्रतिशत पैसा पी0 डब्लू0 डी0 विभाग को मिला है इस कारण सारा काम नहीं हो पा रहा है। मैं मांग करता हूं कि पूरा पैसा पी0 डब्लू0 डी0 को दिया जाय। मान्यवर, चूंकि मैं अधिवक्ता हूं इसलिए अधिवक्ता होने के नाते कहना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी अधिवक्ताओं के चैम्बर के लिए पैसा दिया है, मैं यह मांग करता हूं कि जिस तरह से पत्रकारों के लिए पत्रकारपुरम बसाया गया है उसी तरह से अधिवक्तापुरम भी बसाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मान्यवर, यह बजट [x x x] का पुलिन्दा है इसलिए मैं इसका विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री प्रदीप माथुर--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे 2006-07 के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने विकासोन्मुख बजट प्रस्तुत किया है और सभी क्षेत्रों की ओर विधिवत ध्यान दिया है। मैं व्यक्तिगत रूप से यह कहना चाहता हूँ कि गत कई वर्षों के बाद बजट अनुमानों के अनुसार राजस्व घाटे की दुर्गम घाटी को पारकर राजस्व बचत के युग में यह बजट प्रवेश कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक व्यवस्था है जो सरकार की कार्य प्रणाली को दर्शाता है। इसमें अनेकों कल्याणकारी योजनाएं हैं जैसे वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, विकलांगों को पेंशन का प्राविधान किया गया है। इससे निश्चित रूप से गरीब वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा, जो उपेक्षित और असहाय हैं उनको लाभ मिलेगा। अब मैं ज्यादा न कहकर अपने क्षेत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। मैं सबसे पहले माननीय लोक निर्माण मंत्री, श्री शिवपाल सिंह यादव जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने मथुरा वृन्दावन क्षेत्र की ओर ध्यान दिया और वहां की सड़कें बनवायी। इन लोगों के कार्यकाल में जो इनका टारगेट था अयोध्या, मथुरा, काशी, वृन्दावन उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। मथुरा ऐसा पिछड़ा कि पूछिये मत, वहां पर गहरे-गहरे गड्ढे पांच-पांच मीटर पर थे, लेकिन इन्होंने उसको नहीं सुधारा। मैं आभार व्यक्त करता हूँ श्री शिवपाल सिंह जी का जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की नगरी की दशा और दिशा को सुधारा। मैं आजम खां जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने नगर विकास की ओर ध्यान दिया। उन्होंने गोकुल बैराज योजना जो 85 में शुरू की गयी थी, तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह जी तथा श्री नारायण दत्त तिवारी ने शुरू की थी, जिसका उद्घाटन नेता विरोधी दल, श्री लालजी टण्डन ने किया था, उन्हें यह डर था कि कहीं मायावती जी उसका नाम साहू जी न रख दें, उसका काम अधूरा रह गया है। उसमें 31 करोड़ की आवश्यकता है।

(इस समय 2 बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

श्री प्रदीप माथुर--

आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय नगर विकास मंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि गोकुल बैराज परियोजना जिसका उद्घाटन माननीय लालजी टण्डन जी ने तोड़तोड़ कर दिया उस परियोजना को पूरी करने के लिए टी0टी0जेड0 के माध्यम से 31 करोड़ रुपये का प्राविधान करा दें जिससे कि वह परियोजना पूरी हो सके और मथुरा-वृन्दावन निवासियों को पेय जल का लाभ मिले। इसके अलावा मान्यवर मैं कहना चाहूँगा अपने पर्यटन मंत्री भाई कौकब हमीद साहब का आभार प्रकट करना चाहूँगा, अभी मथुरा के लोगों ने उन्हें रसगुल्ला की उपाधि से नवाजा क्योंकि उन्होंने वृन्दावन परिक्रमा मार्ग के जीर्णोद्धार के लिए, मथुरा को परिक्रमा मार्ग के जीर्णोद्धार के लिए पैसा दिया था, अभी हाल में ही माननीय शिवपाल सिंह जी जो

नोट :--[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

पी0डब्ल्यू0 डी0 मंत्री हैं, गोवर्धन की परिक्रमा मार्ग के लिए 03 करोड़ 70 लाख रुपये दिया. मै उनकी भूरि-भूरि प्रशन्सा क्यों न करूँ उन्होंने मथुरा वृन्दावन की सड़कें बनवा दी हैं। बिल्कुल करूँगा चाहे कोई कुछ भी बोले। मान्यवर, आप भा0 ज0 पा0 के लोग तो बोलने के काबिल नहीं हैं आपके टारगेट में मथुरा कभी नहीं रहा। मान्यवर, मैं अब कड़ुवी बातों की ओर आना चाहता हूं, मान्यवर समग्र ग्राम के नाम पर बहुत अच्छा मुद्दा है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने लिया 10-10 गांव हर एक विधायक से मांगा गया और माननीय उपाध्यक्ष जी आपके माध्यम से, मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा कि इन मामलों को आपको व्यक्तिगत रूप से देखना पड़ेगा, समग्र ग्राम के नाम पर कोई भी काम देहातों में नहीं हो रहा है, जब हम चयनित करते हैं गांवों के किसान लोग खुश होते हैं कि सड़कें बन जायेंगी, पेय जल की व्यवस्था कराई जायेगी, बिजली की व्यवस्था पूरी कराई जायेगी, लेकिन कोई भी व्यवस्था पूरी नहीं होती है, अधिकारी केवल खानापूर्ति करते हैं, देहातों की जनता धोखा समझते हुए अपने आप को यह महसूस करती है कि वह ठगे गये। जनता शुरुआती दौर में खुश होती है, यह आप सबसे पूछ सकते हैं मान्यवर, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है मान्यवर, पर्यटन के क्षेत्र में मथुरा में ब्रज महोत्सव की आवश्यकता है पहले जब हम लोग एम0 एल0 ए0 85-90 में हुआ करते थे तब शरद उत्सव हुआ करते थे। हमने माननीय कांकब हमीद साहब से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध किया है कि वहां शरद के महीने में ब्रज महोत्सव की व्यवस्था की जाय, ब्रज 84 कोस परिक्रमा जहां कि अप्रवासी भारतीय और सारे देश के लोग परिक्रमा लगाने के लिए आते हैं वह ब्रज 84 कोस की परिक्रमा की बड़ी दुर्दशा है उसके लिए लगभग 50 करोड़ रुपये की धनराशि की ग्राण्ड दे दी जाय जिससे वहां की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। मान्यवर, वृन्दावन में यमुना नदी की तथा मथुरा में यमुना नदी की धार्मिक आस्था है, यमुना में आचमन करने के लिए विश्राम घाट पर तमाम अप्रवासी भारतीय बनवासी और गुजरात व देश भर से लोग आते हैं, यदि आप हाथ में यमुना का जल लें तो वह कीड़ों से भरा है और स्थिति यह है कि लोगे आचमन भी नही कर सकते है उसको प्रदूषण से मुक्त करने के लिए सरकार को गम्भीरता से सोचना होगा, मान्यवर, मैं अपनी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को बधाई देना चाहता हूँ, अपने प्रधानमंत्री श्री मन मोहन सिंह को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने पूरे भारत वर्ष में 63 शहरों का चयन जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिनुअल मिशन के माध्यम से किया है और उत्तर प्रदेश में सात शहरों का समावेश किया है मैं इसमें अपने नगर विकास मंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने अथक प्रयास किये और केन्द्र सरकार से बात करके उन सातों शहरों के लिए जिसमें हमारा मथुरा शहर भी शामिल है, महाना साहब चले गये अभी वह कह रहे थे कि महज धोखा है यह 40 करोड़ रुपये जो उत्तर प्रदेश सरकार ने आवंटित किये हैं वह शुरुआती दौर में इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए दिये है मैं महाना साहब से गुजारिश करूँगा कि सारी किताबों को पढ़े तब सम्वाद करें तब वह प्रदेश सरकर और केन्द्र सरकार के ऊपर आरोप लगायें, आधी-अधूरी बात कहने से बात नहीं बनती। मान्यवर मैं आपके माध्यम से विद्युत विभाग की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ मुझे उम्मीद है कि विद्युत विभाग अब सुधर जायेगा क्योंकि अब वह माननीय शिवपाल सिंह जी के पास है वह अपनी कड़ाई से विद्युत विभाग को सुधारेंगे मैं उनकी कार्य क्षमता को जानता हूँ, कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ मैं उनकी कार्य क्षमता को जानता हूँ, मान्यवर, हमारे मथुरा में बड़ी दुर्दशा है एक बहुत ही निकृष्ट डी0जी0एम0 मिस्टर गुप्ता वहां पोस्टेड है अभी महिलाओं ने उन्हें चूड़ियां पहनाई, मांग में उनकी सिन्दूर भरा, उनकी निष्क्रियता की वजह

से, ए0पी0डी0आर0पी0 की स्कीम जो मथुरा में आई है मथुरा-वृन्दावन के जीर्णोद्धार के लिए बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है, भ्रष्टाचार का बोल-बाला है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने वायदा किया था 14 घण्टे की बिजली, मथुरा में देने का परन्तु 14 घण्टे की बिजली मिलना तो दूर रहा 5, 4 घण्टे बिजली आती है, देहातों में तो बिल्कुल नहीं आती है, मैं यह कहना चाहूंगा कि देहातों के मथुरा और वृन्दावन और मथुरा जनपद जो कि एक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक और रिलीजियस स्थली है वहां की बिजली व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त किया जाय। भ्रष्ट अधिकारियों का स्थानान्तरण किया जाय और खासतौर से डी0 जी0 एम0 गुप्ता को तत्काल वहां से हटाया जाय उसने एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। 32-32, 20-20 साल से वहां पोस्टेड कुछ लोगों ने मथुरा शहर और वृन्दावन और मथुरा जनपद के लोगों का जीना हराम कर रखा है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि नहर विभाग द्वारा वृन्दावन में राधा कृष्ण पौड़ी का निर्माण, विश्राम घाट से केस किले तक घाट का निर्माण, के0 जी0 घाट का जीर्णोद्धार हेतु हम लोग 94 करोड़ रुपये की योजना बनवा रहे हैं आप उसे जल्दी केन्द्र सरकार में भिजवा दीजिए। ताकि हम लोग उसका जल्दी पैसा लाकर यहां दे सकें। मान्यवर, इसी तरह से मथुरा में हाई टेक टाउन सिटी बनाने का प्रस्ताव है। जो 9 शहर चयनित किये गये है उनमें मथुरा को भी शामिल किया गया है। मान्यवर, वहां के किसान लोग यह मांग कर रहे हैं कि जो उनको मुआवजा दिया जाए वह आमने सामने बैठ कर बातचीत कर और तय कर दिया जाय क्योंकि जो जमीन किसानों की कौड़ियों के भाव पूँजीपतियों द्वारा ले ली जायेगी वह पूँजीपति उसको करोड़ों रुपये में बेचेंगे और भारी मुनाफा कमायेंगे। तो उससे उन गरीब किसानों का क्या भला होगा। इसलिए मेरी मांग है कि जो मुआवजा किसानों को दिया जाय जमीन लेने के बदले में, वह बाजार भाव पर दिया जाए और यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू होनी चाहिए। जिससे गरीब किसानों का अहित न हो सके। मान्यवर, जब आप किसानों के हित की बात करते हैं तो यह बात आपको सोचनी पड़ेगी।

मान्यवर, मैं नहरों की पटरी को पक्का करने के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि यहां मुन्ना सिंह चौहान जी नहीं हैं जब वह सिंचाई मंत्री थे तो उन्होंने मथुरा और वृन्दावन के प्रति उपेक्षा का भाव दिखाया था अब जो नये मंत्री आये हैं मेरा उनसे अनुरोध है कि मथुरा वृन्दावन क्षेत्र के विकास के लिए, जिसमें देहाती क्षेत्र भी आता है, नहरों की पटरी के लिए पैसा देने का प्राविधान करायें।

मान्यवर, जहां तक गृह विभाग का मामला है, गृह विभाग कानून व्यवस्था पर नजर रखता है। मान्यवर, हमारा मथुरा जनपद दो राज्यों की सीमा से घिरा हुआ है एक तरफ हरियाणा है तो दूसरी तरफ राजस्थान का बार्डर है और जो वहां पर धर्मशालायें हैं उनमें नेशनल और इंटरनेशनल गैंग के लोग आकर ठहर रहे हैं। अभी वाराणसी में एक घटना हुई है।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

श्री प्रदीप माथुर--

मान्यवर, अब ऐसी शंका है कि आतंकवादियों का अगला टारगेट मथुरा हो सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एजेन्डे में काशी, अयोध्या और मथुरा है। मैं इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वहां राज झेलता हूँ। मेरा यह भी मानना है कि ये आतंकवादी इसी एजेन्डे के आधार पर स्थानों को टारगेट कर रहे हैं और, सारे देश में तबाही मचा रहे हैं। इसलिए मैं माननीय

मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दें कि कहीं ऐसा न हो कि मथुरा में आतंकवादी लोग पहुँच कर कानून व्यवस्था को बिगाड़ दें। इसलिए यह भी अनुरोध है कि मथुरा और वृन्दावन मंदिरों व मस्जिदों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाय वहां पुलिस की चौकसी बढ़ा दी जाये। वहां कृष्ण जी का जन्म स्थान है, द्वारिकाधीश जी का मंदिर है वृन्दावन में रंग जी का मंदिर है, बांके बिहारी जी का मंदिर विश्राम घाट है, राधा रमन मन्दिर, राधा बल्लभ मन्दिर है, बरसाना नन्दगांव, गोवर्धन, गोकुल दाऊ जी, राधाकुंड है आदि अनेक धार्मिक आस्था के मंदिर वहां पर है जहां हजारों लोग दर्शन के लिए आते है। वहां की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ायी जाय और अब मथुरा वृन्दावन की सुरक्षा व्यवस्था सरकार का सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय होना चाहिए। क्योंकि हमें डर है कि यह भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर वहां कुछ गड़बड़ी करा सकते हैं और इनसे सख्ती से निपटने के आदेश दिये जायें। (व्यवधान)

मेरा माननीय परिवहन मंत्री से यह अनुरोध है कि जो मथुरा में बस स्टैण्ड है वह नेशनल हाइवे पर शिफ्ट कराया जाय। माननीय मुख्य मंत्री से यह अनुरोध है कि जो वहां कृष्णानगर, जैत व आंल चौकियां हैं, उन्हें थाने में उच्चीकृत किया जाय। धन्यवाद।

*श्रीमती राज लक्ष्मी वर्मा--

मान्यवर, आपने बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रतिपक्ष के नेता से अपने को सम्बद्ध करती हुई बजट का इसलिए विरोध करती हूँ कि यह लोकलुभावन महिलाओं और विकलांगों का बजट दिया गया है, बढ़ा तो दिया गया है लेकिन बजट में प्राविधान नहीं किया गया है। इसमें 8 मार्च को महिला दिवस था हम लोग क्षेत्र में जाते है तो महिलाएं खासकर जो विधवा है, वृद्ध है उसमें यह नियम है कि पेंशन उनको नहीं मिलेगी जिनके बच्चे बालिग हैं। वृद्ध महिलाएं और विधवाएं जब हमसे मिलकर पेंशन के लिए कहती हैं और जब हम कहते है कि बच्चे हैं तो वह कहती हैं सकुचाते हुए कि बच्चे तो हैं लेकिन खाने को नहीं देते है तो ऐसी परिस्थितियों में जो वृद्ध है, विधवा हैं सभी को पेंशन मिलनी चाहिए और इसका बजट में प्राविधान होना चाहिए। मान्यवर, विकलांग व्यक्ति कोई रोजी नहीं करता है, घर में ही रहता है ऐसे लोगों को शतप्रतिशत पेंशन का प्राविधान होना चाहिए। मान्यवर, कन्या विद्याधन योजना मुख्य मंत्री जी ने बहुत अच्छी लागू किया है इसकी जितनी भी सराहना हो, कम है परन्तु हमने देखा कि मेरे क्षेत्र में लेखपालों से तहसीलदारों से उनके ये प्रमाण-पत्र बनवाये गये। पहले तो उन्होंने यह प्रमाण-पत्र कम आय का दिया और जब दुबारा जांच हुई तो प्रमाण-पत्र में आय बढ़ा दिया। ऐसे में लेखपाल तहसीलदार दो तरह के प्रमाण-पत्र दे रहे हैं तो वह पात्र व्यक्ति है या नहीं यह संशय का विषय हो गया क्योंकि एक तहसीलदार एक ही कन्या के लिए एक बार पात्र कह दिया और फिर अपात्र कह दिया। मान्यवर, लड़कियां हमेशा गरीब रहती है चाहे जितने बड़े घर की हों। आपकी भी लड़की होगी हमारी भी है उनको धन की हमेशा जरूरत रहती है। मेरी मांग है कि इसमें गरीबी की रेखा को समाप्त करके भले ही 20 हजार को समाप्त करके 10 हजार रुपया दें लेकिन सब को मिलना चाहिए इससे उनके अन्दर हीन भावना भी नहीं आयेगी कि वह गरीब है या अमीर है। उनकी योग्यता तो प्रथम श्रेणी में पास होना चाहिए तो प्रथम श्रेणी में पास होने पर सभी को यह मिलने की आवश्यकता है इसका प्राविधान किया जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, अब मैं अपने क्षेत्र बाराबंकी की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ बाराबंकी पूर्वान्चल का द्वार समझ लीजिए और जैसे ही लखनऊ से बाराबंकी सफेदाबाद क्रासिंग पर आते हैं तो गोण्डा, बहराइच, आसाम, कलकत्ता आदि सारी जगह के लोग सफेदाबाद रेलवे क्रासिंग पर आते है वहां पर लम्बी चौड़ी कतारें लगती हैं। अभी एक बार 2006 में लोक निर्माण मंत्री जी ने कहा था कि पुल का निर्माण बहुत जल्द कराना शुरू कर दिया जायेगा। मुझे ज्ञात है कि भारत सरकार से यह धन स्वीकृत है और उत्तर प्रदेश सरकार को अपना धन देकर पुल का निर्माण कराना है यह सभी लोगों की समस्या है। जो पूर्वान्चल के सदस्य है यह सबकी समस्या है। मान्यवर, जो भी उस रेलवे क्रासिंग पर जाता है उसको वहां पर आधा-आधा घंटा रुकना पड़ता है और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष के माध्यम से, सदन के माध्यम से मांग करती हूँ कि उत्तर प्रदेश के हित में यह प्राविधान हो और सरकार अपने स्तर से पुल का निर्माण प्रारम्भ कराये। अब इस पुल का निर्माण अवश्य ही प्रारम्भ कराया जाय। मेरा क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है एक तरफ महादेव तीर्थ है तो दूसरी तरफ वहीं पर पारिजात का वृक्ष है, तीर्थ देवा है और भी कई तीर्थस्थल हैं टिकैत नगर में तीर्थस्थल है। ऐसे स्थानों का संरक्षण होना चाहिए। अभी परसों माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गये थे उन्होंने कहा चलकर पारिजात का वृक्ष देख आयें, वह संरक्षित वृक्ष है, अटूट वृक्ष है वहां जाकर देखा उस पर दीमक लगी हुई है। उसकी सफाई करने या संरक्षित करने की कोई योजना नहीं है। इसलिये हम मांग करते हैं कि जो हमारे संरक्षित वृक्ष हैं, जो अद्भुत वृक्ष है, जो दैव वृक्ष हैं, इनके जैसी प्रजाति कहीं पायी नहीं जाती है, ऐसे वृक्षों को संरक्षित किया जाय ऐसा हम इस सदन के माध्यम से चाहते हैं। मान्यवर, वहां पर तत्काल कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कराया जाना चाहिये। वहां पर लाइट की व्यवस्था नही है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, यह दोनों व्यवस्था भी वहां कराई जानी चाहिये। मान्यवर, इसी तरह से महादेवा तीर्थस्थल पर लाखों-लाख कावंरिये जाते हैं, लेकिन वहां की जो गलियां हैं, वह सब कच्ची हैं। हमने अपने स्तर से कुछ रोडों को बनवाने का प्रयास किया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वहां की गलियां अच्छी होनी चाहिये। मान्यवर, इस बार वहां 8 लाख लोग आये थे, जिन्होंने जलाभिषेक किया। तो मान्यवर, ऐसे महत्वपूर्ण स्थान की ओर ध्यान दिया जाय। मेरे क्षेत्र में समुरी नदी चिरैया घाट का पुल है, इस पर बहुत पहले से कंक्रीट रोड बनी है। यह पुल तीन विधान सभा क्षेत्रों फतेहपुर, रामनगर और महमूदाबाद (सीतापुर) को आपस में जोड़ता है। इसमें 15 किमी0 रोड कंक्रीट की बनी है। जो पहले से तीन सेतु स्वीकृत हैं, उसमें इस सेतु को भी स्वीकार किया जाय। यह सेतु इतना महत्वपूर्ण है कि दो जिलों और तीन विधान सभा क्षेत्रों को जोड़ता है, इसलिये इसका तत्काल निर्माण कराया जाय। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री राम विशुन आजाद--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने बजट के समर्थन में बोलने का समय दिया। मान्यवर, हमारा नम्बर राम किशुन और राम बिशुन में चला जाता है। लेकिन आपने जो कृपा की, उसके लिये धन्यवाद। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उ0 प्र0 का यह ऐतिहासिक बजट पूरे हिन्दुस्तान के किसी भी प्रदेश में नहीं पेश किया है, यह ऐतिहासिक बजट है। मैंने इस सारे बजट साहित्य को पूर्ण रूप से पढ़ा, इसका अध्ययन किया। इस बजट में उत्तर प्रदेश के समाज के सभी वर्गों के लिये, चाहे वह गरीब हो चाहे वह दलित हो, महिला हो, छात्र, कृषक, मजदूर हो एवं चाहे वह पिछड़ा हों, चाहे जिस वर्ग के लोग

हों, उन सभी वर्गों के विकास के लिये, उनके उत्थान के लिये सारी योजनायें रखी गयी हैं। मैं काफी समय से बजट चर्चा सुन रहा हूँ। हमारे विरोध पक्ष के लोग इस बजट पर अपने विचार रख रहे थे। वे विरोध भी प्रकट करते हैं और समर्थन भी देते हैं, दोनों बातें करते हैं। यहां पर अभी बात आई कि हम लोग सवाल लगाते हैं, जवाब आ जाता है कि वित्तीय अभाव होने के कारण यह काम नहीं हो सकता। मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम विपक्ष में बैठते थे और इनकी सरकार थी तो जनता के हित में, जनता की समस्याओं के निराकरण के लिये एवं प्रदेश की समस्याओं के निराकरण के लिये जब हम लोगों ने अपनी आवाज उठाई तो इनका भी जवाब आता था कि वित्तीय संसाधन की कमी के कारण यह काम नहीं कराया जा सकता। प्रदेश में एक नये पैसे का काम भी इन्होंने नहीं किया। इनको शर्म आनी चाहिये जब इनकी सरकार थी, तब इन्होंने प्रदेश के, क्षेत्र के विकास के लिये कोई पैसा खर्च नहीं किया और आज यह कल्याणकारी सरकार से कह रहे हैं कि यह पुल दे दीजिये, सड़क दे दीजिये। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि यह कल्याणकारी सरकार जो वर्तमान समय में चल रही है, जिसके मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, मुझे यह कहने में दो राय नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश का विकास आगे बढ़ रहा है प्रदेश में जितने भी लोग हैं, चाहे वह अनुसूचित जाति के लोग हों, मजदूर लोग हों, छात्र हों, किसान हों, चाहे गन्ना किसान हों, चाहे वह जिस वर्ग के लोग हों, उन सभी लोगों के विकास के लिए सरकार योजनाएं चला रही है। मान्यवर, इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, आपको विकास का चश्मा लगा करके देखना चाहिए, तो आपको भी दिखेगा। मान्यवर, जब इनकी सरकार थी तो पूर्वांचल विकास निधि का जो पैसा था, उसका एक नया पैसा इन्होंने पूर्वांचल में नहीं खर्च किया। हम लोग चिल्लाते-चिल्लाते मर जाते थे, सदन के जितने नियम हैं नियम 300, नियम 301 सभी नियमों में अपनी बात उठाते थे लेकिन इनके कान में जूँ तक नहीं रेंगता था। गन्ना किसानों के लिए माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो काम किया है, उसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने उन किसानों का जो भुगतान बकाया था, जो पुराना बकाया था, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने वह भुगतान कर दिया, जिससे आज का किसान बहुत ही खुश है। आज यह बजट की बात करते हैं।

हमार मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश और एक आदर्श प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है और इसमें कोई दो-राय नहीं, हमारा प्रदेश उत्तम प्रदेश बनकर रहेगा। यह लोग बहुत दुहाई देते हैं, पुल-पुलिया की बात करते हैं, इनको तो धन्यवाद देना चाहिए हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी को, हमारे मा0 लोक निर्माण मंत्री जी को, उन्होंने इसी सदन के अन्दर सभी माननीय सदस्यों को पांच-पांच किलोमीटर सड़क देने का वायदा किया था। जिस योजना पर कार्य शुरू हो गया है। इनको तो शर्म आना चाहिए, जब हम लोग मांगा करते थे तो इनकी योजनाओं में कुछ नहीं होता था, यह लोग केवल भारतीय जनता पार्टी और बी0 एस0 पी0 के सदस्यों की बात ही करते थे, हम लोगों को कुछ नहीं दिया जाता था और जब हम लोग अपने क्षेत्रों की बात करते थे तो इनके कान में जूँ तक नहीं रेंगता था। इनकी सरकारों में जिस तरह से दलितों, पिछड़ों के साथ अत्याचार किया गया, वह बहुत ही दुःखद है। यह लोग कानून-व्यवस्था की बात करते हैं, अरे सूप तो सूप बोले, चलनी क्या बोले, जिसमें बहत्तर छेद होते हैं। इनके जमाने में इनके साथी लोग थाने की दलाली का काम करते थे, इनके कार्यकर्ता दरोगाओं से मिल करके चौकियां चलाते थे। जब गरीब या पीड़ित व्यक्ति थाने या किसी कार्यालय में आता था तो उसको वापस कर दिया जाता था, उन्हें दुत्कार दिया जाता था, आज हमारी कल्याणकारी सरकार सभी वर्गों के हितों के लिए काम कर रही है, सभी की सुनवाई

कर रही है। तो उनको कष्ट हो रहा है आज थाना दिवस में जनता की समस्याओं को सुना जाता है, आज हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा है कि सभी जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी बैठ करके जनता की समस्याओं का निराकरण करें। इनको तो शर्म आनी चाहिए, थाने में जो चौकीदार होता था, इनकी सरकार में ऐसे लोगों के बारे में कुछ नहीं किया गया लेकिन हमारी सरकार ने उनको भी राहत दी, उन्हें जो तीन सौ रुपए प्रतिमाह मिलता था, हमारी सरकार ने उसे बढ़ा करके पांच सौ रुपए प्रतिमाह करके उन्हें राहत दी है। आज जब यह सरकार अच्छे काम कर रही है तो इन्हें खलता है। इन्होंने बेरोजगारों को कुछ नहीं दिया, इनकी सरकारों में बेरोजगारों की नहीं सुनी जाती थी, हमारी सरकार ने उन्हें भी राहत दी है। नवयुवकों शिक्षित बेरोजगार जो स्नातक या स्नातकोत्तर है इनके दर्द को इस सरकार ने गम्भीरता से लिया है जिन्होंने 31 दिसम्बर,05 तक सेवायोजन कार्यालयों में नाम पंजीकृत करवा लिया है।

श्री मुंशी लाल गौतम--

मान्यवर, यह सही तथ्य नहीं रख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाएं आजाद जी वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री राम बिशुन आजाद--

मान्यवर हमारी सरकार ने, इस कल्याणकारी सरकार ने बेरोजगारों को पांच सौ रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया है और इसके लिए मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी को धन्यवाद देता हूँ। आज जिस तरीके से प्रदेश सरकार विकास के रास्ते पर चल रही है, उस तरह से आज तक कोई सरकार नहीं चली। हमारी सरकार ने वृद्धा पेंशन में डेढ़ लाख की संख्या को बढ़ा करके तीन लाख कर दिया है, यह हमारी कल्याणकारी सरकार का सराहनीय कदम है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि समाज के गरीब तबके की जो लड़कियां पढ़ती थी उनको आगे ले जाने के लिए पिछली सरकारों ने कोई कार्यक्रम नहीं चलाया था। आज इस लोक कल्याणकारी सरकार ने कन्या विद्याधन योजना चलाकर एक क्रांतिकारी कदम उठाया है, ऐसा कदम किसी सरकार ने आजादी के पहले या बाद में नहीं उठाया था। इस कल्याणकारी सरकार ने ही ऐसा कदम उठाया है जिसका लाभ मिलेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार आज जिस तरीके से सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में काम करा रही है चाहे ग्राम पंचायतें हों, क्षेत्र पंचायतें हो या जिला पंचायतें हों, गांवों में जिस तरीके से काम हो रहे हैं आज तक किसी सरकार ने कार्य नहीं कराया है। आप जानते हैं कि सम्पर्क मार्गों को खड़ंजे से जोड़ देना, गांवों को पक्की सड़क से जोड़ना, पुलिया बना देना ये सारे कार्य हो रहे हैं। हमारे क्षेत्र में मनकापुर-मसकिनवा-बभनान मार्ग है, कई बार मैंने प्रश्न के माध्यम से सरकार का ध्यान खींचा था। श्री राजनाथ सिंह जी, तत्कालीन मुख्य मंत्री जी वहां गये थे उन्होंने घोषणा की थी लेकिन घोषणानाथ ने उक्त मार्ग के लिए कभी एक पैसा नहीं दिया। मैं सरकार के मुखिया मुलायम सिंह यादव जी को बधाई देता हूँ कि मेरे प्रस्ताव पर जिन्होंने 7 करोड़ रुपया देकर मनकापुर-मसकिनवा-बभनान मार्ग हॉट-मिक्स प्लाण्ट से बना दिया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ये प्रतिपक्ष के लोग विकास की बात करते हैं, वे तो प्रदेश में समाज को तोड़ने का काम करते हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम। प्रदेश को बांटना चाहते हैं। प्रदेश के विकास के लिए समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना होगा। जितने भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जिस प्रकार से विकास का काम ले करके चल रहे हैं प्रदेश में ऐसी कोई सरकार नहीं चली है। मैं दावे के साथ कह देना चाहता हूँ कि प्रदेश का विकास बड़े तीव्र गति से आगे बढ रहा है।

श्री अध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री राम बिशुन आजाद--

दो मिनट का समय और दे दें। पर्यावरण के बारे में कहना चाहता हूँ कि जितने भी आसमान में रहने वाले गिद्ध थे उनको इन लोगों ने मारकर खा लिया, पर्यावरण दूषित हो चुका है। इस पर्यावरण को साफ करने के लिए इस ओर ध्यान देना होगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कई बार मैंने इस विषय को उठाया है, नियम 56 में उठाया था। प्रकृति में जो गिद्ध प्रजाति के पक्षी मृत पशुओं के अवशेषों को खाया पर्यावरण में प्रदूषण से मुक्त रखने का महत्वपूर्ण प्राकृतिक कार्य करते आ रहे हैं। पिछले कई वर्षों से गिद्ध प्रजाति की संख्या में कमी आ गयी है एवं विलुप्त होने के कगार पर है। इस पर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। हमारे पर्यावरण को साफ व स्वच्छ रखने के प्रहरी हैं, मैं इस लोक कल्याणकारी सरकार से चाहूँगा कि जिस तरह से हरियाणा के पिंजौर में शोध संस्थान बनाया गया है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में शोध संस्थान बनाया जाय। पार्लियामेंट में भी यह मामला उठा था, गिद्ध चले गये तो समाज दूषित हो जायेगा, पर्यावरण दूषित हो जायेगा और पर्यावरण दूषित हो गया तो संक्रामक बीमारियां फैलेंगी और आने वाला कल हमें माफ नहीं करेगा। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आज नदियां प्रदूषित हो रही हैं। कछुये जो जल पर्यावरण के मुख्य प्रहरी हैं जो जलीय पर्यावरण को साफ रखते हैं, उनकी प्रजाति विलुप्त होती जा रही है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य ठीक नहीं होगा। प्रदूषित नदियों को बचाने के लिए करोड़ों रुपये भारत सरकार और प्रदेश सरकार खर्च करती है। इस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए और बनारस, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर में तमाम कछुये तस्कर पकड़े गये हैं, जो कलकत्ता की मंडी में 200 से 250 रुपये प्रति कछुआ बिकते हैं और विदेशों में तो 200 डालर में एक कछुआ बिकता है, उनकी तस्करी हो रही है, इसको रोका जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

अब समाप्त करिये।

श्री राम बिशुन आजाद--

मान्यवर, टोका-टाकी हो रही है दो मिनट और दे दें। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारी सरकार इंदिरा आवास में गरीबों को आवास उपलब्ध करा रही है। शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूँ कि डा0 भीम राव अम्बेडकर ने कहा था कि जो समाज शिक्षित हो जायेगा वह विकास का रास्ता अपने आप ढूँढ़ लेगा।

आज हमारी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया है जब इनकी सरकार थी तो प्राइमरी विद्यालयों और जूनियर हाई स्कूल भवन विहीन थे हमारी सरकार ने इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है और ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत स्तर पर प्राइमरी स्कूलों और जूनियर हाई स्कूलों के भवन बनाये जा रहे हैं। गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ तथा मुख्यमंत्री जी द्वारा जो यह कल्याणकारी बजट रखा गया है उसका समर्थन करता हूँ।

*श्री अमरजीत सिंह जनसेवक--

मान्यवर, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इस बजट चर्चा में बोलने का अवसर दिया। माननीय मुलायम सिंह जी ने जो बजट पुस्तिका प्रस्तुत की है इसको मैंने अनेकों बार पढ़ा और मैं ढूँढ़ता रहा कि इसमें विकलांगों के बारे में कुछ कहा गया होगा। मुझे विश्वास था कि इस विकलांग सरकार ने निश्चित रूप से विकलांगों के कल्याण के लिए कोई न कोई योजना जरूर रखी होगी।

राजस्व राज्य मंत्री (श्री इकबाल महमूद)--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा कि मैंने बजट को कई बार पढ़ा है। मैं समझता था कि वह विद्वान हैं लेकिन उन्होंने कहा कि विकलांगों के बारे में इसमें कुछ नहीं है। जबकि विकलांगों के बारे में बजट में व्यवस्था की गयी है।

श्री अमरजीत सिंह जनसेवक--

मान्यवर, परिवहन विभाग है, चिकित्सा विभाग है, कृषि विभाग है लेकिन विकलांगों के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं की गयी है जितनी भी व्यवस्था की गयी है वह ऊँट के मुँह में जीरा है।

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रतिशत तो प्वाइंट में आयेगा। 403 में आप अकेले हैं, जोड़ लो कै परसेंट पड़ेगा। ऐसे ही तो बजट चाहिये।

श्री अमरजीत सिंह जनसेवक--

मैं भी अच्छा खासा था, जहां तक विकलांगता की बात है न जाने कौन कहां और कब विकलांग हो जाये। मान्यवर, आपके पास आपके क्षेत्र के तमाम विकलांग आपके पास आते होंगे आप उनसे कहते होंगे कि विकलांग कल्याण अधिकारी के पास जाएं, सचिव के पास जाएं, निदेशक के पास जाएं लेकिन विकलांगों को सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। इस बजट में केवल यह कहा गया है कि विकलांगों के लिए पेंशन बढ़ा रहे हैं। यहां पर जितने माननीय सदस्य बैठे हैं वह अपने विधान सभा क्षेत्र में जानकारी कर लें समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत गांवों में इन्दिरा आवास योजना और अन्य योजनाओं में विकलांगों को सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। परिवहन मंत्री जी बैठे हैं। राष्ट्रीय विकलांग संघ का अध्यक्ष होने के नाते मैं निवेदन करूँगा कि मैकाले के जमाने का एक सड़ा-गला कानून चला आ रहा है, विकलांगों को वाहनों का लाइसेंस नहीं देते हैं। मैं आज कहना चाहता हूँ कि आप हाउस के बाहर कोई जीप, मोटर या गाड़ी खड़ी करवा दें। आप सारे लोग चलें मैं जहन्नुम को छोड़कर आप जहां जाना चाहे मैं ले जा सकता हूँ। लेकिन मुझे वाहन चलाने का लाइसेंस नहीं मिलेगा। मैं इस विकलांग सरकार से निवेदन करूँगा कि वह पुराने कानून की जगह पर नया कानून बनायें। विकलांग को थोड़ी दूर ले जाने के बाद कंडक्टर बस से उतार देता है। आपका जो मानक है उसके अनुसार वह विकलांग बसों में यात्रा कर सकता है जिसके दोनों हाथ कटे हों, दोनों पैर कटे हों या एक हाथ एक पैर कटा हो या ऐसे विकलांग हों जो चल नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते। जिसके दोनों हाथ और पैर हैं लेकिन वह विकलांग है उसको नहीं ले जाएंगे परिवहन मंत्री जी केन्द्रीय सरकार ने यह व्यवस्था पहले से कर दी है कि जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

40 प्रतिशत से ज्यादा विकलांग होगा उसको एक आवर्ती सहित यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। मैं आपके माध्यम से परिवहन मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि इस तरह की व्यवस्था कर दें जिससे जो 40 प्रतिशत से ज्यादा विकलांग है उसके चाहे हाथ या पैर न कटे हों उसको एक आवर्ती सहित यात्रा की सुविधा मिलेगी चाहे वह साधरण बस हो या पवन बस हो विकलांग भी समाज का एक अंग है मेरा परिवहन मंत्री जी से व्यक्तिगत अनुरोध है कि इसकी व्यवस्था करने का कष्ट करें। मैं भी 2 फरवरी, 1974 के पहले विकलांग नहीं था मेरे भी दोनों हाथ थे सारी चीजें थीं।

श्री अध्यक्ष--

कैसे कट गया ?

श्री अमरजीत सिंह जनसेवक--

उस समय मैं बी0 एड0 का छात्र था मेरे बगल में रेलवे स्टेशन था वाना में कालेज था बगल में रेलवे स्टेशन था मैं स्टेशन पर गया वहां पर नीचे से क्रास होकर निकल जाना चाहता था उस समय ट्रेन खड़ी हुई थी लेकिन उसी समय गार्ड ने झण्डी दिखा दी और सीटी बजा दी। मुझे ध्यान में नहीं था कि गाड़ी छूटने वाली है लेकिन जब मैं बीच में प्रवेश किया तो गाड़ी चल दी मैंने जल्दी में क्रास तो कर लिया लेकिन इंगल में हाथ फंस गया और हाथ पर से पूरी ट्रेन निकल गयी। मैं जब गांव गया तो गांव वाले इकट्ठे हो गए और कहने लगे कि रघुराज के नाती का हाथ कट गया अब ओहका क्या होगा। सौभाग्य से मेरा उस समय विवाह हो चुका था नहीं तो कौन बाप अपनी लड़की का विवाह मुझसे करता। गांव वाले कहने लगे कि अब इनका लड़का बेकार हो गया किसी काबिल नही रहा उसी समय मैंने सोच लिया था मुझे कुछ बनकर दिखाना है और गांव ही नहीं तहसील ही नही प्रदेश और देश में कुछ करके दिखाना है। मैंने उसी समय झोला टांगकर पूरे देश का भ्रमण किया और विकलांगों को इकट्ठा किया और दिल्ली में तालकटोरा में सम्मेलन किया। उस समय देश की प्रधान मंत्री स्व0 श्रीमती इंदिरा गांधी थी मैं श्रीमती सुशीला रोहतगी जो कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की चेयरमैन थी, के माध्यम से श्रीमती इंदिरा गांधी से मिला और उनसे कहा कि मैडम विकलांगों के लिए राज्य सभा और विधान सभाओं में आरक्षण कीजिए क्योंकि मैं आगरा विश्वविद्यालय में छात्र संघ का उपाध्यक्ष भी था इसलिए मेरे मन में यह भाव था कि विकलांगों को राजनीति में आना चाहिए। वह मेरी बात पर हँसी और कहा कि ठीक है उन्होंने मुझे बिठाया भी। इसके बाद राजीव गाँधी प्रधान मंत्री हुए उनसे भी मैं मिला और मांग किया। राजीव गाँधी ने हमको जापान भी भिजवाया और वहाँ हमने विकलांगों के जीवन पर अध्ययन किया।

हमारे घर में चिट्ठी आई कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने आपको मिलने के लिये बुलाया हैं। जब मैं वहाँ मिलने के लिये गया तो पता चला कि हमको एक पेट्रोल पम्प दिया गया है।

श्री प्रदीप माथुर--

तब भी आप भारतीय जनता पार्टी में है।

श्री अमरजीत सिंह जनसेवक--

अरे भई बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। अरे भई मेरी पूरी बात तो सुनो उसके बाद कहिये। ऐसा कोई राजनैतिक दल नहीं है जिसके नेताओं के साथ मेरे व्यक्तिगत सम्बन्ध न हों। प्रदीप माथुर जी आप बात करते हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसके नेता मुझे न चाहते हों। मैंने सभी दलों के सामने कटोरा फैलाया कि विकलांगों को भी

विधान सभा या राज्य सभा में मनोनीत कीजिये। जब किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। मैं आवाहन करता हूं विधान सभा के अन्दर कि जब कोई चीज माँगने से नहीं मिलती है तो उसे लड़कर लेना चाहिए। जब किसी दल ने हमारी बात नहीं सुनी तो भारतीय जनता पार्टी के फतेहपुर जनपद के बिन्दकी क्षेत्र से मैं एक हाथ के बल बड़े-बड़े भुजा वालों को, बाहुबलियों को पराजित करके मैं अमरजीत सिंह लगातार चुनाव जीतकर आ रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष--

आप कुछ इस बजट पर भी बोलिये।

श्री अमरजीत सिंह जनसेवक--

मान्यवर, आपके ही आदेश पर कि यह हाथ कैसे कटा तो मान्यवर मैं वह बता रहा था। मान्यवर, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे यहां टोटा बिसौली एक गांव है यहां पर माननीय लोक निर्माण मंत्री अनुराधा चौधरी ने शिलान्यास किया था और आज भी वहाँ पर शिलान्यास का पत्थर वैसे ही लगा हुआ है। मान्यवर, अगर वह पुल बन जाता तो वहाँ पर 50 किमी0 जो लोगों को चलकर कानपुर आना पड़ता है उसकी बचत हो जाती। मान्यवर हमारे यहाँ जरारा, गुडवारा, आलमपुर, मथुरापुर आदि तमाम ऐसे गाँव है जहाँ विद्युतीकरण का अभाव है। मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूं कि उन गांवों का विद्युतीकरण किया जाय। इसके साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूँ कि कन्या विद्या धन योजना के बारे में हमारे यहां कृष्णापुर गांव में एक लड़की है उसका नाम बीनु विश्वकर्मा है, वह इन्टरमीडिएट सेकेण्ड डिवीजन से पास है उसके पिता का नाम सियाशरण विश्वकर्मा है। वह लगातार डी0वाई0ओ0एस0 कार्यालय, तहसील के चक्कर लगाकर थक चुकी तो एक दिन मेरे से भी सम्पर्क किया। मैंने जिला विद्यालय निरीक्षक से पूछा कि इस लड़की को 20 हजार रुपये कन्या विद्या धन का क्यों नहीं मिले तो उसने कहा कि यह महात्मा गाँधी स्कूल चौडगरा की छात्रा है और इसका फार्म हमको नहीं मिला है। मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करूंगा कि हर जनपद में जो धोखा-धड़ी चल रही है जो विद्यालयों में इस तरह का दोहरा मापदण्ड अपनाया जा रहा है जिसको प्रभावित कर लेते हैं जो 20 हजार के स्थान पर 15 हजार लेने को तैयार हो जाता है उसका सहयोग कर देते है।

श्री अध्यक्ष--

आप यह लिखकर मंत्री जी को दे दीजिये तो इसकी जांच हो जायेगी और कुछ कहना चाहते है।

श्री अमरजीत सिंह जनसेवक--

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में बिजली नाम की कोई चीज नहीं है। उससे एक किलोमीटर की दूरी पर 24 घंटे में से कम से कम 22 घंटे आती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जहाँ 22 घंटे बिजली आ रही है वहां एक प्लग उठाकर मडवा फीडर से उठाकर चौडगरा फीडर को देने का कष्ट करें। मान्यवर, फतेहपुर जहाँ कि सोहन लाल द्विवेदी जैसे राष्ट्रीय कवि पैदा हुए। उनकी जन्मशताब्दी मनाई जा रही है। बावनी इमली जैसे स्थान जहां सुराजपुर छोटी काशी के नाम से जाना जाता है मान्यवर, बिजली के लिये यदि उसको चौडगरा फीडर से जोड़ दिया जाय तो वहाँ बिजली आने लगेगी।

डॉ0 अजय कुमार--

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2006-2007 का जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया है, आपने मुझे उसके समर्थन में बोलने के लिये अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, पूरे बजट पर जितनी चर्चा चल रही है बजट प्रस्तावों को छोड़कर यह जरूर कहा जा सकता है कि यह बजट लोक कल्याणकारी और मुलायम भी है। राज्य सरकार द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है यह राज्य के सर्वांगीण विकास को आगे बढ़ाने का भरसक और ईमानदार प्रयास है। प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता 500 रुपये देने की बात कही है। जो देश के लिए अनुकरणीय उदाहरण है। कन्या विद्या धन योजना में राशि को बढ़ाकर दुगुना कर दिया गया है। इससे छात्राओं एवं महिलाओं को खुशी होगी महिला वर्ग का उत्थान होगा। मदरसों में आलिया पास करने वाली लड़कियों को भी कन्या धन योजना में लिया गया है। इसके अतिरिक्त मेट्रो को नोएडा तक लाने के लिए 736 करोड़ रुपया स्वीकृति किया गया है। दो इंजीनियरिंग कालेज और तीन मेडिकल कालेजों की स्थापना की योजना बनाई गई है। पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए 247 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई होटल नीति की घोषणा की गई है। मान्यवर, बिजली की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। इसके उत्पादन से लेकर वितरण तक दो हजार करोड़ की बजट में व्यवस्था की गई है। मुझे खुशी है लम्बे समय बाद 210 मेगावाट की पहली पारीछा की यूनिट इसी अप्रैल माह तक उत्पादन शुरू करने की व्यवस्था की गई है। विष्णु प्रयाग जल विद्युत की पहली इकाई भी आगामी माह में बिजली का उत्पादन शुरू करेगी। ऊर्जा विभाग के वायदों और दावों के अनुरूप, ग्रामीण क्षेत्रों को जितनी बिजली आपूर्ति चाहिए थी उतनी बिजली नहीं मिल रही है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आठ-दस घंटे बिजली देनी की बात की जाती है। वह नहीं दी जा रही है। मुश्किल से चार-पांच घंटे बिजली मिलती है। मेरा सुझाव है नई परियोजनाओं से जो बिजली का उत्पादन किया जाए। उसे ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ मोड़ने का काम होगा। आपको जानकारी होगी पूरे प्रदेश की तीन चौथाई ग्रामीण जनसंख्या को लखनऊ, आगरा, कानपुर, बनारस के बराबर बिजली आपूर्ति की जाती है- यह आंकड़े बताते हैं। प्रदेश की तीन चौथाई जनसंख्या गांव में बसती है ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए बिजली की व्यवस्था का माकूल प्रबन्ध हो- इसके लिए अतिरिक्त प्रयास किया जाना चाहिए। बजट में आई0टी0 के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य प्रस्तावित हैं, इससे उद्योग जगत उत्साहित है। 682 करोड़ रुपये की जलाशय की योजना शुरू की गई है क्योंकि भूमि का जल स्तर नीचे जा रहा है यह योजना शुरू कर प्रशंसनीय कार्य, सरकार द्वारा किया जा रहा हैं इसके अतिरिक्त आठ लाख अतिरिक्त वृद्धों को पेंशन, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य में 65 फीसदी की वृद्धि की गई है। इसी तरह से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत, कमाऊसदस्य की मृत्यु पर सहायता राशि दस हजार से 20 हजार कर दी गयी है यह भी महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। 5 लाख अतिरिक्त विकलांगों को विकलांग पेंशन देने की व्यवस्था की गई है। तहबाजारी खत्म करने, फार्म-31 की पुरानी व्यवस्था, सेटमेन्ट आयोग का गठन व्यापारियों की सराहना मुख्य मंत्री जी को मिल रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं जो व्यापारी आपके समर्थक समझे जाते थे अब वह मुख्य मंत्री जी की प्रशंसा कर रहे हैं। बीजों पर 200 रु0 प्रति कुन्तल अनुदान राशि को बढ़ाने हेतु, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से बार-बार कहा गया, उस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया। मुख्य मंत्री जी ने अपने संसाधनों

में 24 करोड़ की व्यवस्था करके 120 रु0 बीजों हेतु कुन्तल अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था की है। यह स्वागत योग्य कदम है। अनुदान राशि बढ़ाकर 200 रु0 किया जाना चाहिये, इसमें सरकार को 16 करोड़ और अधिक खर्चा करना पड़ेगा। मैं उन्नत बीजों पर जोर इसलिए देना चाहता हूं कि बीज खेती की आधारभूत निवेश है अगर बीज के रिप्लेशमेंट रेट का प्रतिशत देखा जाए तो प्रदेश में वर्ष 2003-04 में इसका 16 प्रतिशत की रिप्लेशमेंट दर रही है, यानि 16 प्रतिशत बीज ही बदला जाता है। जबकि वैज्ञानिकों का मानना है कि 10 से 15 प्रतिशत की उपज में बढ़ोत्तरी हो जाती है अगर उन्नतशील प्रजाति का बीज प्रयोग किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा देश कृषि प्रधान होते हुए भी, हम अभी 16 प्रतिशत पर ही पहुँच पाए हैं। वर्ष 2004-05 में यह दर 17.90 थी और इस वर्ष 18.5 प्रतिशत निर्धारित है। यदि विकासशील देशों में देखा जाए तो यह दर कम से कम 50 प्रतिशत के आस-पास है। तो मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि अगर प्रदेश की विकास दर को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कृषि की विकास दर बढ़ानी होगी और इसमें बीज का महत्वपूर्ण योगदान है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस ओर ध्यान दिया है, वह इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, बीजों पर सरकार द्वारा 120 रुपये का अनुदान दिया गया है, उसमें 80 रुपये कम से कम और बढ़ाये जायें तथा 200 रुपये प्रति कुन्तल की दर से अतिरिक्त अनुदान जरूर दिया जाए। मान्यवर, कुछ क्षेत्र की समस्याएँ हैं, पूर्वी यमुना नहर से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत और गाजियाबाद जनपदों में सिंचाई होती है, पिछले दो वर्षों से वर्षा के अभाव के कारण, इस नहर में पानी कम ही आ पा रहा है। यह नहर इन चारों जिलों के लिए लाइफ लाइन है। पूर्वी यमुना नहर प्रणाली के पुनरुद्धार की आवश्यकता है। प्रस्तावित लिंक नहर परियोजना जिस पर काम चालू है, उसके काम को और तेज किए जाने की आवश्यकता है, चाहे उसके लिए डबुल यूनिट लगानी पड़े। मान्यवर, मेरा दूसरा सुझाव है, मेरा अभी एक क्वीशचन भी था, सरकार ने माना भी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकतर विद्युत उपकेन्द्र, 33 के0वी0ए0, 132 के0वी0ए0 और 220 के0वी0ए0 के हैं, अतिभारित हैं, इस कारण जितनी बिजली उपभोक्ताओं को मिलनी चाहिए, उतनी बिजली नहीं मिल रही है। मेरा सुझाव है कि इस अतिभारिता को देखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अतिभारित विद्युत उप केन्द्रों की क्षमता बढ़ायी जाए तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अतिभारित विद्युत उपकेन्द्रों को डबुल ग्रुप में विद्युत सप्लाई मुहैया कराई जाए ताकि वायदे के अनुरूप उपभोक्ताओं को बिजली मिल सके। मान्यवर, सहारनपुर मण्डल में हजारों किसानों ने निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण के लिए आवेदन किए हैं, लेकिन उनके कनेक्शन जारी नहीं हुए हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूँ, कि इन मण्डलों के किसानों के ट्यूबवेलों के ऊर्जीकरण का लक्ष्य और बढ़ाया जाए जिससे दिसम्बर 2005 तक के सभी आवेदन क्लीयर हो सकें। मान्यवर, सरकार द्वारा घोषित गन्ना मूल्य के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के किसानों को निजी चीनी मिलें 13 रुपये अतिरिक्त बोनस के रूप में भुगतान दे रही हैं, मैं चाहता हूँ कि सहकारी क्षेत्र और निगम की चीनी मिलें भी ऐसा ही बोनस दें। यद्यपि यह शासनादेश हो गया है कि जो सरकारी मिलें प्राफिट में हैं, वह बोनस दें लेकिन दुर्भाग्य है कि सहकारी क्षेत्र में गन्ना किसानों को अब तक बोनस का भुगतान नहीं मिल पा रहा है। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र का गांव खड़ान है, लम्बी लाइन होने के कारण अधिक ब्रेकडाउन होता है इसलिए मैं चाहता हूं कि गांव माजरा में 33/11 के0वी0ए0 का एक विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किया जाए जिससे क्षेत्र के आस-पास के किसानों को कम विद्युत आपूर्ति की

समस्या से छुटकारा मिल सके। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के कई मार्गों को निमार्ण कराया जाना अति आवश्यक है, जिनमें बड़ौत से अमीनगर-सराय को जाने वाला मार्ग (गांव फतेहपुर पुट्ठी तक) एवं आदर्श नगला से बदरखा-ककोर मार्ग अत्यन्त जर्जर हालत में है, इन सड़कों का निर्माण त्वरित आर्थिक योजना के अन्तर्गत तुरन्त कराने की व्यवस्था सरकार से चाहूँगा।

मान्यवर, बजट कल्याणकारी है लेकिन सरकार को ऐसे प्रयास करने होंगे जिससे उत्तर प्रदेश की विकास दर राष्ट्रीय स्तर की विकास दर के बराबर हो सके। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस लोक कल्याणकारी बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री उदयभान करवरिया--

मान्यवर, आपने मुझे मुख्य मंत्री जी द्वारा बजट के विरोध में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, यह सरकार और इस सरकार के अधिकारी इस बजट चर्चा पर कितने गम्भीर हैं इसका अंदाजा उनकी उपस्थिति को देखकर लगाया जा सकता है। सत्तापक्ष के लोगों की संख्या को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह केवल एक फार्मिलिटी है।

श्री अध्यक्ष--

ऐसा नहीं है, ऊपर बैठे होंगे। आपकी सब बात आ रही है।

श्री उदयभान करवरिया--

मान्यवर, इस पर जो टिप्पणी आ रही हैं उस पर कार्यवाही कब तक होगी इस पर कृपया व्यवस्था दे दें। मान्यवर, कानून व्यवस्था के विषय में इस सरकार ने बहुत वायदे किये कि कानून व्यवस्था सुधरेगी, कानून व्यवस्था अच्छी है, थानों में मुकदमें दर्ज हो रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं वह अपने हृदय पर हाथ रखकर कह दें कि कितने मुकदमें दर्ज हो रहे हैं। मान्यवर, थानों में तैनात पुलिसकर्मी आज पार्टी विशेष के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक वर्ष पूर्व 8 लाख रुपये की लूट हुई थी। लेकिन सड़क के इधर और सड़क के उधर के क्षेत्र के चक्कर में 2 दिन विलम्ब से मुकदमा दर्ज किया गया। मान्यवर, एक लड़का जिसका नाम मनोज अग्रहरी था उससे बैग लूटकर यह लूट हुयी थी। एक वर्ष से ज्यादा समय बीत गया, मैंने विधान सभा में प्रश्न भी लगाया था और उसका जबाव आया था कि अपराधियों की पहचान की जा रही है और जल्दी से जल्दी कार्यवाही होगी। लेकिन आज 14 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक यह नहीं पता कि किसने लूट की। पुलिस ने कोई कार्यवाही आज तक उसमें नहीं की है। मान्यवर, कानून व्यवस्था की स्थिति का इससे अनुमान लगाया जा सकता है। मान्यवर, 4 महीने पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र में सुरेन्द्र त्रिपाठी का 4 वर्ष का लड़का और उनके बगल में अनुसूचित वर्ग की महिला रहती है, वह घरों में रोजमर्रा का काम करके अपना जीवनयापन करती है, उसकी 3 वर्ष की बच्ची थी। कुछ लोंगों ने उसे किडनैप किया। 15 दिन तक पुलिस ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। वहां की सी0ओ0 महिला है। वह बिल्कुल संवेदनहीन है। लोग उसके पास गये, मैं भी उसके पास गया तो उसने कहा कि जिसको दिक्कत हो वह हमें कार्यालय में बताये, मैं मौके पर नहीं जाऊंगी। मान्यवर, उसके बाद हश्र क्या हुआ। करीब 19 दिन के बाद दोनों बच्चे एक बोरे में सड़ी-गली अवस्था में मिले, उनके शरीर पर कीड़े चल रहे थे। एक के पेट में घाव था और एक के सिर पर घाव था। मैं कहना चाहता हूँ कि जब चक्का जाम किया गया तो दूसरे दिन पुलिस ने षड़यंत्र का पता कहां से लगा लिया ?

(इस समय 3 बजे है।)

मान्यवर, 19 दिन तक पुलिस यह कह रही थी कि इसमें गम्भीरता नहीं है, सच्चाई नहीं है और उन्नीस दिन बाद वह लाश कहाँ से आ गयी ? पुलिस के दरोगा सुरेन्द्र त्रिपाठी के घर गये और कहते हैं कि कही से बदबू आ रही है, पूरे मुहल्ले को बदबू नहीं आयी और उनको बदबू आ गयी। जो अर्ध निर्मित छत थी, पुलिस वाले बाउन्ड्री फांदते हैं और लाश पड़ी होती है। उन्नीस दिन से लाश बोरे में बंद होगी तो जमीन में सीलन होगी और पूरे मुहल्ले में बदबू व्याप्त हो जायेगी, लेकिन कही कुछ नहीं था। तो यह कानून व्यवस्था की स्थिति हैं, यह संवेदनहीनता की स्थिति हैं। किन लोगों ने यह घटना की इसका खुलासा आज तक पुलिस नहीं कर पायी है और न ही वह इन्टरेस्टेड है। नगर निगम इलाहाबाद में ठेकेदारी को लेकर दो पक्षों में गोली चल गयी। दोनों सत्ता पक्ष से संबंधित हैं। एफ0आई0आर0 हुई, मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन किस बात की चिन्ता, सत्ता पक्ष के लोग ही ठेके पायेंगे, कब्जा पायेंगे। मुकदमा होगा तो कोई बात नहीं सब सम्भाल लेंगे। तो स्थितियां इतनी गड़बड़ हैं। पी0डब्लू0डी0 विभाग है, रेलवे विभाग है, किसी भी विभाग में देख लीजिये, जिस दिन टेन्डर होता है समाजवादी पार्टी का झण्डा लगी गाड़ियाँ आपको दिखेंगी। एक चरम सीमा तक कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ रही हैं, तो इसको सम्भालने की आवश्यकता है। मन साफ करके इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए योजना बनानी पड़ेगी। मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात कहना चाहूँगा, हमारे यहां शंकरगढ़ विकास खण्ड, जो कि अनुसूचित जाति, कोल जाति का क्षेत्र है तथा यह पहाड़ी क्षेत्र है। यहां पर ददुआ का आतंक व्याप्त है, लड़कियों के लिए विद्यालय नहीं है। लड़कियां दस बारह किलोमीटर पैदल चलकर जसरा दूसरे विकास खण्ड में पढ़ने जाती हैं। उनके आने-जाने के साधन की कोई व्यवस्था नहीं है। दो बार से जिला योजना से पास होने के बाद भी सारी चीजों के हो जाने के बाद भी, जमीन आदि की व्यवस्था हो जाने के बाद भी उसका धन अवमुक्त कराने के लिए न तो सरकार के पास समय है और न ही धन है। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने पिछले दिनों प्रमुख सचिव लेबिल के अधिकारियों को भेजा था कि वह गांवों में जायेंगे और वहां समीक्षा करेंगे, बैठक करेंगे और वहां की कमियों को दूर करने का आश्वासन देंगे। हमारे यहां परिवहन आयुक्त को भेजा गया था। दस हजार की संख्या में लोगों ने खड़े होकर कहा कि हमारे यहाँ जी0जी0आई0सी0 की स्थापना होनी है। उन दस हजार की संख्या के बीच में जिले के अधिकारी का कथन था कि यह तो नेतागिरी के चक्कर में फंसा हुआ है। तो बीजेपी का विधायक होने के नाते वहां इसकी स्थापना नहीं होगी ? अगर उस विद्यालय की स्थापना हो जायेगी तो क्या सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बच्चियाँ पढ़ेंगी और की नहीं ? मान्यवर, जब स्कूल खुलेगा तो वहां पर हर वर्ग के, हर जाति के लोगों के बच्चे पढ़ेंगे। आज एक दल विशेष के लोगों को महत्व देकर योजना बनाने का काम हो रहा है। कहाँ होना यह चाहिए कि लड़कियों को पढ़ने के लिए स्थान मिले, विद्यालय की स्थापना हो उनका जीवन सुरक्षित हो। जब यह सारी चीजें होंगी तभी यह माना जायेगा कि यह सरकार कुछ काम कर रही है और कुछ करना चाहती है। मान्यवर, आज प्राइमरी स्कूल में अध्यापक नहीं हैं। हमारे शंकरगढ़ में अस्सी प्रतिशत विद्यालयों में अध्यापक नहीं हैं शिक्षा मित्र अगर न हों तो शायद स्कूल भी न खुले, कारण क्या है ? अध्यापक क्यों नहीं भेजे जा रहे हैं मान्यवर, मेरा ही नहीं यह पूरे विधायकों का दर्द होगा। प्राइमरी विद्यालयों की समीक्षा कर ली जाय पूरे प्रदेश में कि कितने प्राइमरी स्कूल हैं और कितने अध्यापक हैं। कक्षा एक से लेकर पांच तक विद्यार्थी हैं और कक्षा एक से पांच तक विद्यार्थियों को इकट्ठा करके पेड़ के नीचे सबको बैठा करके एक शिक्षा मित्र या एक प्राइमरी अध्यापक पढ़ा रहे हैं, मान्यवर, हमारी

शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक होगी ? क्या किसी में इतनी क्षमता है कि एक से लेकर पांच तक के विद्यार्थियों को एक साथ एक समूह में बैठा करके अलग-अलग चीजों की पढ़ाई करा सकें। मान्यवर, जो कक्षा एक के विद्यार्थी को पढ़ाने की बात होगी वह कक्षा पांच के विद्यार्थी को नहीं पढ़ाई जायेगी और जिस स्तर पर पांचवें वाले को शिक्षा दी जायेगी उस स्तर की शिक्षा वह कक्षा एक का विद्यार्थी समझ नहीं पायेगा। मान्यवर इसकी व्यवस्था ठीक करायी जाय। केवल नये प्राइमरी विद्यालयों की स्थापना कर देने से वाहवाही नहीं लूटी जा सकती है, सबसे पहले जो मूलभूत सुविधायें हैं उनको ठीक करने की जरूरत होगी। मान्यवर एक कमरा और कक्षा पांच तक के विद्यार्थी हैं तो कम से कम पांच अलग-अलग कमरे होने चाहिए। सब कमरों के लिये सब क्लास के लिये अध्यापक की व्यवस्था होनी चाहिये। मान लीजिए अध्यापकों की व्यवस्था में कोई दिक्कत आ रही है तो कम से कम शिक्षा मित्र हर कक्षा के लिए एक नियुक्त कर देना चाहिए। बहुत से बेरोजगार हैं और आप बेरोजगारी भत्ता देने की बात करते हैं बहुत से बेरोजगार पढ़े-लिखे नौजवान टहल रहे हैं आप उनका शिक्षा मित्र में चयन कर दीजिए हर प्राइमरी विद्यालय में पांच-पांच शिक्षा मित्रों का चयन कर दीजिए।

श्री वसीम अहमद--

एक लाख से ज्यादा भर्ती हुई हैं।

श्री उदयभान करवरिया--

जो भी नियुक्तियां हुई हैं, मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूँ, जो नियुक्तियां कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है उसे अच्छा कर दें आपको लोग प्रशंसा करेंगे, एक साल, छः महीने, चार महीने बाद पता नहीं कब चुनाव हो जाय, तो आप अच्छा कार्य करते रहेंगे तो आप दोबारा चुनाव जीत कर के आ जायेंगे, लेकिन जिस तरह से आपने व्यवस्था कर रखी है उसमें बहुत मुश्किल है, बहुत दूरी लग रही है कि आप दोबारा आने की स्थिति में आ पायेंगे, इसलिए कुछ ऐसा कर जायें कि आगे आने वाले समय में कम से कम आप इतनी संख्या में तो रहे कि चार-छः विधायक कम से कम इकट्ठे होकर अपनी बात कहने की स्थिति में रहे, कुछ इस तरह की व्यवस्था बनाकर के जाइये। मान्यवर, जल का स्तर दिन प्रति दिन गिरता जा रहा है, हैण्ड पम्प लगाये जा रहे हैं तो छः महीने के बाद उसमें पानी आना बन्द हो जाता है। मान्यवर कुछ इस तरह की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, जिन तालाबों पर अतिक्रमण कर रखा है, जिन तालाबों पर बड़े-बड़े लोगों ने अपने मकान बना रखे हैं, जिन तालाबों पर लोगों ने झोंपड़िया डाल रखी हैं या किसी अन्य तरह से कब्जा कर लिया है, पानी जब ऊपर से बरसेगा उसका संचय नहीं किया जायेगा, उसको इकट्ठा नहीं किया जायेगा तो मान्यवर जल स्तर कैसे बढ़ेगा इस पर सरकार को अपना ध्यान आकृष्ट करना चाहिए और ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि कम से कम उत्तर प्रदेश में जल स्तर थोड़ा सा ऊपर आ जाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोल आदिवासी क्षेत्र हैं, ईंटा-पत्थर का काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं और शाम को 50 रुपये कमाई हो पाती है बहुत मुश्किल से वह भी हो पाती है और मान्यवर जब वह पानी पीने के लिए ढूँढ़ते हैं तो तालाब का पानी जो गंदा है उसको छान कर के वह रखते हैं उसको पीने की व्यवस्था बनानी पड़ती है, यह किसी दिन देखने से आत्मा में लगता है यह कष्ट है लोगों को, बड़ी-बड़ी बातें यहां विधान सभा में खड़े होकर कहा अच्छा बजट है, बहुत अच्छा गरीबों का उद्धार हो रहा है, यह कहने से गरीबों का उद्धार नहीं हो जायेगा, यह कहने से सारी व्यवस्था प्रदेश में अच्छी नहीं हो जायेगी, उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके तब उस पर आगे बढ़ना और करना पड़ेगा। मान्यवर

पी0डब्लू0डी0 मंत्री जी की बहुत तारीफ हुई, मान्यवर सड़कों का बजट बहुत बढ़ा दिया गया है। थोड़ा उदार नीति अपनायेंगे, जिस प्रकार से पिछली बार पांच-पांच किमी0 प्रत्येक विधायक को उन्होंने सड़क दी है, अच्छा काम किया है यह सराहनीय काम किया है इसको कहने में कोई दिक्कत नहीं है, जो बजट बढ़ाया है पुन: उसी प्रकार से उदार नीति अपनायेंगे और उदार नीति अपनाते हुए सारे विधायकों को बराबर का, उनके विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के रख-रखाव के लिए, नई सड़कों के निर्माण के लिए करेंगे। मान्यवर पचवर, मेरे विधान सभा में एक क्षेत्र है जहाँ पर एक नदी है और तालाब है, दो साल से उसका प्रस्ताव सरकार के पास पेण्डिंग है, केवल एक रपटा के निर्माण की आवश्यकता है और उस रपटा का निर्माण हो जाने से लोगों को 50 किमी0 से घूम कर के बगल वाले गांव से जाना पड़ता है अगर उसका निर्माण हो जायेगा तो लोगों को सुविधा हो जायेगी। मान्यवर उसकी तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ तो उसको भी जरा सा देख लेंगे।

मान्यवर, अल्पसंख्यक बाहुल्य बजट मुझे यह लगता है। अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए बहुत प्राविधान कर दिये गये है। इससे क्या धर्मान्तरण बढ़ने की उम्मीद नहीं लगती है। मान्यवर, मुगल शासन भारतवर्ष में था और उस समय भारी मात्रा में धर्मान्तरण हुआ है। मान्यवर, जिनको हम अल्पसंख्यक कहते हैं वह हैं कौन ? एक हिन्दु परिवार के सदस्यों को मुसलमान बना दिया जाए और उसकी तीन पीढ़ी बीत जाने पर वह अल्पसंख्यक हो जायेगा ? मान्यवर, हमारे यहां एग्रीकल्चर इन्स्टीट्यूट है वह डीम्ड युनिवर्सिटी है उसके जो प्रोवीसी हैं वह अपने यहां गरीब लोगों को गाड़ी भजकर बुलवाते हैं। और, धर्म का प्रचार करते हैं और उन गरीबों को फ्री में भोजन भी कराते हैं और इस तरीके से धर्म की बात करके धर्म परिवर्तन कराते हैं। इन सब बातों का कारण क्या है वह है गरीबी। मुगलों ने धर्म परिवर्तन कराया और जिनका कराया वह गरीब थे। इसी तरह से आज हमारे यहां तमाम मिशनरीज के लोग हैं जो धर्म परिवर्तन का काम करा रहे हैं और लोगों की गरीबी का लाभ उठाकर यह कर रहे हैं। मान्यवर, इसलिए जब तक इस प्रदेश से गरीबी नहीं मिट जायेगी तब तक यह धर्म परिवर्तन का सिलसिला चलता रहेगा। यह अल्पसंख्यकों को लाभ देने की बात क्यों आ रही है ? इसमें एक चीज की जांच करा लेनी चाहिए मुख्य मंत्री जी को कि जो लोग धर्म परिवर्तन करके अल्पसंख्यक हुये हैं यह लाभ उनको नहीं प्राप्त होगा। इससे धर्म परिवर्तन और धर्मान्तरण की बात रुक जायेगी। मान्यवर, यह बजट मात्र चुनावी बजट है मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं।

श्री विजय बहादुर पाल--

मान्यवर, आपने मुझे बजट की साधारण चर्चा पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको कोटि-कोटि धन्यवाद। मान्यवर, यह बजट हमारे क्रान्तिकारी और बेजोड़ नेता ने प्रस्तुत करके विपक्ष की बोलती बन्द कर दी है। विधान सभा में ये लोग भले ही कुछ कहें, लेकिन जब घर जाते हैं तो इनके बीबी बच्चे भी इस बजट की सराहना करते हैं।

मान्यवर, बेटी बोझ न बने, बेटी का समाज में स्थान हो, उसके विवाह में कोई बाधा न बने और बेटी भी देश और प्रदेश की प्रगति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, इस बात को कोई कुवाँरा नहीं सोच पाया, न कोई कुवांरी सोच पायी और न कोई लरकौरी सोच पायी। लेकिन हमारे नेता ने इसको सोचा और इन्टर पास बेटियों को 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देकर एक क्रान्तिकारी और सराहनीय कदम उठाया है।

मान्यवर, जो हमारे उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगार लोग जिनको रोजगार नहीं मिलता था और जिनकी बेरोजगारी की हालत में लाशें रेल पटरियों पर खून से लतपथ मिलती थी, नदियों के किनारे सड़ती मिलती थी या चूहा मार दवा खाकर जो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते थे और जिनके बारे में आज तक कोई नहीं सोच पाया था, हमारे महान नेता ने घोषणा की है कि हम उन बेकारों को या तो काम देंगे या बेकारी का भत्ता देंगे। मान्यवर, विपक्ष की ओर से यह बार-बार कहा गया है कि यह बकवास है हमारे नेता जो कहते हैं, वह करते भी हैं। हमारे नेता ने 500 रुपया महीना बेकारी भत्ता देने की बात कही है, जो अपने आपमें एक ठोस और सराहनीय कदम है। (सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)।

मान्यवर, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर, गरीब नौजवान विद्यार्थी और विद्वान हो, व्यापारी हो, हिन्दू, मुस्लिम हो, किसी वर्ग को इस बजट में अछूता नहीं छोड़ा गया है। मान्यवर, जो किसान चट्टानों से टकराते हैं ऊसर जमीन को ऊपजाऊ बनाते हैं और अपने खून पसीने की मेहनत से विकास की गंगा बहाते हैं उनके लिए सर्वाधिक किसी ने सोचा है तो वह हमारे माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने सोचा है। दूसरे लोग किसान के लिए बड़ी बड़ी बातें कह गये। भारत का भाग्य विधाता उन्हें कहा, लेकिन उनके सुख-दुख की किसी ने चिन्ता नहीं की। वरना यहां का किसान घुट-घुट कर नहीं जीता और मर-मर कर नहीं जीता। उनके बेटे भी गांव में अच्छी जिन्दगी जीते और ऊंची कुर्सियों के हकदार होते।

मान्यवर, यह बजट लोक नायक जय प्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्र देव, डा0 राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह जी के सपनों को साकार करने वाला बजट है।

हम चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा हो, चाहे पर्यटन हो, चाहे परिवहन हो, चाहे पर्यावरण हो, जिन्दगी के विविध क्षेत्रों की हमारे नेता को परख रही है। हमें यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि इस बजट में करों का बोझ नहीं लादा गया। इस बजट में खर्चे में कटौती की गयी और इसमें आमदनी संसाधन बढ़ाने के लिए सराहनीय प्रयास किये गये हैं। यह अत्यन्त दुखद है कि हम सच्चाई से सामना करना नहीं चाहते। हम सच्चाई से, गहराई से विचार नहीं करना चाहते। यह उत्तर प्रदेश भव्य भारत का विशाल हृदय है। उत्तर प्रदेश की प्रगति का मतलब भारत की प्रगति। क्या सब सच्चाई से स्वीकारेंगे कि एक दिन था, जब उत्तर प्रदेश बिहार से थोड़ी सी नीची सीमा से ऊपर को जाता हुआ दिखाई देता था। आज उत्तर प्रदेश उद्योगों को प्रदेश बने, आदर्श प्रदेश बने, प्रगति पथ की प्रथम पंक्ति में खड़ा होने वाला प्रदेश बने, इसके लिए पूरा प्रयास इस बजट में किया गया है। इसलिए इस बजट की भूरि-भूरि सराहना की जाय। किन शब्दों में सराहना की जाय, वह शब्द पर्याप्त होंगे, विपक्ष के पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता है। इनके पास कोई रचनात्मक काम नहीं होता। इन्हें तो लाशों में वोट दिखाई पड़ता, यह गर्व गर्जनाओं के लिए मशहूर हैं। यह शब्दों के जादूगर हो सकते हैं आज बड़बोलेपन को कुछ कहने को नहीं, आज घर बोलेपन को कुछ कहने को नहीं, यह ऐसी स्थिति है जिसकी भूरि-भूरि सराहना की जानी चाहिए। चाहे वृद्ध हों, चाहे बीमार हों, चाहे बेकार हों, चाहे विकलांग हों, चाहे असहाय हों, चाहे बेचारे हों, चाहे बेसहारे हों, सबके लिए इस बजट में गम्भीर चिन्तन और उनकी तकदीर सम्भालने के लिए सराहनीय प्रयास किया गया है। स्कूल कालेज, महाविद्यालय, चिकित्सालय, मेडिकल कालेज, टेक्निकल एजुकेशन के लिए पालीटेक्निक और इंजीनियरिंग कालेज खुलने हैं। शिक्षा के बिना प्रगति का सपना अधूरा रहता है। लेकिन इस बजट में शिक्षा के लिए सराहनीय प्राविधान किये गये हैं। इसलिए भी यह बजट स्तुत्य है। इससे अधिक और क्या हो सकता है ?

दूसरों ने नहीं चाहा कि गांव का बेटा, बेटी भी पढ़े, गांव की तकदीर भी सुधरे, हमारे नेता ने चाहा, बिना किसी जाति वर्ग के विभेद के सबको वजीफे, निःशुल्क पुस्तकें, पोशाकें और ऐसे अवसर मिले ताकि दीनहीन का बेटा भी विद्यालय में जाने और विद्या प्राप्त करने से वंचित न रह जाय। मान्यवर, नारी के लिए बहुत कुछ कहा गया, शब्द जाल भी बहुत रचे गये, तमाम अलंकार भी प्रयोग किये गये, महिलाओं के कल्याण के लिए कोई योजना अगर प्रस्तुत की गयी है तो हमारे ओजस्वी, तेजस्वी मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट में की गयी है। इसलिए मैं भूरि-भूरि सराहना करता हूं। ग्राम पंचायत प्रजातंत्र का प्रमुख स्तम्भ है, अपना हिन्दोस्तान कहां, वह बसा हमारे गांवों में, ग्राम पंचायतें ठीक से अपना काम करें इसके लिए प्रधानों को, ब्लाक प्रमुखों को, सदस्य जिला पंचायत को, अध्यक्ष जिला पंचायत को सम्मानजनक मानदेय और भत्ता देने की व्यवस्था करके इस बजट में सराहनीय कार्य किया गया है। इस अवसर पर यह बिना कहे नहीं रह सकता कि प्रदेश में दूसरी हलचलें, उसके बाद भी हमारे नेता ने, हमारी सरकार ने, हमारी जनप्रिय सरकार ने लोक कल्याणकारी कार्य करने और सराहनीय बजट प्रस्तुत करने का सराहनीय काम किया है। आप सब को कोटि-कोटि धन्यवाद।

(कुछ सदस्यों द्वारा उनको बोलने के लिये पुकारे जाने का अनुरोध करने पर)

श्री अध्यक्ष--

जब तक बोलने वाले रहेंगे, कोरम रहेगा, तब तक चलेगा और सबको बोलने का मौका मिलेगा।

*श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने वर्ष 2006-07 के मुख्यमंत्री के बजट भाषण पर हो रही सामान्य चर्चा में अपना विरोध करने का मुझे अवसर दिया। मैं इन बजट प्रस्तावों का विरोध करता हूँ। मैं इसलिये भी इसका विरोध करता हूँ कि यह बजट जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यह एक असंतुलित बजट है। बजट के पूरे प्रस्तावों को देखने से लगता है कि यह बजट सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिये नहीं बनाया गया है, बल्कि कुछ खास जिलों और कुछ खास क्षेत्रों के लिये बनाया गया है। बजट की भारी राशि इटावा, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, रामपुर जिलों के लिये आवंटित की गयी है और पूर्वी उत्तर प्रदेश की इस बजट में घोर उपेक्षा की गयी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में एक मेडिकल कालेज खोलने के अलावा विकास के कोई काम, कोई शिक्षण संस्थान या शोध संस्थान या अन्य कोई बड़ी परियोजनाओं की चर्चा इस बजट में नहीं की गयी है। इसलिये यह बजट विरोध करने योग्य है। बजट में बहुत ज्यादा क्षेत्रीय असंतुलन है, इसको ठीक किया जाना चाहिये। जब से माननीय मुलायम सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हुये हैं, तब से हर बार के बजट में, उसके अगले कदम के रूप में इस साल का जो बजट है, उसमें भी पूर्वी उत्तर प्रदेश की घोर उपेक्षा की गयी है। इस बजट के प्राविधानों में पूर्वी उत्तर प्रदेश की परियोजनाओं को शामिल नहीं किया गया है। मान्यवर, जब तक प्रदेश में या देश में किसी क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ नहीं होती और नागरिकों की जानमाल की हिफाजत की, सुरक्षा की गारण्टी सरकार नहीं देती, तब तक उस प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। प्रदेश में जब तक अपराधियों को भय नहीं सताता, तब तक वहाँ विकास नहीं हो सकता। दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश में इस सरकार के चलते अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है, संगठित अपराधी गिरोह इस प्रदेश में काम कर रहे हैं।

(इस समय 3 बजकर 22 मिनट पर अधिष्ठाता श्री वसीम अहमद पीठासीन हुये)।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सामूहिक नरसंहार हो रहे हैं, डकैतियां हो रही है, अपहरण हो रहे हैं और पूरी तरह से अपराधियों के लिये निर्भय होकर काम करने की शरणस्थली उत्तर प्रदेश बना हुआ है। ऐसी स्थिति में एफ0आई0आर0 भी नहीं हो रही है। मेरा आरोप है कि कुछ लोग चाहे वह जितना बड़ा अपराध करें, उनके खिलाफ किसी थानेदार की हिम्मत नहीं है, पुलिस प्रशासन की हिम्मत नहीं है, एस0पी0, डी0आई0जी0 की हिम्मत नहीं है कि वह उनके खिलाफ कार्यवाही करें। ऐसे समाज विरोधी तत्व कुछ खास वर्गों में हैं, उनके खिलाफ थाने में एफ0आई0आर0 तक नहीं हो रही है। ऐसी प्रदेश की स्थिति बनी हुयी है, इसलिये उत्तर प्रदेश में विकास की बात करना बेमानी है। जिस तरह से अपराधी उत्तर प्रदेश में निर्भय होकर घूम रहे हैं और सीमा पार से आये आतंकवादी इस देश को बरबाद करने पर लगे हैं, बड़ी-बड़ी दुर्घटनायें कर रहे हैं और वह भी समझ रहे हैं कि यह सबसे सुरक्षित स्थान है, बार-बार घृणित हरकतें करके सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली हरकतों के लिये उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश सबसे सुरक्षित स्थान है। जो हमारा बहुसंख्यक समाज है, जिसके तीर्थस्थल अयोध्या, मथुरा और काशी हैं, ऐसे ही तमाम अन्य तीर्थस्थल भी हैं, उनके ऊपर आतंकवादी प्रहार कर रहे हैं। अभी कांग्रेस के एक मित्र बोल रहे थे कि अयोध्या और काशी में आतंकी हमला हो चुका और अब मथुरा की बारी है। मान्यवर, माफियागिरी, संगठित अपराधी गिरोहों की जन्मस्थली इटली रही है। मान्यवर, [x x x] मेरा सरकार से आग्रह है कि यदि वह वास्तव में उत्तर प्रदेश के विकास का काम करना चाहती है तो वह संतुलित बजट सदन में प्रस्तुत करे, अगर वह विकास के लिए कुछ करना चाहती है तो जो संगठित अपराध हैं, उनको नियन्त्रित करे और धार्मिक आधार पर जो अपराध हो रहे हैं, उनको नियंत्रित करे। तीसरी बात जो अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण समाजवादी पार्टी द्वारा मिल रहा है, जब तक वह मिलता रहेगा, तब तक अपराध नियन्त्रण की बात करना बेईमानी होगी। आज उत्तर प्रदेश की सीमा में नेपाल के रास्ते से भारी संख्या में हथियारों की तस्करी हो रही है, पूरी सीमा असुरक्षित है। ए0के0 47 हथियार जो कि प्रतिबन्धित हैं, इसके अलावा और भी जो विदेशी हथियार हैं, नेपाल के रास्ते से बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। जो हालत बिहार में थी, वही हालत आज उत्तर प्रदेश की हो रही है। इन हथियारों का इस्तेमाल बड़े-बड़े अपराधों और हत्याओं में हो रहा है और सरकार इस पर रोक लगाने में पूरी तरह से असफल है। बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा की बात कही गई है, वाराणसी हमारे प्रदेश के पूरब में स्थित है, वहां पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय है, लेकिन मान्यवर, वहां पर कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, इस बजट में आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही गई है।

*श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। जो इस सम्मानित सदन के सदस्य नहीं होते हैं, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं की जाती है। [x x x] मान्यवर, इनको शर्म नहीं आती है, पूरे मुल्क को इन्होंने बेच दिया है। (श्री प्रमोद कुमार के बोलने से व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह--

मान्यवर, जब इनके सदस्य बोल रहे थे, तब उन्होंने हम लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा था कि मथुरा और काशी में इन लोगों ने आतंक और हत्याएं करवाई है। उस समय आपने नहीं माना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

किया, अब आपको बुरा लग रहा है। मान्यवर, इन्होंने कहा कि अयोध्या का हमला और संकट मोचन पर हमला हमारी सॉठगॉठ से हुआ तो यह इन्हें कैसे पता चला क्या यह आतंकवादियों से मिले हुए हैं।

श्री अधिष्ठाता--

इसको दिखवा लिया जाएगा और अगर कोई बात असंसदीय होगी तो उसे निकलवा दिया जाएगा।

(श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह और श्री जगदम्बिका पाल के एक साथ बोलने पर अधान)

श्री जगदम्बिका पाल--

हमारे सदस्य ने यह नहीं कहा कि आतंकवादी घटनाएं आपके माध्यम से हो रही हैं।

श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह--

बिलकुल कहा है, आप कार्यवाही दिखवा लें। आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, इतिहास के बारे में जानते होंगे। अन्तर्राष्ट्रीय इतिहास के विद्यार्थी अच्छी तरह से जानते हैं कि यह माफिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ? अपराधी सबसे ज्यादा कहां हैं आज जिस तरह से दुनिया भर में अपराध हो रहे हैं, वह इटली की देन है, इसीलिए हमने कहा कि इटली में जो माफियागीरी चली, संगठित अपराध करने की स्थिति इटली से उपजी है, उससे यह आतंकवादी नौजवान प्रेरणा ले रहे हैं। जो आतंकवादी हैं, वह वहीं से प्रेरणा ले रहे हैं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन यह इतिहास का तथ्य है कि आज जितने भी अपराध हो रहें हैं, इन अपराधियों के लिए माफियागीरी शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल इटली में हुआ है। जब आपके सदस्य ने हम लोगों की ओर इशारा किया तब आपने उन्हें नहीं रोका, तब आप ताली बजा रहे थे, क्या संकटमोचन मन्दिर में आक्रमण हमारी सॉठगॉठ से हुआ है, इस तरह की बात सबसे पहले आपके सदस्य ने ही शुरू की थी।

श्री जगदम्बिका पाल--

आपका नाम किसी ने नहीं लिया था।

श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह--

मथुरा में विस्फोट की बात आपकी पार्टी के माननीय सदस्य को कैसे पता चली, क्या वह आतंकवादी गिरोह से मिले हुए हैं ? मथुरा में श्रीकृष्ण जन्म भूमि पर जो संभावित हमले की बात की है, यह बात उन्हें कैसे पता चली। यह माननीय जगदम्बिका पाल जी बतायें। जो इनके दल के सदस्य ने यह बात कही कि मथुरा में हमले की योजना है तो इसकी जानकारी इनको कहाँ से मिली, इसका खुलासा करें, क्या यह आतंकवादियों/हमलावरों ने बताया है ? निश्चित जानकारी है कि आक्रमण होने वाला है तो इसकी जानकारी सरकार को दें, गृह विभाग को दें ताकि श्रीकृष्ण जन्म भूमि पर जो खतरा आने वाला है उसको टाला जा सके। माननीय अधिष्ठाता जी, मेरा समय बर्बाद कर दिया। मेडिकल कालेज की बात हुई, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जौनपुर एक प्रमुख जिला है।

(श्री जगदम्बिका पाल के बोलने पर)।

श्री अधिष्ठाता--

पाल साहब अगर कोई आपत्तिजनक बात होगी तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा। माननीय सदस्य, आप अपनी बात जारी रखें।

श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह--

बहुत बड़ा जिला है, वहां पर वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय है, यह नया विश्वविद्यालय है, बड़ा भारी परिसर है, बहुत स्थान है, मेरी यह मांग है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के लिए क्योंकि वहां बड़ी भारी जनसंख्या रहती है बनारस में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का मेडिकल कालेज है, उस पर बहुत बोझ रहता है और वहां पर बिहार व पटना के आस-पास से बहुत बड़ी संख्या में गरीब लोग नि:शुल्क इलाज के लिए आते हैं। बनारस में प्राइवेट नर्सिग होम्स हैं लेकिन गरीब आदमी उनमें इलाज नहीं करा सकते क्योंकि वहां का इलाज बहुत मंहगा है तथा वहां पर बड़ी ज्यादतियां होती है। मेरी सरकार से यह मांग है कि जौनपुर में पूर्वान्चल विश्वविद्यालय में एक नया मेडिकल कालेज स्थापित करने की कृपा करें। पानी की बात हुई, आप सहमत होंगें, प्रदेश में बड़ी तेजी से भू-जल का स्तर गिर रहा है जो बहुत चिंतनीय बात है और पानी का संकट आने वाले 10-20 सालों में पूरी दुनिया की एक बड़ी समस्या बनने वाली है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने भू-जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए कोई सार्थक और ठोस प्रयास नहीं किया है। गांवों में पानी के लिए, अभी गर्मी शुरू नहीं हुई हैं, हाहाकार मचा हुआ है। मैने इस विधान सभा में एक सवाल पूछा था कि वाटर रिचार्जिग के लिए सरकार क्या कर रही है ? जवाब आया था कि वाटर रिचार्जिग के लिए ग्रामीण पेयजल योजना में जितना पैसा जाता है उसका 20 प्रतिशत खर्च किया जा रहा है। मैंने जौनपुर के संदर्भ में पूछा था कि इस दिशा में क्या कोई कार्ययोजना बनायी है ? उसका जवाब आया था कि 56 परियोजनाओं पर कार्य हो रहा है और जलाशयों को नये सिरे से बनाने की स्वीकृति हुई है उस पर भी काम हो रहा है और इस वित्तीय वर्ष के अंत में काम हो जायेगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि वित्तीय वर्ष बीतने में केवल कुछ ही दिन रह गये हैं। वाटर रिचार्जिग के नाम पर 56-57 परियोजनाओं पर एक पैसे का काम नहीं हुआ है और बजट भाषण में थोड़ा सा स्वागतयोग्य बात कही गयी है कि हर गांव सभा में एक जलाशय बनाया जायेगा उसके लिए धन का आवंटन भी किया गया है लेकिन मुझे आशंका है कि कही ये सारी योजनायें भ्रष्टाचार कीं भेंट न चढ़ जायें। पहले जलाशयों के खोदने के नाम पर काम पूरा कर दिया जाता था। सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट का निर्णय आया है कि जहां-जहां 50 साल पहले तालाब थे, उन पर जिनका भी कब्जा है, उसको कब्जे से मुक्त कराया जाये और फिर से तालाब की व्यवस्था की जाए उसको गहरा किया जाये ताकि पानी की समस्या जो देश के सामने और दुनिया के सामने आने वाला है, उसके लिए पहले से ही कार्ययोजना बनायी जाये। मान्यवर, सड़कें बनाने की बात कही गयी है। पूरब में सड़के बनती नहीं दिख रही हैं। लेकिन पूर्वान्चल में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति बहुत खराब है वहां पर सड़कों पर पैसा नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है तो किसी प्रभावी नेता और विधायक के क्षेत्र में जा रहा है। इस दृष्टि से हम लोगों की उपेक्षा हो रही है। मेरे क्षेत्र में पतहना, काफरपुर मार्ग है, कुठवार जंगीपुर मार्ग है। दीपपुर-जंघुवाई मार्ग है। जाटवपुर-करंजाकला मार्ग है। आदमपुर सम्पर्क मार्ग है। नरौली सम्पर्क मार्ग है। जौनपुर-पंचगांव तथा जौनपुर जाफराबाद आदि अनेक मार्ग हैं जिनकी दशा अत्यन्त खराब है। यह सड़कें जर्जर हैं और पूरी तरह से ध्वस्त हैं। अगर वहां सड़क न होती और हम साइकिल से जाते तो चले जाते लेकिन आज उन सड़कों की जो स्थिति है वह यह है कि उन पर जाना संभव नहीं हैं। मुख्य मंत्री जी ने शपथ ग्रहण करने के बाद बड़ें आत्म विश्वास के साथ कहा था कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में 14 घण्टे बिजली मिलेगी लेकिन आज स्थिति

यह है कि 4-5 घण्टे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली दी जा रही है और वह भी कई-कई दिन बाद मिलती है। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा था कि हमारी सरकार दो साल बाद बिजली का उत्पादन इतना करेगी कि 24 घण्टे बिजली मिल सकेगी। लेकिन इस संबंध में कुछ नहीं हो रहा है। दादरी में जो रिलाएंस कम्पनी बिजली घर लगा रही है वहां पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है केवल जमीन कम्पनी को उपलब्ध करा दी गयी है। जब तक बिजली की कमी पूरी नहीं होगी तब तक उद्योग धन्धे नहीं लगेंगे और कृषि के क्षेत्र में विकास नहीं होगा और किसान की खुशहाली की बात करना बड़ी दूर की बात होगी।

मान्यवर, विशिष्ट बी0टी0सी0 का प्रशिक्षण देकर बहुत सारे अध्यापकों की नियुक्ति की गयी है। जौनपुर में बहुत सारे विद्यार्थी विशिष्ट बी0टी0सी0 में चयनित हुए हैं और उनको प्रशिक्षण देकर दूसरे जिलों को भेजा गया है। हमारे जिले में बहुत से अध्यापकों के पद खाली हैं इसके बावजूद भी हमारे जिले से अध्यापकों को दूसरे जिले भेजा गया है। शिक्षा विभाग की सामान्य नीति यह है कि अध्यापकों और शिक्षकों को, जो प्राथमिक शिक्षा के हैं, उनको अपने ही जिले में रखा जाता है। सामान्य तौर पर बाहर भेजने की नीति नहीं है। लेकिन हमारे यहां जौनपुर से सुदूर सोनभद्र चन्दौली जिलों को जो नक्सल प्रभावित हैं वहां भेजा गया है। मेरी मांग हैं कि इनको तुरंत बुलाया जाये और जौनपुर में नियुक्ति करके शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाये। हमारे मुख्यमंत्री जी पिछले कई सालों से घोषणा करते चले आ रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता देंगे लेकिन इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है आज रोजगार दफ्तरों में हजारों ग्रेजुएट अपना रजिस्टेशन करवाने जा रहें हैं और जगह-जगह घेराव, धरना, प्रदर्शन हो रहा है। बेरोजगारों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है और उनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं। बेरोजगारी भत्ते के लिए धन की व्यवस्था कहां से की जायेगी इसका बजट में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मैं मुख्यमंत्री द्वारा रखे गये बजट का घोर विरोध करता हूँ।

*श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था।

मान्यवर, नियमावली का नियम 304 देखने का कष्ट करें। नियम 304 में स्पष्ट है कि "यदि अध्यक्ष की राय हो कि सदन में कोई ऐसा शब्द या ऐसे शब्द प्रयुक्त किये गये हैं जो मान हानिकारक या अशिष्ट या असंसदीय या अभद्र हैं तो वे स्वविवेक के आदेश दे सकेंगे कि ऐसा शब्द या ऐसे शब्द सदन की कार्यवाही से निकाल दिये जांय।"

श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह--

यह ऐतिहासिक सत्य है।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, यह परम्परा चल जायेगी तो बड़ी मुश्किल हो जायेगी। मैं कहता हूँ कि कोई भंगेड़ी बैठा हुआ था जिसकी वजह से कारगिल में कब्जा हो गया। कहीं तो अशिष्टता और अभद्रता की सीमा तय करनी होगी। आप कार्यवाही देख लें अगर कार्यवाही में यह शब्द जो कि अशिष्टता और अभद्रता की श्रेणी में आता है तो इस शब्द को निकलवा दें। मैं समझता था कि सदस्य स्वयं इस शब्द को वापस ले लेंगे अगर उन्होंने नहीं लिया है तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने पहले ही कह दिया है अगर कोई ऐसा शब्द होगा जो असंसदीय होगा तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

डा0 सुशील चौधरी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने वर्ष 2006-07 के बजट पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। इस बजट में किसानों के लिए, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग कल्याण, कन्या विद्या धन, चौकीदारों की वेतन वृद्धि, होमगार्डो की वेतन वृद्धि आदि ऐसे बिन्दु हैं जिनके ऊपर मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त गांव में तालाब खुदाई योजना जो पूरे प्रदेश में लागू की गई है उसके लिए 600 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है उसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। इसके पहले केन्द्रीय सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार को 11 हजार करोड़ रुपए की मांग के बदले 13,500 करोड़ रुपए दिए गए थे और इस बार 19 हजार करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के लिए आवंटित किए गए लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के इस बजट में केन्द्रीय सरकार के लिए धन्यवाद का एक शब्द नहीं है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। दूसरी बात जिस तरह से प्रदेश में गन्ने की फैक्ट्रियां लगाई गई हैं उससे किसानों को लाभ हो रहा है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ संसदीय कार्यमंत्री जी बैठे हुए हैं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगी हुई हैं जिससे किसानों की फसल के बायो प्रोडक्ट बनते हैं और उससे किसानों की मदद की जा रही है इसी प्रकार मैं अपेक्षा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे आम, अमरूद, लीची, आड़ू, झूलम आदि के बायो प्रोडक्ट बनाए जा सकें और उससे किसानों को गन्ने की खेती के बराबर आर्थिक लाभ मिल सके। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कई बार यहां पर उसकी चर्चा भी हुई है दादरी में 2500 एकड़ जमीन किसानों की छीनी गई है। यहां पर इसी सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि दो साल के अन्दर दो रुपया प्रति यूनिट बिजली किसानों को मिलने लगेगी लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 2500 एकड़ जमीन बेकार पड़ी है उसके ऊपर एक पैसे का काम अभी तक नहीं हुआ है न ही इस बजट में उस प्लांट की कोई चर्चा है। मैं समझता हूँ कि 10,000 करोड़ का प्लांट अगर उत्तर प्रदेश सरकार खुद ही शुरू कर देती तो काफी कार्य हो गया होता। एक बात और कहना चाहता हूँ कि आर0सी0 जारी होने पर 10 प्रतिशत रिकवरी चार्ज अधिक किसानों पर लग जाता है मैं संसदीय कार्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि किसानों से यह जो 10 प्रतिशत चार्ज तहसील स्तर पर लिया जाता है यह बन्द होना चाहिए। इसी प्रकार से इस प्रदेश में पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड विकास निधि के नाम से एक योजना चल रही थी हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। पश्चिम के लोग हमसे पूछते हैं कि क्या पश्चिम के लोगों को विकास निधि की जरूरत नहीं है। मैं मांग करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड विकास निधि बजट में रखी गई है उसी प्रकार पश्चिमी अंचल के लिए भी विकास निधि का प्राविधान होना चाहिए। समग्र ग्रामीण योजना रखी गई है। उसके लिए अलग से कोई बजट नहीं है।

मैं किसी की आलोचना के लिये नहीं कह रहा हूँ। पहले अम्बेडकर गावों का चयन होता था तो उसमें बिजली, खड़न्जा, पानी इन सबका प्राविधान था लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि समग्र गावों चयनित किये गावों में कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। इसी प्रकार कहना चाहता हूँ कि बेरोजगारी भत्ते की यहां पर घोषणा की गई है लेकिन उसके लिये बजट में एक भी पैसे का प्राविधान नहीं किया गया है। आज की तारीख में इस प्रदेश में कितने बेरोजगार हैं सरकार के पास इसके कोई आँकड़े नहीं है। कितना पैसा उनको देना है इसके लिये कोई प्राविधान नहीं है। मान्यवर, इस प्रदेश में 3/4 मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा हुई है। सै ें पहले ही ग्रामीण अंचल मेडिकल कालेज में बन गया है। कन्नौज, आजमगढ़, जालौन में खोले जाने के लिये घोषणा हुई है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि सहारनपुर मण्डल में जहाँ सहारनपुर और मुज्जफरनगर जनपदों में एक भी मेडिकल कालेज नहीं है, मैं अपील करना चाहता हूँ कि वहाँ किसी भी ग्रामीण अंचल में एक मेडिकल कालेज की स्थापना होनी चाहिए। मान्यवर, इसी तरह से मैं एक निवेदन यह भी करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से 11 हजार से ज्यादा किसानों ने ट्यूबवैल के कनेक्शन के लिये एप्लाई कर रखा है। पिछले तीन सालों से मैं देख रहा हूँ कि 200, 300, 500 कनेक्शन खोल दिये जाते हैं। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि किसानों के लिये यह ट्यूबवैल कनेक्शन खोले जायं और यह जो पिछले तीन सालों से 11 हजार किसानों के कनेक्शन पेंडिंग है उनको सबको ट्यूबवैल कनेक्शन दिये जायं। अन्त में मैं मान्यवर, निवेदन करना चाहता हूँ कि ग्रामीण अंचलों की जो सड़के है उनकी हालत बहुत खराब है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की सड़को के बारे में भी यही कहना चाहता हूँ कि उनकी हालत बहुत खस्ता है उन सब सड़कों को ठीक कराया जाय। इसी तरह से कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पिछले वर्ष विधायकों को 5-5 किलोमीटर सड़क दी गई थी उसी तरह से इस बार भी सभी विधायको को पाँच-पाँच किलोमीटर सड़क दी जाय। पुरानी सड़कों के लिये भी कुछ न कुछ मानक निर्धारित करके उनको भी ठीक किया जाय। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जयहिन्द।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल--

मान्यवर, आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2006-2007 के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यह 2006-2007 का जो बजट है इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी बच्चे को लॉलीपॉप दे दी गई हो। यह एक [xxx] का पुलिन्दा है। जैसा अभी बताया गया कि इस बजट के अन्दर बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई है लेकिन उसका बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। किसी बेरोजगार को 500 रुपये कहाँ से मिलेंगे जब जेब में 100 रुपये नहीं है। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि मूक बधिर बच्चों के लिये कोई कालेज नहीं है। जो बच्चे मूक बधिर हैं और पढ़ लिखकर कम्प्यूटर आदि का कोर्स किये हुए है उनके लिये कोई नौकरी की व्यवस्था नहीं है। अत: मेरा निवेदन है कि मूक बधिर विद्यालयों की व्यवस्था होनी चाहिए और उनकी नौकरी के लिये भी प्राविधान होना चाहिए। इसी तरह से कहना चाहता हूँ कि जहाँ से हाई टेंशन लाइन गुजर रही है, कालोनी बस्ती के ऊपर से जा रही हैं जिससे छूकर भैस, बच्चा और आदमी मर जाते हैं। अगर इसको हटवाने के लिये विद्युत विभाग से

नोट--[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कहा जाता है तो विद्युत विभाग कहता है कि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए है मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि इन लाइनों को हटवाने के लिये आदेशित करें और इस पर जो व्यय हो उसको विद्युत विभाग से लिया जाय।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

हाई टेंशन लाइन के बारे में यह है कि अगर पहले से थी और उसके बाद वहां कालोनी बनी है तो उसमें दिक्कत होती है और यदि आबादी के बाद वह लाइन उधर से आई है तो यह गलत है।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल--

संसदीय कार्यमंत्री जी आपका बहुत सम्मान करता हूँ। मेरा कहना यह है कि 20 साल और 30 साल पहले जो लाइन जाती थी वहां मकान बना दिए गए हैं, लेकिन उससे दुर्घटनायें हो रही हैं। भैसें मर गई। आदमी मर गए। बच्चे मर गए। एक परिवार पूरा खत्म हो गया है यह जो कालोनियां हैं..

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

अलग से लिखकर दे दें।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल--

मैं अनुरोध कर रहा हूँ। लिखकर भी दे दूँगा आप निर्देशित कर दें। यह पूरे उत्तर प्रदेश की समस्या है यह केवल मेरठ की समस्या नहीं है। मान्यवर, हमारे यहां कंकरखेड़ा, कासमपुर, जय भीमनगर है। यहां पर पानी की समस्या है। मैंने चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन मेरे पास जबाब नहीं आया। ज्यादा समस्या नहीं है कई अन्य योजना है। नये जलाशय बनाये जाएं। मेरा कहना यह है कि कंकरखेड़ा, कासमपुर और जय भीमनगर है यहां की स्थिति यह है कि यहां के लोगों की हड्डी टेढ़ी हो गई हैं। पोलियो ग्रस्त है बीमार है पानी पीला-पीला आ रहा है। पानी पीने योग्य नहीं है। अगर वहां दो ट्यूबवेल दे दें तो वहां की जनता का उद्धार हो जायेगा। एक मेडिकल कालेज है इसकी चारदीवारी गिर गई है। वहां रोज झगड़े होते है अराजकता फैली हुई है। उस चारदीवारी की दीवार बनवाने के लिए कह दें। मान्यवर, 25 लाख विद्युतीकरण के लिए हर विधान सभा के लिए घोषणा की गई। हमारे मुख्य मंत्री जी जो कहत हैं वह करते है यह कहा जाता है जो बात वह कहते हैं ठीक कहते हैं। मैं मुख्य मंत्री जी को उनकी बात याद दिलाना चाहता हूँ। 25-25 लाख की जो बात कही गई थी वह विद्युतीकरण के लिए नहीं मिला है। इसके बारे में भी सोच लें। डेढ़ सौ, दो सौ पम्प मिलने थे लेकिन पम्प के लिए पैसे का प्राविधान नहीं हुआ है वह अधूरे पड़े हैं। बिजली चोरी पकड़ने के लिए गैंग जाते है, मेरठ में 15 दिन पहले बिजली चोरी पकड़ने के लिए स्काट बनाकर लोग गए। पुलिस प्रशासन गया। एक जगह जाने के बाद में वहां नौबत यह आ गई कि उन लोगों को और पत्रकारों को मारा पीटा, उनके कैमरे छीन लिए। कैमरे तोड़ दिए गए। एस0डी0ओ0 और जे0ई0 को घायल कर पीटकर भगा दिया गया। वह चैंकिग नहीं कर पाये। तो कानून व्यवस्था कहां है। इसके बारे में निर्देश दिए जाएं कि जहां पर चेकिंग रोकी गई है। वहां दुबारा चेकिंग हो। जिन लोगों ने झगड़ा किया है, मारपीट की उनको जेल भेजा जाए। मेरे यहां मेरठ में पटेल नगर है वहां सारी आबादी मिली-जुली है। एक पटेलनगर है दूसरा मुस्लिम इलाका है। वहां 87 में दंगों के बाद में पुलिस कैम्प पड़ा था। वह 87 से पड़ा हुआ है। टैन्ट जो लगाया गया है वह सरकारी जमीन है। वहां थाना चौकी बना दी जाए। वहां दोनों सम्प्रदाय के लोग रहते है ताकि उनमें मतभेद न हो।

सरकारी जमीन है उसमें पैसा दे दें वरना हम विकास निधि से दे देंगे। वहां थाना बना दिया जाए। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ बहुत सी बातें बजट में हैं उससे अपने को जोड़ता हूँ और इस बजट का विरोध करता हूं। विकास का काम नहीं हुआ है। सड़कें टूटी-फूटी पड़ी हैं। मैं इसका विरोध करता हूं धन्यवाद।

डा0 पी0 के0 राय--

माननीय अधिष्ठाता जी मैं बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय अधिष्ठाता जी माननीय नेता सदन के द्वारा जो लोक कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया गया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। विपक्ष अपने धर्म का पालन करते हुए, भले ही मन से उसको स्वीकार करता हो, लेकिन जुबान से उसका विरोध करना उसकी मजबूरी है, इस नाते विरोध किया जा रहा है। एक तरफ हर सम्मानित सदस्य ने कहा कि साहब इस सरकार ने 5 किलोमीटर सड़क जैसा दिया था, यह सराहनीय कार्य हुआ है, बहुत अच्छा कार्य हुआ है और पुन: इस पर विचार किया जाना चाहिए। हम लोग जब उधर बैठा करते थे तो 5 किलोमीटर तो 5 किलोमीटर है, मै तो स्वंय भुक्तभोगी हूँ मेरा इलाका गंगा-गंडक-गरीबी का पर्याय है, नदी से विभाजित है, एक छोटे से पुल, जिस पुल की पत्रावली काफी पहले से चल रही थी और उस पुल के लिए हमने न जाने कितने चक्कर काटे। सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाती थी और सम्भवत: जब वह पंचम् तल पर जाती होगी, वह उठाकर फेंक दी जाती होगी कि यह समाजवादी पार्टी से है। मैंने मुख्य सचिव से भी कहा कि क्या यह विवेकाधीन है, इसका कोई मानक है या नहीं ? सम्भवत: वह विवेकाधीन था और एक यह भी समय है चाहे इस तरफ के हो या उस तरफ के हों, सम्मानित माननीय नेता सदन के द्वारा उनकी बात सुनी जाती है और पूरी भी की जाती है, बल्कि हम लोगों की बात पीछे रहती है और आप लोगों की बात आगे रहती है। इस बजट में देखें, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ है, हम लोग जब गाँव में जाते थे और जब कोई विधवा मिलती थी, जब कोई विकलांग लड़का मिलता था और जब कभी कोई वृद्ध मिलता था और वह पूछता था कि हमारी पेन्शन नहीं मिल रही है तो हमारे सामने एक हर जबाब हुआ करता था कि तुम्हारे गाँव में जब कोई वृद्ध मरेगा, तब जो दूसरा वृद्ध होगा, उसका नम्बर लगेगा, जब कोई विधवा मरेगी तब उसके बाद जो दूसरी विधवा हुई है, उस विधवा को पेन्शन मिलेगा। माननीय जन सेवक जी बोल रहे थे, मैंने इसी सदन में सवाल किया था कि मेरे जनपद में कितने विकलांग पंजीकृत है ? 1679 ऐसे लोग पंजीकृत थे और केवल 70 को विकलांग पेन्शन मिल रही थी, बाकी को नही मिल रही थी। 90 करोड़ रुपये सारे विकलांगों को पेशन देने के लिए, 360 करोड़ रुपये वृद्धों को पेशन देने के लिए और 36 करोड़ रुपये विधवाओं को पेन्शन देने के लिए सरकार ने इस बजट में प्राविधान किया है। यह व्यवस्था कमजोर लोगों के लिए की गई है। आंकड़ों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ लेकिन बजट की जो नीयत है, यह बजट हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए और हर क्षेत्र के लिए है। सरकारें इसके पहले भी थी, कर्मचारी आन्दोलन करते थे, उनको तनख्वाह नहीं मिला करती थी, खजाना खाली मिला था लेकिन उसके बावजूद भी चिकित्सा के क्षेत्र में 65 प्रतिशत का इजाफा हुआ है, औषधियों की मद में पिछले वर्ष से 33 करोड़ ज्यादा का प्राविधान किया गया है। पुल और सड़कों के लिए 70 प्रतिशत का इजाफा किया गया है। चाहे बाढ़ बचाव का कार्य हो, चाहे गन्ने का भुगतान हो, कुशीनगर जनपद में कम से कम दो बार गोली-काण्ड हुआ है लेकिन इस सरकार के समय में गन्ने के भुगतान पर कोई संघर्ष नहीं किया गया इसलिए यह जो बजट है,

कल्याणकारी है, यह बजट सभी वर्गों के हितों का ख्याल रखने वाला है। माननीय गौर साहब बोल रहे थे, मेरे मित्र है, अग्रवाल जी नगर के विधायक है, आकंड़े अच्छा याद रखते है लेकिन मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश जब जापानी इन्सेफेलाइटिस की चपेट में था, उस वक्त भी इस बात पर शियासत हो रही थी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश और केन्द्र की सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए, जहाँ पर ये बच्चे मर रहे थे। मान्यवर, जापानी इंसेफेलाइटिस सन् 1978 से है। मान्यवर, 1978 में पहली बार जब जापानी इंसेफेलाइटिस की शुरूआत हुई थी तो उस समय में चिकित्सा सेवा में था। तब से लेकर अब तक हर साल जापानी इंसेफेलाइटिस के रोग हुआ करते थे लेकिन किसी सरकार ने उस पर ध्यान नही दिया। पिछली बार जब सरकार थी तब श्री बलराम यादव जी स्वास्थ्य मंत्री थे मैंने गोरखपुर में उनसे अनुरोध करके इस पर एक कार्यशाला करवाई थी। मान्यवर, संयोग से वह सरकार नहीं चली उसके बाद से अब तक इस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब उनका वहाँ पर कार्यक्रम लगा था तो गोरखपुर बंद का आवाहन वहाँ पर किया गया था। जब वह गोरखपुर मेडिकल कालेज गये तो मैने कहा कि इस रोग से 20 प्रतिशत बच्चे विकलांग हो जाते है, मरने वालों की संख्या अलग है। मैने उनसे कहा कि विकलांग होने वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए विचार किया जाना चाहिए और माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि जो बच्चे विकलांग हो रहे है उन्हें 50 हजार रुपये और मरने वाले बच्चों को 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हिन्दुस्तान में किसी सरकार ने यह प्राविधान अपने यहां शुरू नहीं किया है। मान्यवर, हमारे नेता सदन ने कथनी और करनी के अंतर को दूर किया है। उन्होंने जो कहा है वह किया है। इसके प्रमाण है । जब इस सदन में कन्या विद्याधन की बात कही तो कहा गया कि इसके लिए पैसा कहा से आयेगा। मान्यवर, पैसा लाने की जिम्मेदारी सरकार की है और उन्होंने इसकी व्यवस्था की। आप लोगों की तरफ से कहा गया कि संसाधन कहां से लायेंगे। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो कहा गया वह पूरा भी किया गया। मान्यवर, गौर साहब चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ है और हम उनका आदर करते हैं। मान्यवर, केवल विरोध करने के लिए विरोध किया जा रहा है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2002 में के0जी0एम0सी0 के सम्बद्ध अस्तपताल में ओ0पी0डी0 मरीजों की संख्या ढाई लाख थी और भर्ती मरीजो की संख्या 32 हजार थी और वही संख्या वर्ष 2004 में ओ0पी0डी0 में 4 लाख 42 हजार और भर्ती में 43 हजार हो गयी। निश्चित तौर पर सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं में चिकित्सा को रखा है और मेडिकल कालेज को और चिकित्सा सुविधाओं से और सुदृढ़ करने का काम किया है इसलिए यह संख्या बढ़ी है। इन आंकड़ो पर भी निगाह डालने की आवश्यकता है। मान्यवर, जो जिला चिकित्सालय है उनमें नवीन उपकरणों के लिए, विस्तारीकरण आदि के लिए 51 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। वह उत्तर प्रदेश जब इंडिया टुडे में आकंड़े छपा करते थे तो प्रदेश निचली कतार में खड़ा हुआ करता था। (इस समय चार बजे है।) वह उत्तर प्रदेश जो देश का हृदय प्रदेश है, वह उत्तर प्रदेश जिसने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिये है और हमारे जैसे लोगों को मौका मिला है बाहर जाकर साउथ ऐशियन कॉंफ्रेस आदि अटेन्ड करने का, जब उत्तर प्रदेश का प्रेजेन्टेशन करते थे और जब आंकड़े दिखाते तो सिर शर्म से झुक जाया करते हैं, तो उसको आगे बढ़ाने का सपना देखने का काम मुलायम सिंह जी द्वारा किया जा रहा है। इस बजट में सब तरह से उन वर्गों को ऊपर उठाने की नीयत परिलक्षित हो रही है। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस प्रदेश का, आपने लोक लुभावना शब्द बोला था, लोक लुभावना का अर्थ

यह होता है कि जिसमें छलावा न हो, उसमें काम करने की मंशा हो, तो उस मंशा के साथ इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। यह बजट ऐतिहासिक है, क्रान्तिकारी है, कल्याणकारी है। सिविल अस्पताल को 12 करोड़ रुपये, लोहिया अस्पताल को 25 करोड़ रुपये और बलरामपुर अस्पताल को 10 करोड़ रुपये दिये गये हैं। इन अस्पतालों को ज्यादा इमदाद शायद इसलिए दी गयी है क्योंकि यहां पर ज्यादा गरीब आते है और उनका नि:शुल्क इलाज होता है। कल्याणकारी सरकार का दायित्व है कि जनस्वास्थ्य की रक्षा करे इसलिए इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। मैं इस बजट पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

(इस समय चार बजे हैं)

*श्री प्रागीलाल अहिरवार--

मान्यवर, बजट के विरोध में बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया इसके लिए आभारी हूँ। मैं बुन्देलखण्ड से चुनकर आता हूँ। बुन्देलखण्ड के लिए इस बजट में कोई चीज नहीं रखी गयी है। बुन्देलखण्ड एक पहाड़ी एरिया है और वहां न तो पानी और न ही बिजली है मैने कई बार लिखकर दिया। बिजली वहां है नहीं और है भी चोरी होती है। यह चोरी नहीं रोकी जा रही है। कई बार मैने जिला प्रशासन को लिखकर दिया। उसको ठीक करने के लिए मैने अपनी निधि से कम से कम बीस-पच्चीस लाख रुपया विद्युत विभाग को दिया है। आज तक लाईन में सुधार नहीं किया गया है। हमने मऊरानीपुर शहर में पैसा दिया लेकिन वहां भी नहीं लगाया जा रहा है इसलिए मैं इस कल्याणकारी सरकार को सुझाव देता हूँ कि बुन्देलखण्ड में बिजली की व्यवस्था हो। बुन्देलखण्ड में पानी की व्यवस्था नहीं है। पीने का पानी से लेकर सिंचाई के लिए। आज यह समय आ गया है कि कुयें सूख गये है, हैण्ड पम्प का पानी नीचे चला गया है और ज़ानवरों तथा मनुष्यों के लिए पानी उपलब्ध नही है, वह पानी के लिए तरस रहे है। वहां पर पानी की व्यवस्था करायें। आज पेयजल का संकट हो रहा है। मान्यवर, वहां पर नदी और नाले बहुत हैं। वहां चैक डैम के माध्यम से बरसातों का पानी रोका जाय तो दो तीन फायदें हो सकते है। एक तो जो बरसात का पानी रोकने से पानी का संचय होगा और उससे सिंचाई हो सकती है और सिंचाई के बाद जानवरों को भी पीने का पानी होगा। मान्यवर, आज पर्यावरण को देखते हुए पेड़ लगाने के लिए योजनाएं बनती हैं। हमारे जनपद झांसी में मऊरानीपुर में मान्यवर, रोरा एक इतना अच्छा जंगल है कि वहां पर हरे पेड़ शीशम, चिरौल, नीम और कवा, करधरी आदि के पेड़ है, आज के समय में मान्यवर, वहां के लकड़ी माफिया इन पेड़ों को काट कर बेच रहे हैं और वन कर्मी मऊरानी रेंज और पुलिस थाना लहचुरा से मिलकर हरे पेड़ हजारों की तादात में काटे जा रहे है और खुले आम वह बिक रहे है। वहां पर कंजड़ा बिरादरी के लोग है जो वहां पर नाजायज तरीके से शराब की भट्ठी चलाते है, उनके यहां वह हरे पेड़ जल रहे है, आज सरकार की तरफ से कोई निर्देश होना चाहिए जिससे वह हरे भरे जंगल बच सकें, मान्यवर, जहां हम पेड़ लगाने के लिये बड़ा यतन करते है, लेकिन वह गर्मी आते ही सूख जाते है, तो उनको यतन करते है, मान्यवर, यहां पर जो लगे हुए पुराने पेड़ हैं उनको कटाया जा रहा है इसलिए इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

सड़कें चौड़ी करने के लिए काटे जा रहे है और उससे दुगने लगा रहे है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रागीलाल अहिरवार--

सड़क वाले नहीं है मान्यवर, वह तो कट रहे है लग रहे है, उनसे कोई मतलब नहीं है, यह बदमाश चोर वन माफिया मान्यवर, सुरक्षित सरकारी जंगलों में जो पेड़ लगे हुए है उन पुराने पेड़ों को काट रहे है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनको रोका जाय, पुराने जंगल है, सरकारी जंगल है उनकी बात कर रहा हूँ। श्रीमान्, खाद रसद विभाग की तरफ से मान्यवर, सरकारी सस्ते गल्ले की जो दुकानें है मान्यवर, तो मेरी मऊरानीपुर तहसील में जो राशन की सामग्री मिलना चाहिए आम जनता को, गरीब जनता को, गाँव की जनता को, जो भूखे रहते है मान्यवर, वह राशन उनको न मिल करके खुलेआम बाजारों में ब्लैक में बिक रहा है मान्यवर, जहां बिजली नहीं है, गांव में रहने वाले गरीब लोगों को मिट्टी का तेल नही मिलता है और बड़े-बड़े लोग भरा करके ड्रम उनसे अपने पम्पिंग सेट चला रहे हैं, बसे चला रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं श्रीमन्, उन गरीबों के लिए, जो गरीब गांव में रहते है, उनके लिए भी व्यवस्था होना चाहिए। मैं चाहूंगा मान्यवर, स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य के लिए सरकार ने पर्चा में पैसे कम किये यह स्वागत योग्य है, लेकिन उसके बदले में क्या हुआ, श्रीमन्, यह सरकारी अस्पताल है झांसी जनपद में मेडिकल मऊरानीपुर में स्वास्थ्य केन्द्र है, जो झांसी से दूसरे नम्बर पर है, वहां पर डाक्टर भी नही हैं, मान्यवर, वहां पर तीन महिला डाक्टर थी अब इस समय कोई डाक्टर भी वहां नहीं है, जहां पर दस-दस डाक्टर थे मान्यवर वहां पर अब एक-दो डाक्टर बचे हैं,

श्री मोहम्मद आजम खां--

कितनी महिला डाक्टरों से आपका काम चल जायेगा ?

श्री प्रागीलाल अहिरवार--

श्रीमान् आपसे निवेदन है कि उस क्षेत्र की महिलाओं की गणना करा ली जाय कि कितनी महिलायें वहां पर रहती है और उसी के अनुपात में वहां पर महिला डाक्टरों की व्यवस्था करा दी जाय।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी) --

अपने क्षेत्र की आप बात कर रहे है तो महिलाओं की संख्या के बारे में भी कुछ बतायें ।

श्री प्रागी लाल अहिरवार--

श्रीमान, यह सरकार के पास आंकड़े रहते है और हमसे ज्यादा आप मंत्री लोग आंकड़े रखते हैं, कहीं के भी हों, आपके क्षेत्र के ही आकंड़े हो तो वह हमें बता दें श्रीमन्, मैं भी प्रयास करूँगा कुछ बताने के लिए। मान्यवर, यह न्यायप्रिय सरकार है औ जनता को न्याय देती है यह बड़ी दुहाई देते हैं, मान्यवर सरकार की, लेकिन आज के समय में मान्यवर, असलियत पर जाइये, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ श्रीमन्, मऊरानीपुर कोतवाली में चार साल ए0सी0पी0 राम औतार सिंह जमे हुए हैं, वहां कोतवाल और सी0ओ0 सब फेल है, श्रीमन् वह सारे अपराधियों से मिले हुए है, जुआ, सट्टा, कच्ची शराब और मान्यवर, गांव के लागों का उत्पीड़न और बड़े-बड़े सम्मानित लोगों को बदमाशों को दुआना पठवा करके महीना पर उगाही कराते है, और चार साल से उनका चार बार ट्रान्सफर हुआ है मान्यवर लेकिन किसी नेता का रिश्तेदार बता करके वह आज भी वहीं जमे हुए हैं। श्रीमन्, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक नवादा गांव है वहां के जमुना अहिरवार को अपराधी द्वारा गोली मारी गयी श्रीमन्, और पेट के आर-पार निकल गई श्रीमन् और उसकी आज तक रिपोर्ट

नही लिखी गयी। मैंने कल इसको नियम 56 में दिया था, फिर नियम 51 में दी थी सूचना। इस तरह से वहां अनुसूचित जाति और दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। मान्यवर, सरकार कहती है कि यह उनकी बड़ी हितैषी सरकार है। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मान्यवर, आज प्रदेश में जो अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और जो अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, वहीं यह जो अच्छे गांव के भले लोग हैं उनका कोई सम्मान नहीं है। थाने के अन्दर यदि आज कोई अपराधी पहुंच जाए तो उनका बड़ा सम्मान होता है। और वही यदि कोई पीड़ित सम्मानित व्यक्ति थाने में पहुंच जाय तो उसका कोई सम्मान नहीं होता है तो इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। आज के दिन मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में देख लीजिये टाप टेन जो अपराधी है बहुत से हथियार लैस लोगों के साथ घूमते हैं जिनमें कुछ लाइसेंसी होते हैं और कुछ लोग बगैर लाइसेंसी होते है। और समाज में इनका इतना भय है कि जिस आदमी से कहें कि आज 50 हजार भेज दो नहीं तो तुम्हारे लड़के को पकड़ लेगें, मार डालेंगे। लोग उन्हें अपनी जमीन जायदाद बेचकर पैसा देते है। ऐसे अपराधियों से सांठ गांठ करके वह ए0सी0पी0 राम अवतार सिंह यादव दरोगा, जिसका चार बार मऊरानीपुर कोतवाली से स्थानान्तरण हो चुका है, थाना नहीं छोड़ रहा है। वह वहां से हटा नहीं है। अपराधी जो असलहा लेकर घूमते है इन पर रोकथाम होनी चाहिए इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री देखकर के और इस दरोगा का स्थानान्तरण कर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए।

मान्यवर, मेरे बुंदेलखण्ड और मेरे विधान सभा क्षेत्र मऊरानीपुर में 3-4 नदियां हैं जो वहां पर बालू का खनन होता है, पांच घाटों पर तो उसका ठेका है लेकिन बाकी तीन नदियों सुखनई, कुडार और उर नदी इनके घाटों पर ठेका नहीं है जैसे रोरा, सतोरा और धवाकर आदि, तो इन जगहों से जो बालू का खनन होता है उससे प्रदेश को लाखों रुपये की हर माह रायल्टी का नुकसान हो रहा है। और माफिया लोग पनप रहे हैं।

मान्यवर, आज के समय में जनप्रतिनिधियों के प्रति अधिकारियों की ऐसी सोच हो गयी है कि उनके पास जाये तो वह यह देखते है कि यह सत्ता पक्ष के है या विपक्ष के हैं, और अगर विपक्ष के है तो विधायक की कोई बात वह सुनने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, और वहीं अगर सत्तापक्ष से जुड़ा हुआ कोई अपराधी प्रकृति का व्यक्ति थाने में या किसी अधिकारी के पास पहुंच जाय तो उसकी बात सुनी जाती है और सम्मान होता है। और वह चाहे सत्तापक्ष से जुड़ा हुआ हो या न हो क्योंकि अपराधी किसी जाति का नहीं होता है न उसका कोई धर्म होता है। वह अपनी बात का भी पक्का नहीं होता है। जहां उसे लाभ मिलता है वह वहीं पहुंचता है। जो सरकार बनती है उसके पीछे पहुंच जाता है। अपराधियों को इतनी छूट नहीं होनी चाहिए। सरकार ने अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में जनता इसका खुद जबाब देगी। इस सरकार का यह अच्छा काम नहीं है।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में सड़कें नहीं हैं। एक खरका से घायपुरा जिसमें ब्लाक स्तर से मिट्टी और पुलियों का कार्य कराया गया है पिछली बार मैंने मांग भी की थी कि लोक निर्माण विभाग से इस मार्ग को पक्का कराया जाय। इसी प्रकार भटपुरा टंकी से गरौठा रोड का इस पर कच्ची मिट्टी का कार्य हो गया है उसे पक्का कराया जाय। इसी तरह से चकारा से बमौरी यह लिंक रोड है इसको भी पक्का कराया जाय। ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो सके। इसी तरह से टकटौली से दयाराम खिरक तक में मिट्टी और पुलियों का काम हो गया है इसको पक्का कराया जाय। इसी तरह से रोरा गांव है इसमें सुखनई नदी पर पुल बनाये जाने की आवश्यकता है। गरौठा से छतरपुर जाने के लिए सीधा रास्ता है इससे कई ग्रामों को लाभ मिलेगा।

मान्यवर, मऊरानीपुर तहसील के अन्तर्गत मैं बताना चाहता हूँ यहां पर राजस्व मंत्री जी बैठे हुए हैं मऊरानीपुर तहसील के अन्तर्गत ग्राम बिरगुवा, खकौरा, भानपुरा, खरका माफ आदि स्थान ऐसे है कि वहां की गांव सभा की जमीन गरीबों को पट्टे न होकर वहा के अमीन राजा राम और नायब तहसीलदार फारूकी उस पर खेती करवा रहे है। वहा के गांव सभा के सरकारी जमीन पर खेती हो रही है, राज्य सरकार के हित में जो जमीन है उस पर खेती हो रही है, गांव सभा की जमीन पर खेती हो रही है। ऐसे अधिकारी जो 4-4 साल से जमे हुए है गांव समाज की जमीन को पट्टे पर देकर खेती करा रहे है। ऐसे लागों को दंडित होना चाहिए और वह जमीन गरीबों के हित में पट्टा होना चाहिए। यह जनहित की बात है। अधिष्ठाता जी का निर्देश हो गया है तो मैं ज्यादा समय न लेकर इस जनविरोधी बजट का मैं खुले मन से विरोध करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता--

विपक्ष से सारे लोग बोल चुके हैं, अब यह चर्चा जारी रहेगी। हम अगली मद ले रहे हैं।

*श्री राधेश्याम सिंह--

मान्यवर, मैं बोलना चाहता हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा वर्ष 2006-07 का लोक कल्याणकारी बजट रखा गया है उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह बजट एक वर्ग के लिए नहीं, एक जाति के लिए नहीं, एक समुदाय के लिए नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की 17 करोड़ आवाम के लिए यह बजट प्रस्तुत हुआ है। जहाँ एक तरफ आम जनता का स्वास्थ्य और चिकित्सा महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम सरकार ने किया है। मुझे याद है कि जब 2003-04 का बजट प्रस्तुत हो रहा था उस समय हमारे विपक्षी दल के नेता और माननीय सदस्यों ने कहा था कि यह जो घोषणाएं हुई हैं इसे कहा से सरकार पूरा करेगी, घोषणाए खाली थी वह लुंजपुंज था। एक तरफ गन्ना किसानों का लगभग 900 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य बाकी था। सरकार बनने के पहले चीनी मिल बन्द हो रही थी लेकिन हमारी सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो उत्तर प्रदेश के सभी गन्ना किसानों का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ यह हमारी सरकार की देन है। पूर्वांचल की वह चीनी मिलें जो जर्जर अवस्था में बंद हो चुकी थी, जिसमें भटनी, पिपराइच, रामकोला, लक्ष्मीगंज है, इन 900 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य बकाया हो, वहीं गन्ने के मात्र दो पेराई सत्र में 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा करके प्रदेश के मुख्य मंत्री ने ऐतिहासिक काम किया है और किसानों के दिल जीत लेने का काम किया। पहले एक ऐसी सरकार थी, जिस सरकार में 9 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य का रामकोला की चीनी मिल पर बकाया था तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गन्ना मूल्य मांगने पर गोली चलवाई थी। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय, जनप्रिय किसानों की सरकार आती है तो यह 9 करोड़ रुपया किसानों की जेब में जाता है। दूसरी तरफ 2 सीजन में गन्ने की कीमत 20 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य बढ़ाकर 900 करोड़ से ऊपर किसानों की जेब में जाता है। हमारे गौर साहब मंत्री रहे है और गन्ना मंत्री रहे है। 1996 में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी, लेकिन 1996 में जब हम लोग 70 से 72 रुपये प्रति क्विंटल किये जाने की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय प्रदेश की प्राइवेट सेक्टर की जो चीनी मिलें हैं, वह तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

70 रुपये दे रहीं थी और सरकारी चीनी मिलें 72 रुपये दे रही थी, हम इसकी लड़ाई लड़ते-लड़ते महीनों जेल में रहे, लेकिन तब गन्ने की कीमत 2 रुपये प्रति क्विंटल नहीं बढ़ सकी। यह हमारी सरकार की उपलब्धि है कि जब हमारी सरकार वर्ष 2003 में बनती है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह बनते है तो 1996 का वह 2 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान किसानों की जेब में चला गया। यह किसानों की सबसे बड़ी उपलब्धि है आज हमारे जिले कुशीनगर में पड़ौना की जो चीनी मिल बंद थी, उसे चलवा दिया गया और 300 करोड़ की लागत से हाटा में नई चीनी मिल लगाई जा रही है। यह किसानों की, मजदूरों की, छात्रों की रहनुमाई करने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार है।

आज हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कक्षा 1 से 12 तक फीस माफ कर दिया। हमारी सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक कापी किताब भी मुफ्त कर दिया। इसी प्रकार कक्षा 1 से 5 तक जो सरकारी स्कूलों में लड़कियाँ पढ़ रही हैं, उनको अब ड्रेस वितरित की जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश की वह बेटी जो कक्षा 12 पास करेगी, उसे 20 हजार रुपये का चेक दिया जायेगा, तब भी हमारे विपक्षी नेताओं ने कहा कि यह घोषणा हो चुकी पूरी, इसे कहां से पूरा किया जायेगा। लेकिन कक्षा 12 पास करने के बाद पैसा देने का ऐसा निर्णय उत्तर प्रदेश ही नही, बल्कि हिन्दुस्तान के किसी भी प्रदेश के किसी भी मुख्यमंत्री ने आज तक नहीं लिया। अब कक्षा 12 पास करने के बाद 20 हजार रुपये इन बेटियों के हाथ में देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार ने बी0ए0 तक लड़कियों की शिक्षा को मुफ्त कर दिया। अब इसके बाद हमारी सरकार ने बेरोजगारों को भत्ता देने की घोषणा की है। इसका स्वागत हमारे विपक्षी लोगों के द्वारा होना चाहिये था लेकिन इसकी भी आलोचना हो रही है कि बेरोजगारों को भत्ता कहाँ से दिया जायेगा। हमारे आदरणीय नेता माननीय मुलायम सिंह जी कहते हैं कि लोकहित में, जनता के हित में, प्रदेश के हित में हम कहीं से खजाना पूरा करें काम करेंगे और इसके लिये कमी नहीं होने देंगे और ऐसे कामों को पूरा करेगें। हमारे समाज और हमारे समाज के लोग, चाहे वह छात्र हों, किसान हों, नौजवान हों, सभी लोग आज इस सरकार से खुश हैं और यह जो बजट रखा गया है, यह बजट प्रदेश के 17 करोड़ लोगों के लिए एक जनकल्याणकारी बजट है। हम इस बजट का पुरजोर समर्थन करते हैं और इसी के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

अब यह चर्चा आगे भी जारी रहेगी।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, यहां पर सदस्य, आजमगढ़ बैठते हैं, उनकी ओर से हमें कुछ कहना था, लेकिन अब जब चर्चा जारी रहेगी तो अगले दिन कह लेंगे। लेकिन मान्यवर, कल का नियत कार्यक्रम है, उसके अनुसार यह चर्चा कल नहीं जानी चाहिए क्योंकि जो कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश है, उसके अनुसार कल अनुदान मांगें प्रस्तुत होगी और बजट अन्तिम तौर से पास होगा। कल मान्यवर, चार बजे से विनियोग विधेयक है और चार बजे से पहले 90-92 अनुदान मांगों को पूरा कराना है, इसलिए शायद यह चर्चा कल सम्भव न हो पाये। फ़िर भी जैसा पीठ का आदेश होगा मान्य होगा, मैं तो केवल स्मरण दिला रहा था।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है, इसे देख लिया जाएगा।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता--

आज दिनांक 10 मार्च, 2006 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 49 सूचनाएं प्राप्त हुई, पहली सूचना श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना' की जनपद गाजीपुर स्थित किसान मजदूर उ0 मा0 विद्यालय, गणपति नगर में नियुक्त अध्यापकों/कर्मचारियों के लम्बित वेतन भुगतान प्रकरण के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत। दूसरी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की मेरठ नगर निगम के अन्तर्गत कचरे से बिजली बनाने की योजना का क्रियान्वयन न किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत। तीसरी सूचना श्री प्रमोद कुमार की सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़ के भ्रष्टाचार की जांच एवं उनके स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत। चौथी सूचना श्री पूर्णमासी देहाती की जनपद चित्रकूट के ग्राम हस्ता में पी0ए0सी0 की मौजूदगी में दबंगों द्वारा आतंक मचाये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत। पाँचवी सूचना डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की के0पी0एल0टी0 ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद के सेवानिवृत्त शिक्षकों के बकायों का भुगतान न होने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत। छठी सूचना श्री बाबू लाल कुशवाहा की बांदा स्थित केन कैनाल सिस्टम से पानी लेते समय मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा हो रहे झगड़ो को देखते हुए केन नदी व बागैय नदी को जोड़कर किसानों को पानी की आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत। सातवीं सूचना डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर के सिविल लाइन स्थित निर्माणाधीन प्रेक्षागृह का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत। आठवीं सूचना श्री राम नरेश यादव की उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए छात्र हित में बिजली की आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत। नवीं सूचना श्री धर्मपाल सिंह की बरेली स्थित आंवला में श्री राजेन्द्र सिंह व उनके साथियों द्वारा विधान सभा सदस्य के साथ (धर्मपाल सिंह) को धमकी दिये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। दसवीं सूचना श्री अमरजीत सिंह जनसेवक की जनपद फतेहपुर स्थित बिन्दकी क्षेत्र की कु0 बीनू विश्वकर्मा को कन्या विद्याधन न दिये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। ग्यारहवी सूचना श्री हुकुम सिंह की पूर्वी जमुना नहर में पानी न आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में हैं, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। बारहवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की मेरठ नगर निगम की हापुड़ रोड पर पशुवधशाला से कटे पशुओं के अवशेष नाले में बहाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई, उनके नाम इस प्रकार है--श्री मदन चौहान, श्री आर0के0 सिंह पटेल, श्री महेश नारायण सिंह, श्री राम अचल राजभर, श्री मुन्शी लाल गौतम, श्री लाल जी वर्मा, श्री नरेन्द्र शिशोदिया, श्री रंगनाथ मिश्र, श्री नवाब सिंह नागर, श्री राम करन आर्य, श्री दयाराम, श्री जियाउद्दीन रिजवी, श्री आलम बदी, डा0 सुशील चौधरी, श्री राम कृपाल, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशल किशोर, श्री अमर सिंह यादव, श्री ओम प्रकाश (ओपी0 सिंह0), श्री सदल प्रसाद, चौ0 महेन्द्र सिंह, श्री रामहेत भारती, डा0 रमेश चन्द्र बिन्द, श्री हरि प्रताप सिंह, श्री मस्तराम, डा0 अरूण कुमार मेहरोत्रा, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री जगदीश नारायण राय, श्री प्रागीलाल अहिरवार, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री रणवीर राणा, श्री बीजू पटनायक, डा0 विनोद तिवारी, प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री राजेश कुमार और श्री जगदीश मिश्र।

हाइटेक सिटी गाजियाबाद में किसानों की जमीन को खरीदने में भारी असमानता के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री रामगोविन्द चौधरी)--

मान्यवर, श्री नवाब सिंह नागर, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 28-2-06 को नियम 51 के अन्तर्गत निम्नवत् सूचना दी गयी है। गाजियाबाद हाई-टेक सिटी के लिए जमीन खरीदने के लिए किसानों से जनपद गाजियाबाद एवं गौतमबुद्ध नगर में कुछ गाँवों के एग्रीमेंट किये जा रहे है . . . . . .

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)--

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री राम गोविन्द चौधरी--

[जिनमें भारी असमानता है। जहां ग्राम बम्हैटा में 860 प्रति गज से एग्रीमेंट किये जा रहे हैं, वहीं पर कचैंडावारसाबाद, दुजाना, दुर्रियाई इत्यादि में 300 एवं 350 प्रति गज से एग्रीमेंट किये जा रहे हैं जबकि भौगोलिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण इन जमीनों की मार्केट दर एक हजार रुपये प्रति गज के लगभग है, इसलिए इस योजना के विरोध में ग्रामीण पंचायतें कर अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं, यह भी जानकारी मिली है कि हाई-टेक सिटी के लोग इसी जमीन को प्रतिलाँच कर 8500 प्रति गज से बेच रहे हैं। सरकार को इस भारी मुनाफाखोरी को समाप्त करने के लिए दिशा-निर्देश देकर किसानों के हितों का संरक्षण करना चाहिए।

2--मा0 सदस्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर वक्तव्य की मांग की गयी है।

3--इस संबंध में उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से प्राप्त आख्या के अनुसार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में हाई-टेक सिटी योजना के अन्तर्गत चयनित दो विकासकर्ता कम्पनियां यथा मै0 उप्पल एण्ड चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्रा0लि0 एवं मै0 सनसिटी हाई-टेक इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा0लि0 के साथ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एमओयू [illegible] किया जा चुका है। गाजियाबाद जिले से संबंधित भू-स्वामियों तथा हाई-टेक सिटी के मध्य जमीन के क्रय-विक्रय की कार्यवाही की जा रही है, जो एक विपणन गतिविधि (मार्केटिंग एक्टिविटी) है, जिस पर प्राधिकरण का कोई नियंत्रण नहीं है। प्राधिकरण द्वारा अभी तक भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत भू-अर्जन करने की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई है। जब अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही की जायेगी, उस समय किसानों को प्रतिकर प्रदान किये जाने में तार्किक आधार पर औचित्यपूर्ण कार्यवाही करते हुए किसानों के हितों का संरक्षण किया जायेगा।]

नोट-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश में मध्यांचल एवं इटावा जनपद में बर्ड फ्लू रोग के फैलने की आशंका को देखते हुये प्रदेश में वैक्सीन की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पशुधन मंत्री का वक्तव्य

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के मध्यांचल एवं इटावा जनपद में "बर्ड फ्लू" रोग के फैलने की आशंका जताई जा रही है।

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरनपाल सिंह)--

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री राम गोविन्द चौधरी--

[इस संबंध में अवगत कराना है कि महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू के आउटब्रेक को देखते हुए जनपद इटावा से भी 18 सीरम सेम्पुल्स जांच के लिये भोपाल भेजे गये, जिसका नतीजा बर्ड फ्लू निगेटिव प्राप्त हुआ। प्रदेश में बर्ड फ्लू की किसी भी सम्भावना को समाप्त करने हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी कदम उठाये गये हैं। अभी जहां तक वैक्सीन/टीका न लगाये जाने का प्रश्न है, यह अवगत कराना है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार टीके तभी लगाये जायेंगे जब किसी क्षेत्र में बर्ड फ्लू बीमारी की पुष्टि एच0एस0डी0डी0एल0 (हाई सिक्योरिटी डिजीज डायग्नोस्टिक लैबोरेट्री), भोपाल द्वारा हो जाय। टीकाकरण हेतु वैक्सीन भारत सरकार द्वारा अपने क्लास वन अधिकारी की देख-रेख में ही भेजी जायेगी। चूंकि अभी तक प्रदेश से भेजे गये 334 रक्त के नमूनों में से किसी भी नमूने में रोग की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में टीकाकरण की आवश्यकता नहीं है। रोग की पुष्टि हो जाने की स्थिति में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन भारत सरकार से प्राप्त कर टीके लगवाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। टीके (वैक्सीन) भारत सरकार बर्ड फ्लू रोग की पुष्टि के बाद ही प्रदेश सरकार को उपलब्ध करायेगी।

2--प्रदेश सरकार द्वारा बर्ड फ्लू से बचने एवं रोग से निजात पाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये गये हैं। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :

(1) संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावी कार्यवाही हेतु शासन स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित है, आवश्यकतानुसार, टास्क फोर्स की बैठक हो रही है। जिससे यदि कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है, तो उससे पूरी तरह निपटा जा सकता है।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(2) निदेशालय तथा प्रत्येक जनपद स्तर पर "टास्क फोर्स", रैपिड रिस्पान्स टीम एवं कन्ट्रोल रूम इत्यादि का गठन कर दिया गया है।

(3) रोग की पुष्टि होने पर उठाये जाने वाले सभी कदमों की विस्तृत जानकारी प्रदेश के प्रत्येक पशु चिकित्साविद् तथा अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों को दे दी गई है, जिसकी समीक्षा प्रत्येक कार्य दिवस को कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0 प्र0 शासन द्वारा की जा रही है।

(4) पशुपालन विभाग तथा सभी संबंधित विभाग के अधिकारी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

(5) कुक्कुट पालन व्यवसायियों को हाईजीन तथा स्वस्थ कुक्कुट पालन व्यवसाय करने हेतु सभी तरह की आवश्यक जानकारियां बराबर दी जा रही है।

3–जहां तक कुक्कुट व्यवसाय को हो रही आर्थिक हानि का प्रश्न है इसका मुख्य कारण लोगों में व्याप्त डर है। राज्य सरकार द्वारा बराबर इस डर को दूर करने हेतु समाचार-पत्र में विज्ञापन, रेडियो एवं दूरदर्शन पर प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है, सिनेमाघरों में भी स्लाइड प्रदर्शन के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

4–विगत कुछ दिनों में कुक्कुट व्यवसाय से जुड़ी संस्थाओं द्वारा भी चिकन मेला इत्यादि का आयोजन कराया जा रहा है। इसके अच्छे परिणाम आने प्रारम्भ हो गये हैं। आशा है कि शीघ्र ही यह व्यवसाय पूर्व की भांति पुन: स्थापित हो जायेगा।]

जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर में सिविल जज न्यायालय को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

मान्यवर, मा0 सदस्य की नियम 51 के अंतर्गत दी गयी सूचना में जनपद पीलीभीत बीसलपुर में सिविल जज (जू0डि0) न्यायालय के खोलने हेतु अस्थायी रूप से भवन राजस्व परिषद द्वारा उपलब्ध करा दिये जाने के उपरांत भी जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर में सिविल जज (जू0डि0) न्यायालय अभी तक चालू नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया है ।

श्री राम किशुन–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अधिष्ठता–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

[जिससे वहां के क्षेत्रीय लोगों को 20-25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है।

नोट –[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2--मा0 सदस्य की सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर में सिविल जज (जू0डि0) का न्यायालय खोलने हेतु मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की सहमति शासन को प्राप्त हो गयी है। प्रश्नगत न्यायालय की स्थापना के लिए तहसील बीसलपुर में मुख्यालय से सिविल जज (जू0डि0) का एक न्यायालय स्थानान्तरित करके स्थापित किये जाने का प्रकरण सम्प्रति विचाराधीन है।]

जनपद पीलीभीत के सभी प्राथमिक विद्यालयों को किचन शेड के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि के बाद भी निर्माण कार्य प्रारम्भ न कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 विनोद तिवारी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)--

मान्यवर, डा0 विनोद तिवारी, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में किचन शेड (रसोई घर) का निर्माण शिक्षा विभाग द्वारा नहीं किया जाता है ।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री राम गोविन्द चौधरी--

[नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के शासनादेश सं0-1908/69-1-04-14(50)/03, दिनांक 3 अगस्त, 2004 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को दोपहर के भोजन के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्रों में किचन शेड बनवाने तथा समन्वय समिति के गठन के संबंध में भारत सरकार के पत्र सं0-एफ-11-1/2001-एस0पी0ई0 (एम0डी0एम0), दिनांक 14-8-03 के संदर्भ में प्राथमिक विद्यालयों में किचन शेड निर्माण किये जाने का अनुरोध राज्य नगरीय विकास अभिकरण उत्तर प्रदेश, लखनऊ से किया गया है। एक किचन शेड का निर्माण रु0 35,000.00 लागत से कराने के निर्देश हैं। इसी प्रकार ग्राम्य विकास के शासनादेश सं0 2329/38-4-04-13 जे0आर0 (वाई)/01, दिनांक 3-09-04 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में एस0जी0आर0वाई0 योजना के अन्तर्गत संबंधित ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराये जाने के निर्देश हैं।

जनपद पीलीभीत में 1087 प्राथमिक विद्यालय हैं, जिसमें 1041 विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में एवं 46 विद्यालय नगर क्षेत्र में स्थित हैं, जिनमें से 316 किचन शेड निर्मित व 218 किचन शेड निर्माणाधीन हैं। शेष के निर्माण के बारे में ग्राम्य विकास से नगरीय रोजगार विभाग से स्थिति स्पष्ट की जा सकती है।

विद्यालयों के कक्षा-कक्षों में भोजन बनाने के संबंध में अवगत कराना है कि प्राथमिक विद्यालय में भोजन बनाने का कार्य कक्षा-कक्षों में नहीं किया जाता है, बल्कि स्थानीय कुक के माध्यम से स्वच्छता/गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त सावधानी का निर्वहन करते हुए विद्यालय परिसर में कराया जाता है। जनपद पीलीभीत में मध्याह्न भोजन के कारण किसी बच्चे के अस्वस्थ होने की कोई शिकायत किसी स्तर से प्राप्त नहीं हुई है।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के वितरण के संबंध में अवगत कराना है कि विगत माहों में ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के चुनाव एवं पंचायत सचिवों को मूल पद पर वापस किये जाने के फलस्वरूप यह योजना अवश्य प्रभावित हुई थी। सम्प्रति योजना के प्रभावी अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी द्वारा जिले की 78 न्याय पंचायतों में एक-एक अधिकारी निरीक्षण हेतु नियुक्त किया गया है।]

जनपद बुलन्दशहर के नगरपालिका परिषद में कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों को वर्ष 1996 से वेतन का भुगतान न किये जाने के संबंध में श्री मुंशी लाल गौतम द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)--

मान्यवर, श्री मुंशी लाल गौतम, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दिनांक 28-02-06 को यह सूचना दी गयी कि नगर पालिका परिषद्, बुलन्दशहर में कार्यरत 125 कर्मचारियों को वर्ष 1996 से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरनपाल सिंह)--

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री राम गोविन्द चौधरी--

[वेतन न मिलने से कर्मचारी भुखमरी के कगार पर है। बच्चों की शिक्षा तथा पुत्रियों की शादी धनाभाव के कारण नहीं हो पा रही है। कर्मचारियों की बीमा की धनराशि को जीवन बीमा में जमा नहीं किया जा रहा है। वर्ष 1982 से पी0एफ0 काटे जाने के बावजूद कर्मचारियों के खाते में पैसा जमा नहीं किया जा रहा है तथा पेंशन अंशदान काटे जाने पर भी उसे जमा नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी, बुलन्दशहर से प्राप्त सूचना के अनुसार नगर पालिका परिषद्, बुलन्दशहर में कार्यरत 530 कर्मचारियों के वेतन का भुगतान प्रत्येक माह नियमित रूप से किया जा रहा है। वर्ष 1996 के नवीन वेतनमान के एरियर का भुगतान पूर्व में ही किया जा चुका है। कर्मचारियों के वेतन से प्रत्येक माह काटी गयी सामूहिक बीमा की धनराशि (वेतन माह जनवरी, 2006 तक की) राजकीय कोष के निर्धारित मद में नियमित रूप से जमा करायी जा रही है। कर्मचारियों के वेतन से काटी गयी भविष्य निधि की धनराशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में जमा करायी जा रही है। पूर्व की बकाया भविष्य निधि (माह मार्च 1986 से नवम्बर 1987, दिसम्बर 1990 से दिसम्बर 1991, मई 1994 से मार्च 1998, जून 2001 से मार्च 2003 तक 127 माह की) अंकन रु0 51,03,038.00 धनराशि धनाभाव में कर्मचारियों के खाते में जमा नहीं की जा सकी है। पालिका में धन उपलब्ध होने अथवा शासन से धनराशि प्राप्त होने पर बकाया उक्त धनराशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में जमा कर दी जायेगी। पेंशन अंशदान कर्मचारियों के वेतन से नहीं काटा जाता है, बल्कि 12 प्रतिशत पेंशन अंशदान की धनराशि पालिका को अपने स्रोतों से प्रबन्ध कर पेंशन निधि खाते में जमा करनी होती है। धनाभाव के कारण एवं

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उपलब्ध धनराशि के अनुसार पालिका पेंशन अंशदान को रु0 1.00 लाख की आंशिक धनराशि प्रत्येक माह पेंशन निधि खाते में जमा की जाती है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रत्येक माह पेंशन का भुगतान स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा बुलन्दशहर द्वारा किया जा रहा है। पेंशन अंशदान की माह जनवरी, 2006 तक की बकाया धनराशि रु0 53,60,133.00 है। धन उपलब्धता के अनुसार समय-समय पर पेंशन निधि में धनराशि जमा करायी जाती है।]

जनपद गौतमबुद्ध नगर में नोयडा व ग्रेटर नोयडा में अधिग्रहीत ग्रामों के भूमिहीन, कमजोर वर्गों के परिवारों को रियायती दर पर भूखंड आवंटित किये जाने के संबंध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर औद्योगिक विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)--

मान्यवर, माननीय विधायक के उक्त पत्र में मुख्यत: जनपद गौतमबुद्ध नगर में नोएडा व ग्रेटर नोएडा में अधिग्रहीत ग्रामों में भूमिहीन कमजोर वर्गों के परिवारों को रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने का वर्णन किया गया है।

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरनपाल सिंह)--

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री राम गोविन्द चौधरी--

[उपरोक्त के संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा प्राख्यापित पुर्नस्थापन एवं पुर्नवास नीति 2003 को अंगीकृत कर लिया है। इसके अन्तर्गत देय लाभों का आंकलन कर अर्जन निकाय द्वारा अपने बजट में धनराशि की व्यवस्था की जाती है। प्रभावित परिवारों को भूमि का कब्जा लेने से पूर्व लाभ दिये जाने का प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी द्वारा अर्जन प्रस्ताव के साथ शासन को उपलब्ध कराया जाता है। उक्त योजना के अन्तर्गत गांवों के मूल काश्तकारों को प्रतिकर के अतिरिक्त 15 प्रतिशत पुनर्वास बोनस प्रदान किया जाता है तथा अर्जित क्षेत्रफल का 5 प्रतिशत क्षेत्रफल विकसित करके आबादी पुनर्वास हेतु आवंटित की जाती है। प्राधिकरण द्वारा अर्जित की गयी भूमि किसानों के लिए व्यवसाय उपलब्ध कराने हेतु समय-समय पर वाणिज्यिक दुकानों का आवंटन ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत किया जाता है। प्राधिकरण द्वारा सामान्यत: कृषि भूमि का ही अधिग्रहण किया जाता है, यदि प्राधिकरण के सुनियोजित विकास हेतु नियोजन में आ रहे किसी निर्मित स्थल का अधिग्रहण किया जाता है तो नियमानुसार उसका मूल्यांकन कराकर प्रतिकर भुगतान किया जाता है। अत: पुनर्वास संबंधी समस्या उत्पन्न नहीं होती है साथ ही समय-समय पर भूमिहीन व आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए भवनों का आवंटन किया जाता है। भूमिहीन परिवारों की कोई भी भूमि प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत नहीं की जाती है। भूमिहीन परिवारों की भूमि अधिग्रहीत न होने के कारण रियायती दर पर भूखण्ड दिये जाने की कोई योजना प्राधिकरण में प्रचिलित नहीं है।]

नोट --[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिला बिजनौर के ग्राम खिड़की हेमराज कालोनी में ग्रामीणों के घर में घुसकर पुलिस द्वारा महिलाओं से अभद्र व्यवहार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में कुंवर भारतेन्द्र सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)--

मान्यवर, पुलिस अधीक्षक, बिजनौर से प्रकरण में आख्या प्राप्त की गयी, जिसके अनुसार दिनांक 23-02-06 को थाना कोतवाली शहर पर तैनात उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह मय कर्मचारीगण के थाने की मोबाईल गश्त में थे।

श्री राम किशुन--

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री राम गोविन्द चौधरी--

[गश्त के दौरान उन्हें सूचना मिली कि ग्राम हेमराज कालोनी में थाना रामराज, जनपद मुजफ्फरनगर की पुलिस किसी दबिश में आयी है। उक्त सूचना पर उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह मय हमराज कर्मचारीगण के ग्राम हेमराज कालोनी पहुंचे तो वहां पर रामराज थाने पर तैनात उपनिरीक्षक श्री गजेन्द्र सिंह, कान्स0 1288 कौशल सिंह, कान्स0 1012 राजीव कुमार, होमगार्ड 3236 चन्द्रपाल, होमगार्ड 3201 प्रमोद कुमार मय वाहन सं0 यू0पी0-20 एफ 4801 सहित मौजूद थे, उनका वहां गांव वालों से कुछ विवाद हो रहा था। पूछने पर थाना रामराज, जनपद मुजफ्फरनगर पर तैनात उपनिरीक्षक श्री गजेन्द्र सिंह द्वारा बताया गया कि एक प्रार्थना-पत्र की जांच में उक्त लोग वहां आये थे।

2--तदोपरान्त थाना रामराज, जनपद मुजफ्फरनगर की पुलिस वहां से चली गयी, इस संबंध में थाना रामराज की पुलिस द्वारा पूर्व में कोई सूचना नहीं दी गयी थी, और न ही कोई मदद मांगी गयी थी। रामराज थाने की पुलिस द्वारा ग्राम हेमराज कालोनी से जाते समय न कोई सूचना व तहरीर दी गयी और न ही ग्राम हेमराज कालोनी वासियों द्वारा मौके पर कोई तहरीर या उसके बाद थाना कोतवाली, शहर बिजनौर पर आकर कोई तहरीर या सूचना दी गयी। स्थानीय थाने को राजेन्द्र नाम का कोई व्यक्ति ग्रामवासियों द्वारा सुपुर्द नहीं किया गया है, तथा उक्त संबंध में थाना कोतवाली शहर, बिजनौर पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।]

जनपद मिर्जापुर में जल निगम द्वारा लगाये जा रहे हैण्ड पम्पों में घटिया सामान का इस्तेमाल करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा0 रमेश चन्द्र बिन्द द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)--

मान्यवर, जनपद मिर्जापुर सहित पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा अधिष्ठापित किये जा रहे हैण्ड पम्पों के लिए सामग्री का प्रबन्ध उ0प्र0 जल निगम मुख्यालय स्तर पर केन्द्रीयकृत है।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री राम गोविन्द चौधरी--

[हैण्ड पम्पों के अधिष्ठापन में प्रयुक्त होने वाले सामग्री की आपूर्ति भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार प्राप्त की जाती है तथा सामग्री आई0एस0आई0 मार्कड होती है। सामग्री की गुणता सुनिश्चित करने के लिये सामग्री की आपूर्ति से पूर्व तीसरे पक्ष से निरीक्षण कराया जाता है। आपूर्ति से पहले पी0वी0सी0 पाईप एवं जी0आई0 पाईप का निरीक्षण भारत सरकार के प्रतिष्ठित संस्थानों राइट्स तथा डी0जी0एस0 एण्ड डी0 द्वारा किया जाता है, जबकि इंडिया मार्का-II हैण्डपम्पों का निरीक्षण भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा किया जाता है। जनपदों में सामग्री की आपूर्ति के उपरान्त सामग्री की गुणता भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप पाये जाने पर ही उसे स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार हैण्ड पम्पों में प्रयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में कोई शिथिलता नहीं बरती जा रही है।

2--जनपद मिर्जापुर में अधिष्ठापित नये हैण्ड पम्प के दो तीन माह में खराब होने की कोई सूचना नहीं है।

3--जनपद मिर्जापुर के कुछ क्षेत्रों में पानी में आयरन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण जी0आई0 पाईप में जंग की समस्या है, परन्तु इससे जल के प्रदूषित होने एवं पेयजल जनित बीमारी की स्थिति नहीं है।

4--मा0 सदस्य द्वारा व्यक्त की गयी आशंका के निराकरण के लिये जनपद मिर्जापुर में हैण्ड पम्पों में प्रयोग की जा रही सामग्री की गुणवता की जांच अधीक्षण अभियंता, द्वितीय मंडल, उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद से करायी जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।]

जिला फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र किशुनपुर में गिरते जल स्तर को देखते हुए हैण्ड पम्पों की स्थापना कराये जाने के संबंध में श्रीमती कृष्णा पासवान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)--

मान्यवर, श्रीमती कृष्णा पासवान, मा0 सदस्या, विधान सभा द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2006 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में अवगत कराया गया है कि किशुनपुर विधान सभा क्षेत्र में हैण्ड पम्पों एवं पेयजल के अन्य स्रोत सूखकर निष्क्रिय हो गया है, जिससे पेयजल का संकट व्याप्त है।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरनपाल सिंह)--

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री राम गोविन्द चौधरी--

[मा0 सदस्या द्वारा 500 हैण्ड पम्पों को अधिष्ठापित कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2--विधान सभा क्षेत्र किशुनपुर के संबंध में उ0प्र0 जल निगम ने अवगत कराया है कि हैण्ड पम्पों के स्रोत सूखकर निष्क्रिय होने की कोई सूचना नहीं है। किशुनपुर विधान सभा क्षेत्र में धाता विकास खण्ड पूर्ण रूप से तथा अन्य तीन विकास खण्ड बिजईपुर, असोथर एवं हसवा आंशिक रूप से सम्मिलित है। उक्त चारों विकास खण्डों में हैण्ड पम्प अधिष्ठापन की स्थिति निम्नानुसार है--

क्र0 सं0	विकास खण्ड	कुल बस्तियों की संख्या	वर्ष 2001 की जनसंख्या	250 व्यक्तियों पर एक हैण्डपम्प के मानक के अनुसार आवश्यक है0प0 की संख्या	अधिष्ठापित हैण्डपम्पों की संख्या
1	धाता	165	156086	700	1579
2	बिजईपुर	251	160847	787	1673
3	असोथर	331	160078	805	1545
4	हंसवा	226	175844	769	1579
5	योग	973	652855	3061	6376

उपरोक्त तालिका में दर्शाये गये विवरण के अनुसार उक्त चारों विकास खण्डों की समस्त ग्रामीण बस्तियां भारत सरकार द्वारा निर्धारित 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अर्थात् 250 की आबादी पर एक हैण्डपम्प के मानक के अनुसार पूर्णतया आच्छादित है एवं पेयजल के संकट की स्थिति नहीं है। यदि उक्त विकास खण्डों में भूजल स्तर अत्यधिक नीचे गिरने की स्थिति उत्पन्न होती है तो भी वर्तमान में कार्यरत हैण्ड पम्पों में जी0आई0 पाईप की लम्बाई बढ़ाकर उनका समुचित उपयोग सुनिश्चित कर लिया जायेगा।]

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद इलाहाबाद की मुख्य सड़क सहसों चन्दोहा से उमरी तक स्वीकृत सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)--

मान्यवर, मा0 सदस्य विधान सभा, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा दिनांक 28-2-06 को नियम 51 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना दी गई है :

"राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0 ने दिनांक 5-09-05 के पत्र द्वारा इलाहाबाद जनपद की मुख्य सड़क सहसों चंदोहा से श्री अवधेश बहादुर सिंह के आवास से ग्राम उमरी तक सड़क निर्माण हेतु रु0 7.50 लाख स्वीकृत किया।"

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरनपाल सिंह)--

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री राम गोविन्द चौधरी--

[सड़क पर गिट्टी बिछाने का कार्य चल रहा था, इसी बीच गांव के पूर्व प्रधान एवं अन्य कुछ दबंग लोगों ने उक्त स्वीकृत कार्य को रुकवा दिया तथा अपने दरवाजे तक सड़क निर्माण करवाने का जबरन प्रयास किया। इस अवरोध को स्थानीय पुलिस भी सहयोग कर रही है।

ज्ञातव्य हो कि आराजी सं0-147 रकबा 0.012 हेक्टेयर रणजीत सिंह के उच्च न्यायालय से याचिका सं0-13328/2001 रणजीत सिंह आदि बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य पारित स्थगन आदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया है।

दिनांक 5-2-2006 को स्वीकृत सड़क पर पुन: कार्य प्रारम्भ हुआ तो पूर्व प्रधान व अन्य कई लोगों ने सड़क निर्माण में बाधा पहुंचाई तथा कई लोगों से मारपीट की। सराय इनायत थाने की पुलिस पूर्व प्रधान व अन्य लोगों का साथ दे रही थी। पुलिस द्वारा पूर्व प्रधान से मिलकर शांतिप्रिय कई लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया है, जो कि अन्यायपूर्ण है। सरकार से स्वीकृत सड़क निर्माण कराने तथा दोषी लोगों व पुलिस के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग करता हूं।

2--इस संबंध में निदेशक, मण्डी परिषद् से आख्या प्राप्त की गयी। निदेशक, मण्डी परिषद् द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार मण्डी समिति, इलाहाबाद क्षेत्रान्तर्गत मुख्य सड़क सहसों चन्दोहा से श्री अवधेश बहादुर सिंह के आवास से ग्राम उमरी तक लम्बाई 0.50

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

किमी0 लागत रु0 7.50 लाख स्वीकृत है। इस मार्ग के निर्माण हेतु अनुबन्ध संख्या-522, दिनांक 16-9-2005 गठित है। अनुबन्धानुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 16-9-2005 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 15-1-2006 है। इस मार्ग का निर्माण लगभग 15 प्रतिशत हो चुका है। अवशेष मार्ग के निर्माण में स्थानीय विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण निर्माण कार्य अवरुद्ध है। मार्ग के निर्माण में उत्पन्न हुये विवाद की जांच करने एवं जांच आख्या उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, इलाहाबाद से अनुरोध निदेशक, मण्डी परिषद् ने अपने पत्रांक-मु0 अभि0/प्रश्न/2006-4274, दिनांक 16-2-2006 द्वारा किया है। आख्या प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।]

श्री अधिष्ठाता--

अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे पूर्वाह्न में पुनः मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 4 बजकर 39 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 10 मार्च, 2006।

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0--80 विधान सभा--7-6-06--813 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।